लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया
Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—3, बुधवार, 29 जुलाई, 1970/7 श्रावण, 1892 (शक)
No.—3, Wednesday, July 29, 1970/Sravana 7, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
61. पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भारी संख्या में निष्क्रमण	Mass Exodus of Minority Community from East Pakistan	5—15
अल्प सूचना प्रश्न		
1. भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर	Water Level at Bhakra Reservior	15—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
62. भारत श्रीलंका नागरिकता समझौते का पुनरीक्षण	Review of Indo-Ceylon Citizenship Pact	19
63. रूसी मानचित्रों में चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया भारतीय क्षेत्र	Indian Territory Shown as Chinese in Soviet Atlas	19—20
64. ब्राडफार्ड (ब्रिटेन) में चालीस भारतीयों की गिरफ्तारी	Arrest of Forty Indian in Bradford (U. K.)	20
65. हिन्द चीन के विषय में जनेवा के ढंग का सम्मेलन	Geneva Type Conference of Indo-China	20—21

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
66. भारत पाकिस्तान सर्वेक्षण अधिकारियों के सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा असहयोग	Pak. Non-Co-operation in Indo-Pak. Survey Officers' Conference	21
67. पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों को मृत्यु दण्ड	Death Sentence on Indian Nationals in Pakistan	21—22
68. प्रतिरक्षा कार्यों के लिये इलैक्ट्रानिकी अनुसन्धान	Electronics Research for Defence Purpose	22
69. औद्योगिक विकास सेवा की सिफारिशें	Recommendations of Industrial Development Service	22—23
70. रावी नदी पर थीन बांध बनाने के लिये मंजूरी	Approval of Thein Dam on River Ravi	23
71. काश्मीर समस्या से अपने को अलग रखने का संयुक्त राष्ट्र अमरीका का निर्णय	U. S. Decision to Keep off its Hands on Kashmir Dispute	23—24
72. सिंहानुक की निर्वासित सरकार को मान्यता देना	Recognition of Sihanouk's Government in Exile	24
73. भारत नेपाल व्यापार वार्ता	Indo-Nepal Trade Talks	24—25
74. मंत्रिमंडल में किये गये परिवर्तनों के बाद प्रधान मंत्री के सचिवालय में विस्तार	Expansion in P. M's Secretariat after Cabinet Reshuffle	25—26
75. ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा कृषि ऋणों का अनुत्पादक कार्यों के लिये उपयोग किया जाना	Agricultural Loans Utilised by Borrowers for Non-productive Purposes	26
76. ब्रिटेन में श्री द्वारिका प्रसाद शाह की हत्या	Murder of Shri Dwarka Prasad Shah in U. K.	26—27
77. इसरायली अधिकारियों द्वारा भारतीय पत्रकारों को रोक लिया जाना	Detention of Indian Newsmen by Israeli Authorities	27
78. वायुसेना के कैडटों के प्रशिक्षण के लिये मैसूर में बीदर हवाई अड्डे में सुधार	Improvement of Bidar Airport in Mysore for Training of Air Force Cadets	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
79. सुधरी हुई किस्म के मिग 21 विमानों का निर्माण	Production of Improved MIG-21	28
80. अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के सम्बन्ध में भारत के मित्र देशों से पाकिस्तान पर दबाव डालने का अनुरोध	Request to Countries Friendly to India to Prevail upon Pakistan on Exodus of Minorities Issue	28—29
81. काजू और काजू के छिलके के तेल के आयात में कमी	Fall in Import of Cashewnuts and cashew-sells Liquid	29
82. आगामी दस वर्षों में बिजली की आवश्यकता	Requirement of Power during Next Ten Years	29—30
83. भारत श्रीलंका नागरिकता संधि	Indo-Ceylon Citizenship Pact	30
84. यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण	British Attitude towards Indians in U. K.	30—31
85. भारतीय पारपत्र धारियों के आने जाने को रोकने के लिये ब्रिटेन का यूरोप के अन्य देशों के साथ सम्पर्क	British Approach to other European Countries to Check Movements of Indian Passport Holders	31—32
86. महाराष्ट्र से मैंगनीज और लौह अयस्क का निर्यात	Export of Manganese and Iron Ore from Maharashtra	31
87. पूर्व अफ्रीका से ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों को कठिनाइयां	Hardships to Indians Holding British Passport from East Africa	32—33
88. रूस के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with USSR	33
89. बंगलौर के समीप एच०एफ० मार्क 11 विमान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में जांच न्यायालय का प्रतिवेदन	Report of the Court of Inquiry on HF Market II Crash near Bangalore	33—34
90. पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों के रख रखाव के प्रति पाकिस्तान की उदासीनता	Pak. Apathy Re. Upkeep of Sikh Gurdwaras in Pakistan	34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

401. रूई व्यापार से दलालों को हटाना	Doing Away with Brokers in Cotton Trade	34
402. थुम्बा राकेट छोड़ने के स्थान से ऋतु विज्ञान अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिये भारत रूस करार	Agreement for Indo Soviet Collaboration in Meteorological Research from Thumba Rocket Launching Site	35
403. हिमाचल प्रदेश में श्री राज कुमार सोनी को कच्चे माल का कोटा देना	Grant for Quota for Raw Materials to Shri R. K. Soni at Himachal Pradesh	35—36
404. श्री राजकुमार सोनी द्वारा शक्ति चालित करघे खरीदना	Purchase of Power Looms by Shri R. K. Soni	36
405. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य	Target for Export of Iron Ore during Fourth Plan Period	37
407. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of T. V. Sets	38
408. पौलैण्ड से गन्धक का आयात	Import of Sulphur from Poland	38
410. कपड़ा, पटसन तथा रबड़ मिलों का उत्पादन	Production of Textiles, Jute and Rubber Mills	38
411. 1969-70 में सूति कपड़े और पटसन का उत्पादन	Production of Cotton Cloth and Jute in 1969-70	39
413. दिल्ली को स्थल बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) घोषित करना	Delhi as Dry Port	39
414. पंजाब के नकली रेशम उद्योग पर संकट	Crisis in Art Silk Industry of Punjab	40
415. एशियाई व्यापार मेला	Asian Trade Fair	40
416. तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	41

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
417. चान्दनी चौक, दिल्ली में 22, जून, 1970 को प्रधान मंत्री के भाषण के सम्बन्ध में ली गई कथित सैनिक मदद	Reported Army Help in Connection with Prime Minister's Address in Chandni Chowk, Delhi on 22-6-1970	41
418. भाखड़ा जलाशय में जल स्तर	Water Level of Bhakra Reservoir	42
419. ब्रिटेन को चाय, पटसन तथा कपड़े का निर्यात	Tea, Jute and Textiles Exports to U. K.	42—43
420. जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य (पूर्व जर्मनी) के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध	Full Diplomatic Relations with German Democratic Republic	43
421. पाकिस्तान तथा रूस के बीच जून, 1970 में हुई बातचीत	Pak. Soviet Talks held during June, 1970	44
422. प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अल्जीरिया की यात्रा	Visit by Defence Minister to Algeria	44
423. परमाणु शस्त्रों की लागत का अध्ययन करने के लिये विशेष समिति की नियुक्ति	Appointment of an Expert Committee to Study the Cost of Nuclear Weapons	44—45
424. उत्तर वियतनाम में महावाणिज्यदूत का दर्जा बढ़ाने के बारे में दक्षिण वियतनाम के भारतीय व्यापारी शिष्टमंडल के विचार	Views of Delegation of Indian Business-men from South Vietnam on Raising the Status of Consulate General in North Vietnam	45
425. आश्वासन का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के लिये रूसी हथियार	Soviet Arms for Pakistan in Defiance of Assurance	46
426. युगोस्लाविया में रूके हुए ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय	Indians Holding British Passport Stranded in Yugoslavia	46—47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
427. बंगलौर के लिए बुक किये गये विस्फोटकों का मालगाड़ी से लूटा जाना	Looting of Explosives from Goods Train Booked for Bangalore	47
428. प्रतिरक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे अधिकारी	Officers Working in Various Departments of Ministry of Defence on Post Carrying Extra Gains for more than 3 Years	47—48
429. प्रधान मंत्री के अधीन विभागों के अतिरिक्त लाभ के कुछ पदों पर तीन वर्ष से कार्य कर रहे अधिकारी	Officers Working for Three Years on the Same Posts Carrying Extra Gains in the Departments under P. M.	48
430. भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड	Indians Soldiers, Sailors and Airmens' Board	48
431. फ्रेंडस आफ इसराइल सोसाइटी, संस्कृत एण्ड हिब्रू सोसाइटी तथा सर्वेन्ट्स आफ गाड सोसाइटी का कार्यकरण	Functioning of Friends of Israel Society, Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society	48—49
432. भूटान में चीनी अतिक्रमण	Chinese Intrusion into Bhutan	49
433. सिहानुक की विस्थापित सरकार के वैदेशिक कार्य मंत्री का पारपत्र	Pass Port Carried by Foreign Minister of Sihanouk's Exile Government	49
434. कम्बोडिया में फोटोग्राफर श्री रमणीक लेखी की मृत्यु	Death of Shri Ramnik Lekhi Photographer in Cambodia	50
435. श्री आर० के० सोनी द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Licences by Shri R. K. Soni	50
436. नेपाल में चीनी ट्रान्समीटर की स्थापाना	Installation of Chinese Transmitter in Nepal	51
437. अमेरिकन इन्टरनेशनल स्कूल के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the Working of American International School	51
438. विभिन्न वस्तुओं का राज्य द्वारा व्यापार	Different Items Undertaken for State Trading	51

तारां० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
439. कारों की बिक्री से राज्य व्यापार निगम को हुआ लाभ	Profit Earned by the State Trading Corporation on Sale of Cars	51—52
440. नर्मदा नदी में बाढ़ के परिणाम	Effect of Floods in Narmada	52
441. प्रयोगात्मक ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की स्थापना	Establishment of Pilot Rural Electric Co-operatives	52—53
442. ब्रिटेन में भारतीयों के विरुद्ध जातिभेद का बर्ताव	Racial Discrimination against Indians in U. K.	53
443. दिल्ली में बिजली का बार-बार बन्द होना	Frequent Power Failures in Delhi	53—54
444. सिंहानुक द्वारा मुक्ति संघर्ष में भारत से सहायता की अपील	Sihanouk's Appeal to India for Help for Libration Struggle	54—55
445. उत्तरी वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with North Vietnam	55
446. मैडम बिन्ह वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की विदेश मंत्री की भारत यात्रा	Visit of Madam Binh Foreign Minister of Provisional, Revolutionary Government of Vietnam to India	55—56
447. कम्बोडिया के मामले पर विचार करने के लिये जाकार्ता सम्मेलन	Djakarta Meet on Cambodia	56
448. केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ	Central Cottage Industries Association	56—57
449. भारत में साम्प्रादायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान द्वारा विदेशों में प्रचार	Pak. Propaganda Abroad on Communal Disturbances in India	57—58
450. बादशाह खां की पाकिस्तान को भारत के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की कथित सलाह	Alleged Advice by Badshah Khan to Pakistan to Sever Diplomatic Ties with India	58—59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
451. पाकिस्तान में चुनावों को लड़ने के लिये राजनैतिक दलों को कथित भारतीय धन	Alleged Indians Funds for Political Parties to Fight Pakistani Elections	59
452. इस्पात के निर्यात में कठिनाई	Difficulty in Export of Steel	59—60
453. आयुध उत्पादन बोर्ड की स्थापना	Setting up of Ordnance Production Board	60
454. "स्किन हैड्स" द्वारा इंगलैंड में भारतीयों पर आक्रमण किया जाना	Attack on Indians in England by "Skinheads"	61
455. भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना	Cutting Down the Staff Strength in Indian Missions Abroad	61—62
456. निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports	62
457. प्रतिरक्षा कर्मचारियों की निवृत्ति आयु	Retirement Age of Defence Personnel	62—63
458. विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों को योग्यता प्रमाणपत्र देना	Award of Certificates of Merits to Foreign Exchange Earning Industries	63
459. त्रिवेन्द्रम में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य को आरम्भ किया जाना	Resumption of Construction of Soviet Cultural Centre in Trivandrum	64
460. अरब देशों में पाकिस्तान का प्रचार	Pak. Propaganda in Arab Countries	64—65
462. ब्रिटेन के राष्ट्रिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Entry of British National into India	65
463. केरल में समुद्र के कटाव के कारण हुई हानि	Damage Caused by Sea Erosion in Kerala	65—66
464. केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य परियोजनाओं का अपने हाथ में लिया जाना	Taking Over of Major Projects by Centre	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
465. कपास तथा पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य	Remunerative Prices to Cotton and Jute Growers	67
466. कच्ची पटसन का आयात	Import of Raw Jute	67
467. पाकिस्तान को युद्ध न करने के करार की पुनः पेशकश	Renewal of No-War Pact Offer to Pakistan	68
468. वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को सक्रिय बनाना	Activities International Control Commission in Vietnam	68
469. पश्चिम बंगाल के कारखानों से हथियारों की चोरी	Arms Theft from West Bengal Factories	68—69
470. निर्यात नीति सम्बन्धी नवीन संकल्प	New Export Policy Resolution	69
471. ब्रिटेन के पत्तनों पर भारतीयों को परेशान करना	Harassment of Indian in British Ports	69—70
472. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक डा० आत्माराम के विरुद्ध व्यक्तियों, सम्पादकों तथा अधिकारियों का मनोरंजन करने का आरोप	Allegations against Dr. Atma Ram. Director General. CSIR for Entertaining Individual Editors and Officials	70
473. सरकारी उद्यमों द्वारा टरबाइन तथा जनेत्र बनाने में विलम्ब की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to Enquiry into Delay in Manufacturing Turbines and Generators by Public Enterprises	70—71
474. केरल में समुद्री उत्पाद विकास निगम की स्थापना	Setting up of a Sea Products Development Corporation in Kerala	72
475. बलिया बैरिया बांध की मरम्मत करने के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U. P. for Repairs of Balia Baria Dam	72
476. कम्बोडिया में पुराने हिन्दू मन्दिरों की रक्षा	Protection of Ancient Hindu Temples in Cambodia	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
477. नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Nepal	73
478. संचार उपग्रह केन्द्र स्थापित करना	Setting up of a Communication Satellite	73
479. भूतपूर्व सैनिकों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन	Allotment of Cultivable Land to Ex-servicemen	74
480. भारतीय सीमा के पार पाकिस्तान तथा चीन के सैनिक	Pakistani and Chinese Military Personnel Across Indian Borders	74—75
481. न्यू विक्टोरिया मिल्स (लि०) कानपुर	New Victoria Mills Ltd., Kanpur	75
482. भारत के प्रति चीन के रवैये में परिवर्तन	Change in Chinese Attitude Towards India	75—76
483. काश्मीर को हड़प करने के लिये पाकिस्तान की तथा-कथित तैयारी	Alleged Pak. Preparations to Grab Kashmir	76
484. डा० मैस्करेन्हास की रिहाई	Release of Dr. Mascarenhas	76—77
485. एक्सपो 70 में भारतीय मण्डप पर व्यय	Expenditure on India Pavilion in Expo-70	77—78
486. नागाओं के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ाना	Extension of Naga Truce	79
487. केन्द्रीय क्षेत्र स्वीकृत परियोजनाएं	Projects Sanctioned in Central Sector	79
488. भारतीय वायु सेना के विमानों तथा उनके पुर्जों की आवश्यकताओं में आत्म-निर्भता के लिये योजना	Plan for Self-Sufficiency in IAF Requirements for Aircrafts and its Components	80
489. कपास का आयात करने के लिये निगम की स्थापना	Setting up of a Corporation to Undertake Import of Cotton	80—81
490. तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	Third Asian International Trade Fair	81

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
491. सैनिक सहायता प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मास्को यात्रा	Pakistan President's Visit to Moscow for Securing Military Aid	81—82
492. रूस को पटसन का निर्यात	Export of Raw Jute to USSR	82—83
493. हनोई में भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाना	Upgrading Indian Mission at Hanoi	83
494. गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की स्थायी समिति की दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Standing Committee of Non-Aligned Conference in Delhi	83—84
495. भारत तथा पाकिस्तान को हथियारों के देने पर प्रतिबन्ध की कथित समाप्ति	Alleged Revocation of US Embargo on Arms Sale to India and Pakistan	84
496. चक्रवात कष्ट निवारण समिति की सिफारिशें	Recommendations of Cyclone Distress Mitigation Committee	84
499. चीन के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की गिलगित यात्रा	Visit to Trade Delegation of China to Gilgit	84—85
500. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से साम्यवादी देशों से व्यापार करना	Canalisation of Trade with Communist Countries through State Trading Corporation	85
501. कम्बोडिया में अमीरीकी तथा अन्य सेनाओं को हटाना	Withdrawal of American and other Forces from Cambodia	85
502. देश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना	Plan for the Development of Hill Areas in the Country	85—86
503. आजादपुर बिजली घर में आग	Blaze at Azadpur Power Station	86
504. गंगा नदी के पानी के बटवारे के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत	Talk Held between India and Pakistan on Sharing of Ganges Water	86
505. पश्चिम जर्मनी को माल डिब्बों की बिक्री	Sale of Wagons to East Germany	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
506. नेशनल टी कम्पनी	National Tea Company	87
507. इन्डोचाइना के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संकल्प पर अमरीकी राजदूत की टिप्पणी	U. S. Ambassador's Comments on A. I. C. C. Resolution on Indo-China	88
508. स्वेज नहर का यातायात के लिये खोला जाना	Opening of Suez Canal	88
509. आसाम में बाढ़	Floods in Assam	89
510. भूटान में चीनी अतिक्रमण के विरूद्ध विरोध	Protest against Chinese Intrusion in Bhutan	89—90
511. भारतीय परमाणु क्षेत्र में रूसी सहायता	Soviet Help in India's Nuclear Field	90
512. बिहार सरकार द्वारा धन के नियतन में वृद्धि की माँग	Demand by Government of Bihar for Increase in Allocation of Funds	90
513. विद्युत जनन के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Generating Power	90—91
514. अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ का सम्मेलन	Conference of All India Cantonment Board Employees Federation	91—92
515. अणु शक्ति के विकास के लिये दीर्घकालीन कार्यक्रम	Long-Term Programme for the Development of Atomic Energy	92
516. तारापुर अणु शक्ति कारखाने में बिजली का उत्पादन-पूरी क्षमता का उपयोग	Generation of Power from Tarapur Atomic Power Plant Utilisation of Full Capacity	92—93
517. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में प्रगति	Progress in Rural Electrification of West Bengal	93—94
518. पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
519. बंगाल में तीस्ता और सोना पुरहाट बांध को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल की 12 करोड़ रुपयों की मांग	Request for Rs. 12 crores from West Bengal for Completion of Teesta and Sonapurhat Barrage, Bengal	94—95
520. भारतीय दूत को मोरक्को वापस भेजना	Sending Back Indian Envoy to Morocco	95
522. पोंग बांध के विस्थापितों के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Chief Minister of Himachal Pradesh Re. Oustees of Pong Dam	95—96
523. भारतीयों का ब्रिटेन में चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Indians into U. K.	96—97
524. कागज तथा गत्ते का आयात	Import of Paper and Cardboard	97—98
525. राजदूतों का स्थानान्तरण	Tranfer of Ambassadors	98
526. बिजली रहित गांव	Unelectrified Villages	98—99
527. निर्यात प्रधान कारखानों को लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Licences to Export Oriented Units	99—100
528. मिजो, नागा तथा कुकी विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान निकल भागना	Escape of Rebel Mizo, Nagas and Kuki to East Pakistan	100
529. उड़ीसा में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Orissa	100—102
530. चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई स्थानों का विद्युतीकरण	Energisation of Lift Irrigation Points in Orissa during Fourth Plan	102
531. सिन्धु जल सन्धि के समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान को सिंचाई की सुविधायें	Irrigation Facilities to Rajasthan after Expiry of Indus Water Treaty	102—103
533. चाय के लिये नये नीलामी केन्द्रों का खोला जाना	Opening of New Auction Centres for Tea	103

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
534. पाकिस्तान और चीन के अधिकार में भारतीय भूभाग	Indian Territory under Occupation of Pakistan and China	103
535. जूट उद्योग को दी जाने वाली राजीय सहायता	Subsidy to be given to Jute Industry	104
536. बहुत ऊंचाई पर तैनात सैनिक कर्मचारियों के लिये हैलीकोप्टरों की व्यवस्था	Provison of Helicopters for High Military Personnel Posted at Great Heights	104—105
537. अग्रिम क्षेत्रों में जवानों के लिये डाक्टर	Doctors for Jawans in Forward Areas	105
538. एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी द्वारा सीरिया में सीमेंट कारखाने स्थापित करना	Setting up of Cement Plants in Syria by ACC	105—106
539. राज्य व्यापार निगम द्वारा जूट का आयात	Import of Jute through STC	106
540. सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि	Increase in Construction Cost of Irrigation Projects	106—107
541. ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई	British Arms Supply to South Africa	107—108
542. दलाई लामा के प्रधान कार्यालय से प्रकाशित तिब्बती बुलेटिन	Tibetan Bulletin Published from Dalai Lama's Headquarters	108
543. पाक अधिकृत काश्मीर में चीन द्वारा सड़कों का निर्माण	Construction of Roads by China in Pak. Occupied Kashmir	108
544. केन्द्रीय विद्युत नियंत्रण बोर्ड स्थापित करना	Setting up a Central Electricity Control Board	109
545. भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भाव बनाये रखने के लिये रूसी सहायता	Russian Help for Maintaning Indo-Pak. Amity	109
546. रूस के साथ माल डिब्बों का सौदा	Wagon Deal with Russia	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
547. पश्चिम बंगाल के एक संसद् सदस्य के विरुद्ध केन्द्रिय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiry by CBI against an M. P. from West Bengal	110
548. भारत मूलक आप्रवासियों को भारत आने में एक ब्रिटिश फर्म द्वारा सहायता का प्रस्ताव	British Firm's Offer of Assistance to Indian to Migrate to India	110—111
549. संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with UAR and Yugolavia	111
550. ब्रिटेन की जेलों में राष्ट्रिकता विहीन भारतीय	Stateless Indians in U. K. Jail	111
551. कलकत्ता के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली राशि	Amount to be Spent during the Fourth Plan for Development of Calcutta	112
552. प्रधान मंत्री द्वारा आय मंत्रालयों के विभागों को अपने अधीन लाया जाना	Taking over of Department by P. M. from other Ministries	112—113
553. श्री मिर्जा हाजी कुली मस्तान के यात्रा दस्तावेजों पर जाली सिफारिश	Forged Recommendation on the Travel Documents of Mr. Mirza Haji Kuli Mastan	113
554. अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	114
555. संश्लिष्ट धागे का आयात	Import of Synthetic Yarn	114
556. टोरी दल की रंग भेद नीति के कारण राष्ट्रमंडल को छोड़ना	Quitting of Commenwealth because of Racialist Policy of Tories	114—115
557. पाइपों का निर्यात	Export of Pipes	115
558. चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये लक्ष्य का निर्धारण न होना	Target for Creating Employment Opportunities during Fourth Five Year Plan	115
559. प्रत्येक दूतावास में कर्मचारी व्यवस्था तथा उस पर खर्च	Pattern of Staff and Expenditure Incurred by Each Embassy	116

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
560. विमान वाहक विक्रान्त में विमानों को बदलना	Replacement of Aircraft on the Aircraft Carrier Vikrant	116
561. एच० एफ० 24 विमानों के लिये इंजिन	Engine for H. F. 24 Aircraft	116—117
562. आजाद कश्मीर आन्दोलन	Azad Kashmir Movement	117
563. वैदेशिक कार्य सचिव का रूस का दौरा	Foreign Secretary's Visit to USSR	117—118
564. विभाजन के समय तथा 1969 के अन्त में पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा बौद्धों की संख्या	Number of Hindus and Budhists in East Pakistan at the Time of Partition and at the End of 1969.	118
565. भूटान की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements on Bhutan Borders	118—119
566. सीमा सुरक्षा के लिये सिक्किम तथा भूटान के साथ हुई संधि में संशोधन	Revision of Treaty with Sikkim and Bhutan for Border Protection	1.9
567. नारियल जटा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Coir Board	119—120
568. भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरीयता निश्चित करना	Fixation of Seniority of Ex-Emergency Commissioned Officers and Regular Commissioned Officers	120
569. प्रधान मंत्री की मारीसश यात्रा	Prime Minister's Visit to Mauritius	121
570. आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार में बाढ	Flood in Assam, West Bengal and Bihar	121
571. काठमांडू में भारतीय सैनिक सम्पर्क ग्रुप की मान्यता का वापस लेना	Withdrawal of Recognition to Indian Military Liasion Group in Kathmandu	121—122
572. बेरोजगारी का अनुमान	Assessment of Unemployment	122—123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
573. बन्द हुए अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों की पुस्तकों का उपयोग	Use of Books of Closed American Cultural Centres	123
574. नौसेना में दक्षिण कनारा के मछियारों की भर्ती	Recruitment of Fishermen in South Kanara Distt. to the Navy	
575. केशों का निर्यात	Export of Hair	124
576. छावनी बोर्ड स्कूल	Cantonment Board Schools	125
577. अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	125
578. पंजाब में होशियारपुर के समीप चंखोहा के स्थान पर भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Crash of IAF Plane in Chankhoha near Hoshiarpur, Punjab	125—126
579. पश्चिम कोसी नहर परियोजना (बिहार) को क्रियान्वित न करना	Non-Implementation of Western Kosi Canal Scheme (Bihar)	126
580. डा० मेरकरेन्हास की रिहाई के बारे में सरकारी तौर से सूचना प्राप्त होने में विलम्ब	Delay in Getting Official intimatition Re. Release of Dr. Mascarenhas	126
581. लालकिले में एक लिफ्ट लगाना	Installation of a Lift at Red Fort	127
582. देश में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in the Country	127—128
583. श्रीमती और डा० धर्म तेजा को वापिस भारत लाना	Repatriations of Shrimati and Dr. Dharma Teja	129
584. भारत तथा पाकिस्तान के बीच जल के उपयोग के सम्बन्ध में करार/संधि	Agreement/Treaties for Use of Waters between India and Pakistan	129
585. प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता	Foreign Exchange Spent on Purchase of Defence Stores	130

प्र० संख्या S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
586. असम में धिमाजी तथा उत्तर लखमीपुर स्थित बांध तथा जल निकास विभाग की बाढ़ नियंत्रण शाखा से प्राप्त हुआ अभ्यावेदन	Representation Received from Flood Control Wing of Embankment and Drainage Department of Dhimajee and North Lakhimpur, Assam	130—131
587. सोवियत संघ के रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस से प्रसारण	Broadcasts from Radio Peace and Progress, USSR	131
588. जलपाईगुड़ी शहर बचाव योजना, पश्चिम बंगाल	Jalpaiguri Town Protection Scheme West Bengal	131
589. बिहार से पश्चिम बंगाल तक अजय जल की सप्लाई	Supply of Ajoy Water from Bihar to West Bengal	132
590. मनीपुर सकार द्वारा विद्युत इंजनों का क्रय	Purchase of Power Engines by Manipur Government	133
591. मनीपुर सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Electricity Department of Manipur Government	133—134
592. विद्युत चालित करघा जांच समिति की सिकारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Power Loom Enquiry Committee's Recommendations	134
593. सूती कपडे तथा अन्य प्रकार के संश्लिष्ट कपड़े के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Cotton Cloth and other Synthetic Cloth	134
594. उड़ीसा में पटसन के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Jute Mill in Orissa	134—135
595. मध्य प्रदेश को भूमिगत पक्की नहर बनाने के लिये धनराशि देना	Funds to Madhya Pradesh for Construction of Pucca Underground Canal	135
596. तवा परियोजना का निर्माण	Construction of Tawa Project	135
597. केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश की अनिर्णीत सिचाई योजनायें	Irrigation Schemes of Madhya Pradesh Pending with Central Government	135—136
598. भारत नेपाल के बीच टिप्पणों का आदान प्रदान	Indo-Nepal Exchange of Notes	136

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
599. केरल में सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में पूंजी निवेश	Investment in Public Sector Schemes in Kerala	136
600. कलकत्ता के लिये विकास योजना	Development Scheme for Calcutta	136—137
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	137
सैगोन में भारत विरोधी प्रदर्शन	Anti-Indian Demonstrations in Saigon	137—145
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	145—147
प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश	Direction by Speaker Under Rules of Procedure	147
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	148
64वां प्रतिवेदन	Sixty-Fourth Report	148
दक्षिण पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike on the South Eastern and North Eastern Railways	148
श्री नन्दा	Shri Nanda	148
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	148
51 वां प्रतिवेदन	Fifty-First Report	148—149
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	149
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammed Ismail	149—151
डा० गोविन्द दास	Shri Govind Das	151
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	151—153
श्री श्री अ० डांगे	Shri S. A. Dange	153—156
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	156—157
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	158—160
श्री हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya	160—162
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	162—166
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	166—167

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
श्री डा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	167
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	168—170
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	170—172
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	172
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	172—174
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	174—175
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	175—177
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	177—182
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	182 183
डा० धर्म तेजा के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re. Dr. Dharam Teja	182
श्री रघु रामैया	Shri Raghu Ramaiah	183—184

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 29 जुलाई, 1970/7 श्रावण, 1892 (शक)
Wednesday, July 29, 1970/Sravana 7, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री पत्तम थानू पिल्ले के दुखद निधन की सूचना देता हूँ । उनका देहान्त 26 जुलाई 1970 को त्रिवेन्द्रम में हुआ । वह 85 वर्ष के थे ।

श्री थानू पिल्ले 1948-50 में संविधान सभा के सदस्य थे । केरल के राजनीज्ञयों में उनका एक विशिष्ट स्थान था और वह भूतपूर्व त्रावनकोर,—जो बाद में केरल राज्य बना—के मुख्य मंत्री भी रहे । वह पंजाब तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे । वह एक शिक्षाविज्ञ होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से पूर्णतया अवगत रहने वाले बड़े ज्ञानवान प्रशासक थे ।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे आशा है कि शोकसंतप्त परिवार को अपनी संवेदना पहुँचाने में सभा मेरे साथ है ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): अध्यक्ष महोदय, आपने श्री थानू पिल्ले के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूँ । श्री पत्तम थानू पिल्ले एक जन नेता होने के साथ-साथ एक बलवान योद्धा भी थे । उनका दीर्घ जीवन कई महान उपलब्धियों से परिपूर्ण है । वह त्रावनकोर राज्य के संस्थापकों में से थे । उन्होंने केरल के सार्वजनिक जीवन को नया मोड़ दिया तथा कई दर्शक उस पर छाये रहे । मैं उन के मस्तिष्क की सतर्कता, विभिन्न रूचियों, बलवती आशावृति, हास्य मनोवृत्ति और केरल के जन साधारण की समस्याओं के प्रति जागरूगता आदि से मैं बहुत प्रभावित हूँ । आज हमने एक साहसी साथी खो दिया है । मैं श्रीमती थानू पिल्ले तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति

अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ और आप से प्रार्थना करती हूं कि इसे शोकसन्तप्त परिवार तक पहुँचा दें।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, भारत के सपूत श्री पत्तम थानू पिल्ले के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते समय मैं विरोधी दलों की ओर से आपके साथ हूँ। श्री पिल्ले अब तक हमारे देश के जीवन पर छाये रहे अर्थात उनका सम्बन्ध प्रसोपा दल से था तो भी मैंने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की अस्थियाँ कन्या कुमारी तक उठा कर ले जाते हुए देखा और लाखों लोगों ने उनका अनुसरण किया। केरल के मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए उन्हें लोगों का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। उन्होंने राज्य को एक नई दिशा दी तथा स्वच्छ प्रशासन प्रदान किया। जो लोग उन्हें उस समय से जानते हैं जब वह पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे तो उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम होगा कि उस समय राज भवनों की दशा क्या थी। उनका जीवन बहुत नियन्त्रित था। भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का उन्हें पूर्ण ज्ञान था और किसी प्रदेश की राजनीति में किसी व्यक्ति का क्या विशिष्ट स्थान है यह सदा ही उन्हें स्मरण रहता था। इस प्रकार के व्यक्ति बार-बार जन्म नहीं लेते। उनका निधन हो गया। हमें खेद है कि दो तीन दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित न कर सके। जब हम कांग्रेस में थे उस समय उन्होंने कांग्रेस के अत्याचार को समाप्त करने का प्रयत्न भी किया। कांग्रेस में सुधार करने के लिए कांग्रेस को त्याग कर अन्य दलों के साथ मिलने का दुःसाहस भी उन्हीं में था। इन सभी योग्यताओं के फलस्वरूप मैं विरोधी दल की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप से अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचा दी जाये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरे से पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने संवेदना व्यक्त की है मैं स्वतंत्र दल की ओर से उनके साथ सम्मिलित होता हूं।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr Speaker, Sir, with the demise of Shri Pattom Thanu Pillai, we have lost an oldest leader. Last year I got an opportunity to see him in Trivandrum. I was pleased to note his alertness of mind and pride for the country even in such an old age. He had an important role in the politics of Kerala. Had he not been wrongly removed from the politics of Kerala, the picture of Kerala politics would have been different today.

He was a true nationalist and democrat. It is because of him that democracy succeeded in Kerala. But today he is no more among us. I lay tribute to his memory on behalf of my party also and request that the same he conveyed to the members of the bereaved family.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपने दल की ओर से प्रधान मंत्री, तथा अन्य सथियों द्वारा व्यक्त संवेदना में शामिल होता हूं। श्री पत्तम थानू पिल्ले का भारतीय राजनीति में एक विचित्र व्यक्तित्व था। ब्रिटिश काल के अधीन चली आ रही रियासती व्यवस्था के विरुद्ध किये गये लोगों के संघर्ष में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस संघर्ष में अन्ततः वह सफल हुए और उन्होंने मलयालम भाषियों को केरल राज्य की एकता में बांध दिया।

मैं अपने दल की ओर से शोकसन्तप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री उमा नाथ (पुद्दूकोटै) : मैं यहां व्यक्त की गई संवेदना में अपने दल के साथ सम्मिलित होता हूँ और अपसे अनुरोध करता हूं कि इसे शोकसंतप्त परिवार तक पहुँचा दें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I want to associate my party with sentiments which you have expressed. Shri Pattom Thanu Pillai played an important role in bringing the States under democratic regime. He was with us since long and we got an opportunity to work with him His appointment as Governor by the ruling party was an attempt to weaken the opposition parties and it led to some friction. But he was true patriot, and his sacrifice and strenuous efforts in bringing the Travancore under democratic regime will not only be remembered by Kerala but by entire country.

I request you to convey our sentiments to the bereaved family.

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री, आप और अन्य नेताओं ने जो शोक व्यक्त किया, मैं और मेरा दल उसमें शामिल होते हैं ।

मैं राज्य की उस पीढ़ी का अंग हूं जो श्री पत्तम थानु पिल्ले के प्रभावी नेतृत्व से प्रेरणा पाकर स्वतंत्रा संग्राम में कूद पड़ी थी । मुझे करीब पच्चीस साल तक उनके सहयोगी के रूप में काम करने का सुयोग भी प्राप्त हुआ था । जब उन दिनों में राजाओं की तानाशाही जब आन्दोलनों को कुचलने में ब्रिटिश साम्राज्य शाहों से भी आगे बढ़ गई थी, तो श्री पत्तम थानु पिल्ले ने अन्य दो महान नेताओं—श्री टी० एम० वर्गीस और श्री सी० केशवन के साथ तत्कालीन त्रावनकोर के लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा दी । उन्होंने इस आंदोलन को प्रभावी ढंग से आगे चलाया और विजयी हुए । वे निर्भीक सैनिक थे और उनमें असाधारण धीरता और समक्षदर्शी थी । उन्होंने नाजुक से नाजुक परिस्थितियों में भी अपने कदम वापिस नहीं हटाये ।

श्री थानू पिल्लै 12 साल तक त्रावनकोर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे 10 साल तक राज्य प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे वे आल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉफ्रेंस के शीर्षस्थ नेताओं में एक थे । उन्हें त्रावनकोर में एक दल की सरकार की स्थापना करने का गौरव प्राप्त है । उसके बाद त्रावनकोर-कोचीन में उन्होंने अल्प मत की सरकार बनाई और उसके बाद केरल में संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई । इसके उपरांत वे पंजाब और आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के पद पर रहे । वे भारत के कुशलतम प्रशासकों में से थे ।

श्रीमान्, अपने दल की ओर से मैं उनके निधन पर शोक प्रकट करता हूँ और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना संतप्त परिवार तक पहुँचा दी जाएं ।

श्री जी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री और अन्य वक्ताओं के साथ मैं दुख से प्रसन्न हृदय से शोक संवेदना में शरीक होता हूँ । त्रावनकोर में हुए 12 वर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलनों में मैं श्री पत्तम थानू पिल्ले के अंतरंग सहयोगियों में से था और उस समय हम जिस पीड़ा और आतंक की घड़ियों से गुजर रहे थे, अंग्रेजों के शासन काल में कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था । श्री थानू पिल्ले अभिमानी, ईमानदार और धीरतापूर्ण नेता थे । त्रावनकोर राज्य में 12 वर्षों तक निरन्तर उग्र राष्ट्रीय आन्दोलनों में जी जान से भाग लेकर वे देश के जनता के प्रथम श्रेणी के नेता बन गये । सब लोग किसी के भी आगे न झुकने वाले उनके स्वभाव, उनकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से परिचित हैं । वे देश के अन्य सभी शीर्षस्थ नेताओं

द्वारा सम्मानित किये गये थे। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद वे मुख्य मंत्री के रूप में केवल दस महीने तक भी न रह सके। तब से केरल की दुर्दशा आरम्भ हुई। तब से वहां असुरक्षा और अनिश्चितता आरंभ हुई। कई अवसरों पर और कई दलों के जरिये उन्होंने केरल की राजनीति में स्थिरता लाने का प्रयत्न किया और अन्त में वह प्रयत्न छोड़ दिया और वे राज्यपाल बन गये।

भारत ने अपने एक श्रेष्ठ पुत्र को खो दिया। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संतप्त परिवार के साथ हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे): श्रीमान्, श्री पत्तम थानू पिल्ले के निधन से देश ने अपने एक आदर्शवान और श्रेष्ठ पुत्र को खो दिया है और केरल ने अपने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को। जब हमारी पीढ़ी के लोग बच्चे थे, उस समय से ही श्री थानू पिल्ले राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में एक महान व्यक्ति बन चुक थे। हमने उन्हें राजाओं की तानाशाही से डट के संघर्ष करते देखा है। उनकी महानता उपलब्धियों के संबंध में मेरे माननीय मित्र ने कहा। आप, प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं ने जो संवेदना व्यक्त की, मैं अपने दल के साथ उसमें शरीक होता हूं।

श्री ए० श्रीधरन (बड़ागरा) : श्रीमान्, श्री पत्तम थानू पिल्ले के निधन मे समूचे भारत में और खासकर केरल में एक युग का अन्त हो गया है। वे देश प्रेमियों की उस पीढ़ी के अंग थे, जिन्होंने इस देश से और सबसे अधिक प्रेम किया और इसकी रक्षा के लिए महानतम बलिदानों के लिए तैयार रहे। मुझे उनके अधीन दल के सचिव के रूप में 10 लम्बे साल तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हें तीन राज्यों के मुख्य मंत्री रहने का श्रेय प्राप्त हुआ। वे त्रावनकोर के पहले प्रधान मंत्री थे। उसके बाद वे त्रावनकोर कोचीन के मुख्य मत्री रहे। अन्त में वे केरल के मुख्य मंत्री बने। उनकी सेवा और ईमानदारी लोगों के हृदयों में अमिट छाप छोड़ गई है। मैं उनकी पवित्र स्मृति को विनम्र श्रद्धांजली दे रहा हूं और साथ ही साथ विभिन्न दल के नेताओं ने जो शोक संवेदना प्रकट की है, मैं उसमें शरीक होता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : श्रीमान्, श्री पत्तम थानू पिल्ले का व्यक्तित्व महान है। वे स्वतत्रता संग्राम के महान सैनिकों में से थे। वे बड़े पडित भी थे। मगर उनमें दूसरों के विचारों से सहानुभूति को। उनका निधन समूचे देश के लिए एक भारी क्षति है। मैं अन्य वक्ताओं द्वारा प्रकट की गई शोक संवेदना में शरीक होता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और अपने दल की हार्दिक शोक संवेदना संतप्त परिवार को पहुंचा दी जाए।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, with the demise of Shri Pattom Thanu Pillai, a glittering star in the political horizon, has doomed. His ideal life was a source of inspiration to all of us. I express my heartfelt condolences on my behalf and on behalf of my party to the bereaved family.

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत नेता की स्मृति सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें।

सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

The Members stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्व-पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भारी संख्या में निष्क्रमण

+

*61. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री रवि राय :**
श्री बलराज मधोक : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 और 1970 में पूर्व पाकिस्तान से आये अल्प-संख्यक समुदाय के व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) इस निष्क्रमण के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1969 में अल्पसंख्यक समुदाय के 9768 लोग पूर्व पाकिस्तान से भारत आए । चालू वर्ष में 17-7-1970 तक इस समुदाय के 1,45,595 व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं ।

(ख) इन लोगों के इतनी बडी संख्या में वहां से आने के कई कारण हैं जिनमें जीवन की असुरक्षित परिस्थितियां, आर्थिक निराशा और पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार भी शामिल है ।

आजकल चुनाव आँदोलन के सिलसिले में साम्प्रदायिक दल जो प्रचार कर रहे हैं उसकी वजह से यह स्थिति और बिगड़ गई है ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) अब तक पाकिस्तान की सरकार ने अपने इन अल्पसंख्यकों के जीवन की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा की व्यवस्था की दिशा में ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया है जिससे इन लोगों का इस तरह वहां से चला जाना बंद हो जाए । जो भी हो, हम बराबर उस सरकार पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि 1950 की नेहरू-लियाकत संधि तथा 1966 की ताशकंद घोषणा के अंतर्गत इस बारे में अल्पसंख्यकों के प्रति उसके जो दायित्व हैं उन्हें वह पूरा करे ।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है और साथ ही साथ खास तौर पर इसके साथ मेरा भावनात्मक संबंध भी है । क्योंकि मेरे दल के संस्थापक ने पाकिस्तान के अल्प-संख्यक समुदाय की समस्या को लेकर नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था । अतः मैं विभाजन के पूर्व की पृष्ठ-भूमि को यहां प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

श्री स० मो० बैनर्जी : कल हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह बिना किसी भूमिका बांधे पूरक प्रश्न पूछें। हम इसपर आगे चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : देश का विभाजन जब हुआ था, दोनों ओर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग रह गये। डेढ़ करोड़ से 2 करोड़ तक हिन्दू लोग पाकिस्तान में और करीब 3 करोड़ से 3½ करोड़ मुस्लिम भारत में रह गये। हालांकि श्री जिन्ना और डा० अम्बेदकर ने मांग की थी कि अल्पसंख्यकों का आपसी हस्तांतरण किया जाए, यह बात उस समय नहीं मानी गई। मगर दोनों सरकारों ने अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया।

पाकिस्तान से भारी संख्या में हिन्दुओं के निष्क्रमण को देखते हुए स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रही है। हमारे अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में हिन्दुओं की संख्या 2½ करोड़ होनी चाहिए। मगर अब यह केवल 90 लाख है। जहां तक भारत के मुस्लिम लोगों का संबंध है, उनकी संख्या 1961 में 3½ करोड़ से 5 करोड़ तक बढ़ गई और 1971 की जनगणना में 6 करोड़ होने की संभावना है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान सरकार लोगों के शोषण करने, और आतंकपूर्ण स्थिति पैदा कर और महिलाओं का अपमान करके अल्पसंख्यकों का निर्मूलन करने की नीति अपना रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा था कि वह कोई भूमिका बांधे बिना अपना प्रश्न पूछें।

श्री श्रीचन्द गोयल : अगर बीच में बाधा न डाली गई होती, तो अब तक मैं अपना प्रश्न समाप्त कर चुका होता। इस पृष्ठ-भूमि में, 1950 में 50,000 और 1964 में पैगम्बर मुहम्मद के पवित्र बाल के सवाल पर फिर 30,000 हिन्दुओं की जो नृशंस हत्या की गई, उसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह अपना नैतिक एवं वैध कर्त्तव्य समझती है कि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं की जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। और क्या यह भी उसका कर्त्तव्य नहीं है कि वहां से जो लोग आते हैं उनके पुनर्वास का प्रबन्ध किया जाए? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या दीर्घकालीन और अल्पकालीन कार्रवाई की है और साथ ही साथ वहां रहने वाले हिन्दुओं की जानमाल की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई? क्या सरकार, जैसे सरदार पटेल ने कहा था पाकिस्तान सरकार से मांग करेगी कि इन लोगों को बसाने के लिए इलाके दे दिये जायें, क्योंकि, नहीं तो, उनका यहां भारी संख्या में आना हमारी सारी योजना को ठप्प करेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मान्य परम्पराओं और किये गये खास समझौतों के आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबद्ध सरकारों की है। हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान सरकार अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जिम्मे-

दार है। वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और परम्परा के अनुकूल है, जो सभी देश मानने के लिए वचनबद्ध हैं, बल्कि इसपर हम दोनों के बीच औपचारिक करार भी हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अब निरंतर रूप से लोगों का निष्क्रमण हो रहा है। इस समस्या के हल का सब से अच्छा उपाय पाकिस्तान सरकार का अपनी जिम्मेदारी निभाने की ओर ध्यान दिलाना है।

जहां तक भारत में आये हुए विस्थापितों के पुनर्वास का संबंध हैं, यह एक कठिन समस्या है। हमारी अपनी समस्यायें है। इस संबंध में अगर कोई विशेष मुद्दा है तो मेरे सहयोगी पुनर्वास मंत्री इसका जवाब देंगे। फिर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं.....(**व्यवधान**)। पुनर्वास की समस्या बहुत अधिक कठिन है। मगर हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है और अपनी क्षमता के अनुसार हम इसको निभा रहे हैं।

मेरे विचार से इलाकों की मांग करना बुद्धिमतापूर्ण कदम नहीं होगा क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच का तनावपूर्ण संबंध और नाजुक होगा और इससे समस्या सुलझने के बजाए और अधिक जटिल बनेगी। यह अव्यावहारिक और अराजनैतिक है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले में अधिक भावुक न बनें।

श्री समर गुह : जब 60 लाख लोग विस्थापित होकर आ गये हैं और हजारों की संख्या में वहां पर मारे गये हैं, आप चाहते हैं कि हम भावुक न हों, आप निर्दयी लोग हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि ऐसे शब्द प्रयोग करने से उन अभागे लोगों को सांत्वना मिलती है, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य से ऐसी बातें सुनने के हम आदि हो चुके हैं.....(**व्यवधान**)।

श्री समर गुह : आप अपराधी हैं। आपने देश का विभाजन किया आपके नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि ने जो वचन दिये थे, उन्हें आप लोग भूल गये हैं। यह वचन विभाजन के समय दिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन इससे सहमत है तो इनको कुछ मिनटों तक छूट दी जाये। वह अपन भावनाओं का प्रदर्शन कर लें। उन्हें सभा की कार्यवाही में रुकावट नहीं डालनी चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में इसके लिए कुछ क्षेत्र की मांग रखना उचित नहीं होगा। इससे समस्या और अधिक जटिल हो जायेगी। मेरी माननीय सदस्य से अपील है कि वह अव्यावहारिक तथा विवेकहीन बात को न उठायें।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान '**न्यूयार्क टाइम्स**' में छपे इस आशय विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिस में प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री के भाषणों के हवाले से कहा गया है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है...।

अध्यक्ष महोदय : यह यहां पर संगत नहीं है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यदि हां, तो सरकार ने अपने विदेशी प्रचार साधनों में सुधार के लिये क्या उपाय किए हैं ताकि विश्व जनमत को पाकिस्तान में हिन्दुओं के मारे जाने के विरुद्ध तैयार किया जा सके.....।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से संगत प्रश्न पूछिये। मूल प्रश्न तो पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के भारत आने की संख्या के बारे में है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह प्रश्न उसी से उत्पन्न होता है। अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के आधार पर ही बनते हैं। समूचे विश्व में हमारा अपमान किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के मारे जाने के विरुद्ध विश्व में जनमत तैयार करने के लिये प्रचार व्यवस्था में क्या सुधार किये जा रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उठायेगी जैसा कि अरब देशों से आने वाले शरणार्थियों के बारे में है और उन्हें सयुक्त राष्ट्र मे सहायता मिल रही है?

श्री स्वर्ण सिंह : अरब शरणार्थियों सम्बंधी माननीय सदस्य की बात को मैं समझ नहीं पाया हूं। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में यह एक द्विपक्षीय समस्या है। पाकिस्तान पर सभी प्रकार का संभव दबाव डालना होगा ताकि वह अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे। हमें पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं का समाधान परस्पर बातचीत द्वारा करना चाहिये और किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को नहीं होने देना चाहिये। यह नीति हमारे देश के हित में है। इसी तरीके से हम अपनी ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

Shri Balraj Madhok : The hon. Minister has just now said that it is a bilateral problem and we should put all possible pressure on Pakistan. I want to know the result of the pressure that has been put during the last 21 years.

Pakistan always says that no problem between India and Pakistan can be solved unless the Kashmir problem is solved to the satisfaction of Pakistan. I want to know whether our Government will also put a pre-condition that Pakistan in the first instance should take back all refugees who have come from Pakistan or it should give territory for rehabilitating these people? Further, I want to know whether it would be made clear that no talks on any subject would be held unless Pakistan gives territory. Pakistan knows only one language.

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हमें विचार करना होगा कि क्या नकारात्मक रवैये कोई परिणाम निकलेंगे; यदि हम भी शर्तें लगा दें तो बेचारे शरणार्थी आते ही रहेंगे। ऐसा रवैया अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि यह लोग वहीं रहें। वे वैसे ही पाकिस्तानी नागरिक है जैसे भारत में मुस्लिम अल्प संख्यक होते हुए भारत के नागरिक है। अल्प संख्यकों को संरक्षण देना दोनों सरकारों की ज़िम्मेदारी है। इस में पाकिस्तान का रिकार्ड खराब है। हमें पाकिस्तान पर दबाव डालना होगा कि वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करे।

श्री बलराज मधोक : आपने स्वयं कहा है कि हम सभी संभव दबाव डालेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या दबाव डाल रहे है।

श्री समर गुह : पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का निष्क्रमण एक राजनीतिक समस्या है और यह कोई साम्प्रदायिक समस्या नहीं है। जब से पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विचारों पर आधारित स्वायत शासी अभियान चला है तब से यह राजनीतिक समस्या बन गई है। पाकिस्तान सरकार का यह एक षडयन्त्र है कि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली लोगों को निकाला जाये। यदि संभव होता तो वे बंगाली मुसलमानों को भी निकाल बाहर करते। पाकिस्तान सरकार पूर्वी पाकिस्तान को अपनी एक बस्ती बनाना चाहती है। यह मैं जानता हूँ कि कुछ साम्प्रदायिक संगठन इसे साम्प्रदायिक रंग दे रहे हैं परन्तु बंगाली मुस्लिम तो प्रगतिवादी तथा शान्तिप्रिय लोग है। वास्तव में रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान सरकार की यह एक चाल है। खेद की बात है कि हमारी सरकार वहां के अल्पसंख्यकों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है? पिछले दिनों जब प्रधान मन्त्री कलकत्ता गई थीं, वहां पर पास ही शरणार्थियों के शिविर हैं। तो प्रधान मन्त्री ने उन क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं किया। इससे विश्व के लोगों का ध्यान इस समस्या पर आकर्षित किया जा सकता था और पूर्वी पाकिस्तान के दावे कि पाकिस्तान से हिन्दू नहीं जा रहे है, को झुटलाया जा सकता था।

क्या सरकार विश्व को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए शरणार्थियों के बारे में फिल्में तैयार करके उन्हें विदेशों में प्रदर्शित करेगी और विदेशी सम्वाददाताओं के उस क्षेत्र में दौरे आयोजित करेगी? क्या सरकार कराची तथा ढाका से अपने उच्चायुक्त तथा उप उच्चायुक्त वापिस बुला लेगी और कराची तथा ढाका के बीच की विमान सेवाओं को बन्द करायेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात ठीक है कि पाकिस्तान कहता है कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का निष्क्रमण हो रहा है और आने वालों की संख्या के आँकड़ों से वह सहमत नहीं है। हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि उनका रुख ठीक नहीं है और हमने उन्हें एक और नोट में तथ्य तथा ब्यौरे दिये हैं। फिल्में बनाने और विदेशी सम्वाददाताओं के बुलाने आदि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री समर गुह : वे सभी दूतावासों में ऐसी फिल्में दिखा रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाना शरणार्थियों के हित में है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह आशा नहीं करता कि माननीय सदस्य मेरे साथ सभी बातों से सहमत होंगे। पाकिस्तान के संगठन विज्ञापन दे रहे है परन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हम अपने मिशनों के माध्यम से सभी सरकारों को वस्तु स्थिति से अवगत करा रहें हैं। उच्चयुक्त तथा उप उच्चायुक्त के कार्यालयों को बन्द करने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इनके माध्यम से हम अभागे अल्प संख्यकों की कुछ सहायता कर सकते हैं।

पाकिस्तानी विमानों को हमारे क्षेत्र पर से उड़ाने एक आपसी समझौते के अन्तर्गत होती हैं। हमारे विमान उनके क्षेत्र से होकर भी उड़ते हैं। मैं माननीय सदस्य की शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति की सराहना करता हूँ और कहना चाहता हूं कि हमें भी वैसी ही सहानुभूति है।

श्री समर गुह : आप रावलपिंडी सरकार के पांवों पर गिरने की नीति पर चलना चाहते हैं। यही आप का रवैया है।

श्री क० लक्कप्पा : जब प्रधान मन्त्री कलकत्ता गई थीं तो उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं किया ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Shri Yajna Datt Sharma : I want to know the steps taken by the Government for the protection of property and the persons of the minorities living in P kistan and whether the details of the measures taken in this regard will be placed on the Table of the House.

I want to know whether it is not the fact that the attitude of Pakistan has not been changed even after this action ? If so, whether the Government will make an effort for preparing the opinions of the nations of the world against Pakistan with the help of Governmental Law Institutions, Social and Political Institutions and whether the Indian leaders will stop using such language which makes our case weaker against Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति और उनकी सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही के बारे में पूछा था । मैं इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । जहाँ तक किसी भी देश में रह रहे अल्पसंख्यकों का प्रश्न है किसी भी देश के लिए यह सोचना उचित नहीं है कि वह किसी भी देश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सके । यह मुख्य प्रश्न है...

Shri Yajna Datt Sharma : I am not interested in his speech. I want to know whether the relevant information will be placed on the Table of the House.

श्री स्वर्ण सिंह : कोई भी देश किसी अन्य देश में अपने देश के व्यक्तियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करने में असमर्थ है । वह तो केवल उस देश को उसकी जिम्मेवारी के बारे में याद दिला सकता है । विभिन्न संधियों जैसे नेहरू-लियाकत समझौता मिर्जा-पन्त समझौता और यहां तक कि ताशकन्द घोषणा का भी यह उद्देश्य रहा है और दोनों ओर से उन समझौतों में उक्त जिम्मेवारी को स्पष्ट किया गया है ।

दूसरा प्रश्न यह था कि सरकार को विश्व का जनमत तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिये । जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमने उन सब सरकारों को जो इस मामले में प्रभावकारी सिद्ध हो सकती हैं, सूचित कर दिया है । लेकिन मैं यह नहीं समझता कि विज्ञापन तथा इसी प्रकार की अन्य बातें इस सम्बन्ध में सहायक होंगी । यह अपने विचार प्रकट करने का अभद्र तरीका है । और इससे कोई लाभ नहीं । केवल ये ही दो प्रश्न उठाये गये थे और मैंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री बलराज मधोक : आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । प्रश्न प्रकाशन और प्रचारक सामग्री का था । क्या माननीय मन्त्री इस प्रचारक सामग्री को सभा पटल पर रखेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अपने दूतावासों को सप्लाई की है । क्या माननीय मन्त्री इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री, पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध प्रचार में लाई जाने वाली सामग्री के बारे में सत्यता से परे वक्तव्य नहीं देंगे ?

Mr. Speaker : You need not help the hon. Member.

Shri Yajna Datt Sharma : Any Member can ask a clarification about a question.

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना उचित नहीं है कि हमने को ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे अन्य लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे।

श्री बलराज मधोक : मैंने इस बारे में कल उल्लेख किया था।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे विदित नहीं कि उन्होंने क्या उल्लेख किया था। शायद उन्होंने संदर्भ से अलग किसी बात का उल्लेख किया है। यदि उनका आशय प्रधान मन्त्री और गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से है जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया था, तो यदि उनके वक्तव्य का अन्य स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो इस बारे में अलोचना करने की बजाये हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए तैयार हैं। मुझे दुःख है कि ऐसे लोगों की संख्या अन्य देशों में बहुत कम है जो अल्पसंख्कों की रक्षा करने को तैयार हैं। यदि श्री मधोक यह चाहते हैं कि मैं उनके वक्तव्य को, जिसका पाकिस्तानी प्रचार मशीनरी भारत के विरुद्ध प्रयोग कर रही है, उन्हें दिखाऊ तो मैं उन्हें उनके ऐसे कई वक्तव्य दिखा सकता हूँ।

श्री बलराज मधोक : उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। उन्होंने प्रधान मन्त्री के वक्तव्य का उल्लेख किया है. उन्हें अधिक सावधानी बरतनी चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि बंगाली बहुत अबुद्ध होते हैं मैं यह स्वीकार करता हूं कि पाकिस्तान एक स्वतन्त्र देश है अतः हमारे लिए इस बारे में कोई ऐसा दबाव डालना कठिन है जिससे हमारे उनसे सम्बन्ध बिगड़े। यदि वहां से लोगों का इस प्रकार का निकाला जाना जारी रहा तो पश्चिम बंगाल की पूर्ण अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी। यह प्रश्न केवल उनको बसाने तक ही सीमित नहीं है। इसका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के बिगड़ जाने से है। यदि राजनयिक दबाव डालकर अल्प संख्यकों के लगातार भारत आने को नहीं रोका गया तो पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था का क्या बनेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : (1) अल्पसंख्यकों के लगातार पश्चिम बंगाल में आने को रोका जायेगा (2) वे केवल पश्चिम बंगाल के लिये भार नहीं होने चाहिये लेकिन उनका भार समस्त देश को सहन करना चाहिये। (3) इन दुर्भाग्यहीन व्यक्तियों को, जिन्हें वहां से निकाला गया है सब राज्यों के सहयोग और सहायता से भारत में बसाया जाना है।

Shri Prakash Vir Shastri : The former Minister of External Affairs revealed some secrets in the United Nations Organisation. He told that at the time of formation of Pakistan there were about 1½ crores Hindus living there and according to the percentage of increasing the population of Pakistan their population should have been increased to 2½ crores but at present there are only 80 lakhs of Hindus there. The rest of the 1½ crores Hindus have either been sent back to India or they have been forced to convert their religion or they have been put to death.

I want to know to what extent our present Minister of External Affairs agrees to the statement of the former External Affairs Minister and if he agrees to him why does he not disclose the exact facts ? During the last eight months about eight lakhs of people have come to India. When such big advertisements are published against India in the New York Times by Pakistan. I do not know the reasons why our External Affairs Ministry is silent in the

matter ? I want to know what ste s our External Affairs Ministry is going to take for knowing the facts to the world ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री दिनेश सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दिये गये आंकड़े ठीक हैं। उनके द्वारा दिये गये कारण और स्थिति की जानकारी से भारत के रवैये का बोध होता है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस बात का संयुक्त राष्ट्र संघ में उल्लेख किया गया था फिर भी वह यह कहते हैं कि सरकार विश्व को वास्तविक स्थिति से अवगत करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरे विचार से किसी देश के विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में वक्तव्य देने से समस्त विश्व को उस देश की वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है। यह कहना गलत तथा अनुचित है कि हम इस सम्बन्ध में चुप बैठे हैं। न केवल दोनों देश इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं बल्कि हम अन्य देशों को भी इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।

हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हैं। हमें उन लोगों की मुसीबतों की भी पूरी जानकारी है। प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार की कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है हम उसी प्रकार की कार्यवाही यथा-शीघ्र करेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : Extracts from Prime Minister's and Home Minister's speeches have been quoted in New York Times by the pro-Pakistani people. I want to know what action Government of India is going to take against the publication of those advertisement.

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से विज्ञापनों पर धन व्यय करना इस समस्या का हल नहीं है।

श्री रामसुभग सिंह : क्या प्रधान मंत्री इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान से आये व्यक्तियों की कठिनाइयों के बारे में बतायेंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि वह इस बारे में निजी रुचि लें और इस बात का प्रयत्न करें कि उन्हें फिर से उनके घरों में बसाया जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें स्थिति की गम्भीरता की जानकारी है और पाकिस्तान के कानून तथा व्यवस्था मंत्री को इस बारे में मैंने निजी स्तर पर संदेश भेजा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह शरणार्थियों को भारत आने से रोकने के लिये विशेष कार्यवाही करें तथा इस मामले में निजी रुचि लें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री स्वर्ण सिंह ने बताया है कि सरकार शरणार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये पाकिस्तान सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दबाव ने कहां तक कार्य किया और पाकिस्तान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या उक्त दबाव पड़ने के बाद भारत में पाकिस्तानियों के आने में कमी हो गई है।

दूसरे, जैसा माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि यह समस्या समस्त देश की है केवल पश्चिम बंगाल की नहीं। क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस के

अध्यक्ष श्री जगजीवन राम ने इस मामले की जांच करने के लिये पहले ही समिति नियुक्त कर कर दी है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर रही है जिससे शरणार्थियों को कुछ धन राशि दी जाये और उन्हें उचित तरीके से फिर से बसाया जा सके।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस बारे में पाकिस्तान सरकार से विचार-विमर्श कर रहे हैं लेकिन इस बारे में हम बहुत आशावादी नहीं है कि हम उन्हें उनके दायित्व के प्रति जागरुक रखने में सफल हुए हैं लेकिन हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। यद्यपि वहां से पश्चिम बंगाल में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है लेकिन ऐसा जलवायु तथा वर्षा आदि के कारण भी हो सकता है। पाकिस्तान सरकार को इस बारे में प्रभावशाली कार्यवाही करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान से प्राप्त होने वाले उत्तर के सम्बन्ध में मैं सदस्यों की निराशा को समझता हूं लेकिन यदि आप इस विषय पर शांतिपूर्ण विचार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारे पास इसके लिये और कोई अतिरिक्त चारा न था।

आप घृणात्मक या विरोधी प्रचार कर सकते हैं आप ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे सरकार की बदनामी है। लेकिन इससे शरणार्थियों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे हमें ध्यान में रखना है। चाहे हमारा अनुभव इस बारे में कितना ही निराशाजनक क्यों न हो हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि हम इस बारे में सम्बद्ध सरकार से बातचीत जारी रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि आने वाले शरणार्थी मुख्यतया जैसोर खुलना और फरीदपुर जिले के हैं और क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जातियों, भूमिहीन किसानों, निर्धन वर्ग में से हैं और गरीब किसान हैं जो राजनीतिक दृष्टि से श्री मजीबुर्रहमान दल तथा अन्य दलो के समर्थक हैं, जो पाकिस्तान की तानाशाही के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं।

मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में व्याप्त वर्तमान राजनीतिक स्थिति तथा भावनाओं के इतने स्पष्ट होते हुए, और पुराने क्रांतिकारी श्री त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती जिन्होंने अपना आधा जीवन जेल में बिता दिया और जो अब देश का भ्रमण कर रहे हैं, के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के बावजूद कि पूर्वी पाकिस्तान की सामान्य जनता साम्प्रदायिक दंगों में रुचि नहीं रखती वरन् याह्या खाँ सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहती है यह कैसे सभव है कि पूर्वी पाकिस्तान स्थित उप-उच्चायुक्त का कार्यालय वहां की स्थिति से पूर्णत: अनभिज्ञ रहा और सरकार को किसी प्रकार की पूर्व सूचना न भेजी जा सकी, जिससे सरकार को राजनीतिक कारणों से आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ के आने का संकेत मिल जाता। ज्ञात होता है कि हमारे अधिकारी इन शरणार्थियों की रक्षा करने और उन्हें आश्रय देने की व्यवस्था करने के प्रति पूर्ण उदासीन थे। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के गुप्तचर विभाग से फिर आखिर किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। उप-उच्चायुक्त का कार्यालय पूरी तरह से असफल रहा है। इसका क्या कारण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि मोटे तौर पर यह राजनीतिक कारणों से भी है और कुछ वहां के साम्प्रदायिक दल भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस अनर्गल वार्तालाप से तंग आ चुके हैं। हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए। क्या उन्होंने आपको पूर्व सूचना भेजी थी। क्या उन्होंने इस मंत्रालय से पुनर्वास मंत्रालय को सूचना भिजवाई थी। यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों। हम और धैर्य नहीं रख सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें यह सूचना अवश्य मिली थी कि वहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार की बनती जा रही है कि जिसके कारण यह अभागे व्यक्ति पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आयेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब ? किसी तिथि पर आपको यह सूचना मिली ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सूचना पिछले 5-6 मास से दी जा रही है। कोई निश्चित तिथि नहीं है इसकी.....(**व्यवधान**)। यदि लगातार आप लोग इस प्रकार व्यवधान डालते रहे तो मैं किस प्रकार आगे बढ़ सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा करें। मंत्री महोदय हमेशा काल्पनिक बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह बतलाएं कि क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय के गुप्तचर विभाग ने पुनर्वास मंत्रालय को इस बात के लिए सावधान किया था कि वहां से बहुत बड़ा निष्क्रमण होगा और यदि हां, तो सर्वप्रथम कब सावधान किया गया था, हम यही जानना चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कह चुका हूँ कि ऐसा पिछले छः-सात महीनों से चल रहा है और यदि इनकी रुचि हो तो मैं प्रत्येक मास में आए लोगों की संख्या बता सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने इन्हें बताया था कि राजनीतिक कारणों से ऐसे लोगों को जिन की चुनावों में याह्या खां को समर्थन देने की संभावना नहीं है, वहां से बाहर निकाल फेंका जा रहा है। क्या उच्चायुक्त के कार्यालय से ऐसी कोई पूर्व सूचना भेजी गई थी जिसके आधार पर इस निष्क्रमण का संकेत मिल जाता और पहले से ही व्यवस्था कर ली जाती ? इस प्रश्न का उत्तर यह क्यों नहीं दें रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न के दो भाग हैं यह तो एक कारण था, ऐसा नहीं कि यही एक मात्र कारण था और भी कई कारण हैं...(**व्यवधान**)। शोर मचाकर आप मुझे अपने विचार बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे संरक्षण दें। मंत्री महोदय सदन को मजाक समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की उत्सुकता और उत्तेजना को अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैंने दूसरा प्रश्न आरम्भ नहीं किया जिससे आज एक प्रश्न से आगे नहीं बढ़ सके। इस पर चर्चा करने की तिथि पहले निश्चित हो चुकी है। मैं कुछ सदस्यों को प्रश्नों के लिए बुलाना चाहता था किन्तु ऐसा न कर सका।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अनुपूरक प्रश्न के बारे में आपको लिख भेजा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे ध्यान दिये जाने की बात है मैं आपके द्वारा लिखी गई बातों पर ध्यान नहीं दे सकता ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : हम किस प्रकार आप का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ?

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, हमने इस पर चर्चा करनी निश्चित की है और मैंने कुछ नामों को लिख लिया है । प्रश्न समय का है इसके अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, how many times we have to sit and stand to catch your eye ?

Mr. Speaker : There is no need to worry, everybody will be given a chance in the discussion.

Shri Ram Sewak Yadav : I have atleast risen twenty five times and I am sitting just in front of you and even then you have not cared to look at me.

Mr. Speaker : If twenty-five members will rise twenty-five times and I will only call only one and even then twenty-four persons will say that they have not been given a chance. केवल इसी सदन में ही प्रश्नोत्तर-काल में कुछ प्रगति कर पाना संभव नहीं है । पूरा समय देने पर भी आप संतुष्ट नहीं है । पूरे प्रश्नोत्तर-काल में एक ही प्रश्न हुआ है और तब भी आप को संतोष नहीं हुआ । कुछ तो सीमा होनी चाहिए ।

अब हम अल्प-सूचना प्रश्न को लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर इतना नीचा हो गया है जितना पहले कभी नहीं हुआ था ;

(ख) इससे औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए बिजली की सप्लाई पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य अधिक बिजली ले रहे हैं जिससे सामान्य सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिये भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस वर्ष जून के महीने में निम्नतम स्तर लगभग 1460 था जबकि जून, 1966 में यह 1443 पर पहुँच गया था। बहरहाल इस वर्ष जून, 1970 के पश्चात् अंत: प्रवाह बहुत कम रहा है और झील का स्तर गत वर्ष के इसी समय के स्तर से 90 फुट नीचा है।

(ख) यदि अन्त: प्रवाह इसी तरह जारी रहता है जिस तरह अब चल रहा है, बिजली उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत कमी हो जायेगी।

(ग) भाखड़ा बिजली घर में उत्पन्न बिजली, आपस में किये गये समझौते द्वारा कई राज्यों में निर्धारित अनुपात में बंटी हुई है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि निर्धारित अनुपात से अधिक बिजली ले रहा हो।

(घ) भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड पानी के बहिप्रवाह को कायम रखने के लिए बिजली के 127 लाख यूनिट प्रतिदिन के वर्तमान उप्पादन को कम करके 100 लाख यूनिट करना चाहता है अर्थात्, भाखड़ा के बहिप्रवाह को 17500 क्यूसेक से कम करके 13000 क्यूसेक करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, बिजली यूनिटों से आगामी तीन से चार महीनों के अन्दर, बिजली उपलब्ध होने की संभावना है और इससे भाखड़ा प्रणाली पर भार कम करने में सहायता मिलेगी जिससे जलाशय में पानी बच जाएगा।

श्री श्रीचंद गोयल : महोदय आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हरयाना के अधिकारियों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है कि सिंचाई के लिए तथा बिजली पैदा करने के लिये जल छोड़ने की वर्तमान रफ्तार के हिसाब से दिसम्बर मास में भाखड़ा जलाशय में इतना कम जल रह जायेगा, कि जब तक इसे रोकने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये जाते तो यह दिसम्बर तक विद्युत शक्ति बिल्कुल नहीं उत्पन्न की जा सकेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सिंचाई के लिये तथा बिजली पैदा करने के लिए जल छोड़ने की वर्तमान दर क्या है तथा क्या उसमें कुछ कमी की गई है और क्या कमी की आवश्यकता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हरयाना के अधिकारियों द्वारा व्यक्त चिन्ता का कोई आधार है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इस वर्ष सतलज नदी में बाढ़ नहीं आई जिसके परिणामस्वरूप हमें शुष्क वर्ष का सामना करना पड़ा है। इसी कारण जलाशयों में जल का स्तर जितना होना चाहिये वह उससे काफी कम है। 20 लाख एकड़ फुट जल की कमी है। यही कुछ चिन्ता और उत्सुकता का कारण है। किन्तु मुझे आशा है अगस्त और सितम्बर तक जल प्रवाह ठीक हो जायेगा और जुलाई मास में जल की कमी पूरी हो जायेगी। तीन दिन पहले 27,000 क्यूसेक जल आ रहा था अब यह 31,000 क्यूसेक हो गया है। आशा है यही गति बनी रहेगी। फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हमें सचेत रहना चाहिये जिससे कि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण महीनों में जल की कमी न पड़ जाये। इसलिए भाखड़ा जल संग्रह

से विद्युत उत्पादन को कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही हम इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या सतपुड़ा और एक दो अन्य स्थानों से विद्युत शक्ति ली जा सकती है हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि क्या भाखड़ा से उत्पन्न विद्युत शक्ति को किसी अन्य स्थान से पूरा कर सकते हैं जिससे भाखड़ा से विद्युत की उत्पत्ति कम की जा सके। ये सभी बातें विचाराधीन हैं और मुझे आशा है अगले तीन चार दिन में इस विषय में मैं कुछ कर पाऊंगा।

श्री श्री चंद गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे कई राज्यों को लाभ पहुँचता है और मौनसून की अनिश्चयता एवं वर्तमान गम्भीर स्थिति को भी ध्यान मे रखते हुए, क्या सरकार भाखड़ा प्रणाली को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है।

डा० कु० ल० राव : यही तो मैंने भी अभी कहा है। हम तीन चार योजनाओं पर विचार कर रहे हैं और आशा है दो-चार दिन में कुछ निर्णय ले लिया जाएगा जिससे शुष्क वर्ष में भी अधिक कठिनाई न हो भले ही अगस्त सितम्बर में जल प्रवाह न हो।

Shri Randir Singh : The farmers in Punjab and Haryana are worried because there have been no rains during the last two months and the crops are facing a crises. In the context of questions that have been asked about Bhakhra I want to know from hon. Minister as to when the Beas link with Bhakhra reservoir will be provided (2) Has the stoppage of water to Pakistan actually been effected or is it on paper only, if there has been stoppage what is the share of Haryana and Punjab in that water. (3) Electric power is being supplied to Delhi at cheap rate but the Delhi like a businessman is selling that power to U.P. at a very high rate by reason whereof Haryana alone is suffering a loss is the time of Rs. 70 lakh, will you oblige us with that amount of Rs. 70 lakh ? (4) I would again tell you that silt is rising in Bhakhra and it is possible that Bhakhra may not survive 50 yrs. Have you paid attention to this I want answer to these three four questions.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि व्यास लिंक से हमें अधिक शक्ति मिलेगी किन्तु मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की मांग देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है उसे सतलज के जल की एक बूंद भी नहीं जा रही और हम ही जल को प्रयोग में ला रहे हैं। जहां तक देहली को बिजली देने का प्रश्न है, मेरे विचार में माननीय सदस्य को मिली सूचना ठीक नहीं है इसके विपरीत दिल्ली ही अब भाखड़ा को जल दे रही है दिल्ली भाखड़ा से विद्युत शक्ति नहीं ले रही बल्कि दिल्ली भाखड़ा के बोझ को कम करने में एक महत्वपूर्ण भाग अदा कर रही है। भाखड़ा पर से भार हटाने के लिए एक कदम यह भी उठाया जा रहा है कि दिल्ली से अगले दो महीनों में सम्भावित विद्युत उत्पादन को और बढ़ाया जाए जहां तक गाद भरने का प्रश्न है माननीय सदस्य चिंतित न हों। मूलतः इसकी अवधि 500 वर्ष तक अनुमानित की गई थी मिट्टी के गिरने पर भी इसकी अवधि 350 वर्ष से कम न होगी, जोकि एक काफी लम्बी अवधि है। साथ ही ऊंचाई पर एक और बांध बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

Shri Prem Chand Verma : Sir, I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that there has been insufficient flow of water into Govind Sagar lake, and if there

was any break down in the water stoppage project ? Even the engineers could not detect and the matter was kept secret for a long time because of that the water did not reach in level. I want to know for certain if he was aware of it and will this matter be investigated.

It has been said that the life of Bhakhra dam is 500 years but actually with the silt coming in the entire 100 square miles area of Govind Sagar Lake its age will not remain even one fourth.

डा० कु० ल० राव : विद्युत शक्ति की सप्लाई में कोई गड़बड़ी नहीं हुई किन्तु मुख्य कठिनाई भाखड़ा से विद्युत शक्ति की अधिकाधिक मांग है। इस क्षेत्र में कोई विद्युत शक्ति केन्द्र नहीं है और इसलिए हमें इस आशा के साथ कि इन महीनों में जल आ जायेगा यहाँ से अधिकतम विद्युत लेनी पड़ती है। गाद भरने के सम्बन्ध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं इसकी गति में तीव्रता आ जाने पर भी हमारे अनुमान के अनुसार जलाशय की उम्र 350 वर्ष तो कम से कम रहेगी ही। हम हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई पर एक अन्य परियोजना बनाने के विषय पर विचार कर रही हैं जिससे इसका बचाव हो जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I wish to know from the hon. Minister if the Government are going to reduce the supply of power to states that are getting power from the Bhakhra ? Secondly when the new machines, that have been sent for by you, will start working ? Thirdly, I want to know whether you are going to remove the difference in prices at which the electric power is supplied to Delhi. Shri Bharat Ram Chart Ram Delhi Cloth Mill is being supplied power at the rate of 3 paisa per unit while the farmers are getting a unit for 40 paisa.

डा० कु० ल० राव : भाखड़ा से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को लाभ हो रहा है। जहाँ तक विद्युत यंत्रों का प्रश्न है उनमें बढ़ोतरी की जा रही है और आशा है कि दिल्ली में अगले तीन चार महीनों में इन यंत्रों को लगाया जायेगा। बाद में राजस्थान में आणविक उर्जा शक्ति सयंत्र के चालू होने की भी आशा है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और भटिंडा में और विद्युत एककों के चालू होने की भी आशा है। इस में कुछ वर्ष लगेंगे। हमारी समस्या तत्काल कुछ महीनों की है और इसी की चिन्ता है। जहां तक मूल्य दर का प्रश्न है वह एक अलग प्रश्न है कि क्या भारी उद्योगों की मूल्य दर अन्य प्रकार के उद्योगों से कम है।

श्री हेम बरुआ : महोदय, यह पता चला है कि कुछ राज्यों ने भाखड़ा जलाशय से नियत राशि से अधिक जल ले लिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा प्रबन्ध समिति के सहयोग से हुआ है और यदि हां, तो क्या कभी भाखड़ा प्रबन्ध समिति ने इस विषय में सरकार से परामर्श किया है।

डा० कु० ल० राव : भाखड़ा बांध का प्रबन्ध भाखड़ा प्रबन्धन मण्डल द्वारा किया जाता है और यह मण्डल का हम से सदा सम्पर्क बनाये रखता है प्रश्न अधिक जल नहीं। उदाहरणार्थ 520 मैंगावाट बिजली उत्पन्न होती है। यदि जल का स्तर समान रह जाता है तो अधिक लेने का प्रश्न ही नहीं और इसलिए चिन्ता की भी कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु यदि जल का स्तर घट जाता है तो इसी 520 मैंगावाट के लिये भी अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी और यही

हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें सतर्क रहना पड़ता है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कितना जल आएगा। आसाम जैसे राज्य में कुछ ही दिनों में जलाशय भर जायेगा, जबकि यहां यह स्थिति नहीं है। कुछ महीनों के लिए हमें सतर्क रहना है अतः जब तक पर्याप्त जल नहीं प्राप्त होता समस्या कोई अन्य उपाय ढूंढने की है इसलिये मैंने कहा कि अगले तीन चार महीनों में हमें काफी सावधान रहना होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

भारत-श्री लंका नागरिकता समझौते का पुनरीक्षण

*62. श्री न० कु० सांघी : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री मुहम्मद शरीफ : श्री राम चन्द्र वीरप्पा
श्री वे० कु० दासचौधरी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने उस देश में भारत मूलक व्यक्तियों के सम्बन्ध में, किए गये नागरिकता समझौते का पुनरीक्षण करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूसी मानचित्रों में चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया भारतीय क्षेत्र

*63. श्री राम चरण : श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री शिव कुमार शास्त्री : श्री श्री गोपाल साबू :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने 'भौगोलिक एटलस' के अपने नवीनतम अंक में भी भारत के एक बड़े भू-भाग को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय क्षेत्र के किन भागों को चीनी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिखाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस ने भारत सरकार को पहले यह आश्वासन दिया था कि वह इन मान चित्रों के बारे में जांच करेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रूस ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ङ) मान-चित्रों को संशोधित कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यतः पश्चिम सैक्टर में अक्साइ-चीन तथा पूर्वी सेक्टर में सम्पूर्ण नेफा क्षेत्र ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकार पहले की तरह इस बात को राजनयिक-स्तर पर जारी रखेगी ।

ब्राडफार्ड (ब्रिटेन) में चालीस भारतीयों की गिरफ्तारी

*64. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री मुशीर अहमद खां :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यू० एन० आई० के हाल के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि चालीस भारतीयों के एक दल को, जो पंजाब के थे, ब्राडफार्ड (ब्रिटेन) में एक तहखाने में पाये गए और जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त 40 भारतीयों का क्या हाल हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने वाले सभी चालीस यात्रियों को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया ।

(ग) उन चालीस यात्रियों में अड़तीस अब भारत में हैं, शेष दो, पुलिस-जांच के सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम में कारावास में हैं ।

हिन्द-चीन के विषय में जनेवा के ढंग का सम्मेलन

*65. **श्री क० लकप्पा :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री ए० श्रीधरण : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्द चीन में पुनः शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जनेवा के ढंग का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए पहल की है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक अन्य राष्ट्रों से किस प्रकार की बातचीत हुई है ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). पुनः शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार इस संघर्ष में उलझे सभी देशों से सम्पर्क बनाए हुई है।

(ग) ऐसे विचार विमर्शों के सार बताने की प्रथा नहीं है, क्योंकि यह गोपनीय है। अभी जनेवा की तरह का सम्मेलन बुलाने की संभावना नहीं दिखती।

Pakistan Non-Cooperation in Indo-Pak, Survey Officer's Conference

*66. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan had shown an attitude of non-cooperation on several important issues during the Conference of Survey Officers of India and Pakistan held in Calcutta in the first week of June last ;

(b) whether it is also a fact that some matters have been pending since 1959 ;

(c) if so, the details of the important and undecided matters and unresolved issues and the attitude of Pakistan in respect of each ; and

(d) the nature of procedure which Government propose to adopt to dispose of firally the important matters such as the demarcation of small Indian land-strip between Nepal and East Pakistan ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). At the last conference of Survey officers of India and Pakistan held in Calcutta in the first week of June, 1970 the progress of field work was reviewed and measures were devised to expedite implementation of the field programme jointly agreed upon for the field season 1969-70. The Pakistani side did not agree to cooperate in the demarcation of the Mahanandai Burang-Karotoa sector of the Darjeeling West Dinajpur-Dinajpur border which has been pending since 1959 as they insisted that this could not be taken up till demarcation in the Berubari sector was also taken up. The Indian side explained to the Pakistani side that demarcation in the Berubari sector could not be taken up till the Supereme Court before whom the Berubari case is pending, vacated the injunction restraining such demarcation.

(d) The survey officers of India and Pakistan are again meeting at Dacca in September 1970 and Government hope that at this meeting progress would be made in resolving the important matters still pending between the two countries.

पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों को मृत्यु दण्ड

*67. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री रामकिशन गुप्त :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन परिस्थितियों का ब्यौरा मिल गया है जिनमें दो भारतीय

राष्ट्रिकों को किसी अन्य देश के लिए जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तान में मृत्यु दण्ड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन दो भारतीयों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

(ग) हम लोगों ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के एक अधिकारी को इन दोनों भारतीय नागरिकों के साथ, उनके कल्याण की आवश्यक व्यवस्था करने तथा अपेक्षित कानूनी सलाह देने के लिए मिलने की अनुमति दी जाए ।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिए इलैक्ट्रानिकी अनुसन्धान

*63. **श्री मोहन नाथ मास्टर** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा कार्यों के लिये इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान हेतु भारी धन राशि की व्यवस्था की जायेगी जिससे यदि भारत अणुबम नहीं बनाता तो अनुसंधान से होने वाले लाभ का उत्पादन कार्यों में उपयोग किया जा सके ; और

(ख) क्या वैज्ञानिक सलाहकारों का भी यही मत है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक साजसामान के संदर्भ में सेवाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रक्षा उद्देश्य के लिये विद्युती अनुसन्धान के लिये एक भारी धनराशि का उपबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) पहले से निर्धारित सरकार की निति से वैज्ञानिक सलाहकार सहमत है ।

औद्योगिक विकास सेवा की सिफारिशें

*64 **श्री कुमार सोमानी** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित औद्योगिक विकास सेवा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सरकार के निर्यात संवर्धन के उपायों के प्रतिकूल आर्थिक शक्ति के एकाधिकारिक केन्द्रीकरण पर लगाये जाने वाले नियन्त्रण के निहितार्थों के बारे में ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या औद्योगिक विकास सेवा ने बड़े व्यापार गृहों के निर्यात के लिए उत्पादन को एकाधिकार विनियमन कानूनों के क्षेत्र से मुक्त रखने की सिफारिश की है ; और

(ग) औद्योगिक विकास सेवा की अन्य सिफारिश क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) भारत सरकार के विदेशी व्यापार मन्त्रालय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी द्वारा प्रायोजित औद्योगिक

विकास सेवाओं द्वारा "भारत के निर्यात विपणन" पर अध्ययन का अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार तथा उद्योग के साथ विचार-विमर्श करने के लिये केवल एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रावी नदी पर थीन बांध बनाने के लिए मंजूरी

*70. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में रावी नदी पर थीन बांध परियोजना को अभी भी मन्जूरी नहीं दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने योजना की शीघ्र मन्जूरी के लिये केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि यदि योजना को शीघ्र मन्जूरी नहीं दी गयी तो पंजाब सरकार बिना मन्जूरी के भी परियोजना को आगे चलायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). थीन बांध परियोजना की तकनीकी जांच पूरी हो गई है और इस परियोजना के संबध में अब अगली कार्यवाही की जाएगी । जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ उन क्षेत्रों के संबंध में अभी विचार-विमर्श होना है जो उनके प्रदेशों में जल-मग्न हो जायेंगे ।

(ङ) पंजाब सरकार से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

कश्मीर समस्या से अपने को अलग रखने का संयुक्त राष्ट्र अमरीका का निर्णय

*71. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अमरीका ने काश्मीर समस्या से अपने को अलग रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 7 मार्च 1970 को लखनऊ में श्री केनेट वी० कीटिंग द्वारा दिए गए वक्तव्य के प्रकाश में स्थिति का पुनरीक्षण किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । जैसा कि 18 मार्च 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3536 के उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में सदन को बताया गया था, संयुक्त राज्य अमरीका का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं द्विपक्षीय हैं और दोनों देशों को मिलाकर अपने मतभेद दूर करने चाहिए ।

(ख) 7 मार्च 1970 को लखनऊ में एक समाचार-पत्र संवाददाता सम्मेलन में अमरीका के राजदूत ने अपनी सरकार का रवैया दोहराते हुये ही यह कहा था कि काश्मीर का मामला ऐसा मामला है जो भारत और पाकिस्तान को आपस में तय करना चाहिये और इस बारे में अमरीकी नीति तो इससे "दूर रहो" की है।

(ग) भारत पाकिस्तान के मामलों के बीच न पड़ने की अमरीकी नीति का सरकार स्वागत करती है।

सिहानुक की निर्वासित सरकार को मान्यता देना

*72. श्री नम्बियार : श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री : श्री गणेश घोष :
डा० रानेन सेन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया के विदेश मन्त्री श्री सराइन चाक ने भारत का दौरा किया था और वैदेशिक-कार्य मन्त्री ने भेंट की थी और उन्होंने भारत सरकार से कम्बोडिया की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने राजकुमार सिहानुक की सरकार को कम्बोडिया को सरकार के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अनुरोध के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, 11 जून, 1970 को।

(ख) आपसी हित के मामलों पर जिनमें कम्बोडिया की स्थिति शामिल है, विचार-विमर्श हुआ था। इस प्रकार की बैठकों में जो गोपनीय बातें होती हैं, उन्हें बतलाने की प्रथा नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) कम्बोडिया की स्थिति अस्थिर है और हम स्थिति पर ध्यान रखते हैं।

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

*73. श्री दे० प्रभात : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मीठा लाल मीना : श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री अदिचन :

क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल को दी जाने वाली व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में इस वर्ष जून में भारत नेपाल वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) नेपाल के साथ समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए वार्ता पुनः कब आरम्भ होगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). जी हां। भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच 10 जून से 24 जून, 1970 तक काठमांडू में वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने अन्य विषयों के साथ साथ व्यापार के दिशा-परिवर्तन, नेपाल से संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से निर्मित सामान के भारत में आयात आदि से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत की। भारतीय पक्ष ने अक्तूबर, 1970 के अन्त तक संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से निर्मित सामान का भारत में आयात करने से सम्बन्धित नेपाली अनुरोध पर विचार करने के लिए अपनी रजामन्दी व्यक्त की वशर्ते नेपाल भारतीय राज्य व्यापार माध्यमों के द्वारा माल भेजने के लिए सहमत हो ।

पारस्परिक हित के इन तथा अन्य मामलों पर स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छी तरह समय लिया गया। दोनों देशों के बीच आगे औपचारिक बातचीत के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है।

मन्त्रिमण्डल में किये गये परिवर्तनों के बाद प्रधान मंत्री के सचिवालय में विस्तार

*74. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री अब्दुल गनी डार : **श्री जयसिंह :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमण्डल में किये गये परिवर्तनों के बाद प्रधान मन्त्री द्वारा अपने पर ली गई अधिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रधान मंत्री के सचिवालय में विस्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) सचिवालय के अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक अधिकारियों को क्या विशिष्ट कार्य सौंपा गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रधान मन्त्री सचिवालय में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या सभापटल पर रखे गये विवरण में दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3760/70]

(ग) प्रधान मन्त्री सचिवालय में काम करने वाले अवर सचिव और इससे ऊपर के दर्जे से अधिकारियों के नाम और पदनाम विवरण नं० 2 में दिये गए हैं [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3750/70]। हमारा ख्याल है कि माननीय सदस्यगण संभवतः अवर सचिव के नीचे के पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम जानना नहीं चाहेंगे।

(घ) प्रधान मन्त्री सचिवालय प्रधान मन्त्री जी को विभिन्न मंत्रालयों से उनके पास आने

वाले काम को देखने में सहायता देता है। यह सचिवालय प्रधान मन्त्री के सचिव के सामान्य नियन्त्रण और अधीक्षण के अन्तर्गत काम करता है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण और यह सदन इस सचिवालय के अन्दरूनी काम-काज का विवरण और इसमें काम करने वाले अलग-अलग अधिकारियों के बीच कार्य के वितरण का ब्यौरा नहीं लेना चाहेगा।

ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा कृषि ऋणों का अनुत्पादक कार्यों के लिए उपयोग किया जाना

*75. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा कृषि ऋणों का काफी बड़ा हिस्सा अनुत्पादक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को बदलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कृषि ऋण के उपयोग के सम्बन्ध में कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन के द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। तथापि, 1965 में कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन ने सहकारिता ऋणों के उपयोग के विषय में एक अध्ययन जारी किया था। अध्ययन से पता चला कि प्राथमिक सहकारिता समितियों के द्वारा दिया गया अधिकांश ऋण (72%) का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हुआ जिसके लिए वे दिए गए थे, लगभग 28 प्रतिशत ऋण जिन प्रयोजनों के लिए प्राप्त किए गए थे उन्हें उन प्रयोजनों के लिए उपयोग न कर दूसरे प्रयोजनों में लगाया गया था।

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा उन राज्य सरकारों में परिचारित कर दी गई थीं जोकि अध्ययन के निष्कर्षों पर कार्रवाई से मुख्यत: सम्बन्धित हैं। राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के संदर्शन में सहकारिता ऋण पद्धति के संचालन की निरन्तर पुनरीक्षा करती रहती हैं।

ब्रिटेन में श्री द्वारिका प्रसाद शाह की हत्या

*76. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय पारपत्रधारी श्री द्वारिका प्रसाद शाह की, जो 174, ओमबरसली रोड, बरमिंघम-12 के निवासी थे, 2 मई, 1970 को हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मृत व्यक्ति इंग्लैंड में जातीय संघर्ष का शिकार हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जाँच की है ; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते। बताया जाता है कि श्री डी० पी० शाह की हत्या उनके बच्चों तथा उनके पड़ोसी, जर्मैकन के राष्ट्रिक, नावेल क्रिस्टोफर के बच्चों के बीच की लड़ाई के फलस्वरूप हुई । स्थानीय पुलिस ने नावेल क्रिस्टोफर तथा उसकी पत्नी को कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे जांच-पड़ताल होने तक दोनों को पुलिस हिरासत में रखा गया है ।

इसरायली अधिकारियों द्वारा भारतीय पत्रकारों को रोक लिया जाना

*77. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जून, 1970 को इसरायली अधिकारियों ने 6 भारतीय पत्रकारों को रोक लिया था और उनकी फिल्मों को जब्त कर लिया था ;

(ख) उन भारतीय पत्रकारों के नाम क्या हैं और उनको रोक लिये जाने तथा उनकी फिल्मों को जब्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग). सरकार ने इस आशय का एक समाचार देखा था लेकिन हमारे विविध प्रयत्नों के बाद भी वह न तो इसकी पुष्टि करवा पाई है और न इस घटना के बारे में कोई विस्तृत विवरण उसे प्राप्त हो सका है ।

वायुसेना के कैडटों के प्रशिक्षण के लिये मैसूर में बीदर हवाई अड्डे में सुधार

*78. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 29 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीदर हवाई अड्डे का टेका, जिसका वायुसेना के कैडेटों द्वारा जेट प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जायेगा, ठेकेदारों को इसी प्रकार के कार्य अनुभव के आधार पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या हवाई क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे उसका प्रयोग जेट प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). बीदर हवाई अड्डे के सुधार में 54.45 लाख रुपये खर्च हुए थे । इसमें से 21.25 लाख रुपये का मुख्य ठेका सर्वश्री भारत सेवक समाज को दिया गया था और 18.86 लाख रुपये का ठेका एक श्री एन्नला बालाराम को दिया गया था । निर्माण कार्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता का ध्यान करते हुए यह ठेके प्रति-

योगिता टेन्डर के आधार पर दिये गये थे। शेष कार्य 8 दूसरे ठेकेदारों द्वारा पूरा किया गया था, और विभागीयता नियुक्त किए गए श्रम द्वारा भी।

(ग) इस समय कोई सुधार आवश्यक नहीं समझे गये।

सुधरी हुई किस्म के मिग-21 विमानों का निर्माण

*79. श्री इसहाक सम्भली : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार के सहयोग से सुधारी हुई किस्म के मिग-21 विमानों के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विमानों का निर्माण कब आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री रक्षा उत्पादन मन्त्री(श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) विमानों का संयोजन 1973-74 में आरम्भ होगा।

अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के सम्बन्ध में भारत के मित्र देशों से पाकिस्तान पर दबाव डालने का अनुरोध

*80. श्री दण्डपाणि : श्री कोलाई बिरुआ :
श्री मयावन : श्री सामिनाथन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सभी मित्र देशों को पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के बारे में, जिनकी संख्या कभी-कभी एक दिन में 2,000 व्यक्तियों तक पहुँच जाती है, लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को सूचना भेजी गई है ;

(ग) क्या किसी देश ने पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में बात की है ;

(घ) पूर्व पाकिस्तान से अब तक कितने शरणार्थी आए हैं ; और

(ङ) उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). विदेश स्थित अपने मिशनों से कह दिया गया है कि अपने आतिथेय देश की स्थानीय परिस्थितियों और सम्भावनाओं को ध्यान में

रखते हुए उसे स्थिति से अवगत रखें और समझा दें, लेकिन किसी भी तरह उन्हें इस उप महाद्वीप के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित न करें।

(घ) 1 जनवरी, 70 से 17-7-70 तक पूर्व पाकिस्तान से 1,45,595 शरणार्थी भारत आए हैं।

(ङ) श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) इस दिशा में समुचित कदम उठा रहा है।

काजू और काजू के छिलके के तेल के आयात में कमी

*81. श्री प० गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष काजू और काजू के छिलके के तेल के आयात में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री(श्रीराम सेवक) : (क) जी हां। गत वर्ष में कच्चे काजू की गिरी के आयात में 3.8 करोड़ रु० मूल्य के 32000 मे० टन की कमी हुई। भारत काजू के छिलके के तेल का आयात नहीं करता है।

(ख) कच्चे काजू की गिरी के आयात में कमी का मुख्य कारण यह था कि सितम्बर, 1969 में भारतीय बैंकों ने पूर्वी अफ्रीका से कच्चे काजू की गिरी के आयातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के स्थान पर केवल 90 प्रतिशत के ऋण-पत्रों के खोलने और शेष 10 प्रतिशत को गुण निरीक्षण, तोल करने आदि के बाद भुगतान करने पर आग्रह किया था।

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिए निम्नोक्त कार्यवाही की गई है :

(1) काजू की गिरी का आयात पूर्वी अफ्रीकी देशों से पुरानी भुगतान शर्तों के अनुसार किया रहा जा है।

(2) आयातकों में प्रतिस्पर्धा रोकने तथा साधित करने वाले उद्योग को कच्ची गिरी की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्ची गिरी के आयात राज्य व्यापार निगम की एक सहायक संस्था के माध्यम से ही किये जायेंगे।

Requirement of Power during next Ten Years

*82. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that generation of 5 crores kilowatts of power is most essential for the country during the next ten years ;

(b) whether it is also a fact that the Government have not so far taken any special steps in order to achieve the said target ; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which the said work would be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) On the basis of the estimates of the Working Group on Power for the Fourth Five Year Plan, the total demand in the country by 1979-80 is expected to be of the order of 36.2 million KW. For meeting this demand about 32 million KW (5.2 crores KW) of installed capacity would be needed,

(b) and (c) By the end of 1973-74, the installed capacity is expected to be 23 million KW. An additional capacity of 3.37 million KW is expected to spill over into the Fifth Plan period. Following steps have been taken to formulate proposals for achieving the estimated requirement of power by 1980 :

(i) The Working Group on Power has drawn up a list of new schemes aggregating 15 million KW for consideration under the Fifth Plan.

(ii) Various State Electricity Boards and Project authorities have been requested to formulate proposals for additional power generation during the Fifth Plan at an early date.

After the specific schemes are finalised, further action will be taken to get the necessary action.

भारत-श्रीलंका नागरिकता संधि

*83. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 196 में श्रीमती श्री मावो बंडारनायके और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री में यह करार हुआ था कि सात भारत मूलक लोगों को वापस भारत भेजने पर चार व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तदुपरान्त श्री मावो-शास्त्री संधि को बदला गया था ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस समय श्री मावो-शास्त्री संधि की क्या स्थिति है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय मूल के लोगों के बारे में श्रीलंका की प्रधान मंत्री श्रीमावो भंडारनायके तथा भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच 1964 में समझौता हुआ था, 1954 में नहीं। उक्त समझौता के अनुसार 300,000 लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दी जाएगी और 525,000 लोगों को भारत वापस लाया जाएगा तथा उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इनका अनुपात 4 : 7 बैठता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण

*84. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड में सरकार के बदलने पर उस देश में भारतीयों के मन में असुरक्षण की भावना पैदा हो गई है ; और

(ख) क्या इस प्रश्न को इंगलैंड की सरकार के साथ उठाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में सरकार बदल जाने से वहां रहने वाले भारतीयों में असुरक्षण की भावना बढ़ी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र से मैंगनीज और लौह अयस्क का निर्यात

*85. **श्री नाथ पाई** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेडी, जिला रत्नगिरी (महाराष्ट्र) से कितनी मात्रा में मैंगनीज और लौह अयस्क खानों से निकाला गया और उसका निर्यात किया गया ;

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग). गत तीन वर्षों में रेडी पत्तन से कितना लौह अयस्क (लगभग खान से निकाले गए अयस्क के बराबर) निर्यात किया गया और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, इसके सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है

रेडी जिले से निकाला गया मैंगनीज निम्न श्रेणी का होने के कारण और मात्रा में बहुत कम होने के कारण गत तीन वर्षों से रेडी पत्तन से मैंगनीज का निर्यात नहीं किया गया।

विवरण

महाराष्ट्र से मैंगनीज तथा लौह-अयस्क के निर्यात

विगत तीन वर्षों में निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा (जोकि उत्पादित अयस्क के लगभग बराबर है) निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	परिमाण	मूल्य (आय)
	(लाख मे० टन)	(करोड़ रु०)
1967-68	2.25	1.10
1968-69	2.02	0.84
1969-70	3.07	1.02

ये निर्यात जापान, रूमानिया तथा यूगोस्लाविया को किये गये थे।

भारतीय पारपत्र धारियों के आने-जाने को रोकने के लिए ब्रिटेन का यूरोप के अन्य देशों के साथ सम्पर्क

*86. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री वंश नारायण सिंह** :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों की सरकारों से भारतीय पारपत्र धारियों के आने-जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने स्वयं पहल करके ब्रिटेन में भारतीय आगन्तुकों के पारपत्रों के पृष्ठांकन की प्रणाली आरम्भ कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि इस बारे में भारत ने कोई विरोध प्रकट किया है तो ब्रिटेन सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जो भारतीय नागरिक उन लोगों के आश्रित होकर यूनाइटेड किंगडम में बसना चाहते हैं जो पहले से ही वहां के निवासी हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त करें । भारत से थोड़े दिनों के लिए जाने वालों के सम्बन्ध में भी ब्रिटिश हाई कमीशन ने ये अनुदेश जारी किए हैं कि "यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत छोड़ने से पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना उनके हित में होगा ।" अत: व्यवहार में यूनाइटेड किंगडम जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों से या तो अपेक्षा की जाती है या उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र प्राप्त करें ।

(ग) और (घ). सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है।

पूर्व-अफ्रीका से ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों की कठिनाइयां

*87. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या वैदेशिक-कार्य कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी अफीका के ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीयों को महाद्वीपों के बीच इधर उधर भेजा जा रहा है और उन्हें विभिन्न योरोपीय नगरों तथा ब्रिटेन की जेलों में अभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या क समाधान के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अनेक पूर्वी अफ्रीका के भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी बहुत-से लोगों को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश की अनुमति न मिलने पर या तो वापसी विमान से भेज दिया गया अथवा ब्रिटिश कारावास में रोक लिया गया । जिन लोगों को वापसी जहाजों से भेजा गया था उनमें से कुछ लोग यूरोप के नगरों में उतर पड़े और यूनाइटेड किंगडम से अगले अनुदेशों की प्रतीक्षा करने लगे । इन सभी लोगों को कुछ दिक्कतें उठानी पड़ीं ।

ऐसा समझा जाता है कि इनमें से कुछ लोगों को छोड़कर शेष सभी को अन्ततः ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति दे दी गयी है।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर इस बात के लिए हमेशा जोर दिया है कि यह उस सरकार का दायित्व है कि वह अपने राष्ट्रिकों को बिना किसी जाति तथा रंग-भेद के ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति दे।

रूस के साथ व्यापार सम्बन्ध

*88. **श्री झारखंडे राय :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा सोवियत संघ के मध्य व्यापार संबंधों में और आगे सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में मास्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता में विचार-विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन-किन विशिष्ट मामलों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इस संबंध में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) तथा (ख). हाल में मास्को में वैदेशिक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय, सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई द्विपक्षीय परामर्श वार्ता में व्यापार, उद्योग, शिक्षा विज्ञान तथा टेक्नोलोज़ी के उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किये जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। यह आशा प्रकट की गई कि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व किये जाने वाले दीर्घकालीन करारों के परिणाम-स्वरूप दोनों ओर से व्यापार के विनिमय में और भी विस्तार हो सकेगा तथा साथ ही विविधता आ जायेगी।

बंगलौर के समीप एच एफ मार्क II विमान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में जांच न्यायालय का प्रतिवेदन

*89. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जनार्दन : **श्री जि० मा० विश्वास**

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के समीप एच एफ मार्क II नमूने वाले विमान के दुर्घटना ग्रस्त होने के बारे में की जाने वाली अदालती जांच की रिपोर्ट पेश हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। 10-1-1970 को बंगलौर के पास एच० एफ०-24 मेक 1 आर के प्रारूप के ध्वंस के लिए जांच बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) प्राप्य साक्षी के आधार पर जांच बोर्ड इस निर्णय पर पहुँचा है कि विमान की टोपी गल्ती से खुली रह गई थी, मुख्य परीक्षण पाइलाट द्वारा, और ये दुर्घटना का मुख्य कारण था। तदपि केवल इससे ही दुर्घटना नहीं हो सकी होगी। बन्दरगाह की ओर का इंजिन भी खुली टोपी के कारण इनटेक के समय प्रवाह में गड़बड़ी के कारण अग्नि शिखाओं में भड़क उठा था और थ्रोटल के शीघ्र खुलने के कारण भी। इस तरह प्राप्य शक्ति सीधे उड़ान स्थिर रखने के लिए काफी न थी। यह निष्कर्ष कई पवन-सुरंग परिक्षणों के पश्चात् पहुंच पाया है।

पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों के रख-रखाव के प्रति पाकिस्तान की उदासीनता

*90. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष में लाहौर स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब गये सिख यात्रियों के एक दल के एक प्रवक्ता द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान में गुरुद्वारों की उपेक्षा की जा रही है तथा इन धर्मस्थानों की देख भाल करने के लिए वहां कोई नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने समय-समय पर इन गुरुद्वारों की उचित ढंग से देखभाल तथा मरम्मत के सवाल को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Doing away with Brokers in Cotton Trade

401. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the reaction of Government in regard to making the cotton trade free from the clutches of old brokers in four districts of Maharashtra ;

(b) the nature of orders which Government propose to issue in this regard for the district of Madhya Pradesh ; and

(c) the reaction of Government in regard to other States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). The Central Government have no proposal of the type referred to by the Hon'ble Member for any particular district or districts of Maharashtra or Madhya Pradesh or any other States.

थुम्बा राकेट छोड़ने के स्थान से ऋतु विज्ञान अनुसन्धान कार्य में सहयोग के लिए भारत रूस करार

402. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा स्थित भारत के भूमध्य-वर्ती राकेट छोड़ने के स्थान से ऋतु विज्ञान अनुसंधान में रूसी सहयोग के लिए किये गये करार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राकेटों के छोड़ने पर कितनी लागत आती है ;

(ग) प्रयोगों में भाग लेने वाले रूसी वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं और उनकी उपलब्धियां क्या हैं ;

(घ) रूसी अनुसंधान केन्द्रों में कार्य करने के लिये चुने गये भारतीय वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं ; तथा इसी प्रकार के अनुसंधान में भाग लेने के लिये उन्हें वहां कब भेजा जायेगा ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अधिक ऊंचाई पर स्थित वायुमण्डल का अध्ययन त्रिवेंद्रम के समीप थुम्बा स्थित त्रिषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से सोवियत संघ में बने राकेटों को छोड़कर क्रमवद्ध रूप से करने की व्यवस्था भारत सोवियत संघ के बीच हाल ही में सम्पन्न हुए एक समझौते के अन्तर्गत की गई है। सन् 1971 तथा सन 1972 में प्रति वर्ष 50-70 राकेट मौसम का अध्ययन करने के लिए थुम्बा से छोड़े जायेंगे। इस समझौते के अन्तर्गत, सोवियत संघ ध्रुवीयवृत्त पर स्थित अपने केन्द्रों द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े भारत को देगा। समझौते में यह भी व्यवस्था की गई है कि सोवियत संघ आयभागों से युक्त राकेट, राडार तथा अन्य टेलीमीट्रिक उपकरण निर्मूल्य दे तथा भारत अध्ययन के लिये अपनी भूमि का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करे।

(ख) इस कार्यक्रम के लिये थुम्बा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना होगा।

(ग) इस परीक्षण में सोवियत संघ की हाइड्रोमेट्रोलोजीकल सर्विस के (1) डा० जी० आई० गोलिशेव (2) प्रोफेसर एस० एस० गैगेरेब (3) डा० ए० वी० फेडिस्की भाग लेंगे। उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि प्रत्येक पक्ष अपने कर्मचारियों पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा।

(घ) भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा सोवियत संघ में उनकी प्रतिनियुक्ति के विवरण के बारे में निर्णय किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में श्री राज कुमार सोनी को कच्चे माल का कोटा देना

403. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीति के अनुसार 1956-1959 की खपत के आधार पर ही होजरी के लिए कोटे का निपटारा किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री राजकुमार सोनी हिमाचल प्रदेश में लगी होजरी की मशीनों के लिये 18 लाख रुपये के मूल्य का कोटा प्राप्त करते रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने मौके पर जाकर इस मशीन के होने तथा कच्चे माल का उपयोग करने की जांच की है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां, वास्तविक उपयोक्ता होजरी निर्माताओं को ऊन का वितरण करने की सामान्य नीति, अप्रैल, 1956 से अक्तूबर, 1959 तक की अवधि के दौरान ऊनी धागे की वार्षिक औसत खपत पर आधारित है। तथापि इस नीति में ऐसे एककों को, जिन्होंने इस आधारभूत अवधि के दौरान कोई खपत नहीं की एक सीमित मूल्य का आबंटन करने की व्यवस्था है।

(ख) पिछड़े हुए क्षेत्रों में होजरी उद्योग के विकास के उद्देश्य से अक्तूबर, 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि के लिए खान तथा औद्योगिक निगम, हिमाचल प्रदेश को 6,10,000 रु० का आवंटन किया गया था। यह आबंटन 61 फर्मों के लिए 10,000 रु० प्रति फर्म के हिसाब से किया गया था। क्या इस व्यापक आवंटन में से श्री आर० के० सोनी को भी कोई आवंटन किया गया था, इसकी जानकारी उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की जा रही है जिसने वास्तविक आवंटन किया था।

(ग) तथा (घ). जी नहीं, हिमाचल प्रदेश की उपयोक्त 61 फर्मों के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त ने मशीनरी के होने की तथा कच्चे माल के उपयोग की मौके पर जांच करवाई थी। ऐसी कोई जाँच उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा भी की गई थी या नहीं, इसका पता उनसे लगाया जा रहा है।

श्री राजकुमार सोनी द्वारा शक्ति चालित करघे खरीदना

404. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 600 शक्तिचालित करघे हैं ; जिनमें से 150 करघे श्री राजकुमार सोनी ने खरीदे थे और वह भी उस समय जब कि नीति के अनुसार ये करघे कोटे में नहीं दिये जाते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ज्यों ही श्री सोनी ने करघे खरीदे, नीति बदल दी गई तथा उनका कोटा श्री सोनी को दे दिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से बहुत से करघे वास्तव में थे ही नहीं, केवल परमिट ही थे तथा तब से वह सरकारी कर्मचारियों को तंग कर रहा है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह-अयस्क के निर्यात का लक्ष्य

405. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री जि० मो० विस्वास :**

श्री कं हाल्दर : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किये गये लौह अयस्क के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ;

(घ) चालू वर्ष में कितने लौह अयस्क का निर्यात किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या मुख्य पत्तनों पर लौह अयस्क को जहाज में लादने-उतारने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) चौथी योजना के लौह-अयस्क के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उपायों में विभिन्न क्षेत्र आते हैं, अर्थात् रेल खनन तथा पत्तन । रेलवे क्षेत्र में कटक-पारादीप को रेल द्वारा जोड़ने के कार्य को, जिसका निर्माण हो रहा है, पूरा करना और क्षमता में आवश्यक वृद्धि करना, जिसमें अन्य विद्यमान रेलवे लिंकों के रोलिंग स्टाक आते हैं, शामिल हैं। अयस्क उत्पादन क्षेत्र में बेलाडिला में निक्षेप संख्या 5 तथा दोनीमलाई पर नये और बड़ी यंत्रीकृत खानों को चालू करने का कार्य शामिल हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाली खानों में उत्पादन में आवश्यक वृद्धि भी शामिल है ।

(ख) तथा (ग). लौह अयस्क के निर्यात बढ़ रहे हैं । 1968-69 में 90 करोड़ रु० मूल्य के 1.59 करोड़ टन निर्यातों तथा 1967-68 में 79.33 करोड़ रु० मूल्य के 1.414 करोड़ मे० टन निर्यातों की तुलना में, 1969-70 में निर्यात बढ़कर लगभग 100 करोड़ रु० मूल्य के 1.75 करोड़ मे० टन तक हो गये ।

(घ) 1970-71 में 2.3 करोड़ मे० टन के निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की आशा है ।

(ङ) पत्तन पर लादने उतारने की सुविधाओं के सम्बन्ध में, पारादीप में गहरे डुबाव तथा लदान स्थान की सुविधाएं विद्यमान हैं तथा उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही हैं । हल्दिया, मर्मगोआ, मद्रास के बाहरी पत्तन तथा विशाखापत्तनम के बाहरी पत्तन पर भी कार्यक्रम के अनुसार गोदी चालू करने के कार्य तेजी से पूरे किये जा रहे हैं ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

407. श्री हरदयाल देवगुण : श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री बलराज मधोक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री राम सेवक यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में टेलीविजन सैटों का निर्माण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रौनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) तथा (ख). टेलीविजन सैटों के उत्पादन के लिए राजकीय क्षेत्र के उपकरणों से कई एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पोलैण्ड से गन्धक का आयात

408 **श्री जी० वेंकटास्वामी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड ने भारत को गन्धक, जो कि विश्व बाजार में आसानी से नहीं मिलती बेचने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने उसका कितना भाव बताया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जब कि गंधक अन्य देशों से भी उपलब्ध है, पोलैण्ड ने रुपया अदायगी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतियोगिता के आधार पर गंधक देने की पेशकश की है। हाल के वर्ष के दौरान पोलैण्ड से इसके आयात हेतु खनिज व धातु व्यापार निगम ने पहले ही एक संविदा की है। दिये गये मूल्यों के बारे में जानकारी देना खनिज व धातु व्यापार निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

कपड़ा, पटसन तथा रबड़ मिलों का उत्पादन

410. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती कपड़ा मिलों और करघों, रेयन सिल्क मिलों और करघों, स्पिनिंग वर्सटेड यार्न और करघों (ऊनी) पटसन मिलों तथा रबड़ मिलों में पिछले तीन वर्षों में हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1969-70 में सूती कपड़े और पटसन का उत्पादन

411. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 के दौरान सूती कपडे और पटसन का कितना उत्पादन हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : वर्ष 1969-70 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सूती वस्त्र और पटसन का उत्पादन इस प्रकार था :

सूती वस्त्र (करोड़ मीटरों में)		पटसन माल (हजार मे० टन में)				
मिल निर्मित	हथकरघे तथा शक्तिचालित करघे	हैसियन	टाट	कालीन अस्तर वस्त्र	अन्य	योग
419.1	356.1 (अनुमानित)	313.6	382.3	230.0	107.0	1032.9

दिल्ली को स्थल बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) घोषित करना

413. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को स्थल बन्दरगाह घोषित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) दिल्ली को स्थल बन्दरगाह घोषित करने से क्या-क्या लाभ होंगे ;

(ग) विभिन्न विभागों की समिति द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सभावना है ;

(घ) इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली को स्थल बन्दरगाह घोषित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने के प्रश्न पर विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा नियुक्त अन्तर-मंत्रालय कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन मई, 1970 में दिया था। शुष्क पत्तन की शक्यता तथा आर्थिक क्षमता के अतिरिक्त इस बात पर भी ध्यान पूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है कि उसके लिए कितनी वित्त व्यवस्था करनी होगी। सरकार शीघ्रता से रिपोर्ट की जाँच कर रही है। फिर भी इस समय रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के विषय में बताना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला विचाराधीन है।

पंजाब के नकली रेशम उद्योग पर संकट

414. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब का नकली रेशम उद्योग संकटग्रस्त है ;

(ख) पंजाब में इस उद्योग में कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(ग) संकट के परिणामस्वरूप कितने कारखाने बन्द कर दिये गये हैं ;

(घ) इस संकट के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या उद्योग संश्लिस्ट रेशे का मूल्य सांविधिक आधार पर निर्धारित करने और कच्चे माल के नियन्त्रित वितरण की मांग कर रहा है ; और

(च) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। फिर भी अमृतसर में नकली रेशम बुनाई उद्योग में बेकार पड़ी कुछ क्षमता तथा अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग). क्योंकि यह उद्योग प्रधानतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में है, अतः यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) बेकार क्षमता के मुख्य कारण ये हैं कि बुनाई उद्योग नकली रेशम के कपड़े, विशेषतः अफगानिस्तान को, प्रतियोगी मूल्यों पर निर्यात अथवा स्वदेशी बाजार में बिक्री के योग्य वस्त्रों का उत्पादन करने में असमर्थ हैं।

(ङ) जी हाँ, पंजाब में नकली रेशम के बुनकरों की कुछ एसोसिएशनों द्वारा।

(च) इन उद्योगों के मूल्य ढांचों पर टैरिफ आयोग की रिपोर्टों पर निर्णय करते समय सरकार इस मामले पर विचार करेगी। तब तक के लिए विस्कोज फिलामेंट धागा के बुनकरों तथा उत्पादकों के बीच, मूल्य तथा वितरण के सम्बन्ध में अगस्त 1969 में किया गया स्वैच्छिक करार, अभी भी चालू है।

एशियाई व्यापार मेला

415. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में होने वाले एशियाई व्यापार मेले के लिए उनके मंत्रालय ने औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय से सहयोग की मांग की है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कौन कौन से उद्योगों के इस मेले में भाग लेने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

तम्बाकू का निर्यात

416. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में निर्यात किये गये तम्बाकू की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में गुंटूर के तम्बाकू के गोदामों में और तम्बाकू पैदा करने वाले अन्य क्षेत्रों में लाखों टन तम्बाकू जमा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तम्बाकू के निर्यात के लिए लाइसेंसों की संख्या और कोटे को बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो देश में बिना बिके पड़े तम्बाकू के स्टाक को बेचने के लिए क्या योजनायें हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पंचांग वर्ष 1969 के दौरान 33.32 करोड़ रुपये मूल्य के 5.467 करोड़ किग्रा० अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात हुआ।

(ख) केवल घटिया दर्जे के तम्बाकू की थोड़ी सी मात्रा अभी तक गुंटूर क्षेत्र में पड़ी है।

(ग) तम्बाकू के निर्यात के लिए कोई कोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर कितनी ही मात्रा का निर्यात कर सकता है।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ;

चांदनी चौक, दिल्ली में 22 जून, 1970 को प्रधान मन्त्री के भाषण के सम्बन्ध में ली गई कथित सैनिक मदद

417. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस (सत्तारूढ़) द्वारा 22 जून, 1970 को चादनी चौक दिल्ली में आयोजित की गई सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में जिसमें प्रधान मंत्री ने भाषण दिया था, सेना की मदद ली गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह मदद की गई थी और कितनी दी गई थी ;

(ग) क्या अन्य राजनीतिक दलों को भी कभी ऐसी मदद दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस दल को ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश (उत्तर) दिल्ली की प्रार्थना पर दिल्ली क्षेत्र के जनरल कप्तान अफसर ने, असैनिक अधिकरणों द्वारा वांछित उपयुक्त बाड़ लगाने के लिए आवश्यक कर्मचारीगण समेत 6 सेना कम्प्रेसरों का प्रयोद करते 21-6-70 को चांदनी चौक में घंटाघर के निकट सड़क में सुराख लगाने के लिए प्रबन्ध किया था।

(ग) तथा (घ). सहायता स्थानीय असैनिक अधिकरणों की प्रार्थना पर प्राप्य की गई थी, न कि किसी राजनयिक दल की प्रार्थना पर। किसी राजनयिक दल को ऐसी सैनिक सहायता देने का प्रश्न उठता ही नहीं।

भाखड़ा जलाशय में जल स्तर

418. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा जलाशय (गोविन्द सागर) में जल स्तर की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या औद्योगिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली बिजली में अब कटौती करना आवश्यक हो गया है ;

(ग) क्या भाखड़ा प्रबन्ध व्यवस्था दिल्ली को बिजली प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभायेगी : और

(घ) यदि नहीं, तो बिजली की अनुमानित कटौती कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). 26 जुलाई, 1970 को भाखड़ा जलाशय में जल स्तर 1517.22 फुट की ऊंचाई पर था जबकि गत वर्ष यह 1611.39 फुट पर था। जलाशय में पानी की कम मात्रा पड़ने के कारण और सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली पानी के भरने की अवधि के दौरान जल स्तर को पूरा करने के लिए भागीदार राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) और सामान्य निकाय उपभोक्ताओं (नंगल फर्टिलाइजर तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान) से प्रार्थना की गई है कि वे भाखड़ा प्रणाली से कम बिजली लें। दल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान को जितनी बिजली वह भाखड़ा प्रणाली से लेता है उससे 2.5 लाख यूनिट अधिक बिजली वापिस देनी होती है। 5 जुलाई, 970 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने भाखड़ा प्रणाली से 11 1 लाख यूनिट बिजली ली और भाखड़ा प्रणाली को 13.3 लाख यूनिट बिजली वापिस दी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा है कि वह भाखडा प्रणाली को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करे ताकि भाखड़ा प्रणाली में हर रोज 2.5 लाख अतिरिक्त यूनिट बिजली दी जा सके। यदि दिल्ली विद्यत प्रदाय संस्थान इस मात्रा में सहायता देता है, तो भाखड़ा द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दी जाने वाली बिजली में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

ब्रिटेन को चाय, पटसन तथा कपड़े का निर्यात

419. **श्री श्री चन्द गोयल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को चाय तथा पटसन के होने वाले निर्यात के मूल्य में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या ब्रिटेन भारतीय कपड़े के आयात में कमी करने पर भी विचार कर रहा है और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1968 की तुलना में वर्ष 1969 में ब्रिटेन को किये गये चाय के निर्यातों में

इन कारणों से गिरावट हुई है। लन्दन में चाय के भण्डारों का भारी मात्रा में एकत्र होना और खरीददारों की मांग कम होना, लन्दन को चाय के प्रत्यक्ष पोत-लदान की मात्रा की कमी उसके बाद वहां से अलाभकर मूल्यों का मिलना और भारत में कम फसल होने के कारण चाय की निर्यात योग्य किस्म में कमी हुई है। स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने, वर्ष 1970-71 के केन्द्रीय बजट में पर्याप्त वित्तीय सहायता मंजूर की है।

ब्रिटेन को पटसन माल के निर्यातों में गिरावट आने का प्रमुख कारण पाकिस्तान तथा संश्लिष्टों से प्रतियोगता तथा वर्ष 1969-70 में पटसन माल के ऊंचे मूल्य हैं। पटसन माल के निर्यात में सामान्यत: गिरावट आती रही है और इस मामले पर सतत् रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) ब्रिटेन सरकार ने, राष्ट्रमण्डलीय देशों से आयातित सूची वस्त्रों पर 1-1-1972 से 15 प्रतिशत शुल्क लगाने और साथ-साथ कोटा प्रणाली, जिसके अन्तर्गत इस समय सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है, को हटाने का विनिश्चय किया है।

(घ) ब्रिटेन की सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श चलता रहता है और शुल्क लगाने पर हमारे विरोध के विषय में उनको बताया जा चुका है।

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य (पूर्व जर्मनी) के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध

420. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री क० लक्प्पा
श्री ए० श्रीधरन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वेदव्रत बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री य० म्र० प्रसाद .
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्व जर्मनी के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधान मंत्री ने कोई अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो किये गये प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है और इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ भारत के संबंध के स्तर के संबंध में निरन्तर विचार किया जाता है और जब कभी कोई निर्णय किया जाता है, सरकार उसकी घोषणा कर देती है।

(ख) और (ग). जर्मन जनवादी गणराज्य के प्रधान मंत्री ने हाल में भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के सम्बन्धों के बारे में सामान्य रूप से भारत के प्रधान मंत्री को लिखा है।

पाकिस्तान तथा रूस के बीच जून, 1970 में हुई बातचीत

421. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस और पाकिस्तान के बीच जून, 1970 में बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी बातचीत में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) सोवियत-पाकिस्तानी वार्ता के बाद जो संयुक्त विज्ञाप्त जारी की गई थी उसमें यह कहा गया है कि सोवियत पक्ष ने अपनी यह दृढ़ धारणा व्यक्त की कि भारत-पाक प्रश्न ताशकंद घोषणा में निहित भावना के साथ द्विपक्षीय वार्ता' से हल किये जाने चाहिए । यह इस विषय में भारत सरकार के ज्ञात विचारों के अनुरूप ही है ।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अल्जीरिया की यात्रा

422. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जून, 1970 में अल्जीरिया की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). अलजीरिया की सरकार के एक पुराने निमन्त्रण के उत्तर में भूतपूर्व रक्षा मन्त्री (वर्तमान मन्त्री वैदेशिक कार्य) सरदार स्वर्ण सिंह ने अलजीरिया का 27 मई से 2 जून 1970 तक भ्रमण किया था । भ्रमण सद्भावना भ्रमण के तौर पर था । अलजीरिया में अपने भ्रमण के दौरान भूतपूर्व रक्षा मन्त्री ने कई संस्थानों का भ्रमण किया और परस्पर हित के मामलों पर अलजीरियाई प्राधिकरणों से विचार-विमर्श किया था ।

परमाणु शस्त्रों की लागत का अध्ययन करने के लिये विशेष समिति की नियुक्ति

423. **श्री राम चरण** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री क० प्र० सिंह देव**
श्री देवेन सेन : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी **श्री राम किशन गुप्त**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**
श्री शिव चरण लाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हथियारों के मामले में भी भारत के एक परमाणु राष्ट्र बनने के

प्रौद्योगिकी तथा लागत सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने मई 1970 के मध्य में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर वियतनाम में महावाणिज्य दूत का दर्जा बढ़ाने के बारे में दक्षिण वियतनाम के भारतीय व्यापारी शिष्टमण्डल के विचार

424. **श्री राम चरण :**
श्री क० लकप्पा :
श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री इसहाक सामली :
श्री रामावतार शास्त्री
डा० रानेन सेन :
श्री श्रीगोपाल साबू
श्री जनार्दनन :
श्री शिव चरण लाल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान .
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री शारदा नन्द :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम से हाल में जो भारतीय व्यापारियों का शिष्टमण्डल भारत आया था, उन्होंने उत्तर वियतनाम के महावाणिज्य दूतावास को दूतावास का दर्जा देने के भारत के विचार से सख्त नाराजगी व्यक्त की और सरकार से अनुरोध किया कि इस मामले में दक्षिण और उत्तर वियतनाम को बराबर माना जाए ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दक्षिण वियतनाम के भारतीय व्यापारियों का एक दल विदेश मंत्री तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। उन लोगों ने सुझाव दिया कि उत्तर वियतनाम से संबंध स्तर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव समान रूप से दक्षिण वियतनाम पर भी लागू होना चाहिए ।

(ख) कोई भी निर्णय लेने के पहले दक्षिण वियतनाम में भारतीयों के हित तथा प्रतिनिधिमंडल के विचार को उचित महत्व दिया जायेगा ।

आश्वासन का उल्लंघन करते हुये पाकिस्तान के लिये रूसी हथियार

425. **श्री राम चरण :** **श्री शिव चरण लाल :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई के महीने रूस की यात्रा पर गये भारतीय प्रतिनिधिमडल ने रूस सरकार से आश्वासन की मांग की थी कि वह पाकिस्तान को 1967 और 1968 में किये गये वायदों से अतिरिक्त हथियार नहीं देगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को हथियार देने के प्रश्न को सोवियत पक्ष के साथ उठाया था।

(ख) सोवियत प्राधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचता हो।

यूगोस्लाविया में रुके हुए ब्रिटिश पास पोर्टधारी भारतीय

426. **श्री राम चरण :** **श्री श्री गोपाल साबू :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री शिव चरण लाल :**
श्री क० लकप्पा : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लगभग 100 भारतीय मूल के व्यक्ति, जिनके पास ब्रिटेन के पार पत्र हैं ; बेलग्रेड युगोस्लाविया में रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोका जा रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है ; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ; और

(घ) इस समय उन व्यक्तियों की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) तथा (घ). जून 1970 में भारतीय मूल के 96 व्यक्तियों को, जिन्हें उगाण्डा से ब्रिटिश पासपोर्ट जारी किया गया था और जिन्हें इंगलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, बेलग्रेड, जहां से वे पहले बुलाए गये थे, वापस भेज दिये गय थ। करीब 10 दिन वहां रहने के बाद उन्हें ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर हमेशा इस बात के लिए जोर दिया है कि अपने राष्ट्रकों के लिए व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वे किसी भी जाति और रंग के हों।

बंगलौर के लिये बुक किये गये विस्फोटकों का मालगाड़ी से लूटा जाना

427. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के लिए बुक की गयी विस्फोटकों की 300 पेटियों में से, जो दक्षिण जा रही माल गाड़ी में दक्षिण पूर्व रेलवे के गोमिया स्टेशन पर लादी गई थी एक बड़ी संख्या में पेटियों को अदरा और इन्द्रबिल स्टेशनों के बीच लगभग 270 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक कर लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो लूटे गये विस्फोटकों की पेटियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या विस्फोटकों की सुरक्षा के लिए गाड़ी के साथ सैनिक अभिरक्षक थे ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि पहले भी कई बार गाड़ी रोककर सैनिक सामान लूटा जा चुका है ; और

(ङ) यदि अभिरक्षक थे तो दूसरे क्या कारण हैं कि वे विस्फोटकों की पेटियों वाले माल डिब्बों को तोड़ कर खोलने वाले तथा उनको लूटने वालों तथा ले जाने वाले बदमाशों को ऐसा करने से नहीं रोक सके ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) बंगलौर के लिए भेजे गये दक्षिण-पूर्वी रेलवे के गोमिया स्टेशन से लदे हुए सैनिक विस्फोटों के सामान के लूटे जाने का इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं है।

(ख) से (ङ). उपरोक्त (क) से समक्ष प्रश्न नहीं उठते।

Officers Working in Various Departments of Ministry of Defence on Posts Carrying Extra Gains for more than 3 Years

428. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1513 on the 4th March, 1970 and state :

(a) whether the requisite information regarding officers working in various Departments of Ministry of Defeace on posts carrying extra gains for more than 3 years has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) to (c). Yes, Sir. The category-wise number of officers in the Departments of the Ministry of Defence working in posts carrying extra gains for more than 3 years is as follows :

(1) Parliament Assistant	...	1
(2) Compiler Army List	...	1

(3) Veri-typer	...	1
(4) Cashiers	...	2

2. D O. letter No, 11/3/57– O & M dated the 6th September 1957 which had been issued by O & M Division of the Cabinet Secretariat does not specifically refer to rotation of staff in posts carrying extra gains. Instructions in regard to rotation of staff for a period not exceeding 3 years appointed to posts which carry financial benefit are contained in Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 21/31/63-CS(A) dated 24.12.1963. These instructions are advisory in nature and allowed discretion to Ministries to continue incumbents in the interest of efficiency of work so long as considered necessary.

3. The question of rotation of the officers employed for more than 3 years in the posts indicated in para 1 above will be considered in the light of these instructions.

Officers Working for Three Years in the Same Posts Carrying Extra Gains in the Departments under P.M.

429. **Shri Molahu Prashad :** Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1512 on the 4th March, 1970 regarding officers working for three years on the same posts carrying extra gains in the Departments under the Prime Minister and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is contained in the statement placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3751/70].

(c) Does not arise.

Indian Soldiers, Sailors and Armies, Board

430. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 542 on the 25th February, 1970 and state :

(a) whether the relevant information regarding the Indian Soldiers, Sailors and Armies, Board has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) to (c). Information has been collected and is given in the statement placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3752/70.

Functioning of Friends of Israel Society Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society

431. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7113 on the 22nd April, 1970 regarding functioning of Friends of Israel Society, Sanskrit and Hebrew Society and Servant of God Society and state :

(a) whether the required information has since been collected :

(b) if so, the details thereof : and

(c) if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c . The information is still being collected from the State Governments.

भूटान में चीनी अतिक्रमण

432. श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री नाथ पाई :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री राम सेवक यादव
श्री स० कुण्डू :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के महीने में चीनी सेनाओं ने भूटान में अतिक्रमण किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चीनी घुसपठ को रोकने के लिए भूटान सरकार की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1,17 और 20 तई, 1970 को हल्के हथियारों तथा प्रेक्षण उपकरणों से लैस चीन दल भूटान प्रदेश में काफी भीतर पंकाला और चोरटन क्षेत्रों में देखे गए थे । ये दल कुछ घण्टों के लिए भूटान में ठहरे और बाद में जब भूटान के सीमा गश्ती दलों ने उनसे पीछे हट जाने के लिए कहा तब वे वहां से हटे ।

(घ) भूटान सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने चीन के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास के माध्यम से चीन सरकार से विरोध प्रकट किया है ।

सिंहानुक की विस्थापित सरकार के वैदेशिक कार्य मन्त्री का पारपत्र

433. श्री क० लकप्पा :
श्री हेम बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंहातुक की विस्थापित सरकार के विदेश मंत्री का पारपत्र किस प्रकार का था ;

(ख) किस देश से भारतीय दूतावास ने उन्हें बीजा प्रदान किया है ; और

(ग) बीजा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) उनके पास एक पासपोर्ट था जो कम्बोडिया की शाही सरकार द्वारा जारी किया गया था ।

(ख) बीजा भारत का राजदूतावास, पीकिंग द्वारा जारी किया गया था ।

(ग) उन्होंने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्यों से मिलने के लिए दिल्ली आने की इच्छा प्रकट की थी ; यह सम्मेलन उन दिनों दिल्ली में हो रहा था ।

कम्बोडिया में फोटोग्राफर श्री रमणीक लेखी की मृत्यु

434. श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आश्वस्त है कि एक अमरीकी प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) कम्पनी में काम कर रहे एक भारतीय समाचार फोटोग्राफर श्री रमणीक लेखी की कम्बोडिया में मृत्यु हो गई है।

(ख) यदि हां, तो सरकार का निष्कर्ष किस सूचना पर आधारित हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है, जिनमें श्री लेखी को कम्बोडिया में तैनात किया गया था; और

(घ) क्या हिन्द चीन के युद्ध क्षेत्रों में इसी प्रकार की एजेन्सियों में कोई अन्य भारतीय नागरिक भी कार्य कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) जी हां।

(ख) नोम पेन्ह स्थित भारतीय राजदूतावास तथा कम्बोडियाई प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

(ग) जी हां, कम्बोडिया की घटनाओं पर खबर देने के लिए, कोलम्बिया ब्रोडकास्टिंग सिस्टम के नियोजकों ने उन्हें नियुक्त किया था।

(घ) इस समय जर्मन टेलीविजन (एन डी आर) के अमले में सिर्फ एक भारतीय है जिसका नाम श्री एस० के० चौधरी है।

श्री आर० के० सोनी द्वारा लाइसेन्सों का दुरुपयोग

435. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लुधियाना की (1) कुमार वूलन मिल्स (2) बेदी वूलन मिल्स, (3) आर० के० वूल एण्ड एलाइड इडस्ट्रीज, (4) के०एस०आर० वूलन मिल्स और (5) कबीर वूलन मिल्स से सम्बन्धित श्री आर० के० सोनी द्वारा लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो श्री सोनी और उनकी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). शिकायत के सम्बन्ध में अभी पूछताछ की जा रही है।

नेपाल में चीनी ट्रान्समीटर की स्थापना

436. **जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में प्रचार (प्रोपेगन्डा) प्रसारणों में तीव्रता लाने के लिए चीन नेपाल के वीराटनगर में एक शक्तिशाली ट्रान्समीटर की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर नेपाली सरकार से चर्चा की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री : (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) समाचार पत्र की खबर में यह कहा गया था कि "विश्वस्त सूत्रों के अनुसार" चीन विराटनगर में बड़ी शक्ति का एक प्रेषित ट्रान्समीटर स्थापित करने का विचार कर रहा है। नेपाल सरकार के सूचना विभाग ने एक प्रेस-नोट जारी किया जिसमें इस खबर का खण्डन किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते।

Enquiry into the Working of American International School

437. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Commission appointed to go into the working of the American International School being run by the American Embassy in Delhi has submitted its report to Government ; and

(b) if so, findings thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No Commission has been appointed for this purpose.

(b) Does not arise.

Different Items Undertaken for State Trading

438. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the items which have been taken over for State Trading ; and

(b) the details of profit or loss incurred to Government from each item during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) A list of items whose import or export has been canalised through State agencies is attached. [*Placed in Library. See* No. LT – 3753/70].

(b) No profit or loss is incurred by Government on import or export of these items.

Profit Earned by the State Trading Corporation on Sale of Cars

439. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that State Trading Corporation earns the maximum profit from the sale of cars purchased from various embassies ;

(b) if so, its percentage in relation to the total profit being earned by the State Trading Corporation ; and

(c) the percentage of profit generally made from the sale of old cars purchased from the Embassies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) STC earns some profit on sale of cars purchased by them from various Embassies and other persons.

(b) 6.35%.

(c) The profit was 32.12% in 1968-69 and 36.86% in 1969-70.

Effect of Floods in Narmada

440. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of dams damaged as a result of floods in Narmada in September, 1969 ;

(b) the total estimated loss as a result of these floods ;

(c) the total loss assessed by the Central Team which was sent for this purpose ; and

(d) the assistance being given by Government to compensate this loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There are no storage resorvoirs or detention dams on the Narmada and as such the question of damage to the dams as a result of September, 1969 floods does not arise.

(b) No separate figures are available for damages due to floods in the Narmada Basin. However, the Government of Gujarat have reported that total damages due to floods in 1969 in the State were to the extent of Rs. 29.11 lakhs. The loss on account of floods in Narmada has been estimated at about Rs. 66 lakhs.

(c) According to the report of the Central Team, 16 human lives and 39 cattle were lost during the floods of August-September, 1969 in Gujarat A total of 3,712 houses had been reported as collapsed or damaged. Over 8',000 acres of crops were also damaged.

(d) No Central assistance is given by the Government of India to compensate for the loss arising out of the floods. However financial assistance is given towards expenditure on relief and rehabilitation measures etc. taken up in the wake of floods. In the light of the recommendations of the Central Team, a ceiling of expenditure of Rs 1.25 crores was accepted for purposes of Central assistance in 1969-70. A loan of Rs 70 lakhs has so far been sanctioned by the Ministry of Finance for flood relief expenditure during 1969-70. The details of actual expenditure figures are still awaited on the basis of which the question of further assistance will be considered.

Establishment of Pilot Rural Electric Cooperatives

441. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Pilot Rural Electric Cooperatives have been established in five states such as Mysore, Maharashtra and Gujarat etc ;

(b) if so, the achievements of these cooperatives ;

(c) whether these cooperatives are successfully working ; and

(d) if so, whether such an arrangement would be made in other States also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Five Pilot Rural Electric Co-operatives have been established one each in the States of Mysore, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh.

(b) to (d) All the five Co-operatives have been recently registered during July/ October, 1969. The rural Electrification Corporation has sanctioned pre-construction loans of Rs. 1 lakh each to these five Cooperatives in January, 1970. The project reports of the Co-operative Societies have been scrutinised by the Rural Electrification Corporation and project loans for these five Co-op ratives have been sanctioned by the Rural Electrification Corporation in May/June, 1970 Project loans sanctioned would be released to the Societies over a period of 5 years in accordance with the phased programmes prepared by the Co-oreratives Societies As these 5 Co-operative have recently begun functioning, it is not possible to assess their achievements at this stage. The financing and establishment of rural electric co-operatives in other States by the Rural Electrification Corporation would be considered after assessing the results of the working of the five Pilot Rural Electric Co-operatives.

ब्रिटेन में भारतीयों के विरुद्ध जाति भेद का बर्ताव

442. **श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के पारपत्र धारी एवं ब्रिटेन में प्रवेश करने की अनुमति माँगने वाले, भारतीयों के विरुद्ध जाति भेद का जो बर्ताव किया जाता है, उसका विरोध किया है और ब्रिटेन की सरकार को जोरदार शब्दों में यह बताया है कि उक्त बर्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और माननीय अधिकारों की घोषणा का उल्लंघन करता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन में स्थित भारतीयों के विरुद्ध राष्ट्रमंडल आप्रवासीय कानून के पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर हमेशा इस बात के लिए जोर दिया है कि अपने राष्ट्रिकों के लिए व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है और 1968 का राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम जो पूर्वी अफ्रीका के भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्ट धारी को यु०के० आने पर प्रतिबंध लगाता है यू० के० के नागरिक के रूप में इन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उनके प्रति जातीय भेद भाव के बराबर ही है ।

(ख) : जांच पड़ताल करने से इस प्रकार का कोई विशेष उदाहरण नहीं मिला है ।

दिल्ली में बिजली का बार-बार बन्द होना

443. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में बिजली के बार बार बन्द होने के कारणों का पता लगाया है;

(ख) क्या करोड़ों रुपये के मूल्य की चीजों का उपयोग नहीं किया गया है, यद्यपि लगा-

तार बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए नये बिजली घरों के निर्माण के लिए इन चीजो के उपयोग का आदेश दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या बाधायें उपस्थित हुई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, 1969 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने दिल्ली बिजली सप्लाई प्रणाली में बिजली फेल होने के कारणों का विश्लेषण किया था। विश्लेषण से मालूम हुआ था कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की प्रणाली में मुख्यतः खराबियों के ये कारण थे—ढीले कनेक्शन, बाह्य पदार्थों से उत्पन्न लघु परिपथ, पक्षियों द्वारा व्यतिकरण, केबलों और केबल जोड़ों में खराबी तथा इन्सूलेटरों की खराबी। दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा प्रणाली को ठीक करने तथा बढ़ाने के लिए तथा बिजली की खराबियों को कम करने के लिए अपनाए गए कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) अविछिन्न और अधिक विश्वसनीय सेवा को सुनिश्चित करने के लिए शीर्षोपरि पोषक लाइनों को यथासंभव भूमिगत पोषक लाइनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(2) जहां तक संभव है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विद्युत के दोहरे साधनों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(3) बिजली के दोषों की विविक्ति के लिए ग्रामीणों फीडरों को शहरी फीडरों से अलग किया गया है।

(4) नये स्विच केंद्र प्रतिष्ठापित किया जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान विभिन्न उत्पादन साधनों से राजधानी की आवश्यकतों के भार को पूरा करने की स्थिति में हैं। इन्द्रप्रथ विद्युत केन्द्र की पांचवी यूनिट 55 मैगावाट के लिए उपस्करों के आदेशों दे दिये गये हैं और प्रष्ठापित किये जा रहे हैं। इस वर्ष की समाप्ति से पहले इस यूनिट का चालू होना अनुसूचित है।

सिंहानुक द्वारा मुक्ति संघर्ष में भारत से सहायता की अपील

444. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री हि० ना० मुखर्जी :
श्री सरजू पांडे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० की० अमीन
श्री गु० च० नायक :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री धी० ना० देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया के निष्कासित नरोत्तम सिंहानुक ने भारत से कम्बोडिया में शांति की स्थापना करने और मुक्ति संघर्ष में सहायता देने की प्रार्थना की है; और

(ख) : यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 4 और 11 मई 1970 को सदन में दिये गये वक्तव्य में भारत सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है।

उत्तरी वियतनाम के साथ राजनयिक संबंध

145. श्री न० कु० सांघी : श्री रा० की० अमीन :
श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री धी० ना० देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 5 मई 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित उस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तरी वियतनाम को राजनयिक मान्यता प्रदान करने संबंधी अपने पुराने प्रस्ताव पर सरकार फिर से विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रकार की कार्यवाही वर्तमान स्थिति को बनाए रखने वाला कोई भी कदम न उठाने की भारत की सर्वविदित नीति में परिवर्तन की द्योतक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : भारत सरकार का ध्यान इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है। सदन में 18 मार्च, 1970 को आधे घण्टे की बहस के दौरान जो बात कही गई थी, वही स्थिति रहती है।

मैडम बिन्ह वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार की विदेश मंत्री की भारत यात्रा

446. श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री नंद कुमार सोमानी : श्री रा० की० अमीन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री बलराज मधोक : श्री जय सिंह :
श्री म० ला० सोंधी : श्री धी० ना० देव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मैडम बिन्ह, वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार की विदेश मंत्री को सरकारी निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने जुलाई, 1970 में भारत की यात्रा की थी।

(ख) क्या मैडम बिन्ह की इस यात्रा के विरुद्ध दक्षिण वियतनाम के विदेश मंत्री श्री लाम ने भारत से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कम्बोडिया के मामले पर विचार करने के लिए जाकार्ता सम्मेलन

447. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री नंद कुमार सोमानी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री घो० ना० देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या हाल में कम्बोडिया के मामलों पर विचार करने के लिए जाकार्ता में कुछ एशियाई देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उस सम्मेलन में भाग लेने से इंकार किया था ;

(ग) क्या इंडोनेशिया के वैदेशिक कार्य मंत्री तथा कुछ अन्य मन्त्रियों ने कम्बोडिया के मामलों में भारत की निष्क्रियता की आलोचना की है; और

(घ) भारत सरकार की तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है है कि इसमें सम्मिलित न होना ही अच्छा होगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार का रवैया इंडोनेशिया को, तथा सम्मेलन में आमंत्रित अन्य देशों को समझा दिया गया था। उनमें से कुछ ने तो यह विचार व्यक्त किया है कि भारत की उपस्थिति सहायक सिद्ध होती वैसे उन सभी ने यह कहा है कि वे हमारे रवैये को पूरी तरह समझते हैं।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ

448. **श्री देवन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ की प्रबन्ध परिषद् के दो सदस्यों ने कुप्रबन्ध आदि और कार्यकारी निदेशक अनुचित व्यवहार के कारण पद से त्यागपत्र दे दिये हैं, यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ख) क्या एम्पोरियम के कार्य में सधार करने के लिए उसके कार्य की एक गैर-सरकार प्रबन्ध सलाहकार से जांच कराना नियमाकूल था;

(ग) क्या इसके लिए सरकार से स्वीकृति ले ली गई थी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1969-70 में कुटीर उद्योग एम्पोरियम, नई दिल्ली को कितनी बिक्री हुई और उसने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संघ को एक निर्यात गृह के रूप में मान्यता दी है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ की प्रबंध परिषद् के दो सदस्यों द्वारा दिये गये त्यागपत्र सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) प्रबंध परिषद् ने केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ की क्रय विधियों में सुधार करने हेतु उन्हें सलाह देने के लिए एक प्रबंध सलाहकार की सेवायें प्राप्त की थीं । ये सेवायें प्राप्त करने के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था ।

(घ) 1969-70 में केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ की कुल बिक्री 220.85 लाख रुपये की हुई थी, जिसमें 39.95 लाख रु० विदेशी मुद्रा की आय शामिल है ।

(ङ) जी हां । केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ को निर्यात सदन के रूप में 2 मार्च, 1970 से मान्यता दे दी गई है । यह मान्यता प्रारम्भ में निम्नांकित वस्तु-वगा के लिए वैध हैं :—

हैंडबैग, जूते, तैयार परिधान, हाथ से छपे वस्त्र, मेज लिनन आदि ।

भारत में साम्प्रदायिक दंगे के बारे में पाकिस्तान द्वारा विदेशों में प्रचार

449. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस देश में हाल के साम्प्रदायिक दंगों के आधार पर पाकिस्तान की विश्व भर में भारत विरोधी प्रचार आरम्भ करने की योजनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान ने भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने हेतु अनेक देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं ;

(ग) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आयी है कि पाकिस्तान इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की कोशिश कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ग) पाकिस्तान ने आर्थिक सामाजिक परिषद् की सामाजिक समिति में इसे उठाने का

प्रयत्न किया और उनके स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित सभी मिशनों को दो पत्र प्रचारित किए ।

(घ) पाकिस्तान द्वारा इस मामले से राजनीतिक फायदा उठाने के प्रयास की सरकार निन्दा करती है । सरकार ने पाकिस्तान की इन कार्यवाइयों का प्रतिकार करने के लिए उचित कदम भी उठाये हैं ।

बादशाह खां की पाकिस्तान को भारत के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की कथित सलाह

450. श्री देविन्दर सिंह गार्चा
श्री जगेश्वर यादव :
श्री वि० नरसिम्हा राव
श्री दण्डपाणि :
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री जो० वेंकटस्वामी :
श्री मयावन :
श्री बे० कृ० दास चौधरी
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ग्रदिचन :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हेमराज :
श्री कोलाई बिरुग्रा :
श्री समिनाथन
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री नारायणन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने यह कथित वक्तव्य दिया है कि भारत में फिर से साम्प्रदायिक दंगों के भड़कने के विरोध में पाकिस्तान को भारत से राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए और कि पाकिस्तान प्रेस इन्टरनेशनल के साथ इन्टरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को कथित सलाह दी है कि वह अन्य मुस्लिम देशों के सहयोग से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार के वास्तविक आधार को जानने के लिए कोई कार्यवाई की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) काबुल स्थित हमारे राजदूत को इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा गया था । उन्होंने इसे पूर्णत: मनगढ़न्त पाया । इस क्रम में खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपने हस्ताक्षर से इस आशय का लिखित वक्तव्य जारी किया कि उन्होंने पाकिस्तान प्रेस

इन्टरनेशनल के किसी प्रतिनिधि को कोई इन्टरव्यू नहीं दिया, न ही उन्होंने ऐसी कोई विज्ञप्ति ही जारी की है।

पाकिस्तान में चुनावों को लड़ने के लिए राजनैतिक दल को कथित भारतीय धन

451. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्रीमती शारदा मुखर्जी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी समाचार पत्रों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम से प्रकाशित उस वक्तव्य के बारे में भारत ने पाकिस्तान से तीव्र विरोध प्रकट किया है जिसमें उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि वह आने वाले पाकिस्तानी चुनाओं में भाग लेने वाले राजनैतिक दलों को धन से सहायता कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार पाकिस्तान सरकार से बराबर यह आग्रह करती रहेगी कि वह इस तरह का शत्रुतापूर्ण तथा गलत प्रचार बंद करवाए।

इस्पात के निर्यात में कठिनाई

452. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को निर्यात के प्रयोजन के लिये इस्पात प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय ने खेद व्यक्त किया है कि वह देश की मंडियों में इस्पात की भारी मांग होने के कारण निर्यात के प्रयोजन के लिये इस्पात उपलब्ध नहीं कर सकेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार कुवेत, फारस की खाड़ी, ईराक और

ईरान को, जहां कुछ उद्योग मुख्यतया भारत के निर्यात पर निर्भर हैं, इस्पात का निर्यात करने पर बचनबद्ध है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का उक्त बचनों को कैसे पूरा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय इस्पात के निर्यात, वर्ष 1968-69 में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे जबकि देश में फालतू माल था और साथ ही विश्व की मांग में वृद्धि हो रही थी। अब स्वदेशी मांग बढ़ गई है और विश्व भर में कमी चल रही है, और इस लिये विद्यमान आदेशों के अनुसार निर्यात मांग तथा तथा स्वदेशी मांग में कुछ सन्तुलन करना होता है।

(ग) आन्तरिक मांग तथा निर्यात मांग दोनों को पूरा करने के लिए, इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय इस्पात उपलब्ध कराने का पूरा यत्न कर रहा है।

(घ) अनेक निर्यातकों ने विदेशों से क्रयादेश प्राप्त किये हैं। व्यापार वार्ताओं तथा अन्य वार्ताओं के दौरान विभिन देशों की सरकारों से भी मांग आदेश प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार निर्यात हेतु विशेष रूप से माल की निकासी कर रही है और आशा है कि भारी मांग के कम से कम कुछ भाग को तो इस निकासी से पूरा किया जा सकता है।

आयुध उत्पादन बोर्ड का स्थापना

453. **श्री नम्बियार** :
डा० सुशीला नैयर :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री मयावन :
श्री राम किशन गुप्ता :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री सामिनाथन
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री नारायणन् :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री भगवान दास :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री दण्डपाणि :

क्या प्रति रक्षा मंत्री 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 434 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के विभिन्न उत्पादन संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये एक आयुध उत्पादन बोर्ड स्थापित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्र० चं० सेठी) : (क) जी अभी नहीं। परन्तु प्रस्ताव विचार का परिपक्व स्थिति में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'स्किन हैड्स' द्वारा इंगलैंड में भारतीयों पर आक्रमण किया जाना

454. **श्री नम्बियार :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री के० रमानी : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंगलैंड में 'स्किन हैड्स' ब्रिटिश युवकों द्वारा भारतीयों तथा अन्य एशियाई आप्रवासियों पर आक्रमण किये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने आप्रवासियों पर आक्रमण के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार इससे अवगत है कि युवकों के गिरोह, जो अपने को 'स्किन हैड्स' कहते हैं, लंदन के कुछ भागों में सक्रिय है तथा वे वहां के एशियाई व्यक्तियों के लिए खतरनाक हैं।

(ख) से (घ). इस बारे में लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों के सम्पर्क में है और उनपर बराबर इस बात का जोर दे रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीयों की हिफाजत और सुरक्षा का सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।

भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

455. **श्री नम्बियार :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशनों के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि उनकी संख्या अधिक समझी जाती है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मिशनों के नाम क्या हैं जिन पर उसका असर पड़ेगा ; और

(ग) प्रस्तावित पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). विदेश स्थित भारतीय मिशनों में अमले को युक्तियुक्त बनाने और उसका पुनर्विनियोजन करने पर निरन्तर विचार होता रहता है। सरकार इस ओर पूरी तरह सजग है कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कार्यभार के अनुरूप और उसे दक्षतापूर्वक निपटाने की जरूरतों के अनुरूप कर्मचारियों को रखना जरूरी है, और साथ ही उसके आर्थिक पक्ष पर ध्यान रखना भी। विदेश सेवा निरीक्षक,

जिनमें विदेश मंत्रालय का एक अपर सचिव तथा वित्त मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, भारतीय मिशनों का सावधिक निरीक्षण करते रहते हैं और इस तरह के निरीक्षकों का यह क्रम बराबर चलता रहता है। ये निरीक्षक मौके पर अध्ययन करने के बाद अमले के स्वरूप के विषय में और किफायतें लागू करने के विषय में सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त, हर वित्तीय वर्ष के अन्त में मंत्रालय द्वारा पदों को बनाये रखने की स्वीकृति का प्रश्न उठाया जाता है तब भी उनकी एक बार फिर समीक्षा की जाती है।

लन्दन, वाशिंगटन और काठमांडू स्थित हमारे मिशनों में अभी हाल ही में अमले में कतिपय कमी की गई है। निरीक्षकों ने अभी हाल ही में नैरोबी, योगादिशू, दारेस्सलाम, लुसाका, ब्लैंटायर, कम्पाला, कोनाक्री, डक्कर, बुआनोस आइरेस, रियो-द-जनेरियो, सांतियागो, लीमा, हवाना और सान फ्रांसिसको का दौरा किया था तथा उनकी सिफारिशों पर अमल की दृष्टि से शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

निर्यात में वृद्धि

456. **श्री दे० अमात** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु वास्तव में निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत दर से भी बहुत कम वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 7 प्रतिशत वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) 1969-70 और 1970-71 की पहली तिमाही के दौरान निर्यात में वृद्ध का वास्तविक दर क्या थी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1969-70 में निर्यातों की वास्तविक वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत थी। निर्यातों की वृद्धि दर अप्रैल, 1970 में 2.6 प्रतिशत और मई, 1970 में 8.2 प्रतिशत थी तथा अप्रैल-मई, 1970-71 की सम्मिलित वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत है। वर्ष 1970-71 की पहली तिमाही के अन्तिम मास अर्थात् जून के निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3754/70।]

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की निवृत्ति आयु

457. **श्री दे० अमात** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की निवृत्ति आयु में संशोधन करने और उसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महोडा) : (क) जी हां ; जहां तक सेना सेविवर्ग और नौसेना सेविवर्ग का सम्बन्ध है ।

(ख) (1) 1-1-1970 से कवचित कोर इन्फेंट्री तोफखाना, इंजीनियर और सिग्नल्ज के (समय मान द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त होने वाले अफसरों को छोडकर) लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के सेना अफसर अब कम से कम 50 वर्ष की सेवा करने के अधिकारी हैं, जबकि पहले उनकी सेवा विमुक्ति की आयु 48 वर्ष थी ।

(2) 25-4-1970 से गृहचरी कोर के अफसर 55 वर्ष की आयु तक रखे जा सकते हैं अगर वह चिकित्सक योग्यता और दक्षिता के सम्बन्ध में कई कसौटियों पर पूरे उतरें, जबकि उनकी साधारण कम से कम अनिवार्य सेवा विमुक्ति की आयु 52 वर्ष होगी ।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों को योग्यता प्रमाण-पत्र देना

458. **श्री दे० अमात** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों को पुरस्कार और योग्यता प्रमाण-पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में किन-किन उद्योगों को पदक दिये गये ; और

(ग) इन पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता से एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स और अन्य होटलों को वंचित किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1966 से मार्च, 1968 तक की अवधि में उत्कृष्ट निर्यात-निष्पादन के लिए सरकार ने फर्मों को, जिसमें एक बैंक भी शामिल है, 9 पुरस्कार (चलवैजन्ती के रूप में) तथा 23 श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र दिये हैं।

(ख) पुरस्कार तथा श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र जीतने वालों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3755/70 ।]

(ग) ये पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र उन फर्मों, संगठनों तथा संस्थानों और व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए आरम्भ किये गये हैं जिन्होंने निर्यात व्यापार के विस्तार में विशिष्ट योगदान दिया है अथवा निर्यात व्यापार के विस्तार से प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की हैं । एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा होटल जैसे संस्थान जो अपनी सेवाओं द्वारा केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि इन पुरस्कारों को देने की कसौटी निर्यात व्यापार के विस्तार के लिये दिया गया योगदान है ।

त्रिवेन्द्रम में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य को आरम्भ किया जाना

459. श्री दे० अमात :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री गु० च० नायक :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री अजमल खां :
श्री सूरज भान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री शारदा नन्द :
श्री रामगोपाल शाल वाले :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बंशनारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र की इमारत के निर्माण कार्य को, जिसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया था, शीघ्र ही पुनः आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान 2 जून, 1970 के 'स्टेटसमैन' के पृष्ठ 8 पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार के निदेश के अनुसार सोवियत दूतावास ने पिछले वर्ष त्रिवेन्द्रम में उन दो भवनों का निर्माण रोक दिया था, जिनमें वह सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करना चाहता था। बाद में सोवियत राजदूतावास ने इन भवनों के निर्माण का काम फिर शुरू करने की अनुमति माँगी और कहा कि काम बन्द रहने पर भी ठेकेदारों को पैसा देना पड़ता है, जिससे बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। सोवियत राजदूतावास को इस स्पष्ट शर्त पर इनका निर्माण फिर शुरू करने की अनुमति दे दी गई कि तैयार होने पर इन इमारतों का भारत सरकार की स्वीकृति के बिना न तो इस्तेमाल किया जाएगा, न बेचा जाएगा न कोई दूसरा उपयोग ही किया जाएगा।

अरब देशों में पाकिस्तान का प्रचार

460. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बल राज मधोक :
श्री वेंकटास्वामी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री बेधर बेहेरा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा अरब देशों में किये जा रहे घृणित प्रचार को तेज कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अरब देश भारत की बजाए पाकिस्तान के अधिकाधिक निकट होते जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के दृष्टिकोण में इससे पश्चिमी एशिया की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति पर पुनर्विचार करने तथा भारतीय नीति को नई दिशा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान ने कतिपय अरब देशों में भारत-विरोधी प्रचार तेज करने की कोशिश की है ।

(ख) से (घ). जी नहीं ।

ब्रिटेन के राष्ट्रिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

462. **श्री लखनलाल कपूर :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री गणेश घोष :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री ई० के० नायनार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटेन के नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ब्रिटेन सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रवेश पर क्या प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) ये प्रतिबन्ध कब लागू किये जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में समुद्र के कटाव के कारण हुई हानि

463. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री प० गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री जनार्दनन :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री कं० हाल्दर :
श्री ई० के० नायनार :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में केरल में समुद्र के कटाव के कारण कितनी क्षति हुई है ;

(ख) समुद्र से होने वाले कटाव के खतरे का मुकाबला करने के लिए अब तक कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) राज्य में समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि त्रिवेन्द्रम जिले के पनाथुराकरा और पन्थुरा में और क्विलोन जिले में चावरा में एफ० एस० पी० कम्पनी के पीछे की तरफ और श्रायीकाड में एर्णाकुलम जिले के माला-पुरम में और अलेप्पी जिले में थोट्टा पल्ली से लेकर अलेप्पी तक, विशेषतया पुराक्कड, पुन्नाप्रा, वडाक्कल, करूर आदि में समुद्र कटाव के द्वारा नुकसान हुआ था। पुराक्कड क्षेत्र में 600 झोंपड़ियों को क्षति पहुंची और नारियल के हजारों वृक्ष उखड़ गए। लगभग 6 किलोमिटर की लम्बाई में और लगभग 30 मीटर की औसतन चौड़ाई में जमीन का कटाव हो गया।

(ख) ऋण सहायता समस्त बाढ़ नियंत्रण सैक्टर के लिए दी जा रही थी जिसमें समुद्र कटाव रोधी कार्य भी शामिल हैं। 1968 69 के अन्त तक इस सैक्टर में केरल सरकार को 647.69 लाख रुपये की कुल ऋण सहायता दी गई।

(ग) 1969-70 के अन्त तक लगभग 70 किलोमीटर समुद्र तट को सुरक्षित कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य परियोजनाओं का अपने हाथ में लिया जाना

464. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली मुख्य परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के रूप में चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपने हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य बिजली बोर्डों के 27 और 28 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि अगली पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सैक्टर में वृहत बिजली यूनिटों का निर्माण, प्रचालन और रखरखाव जहां सम्भव होगा, क्षेत्रीय अभिकरणों के जरिये करना पड़ेगा। सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि केन्द्रीय उत्पादन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की जाये। राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में इस संकल्प पर राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के अगले सम्मेलन में विचार करने का प्रस्ताव है।

केंद्र द्वारा कुछ वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय उत्तरदायित्व को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर राष्टीय विकास परिषद् द्वारा कई अवसरों पर विचार किया गया है और योजना

आयोग द्वारा यह फैसला किया गया है कि यह उत्तरादायित्व राज्यों का ही रहेगा किन्तु राज्य योजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग सतत बृहत् सिंचाई और बिजली स्कीमों के कारण शेष कार्य के सिद्धान्त पर राज्यों के बीच बाटा जायेगा ।

कपास तथा पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

465. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री झारखण्डे राय : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास तथा पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये और बाजार में उतार-चढ़ाव की कठिनाइयों से उनके हितों की रक्षा करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एजेन्सियां खोलने का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक कपास निगम की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य समर्थन के तौर पर कपास की खरीदारी भी करेगा । जहां तक पटसन का सम्बन्ध है राज्य व्यापार निगम 1970-71 के दौरान मूल्य समर्थन के कार्य को संभालता रहेगा ।

कच्ची पटसन का आयात

466. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन बहुत कम होने की संभावना को देखते हुए क्या सरकार का विचार आगामी महीनों में कच्ची पटसन का आयात करने का है ;

(ख) क्या इन्डियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन के अध्यक्ष ने थाइलैंड से पटसन का आयात करने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादन में भारी कमी के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि थाइलैंड से मेस्टा का आयात करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । स्वदेशी पटसन की फसल तथा मिलों की मांग को देखते हुए आयात करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

पाकिस्तान को युद्ध न करने के करार की पुन: पेशकश

467. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान से युद्ध न करने के करार की पुन: पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। भारत की प्रधान मन्त्री ने पिछले वर्ष अनेक मौकों पर पाकिस्तान से 'युद्ध न करने की संधि' के पुराने प्रस्ताव को दोहराया था।

(ख) पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बराबर नकारात्मक बनी है।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को सक्रिय बनाना

468. श्री इसहाक सम्भली :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री जनार्दनन :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को सक्रिय बनाने के लिये कोई नये प्रयास कर रहा है जिस से कम्बोडिया की तरह की स्थिति लाओस में न पैदा हो ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आयोग के अन्य सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से बिल्कुल अलग है। लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग यथा शक्ति कार्य करने का प्रयास कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के कारखानों से हथियारों की चोरी

469. श्री इसहाक सम्भली :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री क० हाल्दर :
श्री हेमराज :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रतिरक्षा संस्थानों और कारखानों में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के चोरी हो जाने का हाल ही में पता लगा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात नीति सम्बन्धी नवीन संकल्प

470. **श्री इसहाक सम्मली :** **श्री जनार्दनन :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात नीति सम्बन्धी नवीन संकल्प तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). निर्यात नीति संकल्प को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उसको सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

ब्रिटेन के पत्तनों पर भारतीयों को परेशान करना

471. **श्री इसहाक सम्मली :** **श्री जनार्दनन :**
डा० रानेन सेन : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिनमें ब्रिटेन के आप्रवासी अधिकारियों द्वारा ब्रिटेन में प्रवेश के पत्तनों पर भारतीय नागरिकों को परेशान किया गया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और प्रवेश के पत्तनों पर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार परेशान किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो यू० के० सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). ब्रिटिश प्रवेश-बन्दरगाहों में भारतीय राष्ट्रकों के प्रति किये गये अभद्र व्यवहार के कुछ मामले भारत सरकार के ध्यान में लाये गये हैं, जिसने ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है । ब्रिटिश

प्राधिकारियों ने यह वायदा किया है कि वे इन मामलों की जाँच करेंगे, जिससे इस प्रकार की घटनाएं फिर से न हों।

डा० आत्माराम के विरुद्ध व्यक्तियों, सम्पादकों तथा अधिकारियों का मनोरंजन करने का आरोप

472. **श्री मु० अ० खां :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक व सरकार के सचिव डा० आत्माराम समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधिकारियों का मनोरंजन करने के लिये नई दिल्ली स्थित एक विलासमय होटल में समय-समय पर विशेष कमरे आरक्षित कराते रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों को मदिरापान भी कराया गया था ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनका मनोरंजन किया गया, किन-किन तारीखों को किया गया तथा इस संबंध में वर्ष 1968 तथा 1969 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) क्या इस प्रकार मनोरंजन कराना सरकारी नियमों के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) महानिदेशक, सी०एस०आई०आर० द्वारा किसी विलासमय होटल में विशेष कमरे इस कार्य हेतु आरक्षित नहीं करवाये गये थे। यद्यपि, महानिदेशक, सी०एस०आई०आर० ने मासमिडिया (जन साधारण में प्रसार संबंधित) के कुछ प्रमुखों को अपने घर पर तथा चार स्टारवाले होटल में विज्ञान सचार सेवा विषय पर विचार-विमर्श और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 1968-69 और 1969-70 में अपराह्न भोज दिये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) एक ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3756/70]

(घ) मोटेतौर पर सी०एस०आई०आर०, सम्बन्धित सरकारी आदेशों का ही पालन करता रहा है। जैसे प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरों के नियम मनोरंजन आदि ग्रांट के लिये निर्धारित किये गये हैं और उसी आधार पर ये खर्चे सी०एस०आई०आर० के खाते (निधि) में डाले जाते हैं।

सरकारी उद्यमों द्वारा टरबाइन तथा जनेत्र बनाने में विलम्ब की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति

473. **श्री दण्डपाणि :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री मयावन :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :
डा० सुशीला नायर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सरकारी उद्यमों द्वारा टरबाइन तथा जनेत्रों के विषय में विलम्ब किये जाने की जांच करने के लिय सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम और निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार को प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या यह विलम्ब चौथी योजना के पहले ही अपर्याप्त विद्युत-विकास-योजना के लिये बहुत हानिकर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में 27 तथा 1970 को हुआ था जिसमें विद्युत केन्द्रों की अनुसूची के अनुसार प्रचालन में तेजी लाने के किये जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श हुआ था और यह सिफारिश की थी कि एक समिति की स्थापना होनी चाहिए जो उत्पादन उपस्करों की समय पर सप्लाई करने के लिये देशी निर्माताओं की क्षमता की जाँच क उपस्करों की सप्लाई में होने वाली कमी को दूर करने के लिये प्रतिकारात्मक उपाय ा सकें । अत: सरकार ने एक समिति की स्थापना की है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

(1) उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	अध्यक्ष
(2) मुख्य (विद्युत) योजना आयोग	सदस्य
(3) अध्यक्ष, हैवीइलेक्ट्रीकल्स (इन्डिया) लि०	सदस्य
(4) अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०	सदस्य
(5) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
(6) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
(7) अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
(8) निदेशक (पी० एण्ड पी०) केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य-सचिव

इस समिति को देशीय निर्माण यूनिटों की चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान आवश्यकता नुसार विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई करने की क्षमता और प्रत्याशित कमी को पूरा करने के उपायों की सिफारिश करनी है। समिति के 6 महीनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है

चूंकि उत्पादन उपस्कर की सप्लाई में किसी भी देरी से चतुर्थ योजना की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के सीमित लक्ष्य की प्राप्ति में भी बहुत कमी हो सकती है इसलिए सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में एक दूसरी समिति पहले ही स्थापित की जा चुकी है जो कि 2 सितम्बर, 1969 से आदेश देने तथा उत्पादन उपस्कर के निर्माण में की गई प्रगति का समय-समय पर विस्तारपूर्वक नविलोकन करने के लिये, तथा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ निर्माण प्रगति को समन्वित करने से संबंधित कार्य कर रही है ।

केरल में समुद्री उत्पाद विकास निगम की स्थापना

474. श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री ई० के० नायनार :

क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केरल में समुद्री उत्पादन विकास निगम स्थापित करने सम्बन्धी अपने पहले के निर्णय को बदलने तथा उसे केरल से हटाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसे केरल से हटाने के सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त निगम को इसी राज्य में स्थापित करने की केरल की उचित मांग का ध्यान रखेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं केरल में समुद्री उत्पाद विकास निगम स्थापित करने का किसी भी प्रक्रम में विनिश्चय नहीं किया गया था। यद्यपि, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है तदपि इसके मुख्य कार्यालय के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Assistance to U. P. for Repairs of Balia-Baria Dam

475. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government propose to give assistance to the Uttar Pradesh Government for the repairs of Balia Baria Dam ; and if so, the amount thereof ; and

(b) the reasons for not giving this assistance to Uttar Pradesh Government so far and the time by which this sanctioned amout will be given to Uttar Pradesh Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Flood control works have to be taken up and executed as part of State Plan Schemes. Central assistance for Plan Schemes is made available to the State Government in the form of block grants and loans, without reference to any individual scheme or programme. The State Government are free to allocate the resources necessary for a Project depending upon its relative urgency.

Protection of Ancient Hindu Temples in Cambodia

476. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Metropolitan Council and the Provisional Government of Cambodia have demanded from Government to take necessary steps to protect ancient Hindu temples in Cambodia ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. Government have received requests from many quarters including Prince Sihanouk's Government in exile.

(b) Government of India are greatly concerned about the historical monuments of Angkor Wat in Cambodia. India co-sponsored and appeal issued by UNESCO calling on all parties to the conflict to refrain from many action which might damage these precious monuments.

Trade Relations with Nepal

477. **Shri Chandrika Prasad :** **Shri Manibhai J. Patel :**
Shri D. Amat : **Shri Devindar Singh Garcha :**

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news published in the 'Hindustan' (Hindi) of the 30th June, 1970 wherein it has been stated that the King of Nepal has stated in the National Panchayat that his Government wants to establish good trade relations with India keeping in view the conventional goodwill and friendship between his Government and the Government of India ; and

(b) if so, the reaction of Government of India in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). There have been some press reports to this effect. The Treaty of Trade and Transit (1960) defines the relations between India and Nepal in matters of trade and transit. The Treaty is valid upto October 31, 1970.

संचार उपग्रह केन्द्र स्थापित करना

478. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1200 किलोग्राम भार का एक सचार उपग्रह स्थापित करने का है, जो समकालिक (सिक्रोनस) कक्ष में घूमेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के लिये किसी अन्य देश की सहायता मांगी है ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं तथा उपलब्ध सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, हाँ । सरकार का उद्देश्य भारत की अपनी उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करने का है । इस प्रणाली में एक ऐसे बहुमुखी उपग्रह को उपयोग में लाने का विचार है जिसकी सहायता से सारे देश में दूर दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने तथा देश के कम से कम चार बड़े शहरों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया जायेगा ।

(ख) तथा (ग). संचार उपग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिये अमरीका से सहायता मिली है । उपग्रह का निर्माण करने तथा उसे छोड़ने के लिये भविष्य में आवश्यक सहायता का विवरण तैयार किया जाना शेष है ।

Allotment of Cultivable Land to Ex-Servicemen

479. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the general rules governing the allotment of cultivable land to ex-servicemen in Uttar Pradesh ;

(b) the general terms and conditions of their tenure in the Army ;

(c) the names of ex-servicemen allotted cultivable land as also the area of such land allotted to each of them during the last two years, district-wise ;

(d) the conditions governing the allotment of such land to those persons who are in the employment of Government or some private institution, as laid down in the relevant rules framed by the State Government in this behalf ; and

(e) the number and names of those ex-servicemen who are in service and are entitled to get cultivable land and have been allotted such land ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) Vacant land in Uttar Pradesh was vested in Gaon Sabhas after Zamindari abolition. While setting land with landless agricultural labourers, Land Management Committee of these Gaon Sabhas observe preference as laid down in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Rules, 1962, namely ;

(i) A person whose land has been acquired on or after 1st July 1952 provided that the land allotted to him along with the land, if any, held by him after acquisition does not exceed 6¼ acres.

(ii) Dependents of defence personnel killed in battle against the enemy.

(iii) Ex-servicemen.

(iv) A political sufferer.

(v) A person belonging to any of the scheduled castes and tribes and

(vi) any other person.

(b) Personnel enrolled as combatants in the Army are at present governed by two different sets of periods of engagement as given in the statement laid on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT—3757/60].

(c) to (e). The information is not available with the State Government and therefore, collection thereof from each village in the State would involve much time, and expenditure which would not be commensurate with the result.

(d) The Government is not aware of such conditions in the relevant rules framed by the State Governments in this behalf.

Pakistani and Chinese Military Personnel Across Indian Borders

480. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the approximate number of Pakistani and Chinese Military persons posted at present on Indo-Pakistan and China-India border on the basis of the data collected by the Central Government ;

(b) whether Government feel that any enemy country may violate the Indian border or indulge in military operations in the near future ; and

(c) the action taken by Government to deal with them effectively ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). China has been deploying 130,000 to 150,000 troops in Tibet Pakistan has 12 Infantry Divisions and 2 armoured divisions besides a large number of para military and irregular forces. The House has been kept informed from time to time of the pattern of Chinese and Pakistani military activities across the border. There has been no significant change in the position. Developments having a bearing on our security are constantly taken note of and suitable measures on our side are taken.

न्यू विक्टोरिया मिल्स (लि०), कानपुर

481. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कारणों से कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल्स में अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). मिल आंशिक रूप में चल रही है । उत्तर प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम, मिल को क्रमश: 4.90 रु० तथा 5.10 लाख रु० का ऋण दे चुके हैं । बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल को चलाने के सम्बन्ध में अपने वित्तीय उत्तरदायित्व से छूट पाने की इच्छा व्यक्त की थी, परन्तु ज्ञात हुआ है कि इस पर पुनर्विचार करके वह मिल की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अपना भाग देने के लिए सहमत हो गयी है ।

भारत के प्रति चीन के रवैये में परिवर्तन

482. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भगवान दास :
श्री रवि राय :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० रानेन सेन :
श्री निहाल सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रति चीन के रवैये में हाल में परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तरीके से और क्या अपनी प्रतिष्ठा तथा प्रभुसत्ता को ध्यान में रखते हुए उससे कोई समझौता होने के संकेत है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल के महीनों में सभी देशों के प्रति चीन के रवैये में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और चीन अब फिर सामान्य राजनयिक शिष्टाचार तथा व्यवहार का पालन करने लगा है। यह रवैया भारत तक ही सीमित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

कश्मीर को हड़प करने के लिए पाकिस्तान की तथाकथित तैयारी

483. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री जि० ब० सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान कश्मीर को हड़प करने के लिये पुनः तैयारी कर रहा है जैसा कि ३/4 जुलाई, 1970 के स्टेट्समैन में दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'अल वार्म' जो कि एक सैनिक संगठन के समान है, ने चीनी अनुदेशको की सहायता से हजारों स्वयं सेवकों को तोड़ फोड़ आदि के तरीकों में प्रशिक्षण किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण करने के लिये रूस तथा अन्य देशों से हथियार प्राप्त कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सदन में कई बार यह बताया जा चुका है कि पाकिस्तान "अल मुजाहिद" अथवा "अल बुर्क" नामक अनियमित भारी सेनाओं की शस्त्रास्त्र और प्रशिक्षण दे रहा है तथा पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पेरा सैन्य बल को गोरिल्ला तरीकों में तोड़-फोड़ तथा अन्य ऐसी ही कार्य-वाईयों का प्रशिक्षण दे रहा है।

(ग) पाकिस्तान विभिन्न देशों से हथियार लेने की बराबर जो कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में 1965 से सैनिक शक्ति का जो जमाव बढ़ रहा है उसके बारे में सदन को समय-समय पर सूचित रखा गया है।

(घ) देश की सुरक्षा के लिये योजनाएं बनाते समय इस ओर भी घटनाओं को ध्यान में रखा गया है।

डा० मैस्करेन्हास की रिहाई

484. **श्री कंवर लाल गुप्ता :**

श्री स० अ० अगड़ी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोआ के स्वाधीनता सेनानी डा० मैस्करेन्हास को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस अनुरोध के बारे में पुर्तगाली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) इस समय और कितने स्वाधीनता सेनानी पुर्तगाली जेल में हैं तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) उन्हें रिहा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार डा० मस्करेन्हास के सम्पर्क में है तथा उन्हें शीघ्र भारत वापस लाने की व्यवस्था कर रही है ।

(ग) इस विषय में पुर्तगाल की सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पुर्तगाली जेलों में और स्वतन्त्रता सेनानी होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एक्सपो 70 में भारतीय मण्डप पर व्यय

485. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान में 'एक्सपो 70' में भारतीय मण्डप पर अब तक लगभग कितना व्यय किया गया है ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों ने भारतीय मण्डप को देखा है और इस मण्डप में जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) भारतीय मण्डप को देखने के पश्चात् इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने वहां के कुप्रबन्ध के बारे में एक भारतीय नर्तकी की प्रतिकूल टिप्पणियों को देखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसको प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकार द्वारा कितने भारतीयों को प्रदर्शनी देखने की अनुमति दी गई थी ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय मण्डप पर अब तक हुआ व्यय 149.09 लाख रु० है (विदेशी मुद्रा में 137 लाख रु० तथा भारत में 12.09 लाख रुपये) ।

(ख) तथा (ग). लगभग 60 लाख दर्शक ।

जिन विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मण्डप को देखा, उनकी एक सूची संलग्न है ।

विवरण

एक्सपो के भारतीय मण्डप में आये विदेशी प्रमुख अभ्यागत, जिनकी सूचना दिल्ली से प्राप्त हुई :

1. नेपाल के राजा महेन्द्र और रानी रत्ना ।
2. सर सिवसागर रामगुलाम, मारिशस के प्रधान मन्त्री ।
3. श्री नोवोकोव, रूसी मन्त्रिमण्डल के उपाध्यक्ष ।
4. श्री टोदेरोव भिकोव, बल्गेरिया के प्रधान मन्त्री ।
5. श्री टोडोरोव, बल्गेरिया के उप-प्रधान मन्त्री ।
6. श्री जिको भिकोव, बल्गेरिया के उप-व्यापार मन्त्री ।
7. एच० आर० एच० प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन ।
8. जापान के राजकुमार छिन्यमय ।
9. जापान के एच० आर० एच० राजकुमार हिताचिनोमिय और राजकुमारी हिताचिनोमय
10. श्री बोरिस, वेल्चेव, बल्गेरिया की कम्युनिष्ट पार्टी के सचिव
11. श्री हंस ब्हुलर, स्विटजरलैंड सरकार के वाणिज्य मन्त्री ।
12. श्री जे० एम० युकाए, युगान्डा के योजना तथा आर्थिक विकास मन्त्री ।
13. जापान के युवराज आकीहितों और युवरानी मिचिकों ।
14. राजकुमार मिकासा, जापान के राजा के भाई तथा उसकी पत्नी ।
15. श्री रशीद मुहम्मद कवावा, तन्जानिया द्वितीय उप-राष्ट्रपति श्री कवावा के साथ ।
16. लेडी मेल्डा रोमुआल्डेज मार्कोस. फिलिपाइन्स के राष्ट्रपति की पत्नि ।
17. श्री एम० ए० जाकी, संयुक्त अरब गण राज्य के अर्थ व विदेश मन्त्री ।
18. श्री केनथ कीटिंग, भारत में अमरीका के राजदूत ।

भारतीय मण्डप के प्रदर्शन, जिसमें नये भारत के प्रतिरूप, औद्योगिक विकास और संस्कृति तथा आधुनिक विकास के सुव्यवस्थित सामन्जस्य का चित्रण किया गया है, की प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा दर्शकों द्वारा सराहना की गई है ।

(घ) तथा (ङ). जी हां । भारतीय नर्तकी ने प्रतिकूल टिप्पणियों से अपने आप को अलग कर लिया है ।

भारतीय मण्डप में प्रदर्शन तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबन्ध प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए हर संभव उपाय किये गये हैं । जिन भारतीयों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा दी गई उन्होंने, मण्डप को देखा । ऐसे भाग लेने वालों के, जिनके प्रदर्श मण्डप में प्रदर्शनार्थ रखे गये हैं, 44 प्रतिनिधियों ने विदेशी व्यापार मन्त्रालय के सुझाव पर मण्डप का दौरा किया ।

नागाओं के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ाना

486. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं के साथ युद्ध विराम की अवधि को फिर कुछ समय के लिये बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि तक बढ़ायी गयी है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). "नागा विराम संधि" कहकर माननीय सदस्य स्पष्टत: नागालैंड में कार्रवाई बन्द रखने का उल्लेख कर रहे हैं। नागालैंड में स्थिति के कुल मूल्यांकन के बाद, नागालैंड के राज्यपाल ने कार्रवाई बन्द रखने की अवधि 31 जुलाई, 1970 तक बढ़ा दी है। कार्रवाई बन्द रखने की यह अवधि चौवालीसवीं बार बढ़ाई गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र स्वीकृत परियोजनाएं

487. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय क्षेत्र में तीन विद्युत परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर स्थापित की जायेंगी और परियोजनाओं पर काम आरंभ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). संघीय क्षेत्र मनीपुर में लोकतक, संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में बेरा-सियुल जम्मू व काश्मीर राज्य में सलाल के केन्द्रीय सैक्टर में तीन पन-बिजली परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। दक्षता-पूर्ण, मितव्ययी और शीघ्रतापूर्ण तरीके से करने के लिए इन तीन-पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक नियंत्रण बोर्ड तथा एक निर्देशन समिति बनाई गई है। इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय सम्बन्धी मंजूरी दे दी गई है। गोदामों, कारखानों, इत्यादि के लिए भूमि-अधिग्रहण हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है ; जनित्र संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई का प्रबन्ध मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा किया जा रहा है ; परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सिविल कार्यों के लिए निविदाऐ भेजने हेतु, कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

भारतीय वायु सेना, के विमानों तथा उनके पुर्जों की आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता के लिये योजना

489. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की विमानों तथा पुर्जों की आवश्यकताओं में आत्म निर्भरता प्राप्ति के लिये दीर्घ अवधि की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग). भारत में वैमानिकी उद्योग के आयोजित विकास के लिए तथा अपनी मुख्य आवश्यकताओं में यथा संभव अधिकाधिक आत्मनिर्भता प्राप्त करने के लिए एरोनाटिक्स कमेटी ने कई सिफारिशें की थीं। दीर्घावधिक एक योजना के अंश के तौर पर योजना अवधि में विमानों के देशीय उत्पादन के लिए, एरोनाटिक्स कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस का वायुसेना की आवश्यकताओं के संदर्भ में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा। तदपि यह कहा जा सकता है कि विमानों की कुछ किस्मों को छोड़कर कि जहां वायु सेना की आवश्यकताएं इतनी कम है कि आर्थिक दृष्टि से देशीयतः निर्माण लाभकर न होगा ; योजना निर्माण में आत्मनिर्भता का उपबंध करती है।

कपास का आयात करने के लिए निगम की स्थापना

489. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माईल :
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री भगवान दास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री के० रमानी :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का आयात करने के लिए एक निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम की स्थापना कब की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय कपास निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई में होगा। कपास का आयात कपास निगम के माध्यम से ही किया गया जायेगा। कपास के आयात लाइसेंस निगम के नाम में जारी किये जायेंगे और उन पर पृष्ठांकन ऐसे मिलों के हक में किये जायेंगे जिनके पास विदेशी कपास के कोटा पत्र हैं। यह निगम मूल्य समर्थन के उद्देश्य से देशी रूई खरीदेगी, उन किसानों के लिये जो अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास की नई किस्में उगाते हैं, तैयार बाजार की व्यवस्था करेगी और सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत मिलों के लिए घरेलू रुई प्राप्त करने में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायता करेगी।

(ग) निकट भविष्य में ही।

तीसरा एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

490. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 1972 में भारत में आयोजन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका आयोजन किस स्थान पर किया जायेगा ;

(ग) उक्त मेले में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) उक्त मेले पर लगभग कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली।

(ग) तथा (घ). इस विषय में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

सैनिक सहायता प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मास्को यात्रा

491. **श्री समर गुह :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने रूस से टैंक, विमान तथा अन्य सैनिक सामान लेने की दृष्टि से हाल में मास्को की यात्रा की थी तथा रूस सरकार के प्रवक्ता से भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को रूस से मिली सैनिक सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की सैनिक सहायता के विरुद्ध रूस को कोई विरोध पत्र भेजा है क्योंकि पाकिस्तान की सैनिक तैयारी मुख्य रूप से भारत के विरुद्ध है ;

(घ) क्या पाकिस्तान को चीन से भी सैनिक सहायता मिली है और भारत द्वारा रूस को भेजे गये विरोध पत्र में इस पहलू पर भी जोर दिया गया है ; और

(ङ) पाकिस्तान को रूस तथा चीन से प्राप्त सैनिक सहायता का क्या प्रभाव पड़ेगा और रूस से प्राप्त उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति जून 1970 में मास्को गए थे। उनकी यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—3758/70]

(ख) पाकिस्तान को हाल ही में, राष्ट्रपति याहया खां की यात्रा के फलस्वरूप इससे कोई सैनिक सहायता प्राप्त होने के विषय में जानकारी नहीं है।

(ग) यह मामला पहले भी कई बार बहुत ऊंचे स्तर पर सोवियत सरकार के साथ उठाया गया है।

(घ) इस तथ्य को सभी सरकारें अच्छी तरह जानती हैं कि पाकिस्तान को चीन से सैनिक सहायता मिली है।

(ङ) पाकिस्तान के शस्त्र बल में किसी प्रकार की वृद्धि से, खासकर चीन के साथ पाकिस्तान की सांठगांठ की वजह से, पाकिस्तान भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य करने की ओर और हठपूर्ण रवैया अख्तियार करेगा और भारत की सुरक्षा के लिये एक खतरा बन जाएगा। सोवियत सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे भारत के हितों को धक्का लगता हो।

रूस को पटसन का निर्यात

492. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
डा० रानेन सेन :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री पी०पी० एस्थोस :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने प्रति वर्ष और अधिक कच्चा पटसन निर्यात करने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इस समय रूस सरकार को कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत के कच्चे पटसन का निर्यात किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). इस वर्ष कच्चे पटसन की पूर्ति में वृद्धि कराने के लिए सोवियत संघ के प्राधिकारियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया। उनको अतिरिक्त मात्रा की पूर्ति की जा सकती है या नहीं यह वर्तमान पटसन मौसम के दौरान उपलब्ध होने वाली स्वदेशी फसल तथा देश में पटसन मिलों की आन्तरिक मांग पर निर्भर

होगा। वर्ष 1970 के प्रथम तीन महीनों में सोवियत संघ को 2.89 करोड़ रु० मूल्य के 12400 मे० टन कच्चे पटसन का निर्यात किया गया।

हनोई में भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाना

493. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हनोई स्थित भारत के राजनायिक मिशन का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सदन में। मार्च, 1970 को आधे घंटे की बहस में जो बात कही गई थी वही स्थिति भारत सरकार की रहती है।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की स्थायी समिति की दिल्ली में हुई बैठक

494. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दनन :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडु :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की स्थायी समिति की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में लुसाका में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में कम्बोडिया दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय स्वातंत्रय आंदोलनों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मामलों पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मामलों के बारे में सरकार की क्या स्थिति है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों की स्थायी समिति की जो पहली बैठक हुई, उसमें यह निश्चय किया गया कि कम्बोडिया को निमंत्रण देने का मामला, विदेश मंत्रियों की बैठक में भेज दिया जाए जो 6 और 7 सितम्बर 1970 को लुसाका में होने वाली है। स्थायी समिति ने अस्थायी क्रांतिकारी सरकार तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के भाग लेने के प्रश्नों पर विचार विमर्श नहीं किया, क्योंकि अप्रैल 1970 में दारेस्सलाम में गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रारम्भिक सम्मेलन हुआ था,

उसमें यह निश्चय किया गया था कि ये प्रश्न शिखर सम्मेलन में भेजे जाएंगे । भारत सरकार इन निर्णयों से सहमत है ।

भारत तथा पाकिस्तान को हथियारों के देने पर प्रतिबंध की कथित समाप्ति

495. **श्री रवि राय :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ए० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका के सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री रोजर्स के इस नवीनतम वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान और भारत को हथियारों की बिक्री पर पहले लगायी गई पाबन्दी को समाप्त करने पर वह सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार अमरीकी सरकार से बराबर संपर्क बनाए हुए है और उसे यह समझाने के लिए हर सामान्य राजनयिक तरीके का इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान का अमरीका से हथियार लेने की इजाजत देने में क्या-क्या खतरे निहित हैं ।

चक्रवात-कष्ट निवारण समिति की सिफारिशें

496. **श्री रवि राय :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष स्थापित की गई चक्रवात-कष्ट निवारण समिति की आरम्भिक सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Visit to Trade Delegation of China to Gilgit

499. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a news broadcast by Pakistan Radio on the 21st May, 1970 it was stated that a trade delegation of China had visited Gilgit ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) As the House has already been informed, Government have made it clear to the Governments of China and Pakistan that the so-called agreements entered by Pakistan and China concerning Pakistan occupied Kashmir are illegal, invalid and totally unacceptable to us.

Canalisation of Trade with Communist Countries through State Trading Corporation

500. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether a proposal is under consideration regarding the transaction of trade with U.S.S.R. and other Communist countries through the State Trading Corporation ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b). It is not the policy of Government to canalise export and import trade with a particular country or a group of countries through a particular public sector trading agency.

कम्बोडिया में अमरीकी तथा अन्य सेनाओं को हटाना

501. **बेदब्रत बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी सेनाएं कम्बोडिया के क्षेत्र को छोड़ गई हैं ;

(ख) क्या कम्बोडिया में इस समय स्थित अन्य सेनाए भी कम्बोडिया से हटने लगी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में (उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार को ये खबरें मिली हैं कि कम्बोडिया से संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक हटा लिए गए हैं और यह भी खबर मिली है कि अन्य सैनिक वहां हैं। इन सभी खबरों की पूर्ण प्रामाणिकता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(ग) इस सदन में, और दिलचस्पी रखने वाले अनेक देशों को तथा और अन्य कई स्थानों पर कम्बोडिया में विदेशी सैनिकों के रहने के संबंध में भारत सरकार के विचार स्पष्ट किए जा चुके हैं।

देश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास सम्बंधी योजना

502. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये नई नीति अपनाने पर विचार किया है जैसा कि हाल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महा-सचिव द्वारा सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये नई नीति अपनाने सम्बन्धी कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में विशेष उपबन्ध बनाकर पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष ध्यान दे रही है। पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये हाल ही में उदारता पूर्वक केन्द्रीय सहायता देने की योजना बनाई गई है। वार्षिक योजनाओं के परिव्ययों को अलग रखा गया है ताकि इनको दूसरे क्षेत्रों में न लगाया जा सके।

आजादपुर बिजली घर में आग

503. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 में दिल्ली में आजादपुर बिजली घर में लगी भीषण आग की जाँच की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आजादपुर उप-केन्द्र में प्रतिष्ठापित 500 एम० वी० ए० स्विचयार्ड में आग लग गई थी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों के साथ मिलकर उपस्कर के सम्भरकों ने खराबी के कारणों की जांच की है। सम्भरकों की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर जांच-पड़ताल पूर्ण हो जायेगी।

गंगा नदी के पानी के बटवारे के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत

504. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री मीठा लाल मीना : **श्री राम किशन गुप्त** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के पानी का बटवारा करने और फरक्का बांध के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच जुलाई, 1970 में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). फरक्का परियोजना पर तथा पूर्वी नदियों से संबंधित मामलों पर 16 जुलाई, से 21 जुलाई, 1970 तक भारत और पकिस्तान के बीच सचिव स्तर पर नई दिल्ली में हुई वार्ता के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मन्त्री द्वारा 28 जुलाई, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया जाता है।

पश्चिम जर्मनी को माल डिब्बों की बिक्री

505. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने जून, 1970 में भारत के दौरे पर आये पूर्व जर्मनी के शिष्ट मण्डल से जर्मन जनतंत्रात्मक गणराज्य को चार पहियों वाले और आठ पहियों वाले रेलवे के माल डिब्बों की बिक्री के लिए विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम ने उनसे कोई क्रयादेश प्राप्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को रेलवे माल डिब्बो की बिक्री के लिये बातचीत चल रही है ।

नेशनल टी कम्पनी

506. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रीलंका के साथ मिलकर समुद्र पार चाय बेचने के लिए नैशनल टी कम्पनी स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत में कुछ विपणन फर्मों को इसके अंशधारियों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बन्द डिब्बों में चाय का निर्यात करने के लिये यह प्रस्तावित कम्पनी सरकारी क्षेत्र की एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). सभी किस्मों की चाय का विपणन करने के लिये, एक राष्ट्रीय चाय कम्पनी स्थापित करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है । इसकी संरचना का ब्यौरा, इसके लिये आवश्यक पूंजी विनिधान, निर्यात में इसका योगदान इत्यादि पर विचार किया जा रहा है ।

इंडोचाइना के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संकल्प पर अमरीकी राजदूत की टिप्पणी

507. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इंद्रजीत गुप्ता :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमानी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में अमरीकी राजदूत द्वारा इंडोचाइना और सम्बद्ध मामलों के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संकल्प के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 19 जून, 1970 के 'हिन्दू' प्रकाशित साक्षात्कार विवरण भारत के प्रति अत्यन्त निरादरपूर्ण है तथा भारत के आंतरिक कार्य में भारी हस्तक्षेप है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार ने अखबार की खबरें देखी है।

(ख) राजदूत महोदय की टिप्पणी यहीं तक सीमित थी कि उनके विचार से भारत अमरीकी सम्बन्धों का भविष्य क्या होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वेज नहर का यातायात के लिए खोला जाना

508. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया का संकट अभी तक हल नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप स्वेज नहर अभी तक बन्द पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि स्वेज नहर शीघ्र खुल जाये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्वेज नहर को फिर से खोलना पश्चिम एशियाई संकट के समझौते पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य से भारत सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव तथा उसे अमल में लाने के सभी प्रयासों का बराबर समर्थन कर रहा है।

आसाम में बाढ़

509. श्री हेम बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में बाढ़ों से पुनः खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में नदियों के जिनमें ब्रह्मपुत्र तथा बारक भी है, नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चालू मानसून के दौरान असम में ब्रह्मपुत्र और बारक बेसिनों में बाढ़ें आई हैं।

(ख) तटबंधों का निर्माण, नगर सुरक्षा कार्य, जल-निकास नालियों का निर्माण जैसे बाढ़ नियंत्रण उपाय असम के ब्रह्मपुत्र तथा बारक बेसिनों में शुरू किये गये हैं। उन पर हुई प्रगति और व्यय नीचे दिया गया है :—

(1)	1954 तक किलोमीटरों में तटबंधों की लम्बाई	410
	1954 से मार्च 1969 तक किलोमीटरों में तटबंधों की लम्बाई	3161
(2)	किलोमीटरों में जल-निकास नालियों की लम्बाई	770
(3)	नगर सुरक्षा कार्य (संख्या)	29
(4)	लाख हैक्टेयरों में लाभान्वित क्षेत्र	7.16
(5)	करोड़ रुपयों में व्यय	27.22

इसी प्रकार के कार्य चौथी योजना के दौरान भी जारी रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, तटबंधों को ऊंचा उठाने और दृढ़ करने का कार्य विस्तृत रूप से किया जाना है। बारक नदी में बाढ़ों को रोकने के लिये उस पर एक बांध के निर्माण की स्कीम की भी जांच की जा रही है।

ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ समस्या को हल करने के उद्देश्य से तीन सूत्री संगठन, जिसमें (1) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (2) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग और (3) सलाहकारों का बोर्ड शामिल है, स्थापित किया गया है। यह योजना का अनुसंधान करेगा तथा व्यापक और समन्वित तरीके से अपेक्षित उपायों की कार्यान्विति करेगा।

भूटान में चीनी अतिक्रमण के विरुद्ध विरोध

510. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महाराजा भूटान के निवेदन पर मई,

1970 में चीनी सैनिकों द्वारा भूटान के भूभाग का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में विरोध पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है ।

भारतीय परमाणु क्षेत्र में रूसी सहायता

511. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री मोगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग द्वारा हाल ही में घोषित दस वर्षीय कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्राद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस भारत को परमाणु क्षेत्र में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्भावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्ति पूर्ण कार्यों में करने के दिशा में सहयोग के लिये भारत तथा सोवियत संघ के बीच एक समझौता विद्यमान है । इस प्रश्न में उल्लिखित दस वर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिये सोवियत संघ से सहायता नहीं मांगी गई है । लेकिन इस समझौते पर अमल करने के बारे में विस्तार पूर्वक विचार किया जा रहा है ।

Demands by Government of Bihar for increase in Allocation of Funds

512. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Bihar has demanded a further increase in the amount allocated for the State for the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the extent of increase demanded and the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Allocation of Funds for Generating Power

513. **Shri Ramavatar Sharma :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view the need of generating more power, he has requested the Planning Commission to allocate more funds under this head :

(b) if so, the details of his proposal ; and

(c) the reaction of the Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The Working Group on Power recommended a target of 26 million kilowatts of installed generating capacity by the end of the Fourth Five Year Plan. The matter was taken up with the Planning Commission. In the Fourth Five Year Plan as finalised, the total outlay on the Power Sector has been fixed at about Rs. 2447 crores for an installed generating capacity of 23 million kilowatts. Keeping in view the constraints on financial resources, it had not been found possible for the present to provide further additional outlays for increasing the target of installed generating capacity.

Conference of All India Cantonment Board Employees Federation

514. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the twelfth annual conference of All India Cantonment Board Employees Federation was held at Subathu, District Ambala on the 27-28th June last ;

(b) if so, whether it is also a fact that the demand to give pension-gratuity benefits to Cantonment Board employees was made at the said conference ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ;

(d) whether the federation had also submitted any charter of demands to Government ;

(e) if so, the details thereof ; and

(f) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) Yes, Sir. It was held on 27th June at Subathu in Himachal Pradesh.

(b) One of the Resolutions passed at the Conference demanded pension and gratuity benefits for the employees of the Cantonment Board.

(c) The employees are at present in receipt of the benefits of the Contributory Provident Fund. Taking into account all factors, including the resources of the Cantonment Boards, further liberalization of non-effective benefits will not be feasible.

(d) to (f). Reference is apparently intended to other Resolutions passed by the aforesaid Conference. These relate to :

(i) certain matters arising out of the awards by the National Industrial Tribunal, agreements, rules etc. ;

(ii) Suggestions for amendments to the Cantonment Fund Servants Rules published in 1969 ;

(iii) various individual cases ;

(iv) alleged harassment of Trade Union workers ;

(v) request for revision of pay scales ;

(vi) appointments to class II posts.

No specific allegations of alleged harassment of Trade Union workers has been mentioned. Whenever concrete cases come to the notice of administrative authorities, the same are examined and appropriate action taken.

Regarding amendments to the Cantonment Fund Servants Rules, the Federation has been advised that its suggestions will be taken into account while finalising the same.

Regarding the other matters, discussions are held from time to time at the appropriate level of the Negotiating Machinery and appropriate decisions taken.

29 जुलाई, 1970 को होने वाली सदन की बैठक के लिए

515. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने अणु शक्ति के विकास के लिए कभी कोई दस अथवा पंद्रह वर्षीय कार्यक्रम अथवा कोई अन्य प्रकार का कार्यक्रम बनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रारूप कब तक तैयार किया गया था तथा उसकी मुख्य बातें क्या थीं ;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम तथा अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा पहले घोषित किये गये विकास कार्यक्रम की मुख्य बातों का तुलनात्मक विवरण क्या है ; और

(घ) विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अब तक विभाग को कितनी सफलता मिली है तथा कितनी असफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा प्रकाशित "परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान 1970-80 तक के वर्षों का कार्यक्रम" (Atomic Energy and Space Research A Profile for the Decade 1970-80) नामक पुस्तिका की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) विकास कार्य को करने की दिशा में हुई प्रगति का विवरण समय-समय पर विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में, जो सदन के सभा पटल पर रखी जाती हैं, दिया जाता रहा है।

तारापुर अणु शक्ति कारखाने में बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता का उपयोग

516. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तारापुर अणु शक्ति परियोजना ने पूरी क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो चालू वर्ष में महीने वार उत्पादित बिजली के ठीक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा यह किस तिथि तक पूरी क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर देगा ;

(ग) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई तथा इस मामले में किसे उत्तरदायी ठहराया गया है तथा इस सम्बन्ध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। तारापुर परमाणु बिजली घर में उसकी 400 मेगावाट की निर्धारित

उत्पादन क्षमता के मुकाबले में अप्रैल, 1970 में 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। इस वर्ष जून के अन्त तक प्रत्येक मास में उत्पादित बिजली की मात्रा नीचे दी जा रही है :—

मास	दस लाख यूनिट
जनवरी	174.407
फरवरी (28 दिन)	165.243
मार्च	213.416
अप्रैल	229.691
मई	241.648
जून	154.313

बिजलीघर लगातार अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने में सक्षम था। बिजली के उत्पादन की मात्रा उसकी माँग के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। जून में मानसून के आगमन से पन-बिजली के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण परमाणु बिजली की मांग में कमी हो गई।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में प्रगति

517. **डा० रानेन सेन :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण में हुई प्रगति धीमी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तीव्रता लाने के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अपेक्षतया कम हो रही है। अखिल भारतीय औसत 15.2 की तुलना में पश्चिमी बंगाल में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशतांश 6.9 है।

(ख) इसका मुख्य कारण इस कार्य के लिए अपर्याप्त धन का आबंटन है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में परेक्षण तथा वितरण का जाल बिछाने में अपेक्षतया धीमी प्रगति हुई है।

(ग) तथा (घ). पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के ऊर्जन के लिए ग्राम

विद्युतीकरण की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से समन्वित कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। परियोजना वार आधार पर कुओं के ऊर्जन के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमें प्रस्तुत की गई हैं। निगम ने अब तक 552 ग्रामों के विद्युतीकरण और 2309 पम्प सैटों/नलकूपों के ऊर्जन के लिए 150.69 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के लिए काम में लाये गये 419.55 लाख रुपये की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों का बंद होना

518. **डा० रानेन सेन :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जि० मो० विस्वास : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक कितनी कपड़ा मिलें बन्द हो चुकी हैं ;

(ख) इन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन) की इनमें से किसी मिल को अपने हाथ में लेने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में मई 1970 के अंत में समाप्त की जाने योग्य समझी गई मिलों को छोड़कर पाँच सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं और इनसे लगभग 7660 मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) तथा (घ). किसी भी सूती वस्त्र मिल का प्रबन्ध केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही अपने हाथ में लिया जा सकता है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा नहीं।

उपरोक्त पाँच मिलों में से तीन मिलों के मामले उनके परिसमापन आदि हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय मे लम्बित हैं और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक अन्य मिल के कार्यकलापों का अध्ययन करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है। पांचवी मिल के प्रबन्धक इसे समाप्त करने के इच्छुक हैं और इस मामले पर राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

बंगाल में तीस्ता और सोनापुरहाट बांध को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल की 12 करोड़ रुपयों की मांग

519. **श्री रानेन सेन :** **श्री कं हाल्दर :**
श्री इंद्रजीत गुप्त : **श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले चार वर्षों में उत्तर बंगाल में तीस्ता और सोनापुर हाट बांधों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से 12 करोड़ रुपयों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग स्वीकार कर ली है ; और

(ग) इस दोनों परियोजनाओं के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री ((श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तीस्ता बराज परियोजना (सोनापुरहाट बराज सहित) को कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग से वित्तीय सहायता मांगी थी। योजना आयोग इस स्कीम को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम मानने के लिए सहमत नहीं हुआ है और उसने राज्य सरकार से कहा है कि वह इसे राज्य की योजना के सिंचाई सैक्टर में शामिल कर ले।

(ग) तीस्ता बराज परियोजना रिपोर्ट से, जैसी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सितम्बर, 1968 में प्रस्तुत की थी, 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 13.5 लाख एकड़ भूमि सिंचित करनी थी। इसे विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाना था। केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के जलमार्ग मंत्री ने 22-11-1969 को इसके दुबारा बनाने तथा संशोधित प्रथम चरण में आने वाले क्षेत्र पर विचार किया। पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्रथम चरण के बारे में परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ तैयार करे।

भारतीय दूत को मोरक्को वापस भेजना

520. **श्री दिनकर देसाई** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रबात इस्लामी शिखर सम्मेलन के दौरान वापस बुलाये गये भारतीय दूत को मोरक्को वापस भेजने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार को भारतीय दूत को मोरक्को वापस भेजना पड़ रहा है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मोरक्को और जोर्डन की सरकारों ने रबात इस्लामी शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेने की घटना पर खेद प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। भारतीय दूत ने 17 जून, 1970 से रबात में अपना पद पुनः सम्भाल लिया है।

(ख) भारत सरकार इस ओर से सन्तुष्ट थी कि मोरक्को सरकार वाकई दोनों देशों में पुनः सामान्य द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना चाहती है।

(ग) दोनों सरकारों ने रबात-इस्लामी-शिखर सम्मेलन की घटना पर दुख तथा खेद प्रकट किया जिससे हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे।

पोंग बांध के विस्थापितों के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

522. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस आशय का एक वक्तव्य

दिया है कि जब तक पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक हिमाचल प्रदेश सरकार बांध का निर्माण आरम्भ करने की अनुमति नहीं देगी :

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार न 1 जुलाई, 1970 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के बारे में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या पोंग बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ; और यदि हां, तो इससे एक वर्ष में कितनी हानि होने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कुछ प्रभावशाली कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ). राज्य से सलाह मशविरा करके पोंग बांध के विस्थापितों के शीघ्र पुनर्वास के लिए पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं । विस्थापितों के स्थानांतरण तथा प्रबन्धों की देखभाल का काम इस मंत्रालय के एक प्रवर अधिकारी को सौंपा गया है ।

2000 से अधिक मकान तथा अपेक्षित संख्या में डिगियां पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं । कुछ और मकानों तथा डिगियों पर भी कार्य चल रहा है ।

(ग) पोंग बांध का निर्माण कार्य इस कारण बन्द नहीं हुआ है ।

भारतीयों का ब्रिटेन में चोरी छिपे ले जाया जाना

523. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों के कुछ लोगों द्वारा कुछ भारतीय नागरिकों को इंग्लैंड में चोरी छिपे ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने भारतीय नागरिक थे और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के पारपत्र विभाग के कुछ कर्मचारी जाली पारपत्र जारी करते हैं तथा जालसाजी होने के पश्चात् ऐसी घटनायें प्रकाश में आई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मामलों में कुछ यात्रा एजेन्सियों का भी हाथ है तथा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भारत सरकार ने वैध और कानूनी पारपत्रों के बिना भारतीयों को विदेश जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं ।

(ख) सुलभ सूचना के अनुसार गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में प्रवेश करने का प्रयत्न

करते समय ब्रिटिश प्राधिकारियों ने 40 भारतीय राष्ट्रिकों को पकड़ लिया था जिनके पास वैध भारतीय यात्रा दस्तावेज थे। इनमें 38 स्वदेश वापस गये हैं। इस मामले की ओर आगे छानबीन की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) इसका सुनिश्चय करने के लिए प्रत्येक निर्गम स्थल पर चौकसी रखने की जरूरत है कि लोग वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश से बाहर न जाएं।

कागज तथा गत्ते का आयात

524. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की कुछ वस्तुओं के बदले किस प्रकार के कागज और गत्ते का आयात करने की अनुमति है तथा उसकी प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में आयवरी बोर्ड, मिल बोर्ड तथा अन्य किस्म के गत्तों का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तथा उत्तम किस्म के गत्ते का उत्पादन होता है किन्तु फिर भी कुछ मदों के निर्यात के बदले में कागज तथा गत्ते का आयात करने दिया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका कारण तथा औचित्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार का वर्तमान नीति में कमियों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब नियुक्त करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण नीति, खंड 2, 1970-71 में की गई व्यवस्था के अनुसार पंजीयित निर्यातकों को, निर्यात उत्पादन के प्रयोजनार्थ, आर्ट तथा क्रोम कागज, अति उजवल फूड-गत्तों, कार्ट्रिज कागजों, ग्लासीन कागज, वेजीटेबल पार्चमेन्ट कागजों आदि की बेहतरीन किस्मों का सीमित परिमाण में आयात करने की अनुमति है। वास्तविक उपभोक्ताओं को, चाहे वे निर्यातक न भी हो, कागज तथा गत्ते की ऐसी मदों का, जिनका स्वदेशी उत्पादन या तो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा जिनका देश में निर्माण नहीं होता, आयात करने की भी अनुमति है।

(ख) तथा (ग). आइवरी बोर्ड का भारत में निर्माण नहीं होता। परन्तु मिल बोर्ड, ग्रे बोर्ड, स्ट्रा बोर्ड, डूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स बोर्ड तथा पल्प बोर्ड भारत में बनाया जाता है। कागजी गत्ते की बेहतरीन किस्मों, अर्थात् डूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स तथा पल्प बोर्ड का देश में होने वाला उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। फिर भी निर्यात संवर्धन तथा विश्व बाजार प्रतियोगिता के हित में पंजीयित निर्यातकों को आर्ट तथा क्रोम कागज, अति उजवल फूड गत्ते, ग्लासीन कागज आदि के सीमित परिमाण में आयात करने की अनुमति देनी पड़ती है। आयात नीति के अन्तर्गत ऐसी मदों के आयात की अनुमति देने के मुख्य कारण ये हैं कि या तो

इन मदों का देश में निर्माण नहीं होता अथवा स्वदेशी उत्पादन, अगर होता है तो, पर्याप्त नहीं है और इन मदों की गुणता निर्यात प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ). प्रति वर्ष आयात नीति की समीक्षा सम्बद्ध मंत्रालयों तथा विभागों और तकनीकी प्राधिकारियों से परामर्श करके की जाती है, अतः विद्यमान नीति की किसी संभावित कमी का पता लगाने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजदूतों का स्थानांतरण

525. **अब्दुल गनी डार :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अनेक भारतीय राजदूतों को स्थानांतरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा स्थानांतरण के कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). समय-समय पर राजदूतों तथा हाई कमिश्नरों का स्थानांतरण विदेश सेवा की सामान्य बात है । गत छह महीने में निर्णीत स्थानांतरणों/नई नियुक्तियों का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3759/70]

बिजली रहित गांव

526. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई, 1970 तक राज्यवार कितने गांवों में विद्युतीकरण नहीं किया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चतुर्थ योजना के दौरान खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का झुकाव पम्पसैटों के ऊर्जन की ओर जारी रहेगा और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का ग्राम विद्युतीकरण आनुषंगिक भाग बना रहेगा । अपेक्षित जानकारी का विवरण, जैसा कि उपलब्ध है, संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	ग्राम की कुल संख्या	30.6.1970 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	1.7.1970 तक विद्युतीकृत न होने वाले शेष ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,084	7,355	19,729
2.	असम	25,702	693	25,009
3.	बिहार	67,665	7,412	60,253
4.	गुजरात	18,584	3,477	15,107

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	6,669	3,525	3,144
6.	जम्मू तथा कश्मीर	6,559	763	5,796
7.	केरल	1,573	1,166	407
8.	मध्य प्रदेश	70,414	5,159	65,255
9.	महाराष्ट्र	35,851	10,323	25,528
10.	मैसूर	26,377	6,642	19,735
11.	नागालैंड	814	40	764
12.	उड़ीसा	46,466	988	45,478
13.	पंजाब	11,947	5,581	6,366
14.	राजस्थान	32,241	2,515	27,726
15.	तमिलनाडु	14,124	9,531	4,593
16.	उत्तर प्रदेश	1,12,624	15,697	96,927
17.	पश्चिम बंगाल	38,454	2,728	35,726
	कुल (राज्य)	5,43,148	83,605	4,59,543
	संघीय प्रदेश	23,730	4,627	19,103
	कुल योग	5,66,878	88,232	4,78,646

निर्यात प्रधान कारखानों को लाइसेंसों का दिया जाना

527. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रधान कारखानों को लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस बारे में यह निर्णय कब किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां।

निर्यात अभिमुख एककों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धांतों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1970 के एक प्रेस

नोट द्वारा, जिसकी एक प्रति संलग्न है, उसका एलान कर दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3760/70]

(ग) प्रश्न नही उठता।

मिजो, नागा तथा कुकी विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान निकल भागना

528. **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग पंद्रह सौ मिजो, कुकी तथा नागा विद्रोही हाल में पूर्वी पाकिस्तान निकल भागने में सफल हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विद्रोहियों के पाकिस्तान निकल भागने की रोकथाम के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हाल ही में विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान में कोई विशेष गतिविधि नहीं हुई। तदपि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि लगभग 1200 मिज़ो और 50 विद्रोही नागाओं ने 1968 से पूर्वी पाकिस्तान में शरण जा ली है।

(ख) और (ग). इन तत्वों को पाकिस्तान द्वारा दी गई सहायता और समर्थन के विषय में पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गए हैं। इन विद्रोहियों के पाकिस्तान जाने-आने की रोक-थाम के लिए भी उचित उपाय किए गए हैं।

उड़ीसा में ग्रामों का विद्युतीकरण

529. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1969-70 तथा 1970-71 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाएगा ;

(ग) 1970-71 के कार्यक्रम के अनुसार अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ;

(घ) उड़ीसा के पूरी जिले में अब तक 1969-70 तथा 1970-71 में किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ; और

(ङ) उड़ीसा के पूरी जिले में इस वर्ष के अन्त में किन ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का विचार है ; और उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी योजना के दौरान, पम्पों के ऊर्जन पर अधिक जोर देकर, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को युक्तियुक्त बनाने का काम जारी रखा जाएगा ; ग्राम विद्युतीकरण उपर्युक्त कार्यक्रम में आनुषंगिक रूप से होगा। उड़ीसा के सम्बन्ध में राज्य की चौथी योजना में 1500 पम्पों की ऊर्जित करने के लिये प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग). 1969-70 के दौरान 146 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। 1970-71 में 180 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम है और उनमें से अभी तक 21 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(घ) और (ङ). जानकारी नीचे दी जाती है :

1969-70 में विद्युतीकृत ग्रामों के नाम

1. पंचरिडा-मानपुर	10. कामासासन
2. लेंकुडिपाडा	11. गोडीपल्ली
3. पैकबाड	12. चडियापल्लो
4. माहुल	13. बुधिपाडा
5. पिचूकली	14. पाथरपाडा
6. जादूपुर	15. भागपाडा
7. वेरबोई	16. रेबनानुआयांव
8. टांडीकेरा	17. गिरिंगा
9. बसुदेवपुर	

1970-71 में विद्युतीकृत ग्रामों के नाम

1. कुराल	2. रेब्रां

1970-71 में विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित शेष ग्रामों के नाम

1. नालीबाना	12. सौतरपुर
2. भारतीपुर	13. लेंडो
3. अथरभाग	14. दिव्यसिंहपुर
4. कपिलेश्वरपुर	15. कलमाटी
5. रंगनीपटना	16. बेंटापुर जागीरी
6. नटगांव	17. अदासपुर
7. श्रीलाकृष्णनगर	18. गोरवाल
8. तरिमाल	19. सरस्वतीपुर
9. बेनावंजारी	20. लक्ष्मीनारायणपुर
10. बिसियापाडा	21. बाजपुर
11. जगदलपुर	22. प्रताप रामचन्द्रपुर

उड़ीसा में उन ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति को तेज करने के लिये, जिन में पम्पों के ऊर्जन पर अधिक जोर दिया गया है, राज्य के अधिकारियों को समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के लिये कहा गया है। ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाने के लिए, राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रावधानित 6. 5 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त, ग्राम-विद्युतीकरण निगम भी राज्य की योजना से बाहर की धन-राशि में से सहायता की व्यवस्था कर रहा है। अभी तक ग्राम-विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा में 423 ग्रामों और 9205 पम्पों/नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये 167.64 लाख रुपये की धन-राशि स्वीकार की है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई स्थानों का विद्युतीकरण

530. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में उठाऊ सिंचाई के 1500 स्थानों का विद्युतीकरण करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1969-70 तथा 1970-71 में यह कार्यक्रम बहुत धीमा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस कमी के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना में 1500 पम्पसैटों/नलकूपों के ऊर्जन के लिए प्रावधान किया हुआ है।

(ख) और (ग). 1969-70 में केवल 63 पम्पसैटों/नलकूप ऊर्जित किए गए थे। 1970-71 में 180 पम्पसैटों/नलकूपों को ऊर्जित करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण और वितरण तारजाल के विस्तार के लिये वित्तीय संसाधनों की तंगी ही धीमी प्रगति का मुख्य कारण है। पम्पसैटों के ऊर्जन पर जोर देने वाली, उड़ीसा की ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे समेकित कार्यक्रम तैयार करें। ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाने के लिए ग्राम-विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य योजनाओं के बाहर से धन-राशि की व्यवस्था करके भी सहायता दी जाती है। अब तक उड़ीसा में ग्राम-विद्युतीकरण निगम ने 423 ग्रामों तथा 9205 पम्पसैटों/नलकूपों को बिजली देने के लिए 167.64 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

सिंधु जल संधि के समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान को सिंचाई की सुविधाए

531. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धु जल सन्धि की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान नहर में कितना अतिरिक्त पानी छोड़ दिया जायेगा ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क)सिन्धु जल सन्धि में व्यवस्थित संक्रमण अवधि (31-3-1970) की समाप्ति के पश्चात् भारत में अबाध उपयोग के लिए उपलब्ध हो गए रावि-ब्यास के कुल फालतू पानी में से राजस्थान को जो अतिरिक्त सप्लाई मिलेगी, उसे 1963 में प्रारूपित राजस्थान नहर परियोजना में ध्यान में रखा गया था। राजस्थान नहर का निर्माण तेजी से चल रहा है और तदनुसार अतिरिक्त पानी का समुपयोजन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान नहर के क्षेत्र में कुल लगभग 7.0 लाख एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई होने की सम्भावना है।

चाय के लिये नये नीलामी केंद्रों का खोला जाना

533. **सरदार अमजद अली :**
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौहाटी और दिल्ली में दो नये चाय नीलामी केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दो केन्द्रों से कलकत्ता के चाय नीलामी केन्द्र पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Indian Territory under Occupation of Pakistan and China

534. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the Indian territory at present in occupation of Pakistan and China, separately ; and

(b) whether Government propose to take back these territories and, if so, by when ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) (i) The Chinese illegally occupy a little over 16,500 square miles of Indian territory, while Pakistan is in illegal occupation of about 30,500 square miles.

(ii) Along the borders of West Bengal, Assam and Tripura with East Pakistan, a few small stretches of land are in the adverse possession of Pakistan. These are not noticeable on any large-scale maps. This situation is expected to be automatically rectified when demarcation on the ground of the boundaries is completed.

(b) It remains the Government of India's policy to seek the return of these territories through peaceful negotiations.

जूट उद्योग को दी जाने वाली राजीय सहायता

535. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूट आयुक्त ने यह कहा है कि यदि जूट उद्योग को शीघ्र ही राज सहायता न दी गई तो जूट की वस्तुओं का निर्यात जिनसे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, में भारी गिरावट आ जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि उचित राज सहायता मिली तो यद्यपि टाट और हैसियन का निर्यात हाथ से निकल गया है तथापि अगले पांच वर्षों में गलीचे के अस्तर के निर्यात को दुगना किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). सरकार को, हमारे पटसन माल, विशेषत: टाट तथा हैसियन के निर्यात में गिरावट की जानकारी पहले ही है । संयुक्त राज्य अमरीका में मन्दी के कारण कालीन अस्तर वस्त्र के निर्यात में भी हाल के कुछ महीनों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है । यह सम्भावना है कि मांग जल्दी ही बढ़ जायेगी । पटसन माल के हमारे निर्यातों में सुधार लाने के प्रश्न पर निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है ।

बहुत ऊंचाई पर तैनात सैनिक कर्मचारियों के लिए हैलीकोप्टरों की व्यवस्था

536. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि हमारे सैनिक कार्मचारियों, जिनमें अधिकारी और जवान शामिल हैं, को पूर्वोत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में बड़ी ऊंचाई पर बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या उनको पता है कि बड़ी ऊंचाई तथा बहुत दूरी पर स्थित चौकियों के कार्य का निरीक्षण करने में ब्रिगेडियर तथा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को कठिनाई होती है और उनको इसके लिये पैदल तथा टट्टुओं पर जाने में कई सप्ताह लग जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार न्यूनाधिक प्रत्येक कमान के अन्तर्गत कम से कम प्रति हजार वर्ग मील क्षेत्र के लिये ऐसे उच्च-सैनिक अधिकारियों के लिये हैली-काप्टरों की व्यवस्था करने की सम्भावना समझती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). पर्वतीय तथा उन कठिन भू-प्रदेशों में नियुक्त सेनाओं में आने जाने के लिए, कि जहां तीव्रगामी अन्य संचार साधन प्राप्य नहीं हैं, स्थानीय कमांडरों को हैलिकाप्टर प्राप्य करने के गुण-लाभ सरकार को अवगत है । वर्तमान

संसाधनों के अन्दर-अन्दर अनिवार्य संचार और संक्रियात्मक उद्देश्यों के लिए स्थानीय कमांडरों को हैलीकाप्टरों की उड़ानें प्राप्य की जा रही हैं।

अग्रिम क्षेत्रों में जवानों के लिए डाक्टर

537. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम क्षेत्रों में कर्त्तव्यरत प्रत्येक ब्रिगेड के लिए निर्धारित डाक्टर आवश्यक संख्या में तैनात हैं तथा उन क्षेत्रों में जवानों के साथ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि काश्मीर में सेवा कर रही कुछ यूनिटों में सांविधिक रूप से निर्धारित 6 डाक्टरों के स्थान पर केवल दो डाक्टर हैं जिससे जवानों को काफी असुविधा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) किसी ब्रिगेड में डाक्टरों की अधिकृत संख्या संयोजन पर निर्भर है। डाक्टर चिकित्सा बटालियों और क्षेत्रीय हस्पतालों के लिए भी अधिकृत किये जाते हैं कि जो उस ब्रिगेड में हों।

(ख) जी नहीं। काश्मीर में नियुक्त यूनिटों में डाक्टरों की कुछ कमी है, परन्तु वह $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत जितनी बड़ी कमी नहीं है।

(ग) सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के समग्र कमी के कारण, किसी यूनिट में अधिकृत डाक्टरों के सभी स्थानों को भर पाना शक्य नहीं है, तदपि, अग्रिम क्षेत्र की यूनिटों को प्राथमिक्ता दी जाती है। सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं में चिकित्सा अफसरों की कमी मुख्यत: देश में डाक्टरों की कमी के कारण है।

स्थिति में सुधार के लिए निम्न पग उठाए गए हैं :

(1) भर्ती के प्रयासों को अधिक गहन कर दिया गया है।

(2) उपलब्धियों समेत सेवा की शर्तों में सुधार किया गया है।

(3) उपयुक्त हालतों में अफसरों को पुन: नियुक्त किया जा रहा है।

एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी द्वारा सीरिया में सीमेंट कारखाने स्थापित करना

538. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि यह सच है कि ऐसोसिएटिड सीमेंट कंपनी सीरिया में सीमेंट के कारखाने स्थापित कर रही है ;

(ख) क्या हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस उद्यम से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ हो रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का भी विदेशों में ऐसे ही सीमेंट कारखाने स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने मैसर्स यूनियन आफ इंजीनियरिंग एण्ड केमिकल इंडस्ट्रीज (यूनिचेम), दमिश्क को हामा, दमिश्क और एलिपो में स्थापित करने के लिये तीन सीमेंट संयंत्रों की पूर्ति करने की पेशकश की है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 1000 मे० टन प्रतिदिन होगी। ज्ञात हुआ है कि यूरोप तथा जापान की कुछ फर्मों ने भी पेशकश प्रस्तुत की है। निविदा पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(घ) विदेशों में स्थापित किये जाने वाले सीमेंट संयंत्रों हेतु तकनीकी जानकारी तथा उपकरणों के निर्यात को भारत सरकार प्रोत्साहित करती रही है। कुवैत में एक सीमेंट पीसने तथा संवेष्टन संयंत्र की स्थापना हेतु हाल ही में भारत की एक फर्म ने एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्राप्त की है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा जूट का उत्पादन

539. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के आयात का 80 प्रतिशत से अधिक आयात इस वर्ष के अंत तक राजकीय व्यापार एजेंसियों के द्वारा करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जूट का आयात किन एजेंसियों को सौंपा जायेगा तथा इसका काश्तकारों, निर्माताओं और निर्यात कर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार की यह नीति है कि आयात और निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अधिकरणों के कार्यकलापों के क्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाये। इस नीति के अनुसार बहुत सी वस्तुओं का निर्यात और आयात राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और अन्य राज्य अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है।

(ख) उन मदों की एक सूची, जिनका आयात या निर्यात राज्य अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत है, संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी**। देखिये संख्या एल० टी०—376/70]

(ग) कच्चे पटसन का आयात राज्य अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि

540. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1970 के टाइम्स आफ इंडिया में

प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश की बहुत सी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और पूर्ण होने में देरी के कारण उनकी लागत में 1,000 करोड़ रुपयों से अधिक की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि हुई है ; और उन्हें कब आरम्भ किया गया था तथा वे कब पूरी हुई हैं ;

(घ) कितनी परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उनका ब्यौरा क्या है, उन्हें किस बर्ष आरम्भ किया गया था तथा देरी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जब से योजनाओं का सूत्रपात न किया गया है, तब से 78 बृहत् सिंचाई स्कीमें हाथ में ली गई हैं । इनमें से 16 बृहत् स्कीमें, स्वीकृति के समय जिनकी अनुमानित लागत लगभग 223 करोड़ रुपये थी, पूर्ण हो गई हैं । इन स्कीमों की लागत में लगभग 50 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

चौथी योजना में बृहत स्कीमें संतत स्कीमें हैं । इन पर 1381 करोड़ रुपये लगने का अनुमान था । राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अब इन पर 2484 करोड़ रुपये लगने की संभावना है । विवरण संलग्न किया जाता है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3762/70]

लागतो में वृद्धि हो जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि प्रौद्योगिकीय तौर पर व्यवहार्य निर्माण की इष्टतम गति पर परियोजनाओं के निर्माण के लिये पर्याप्त संसाधनों की कमी हो गई जिससे निर्माण की अवधि काफी लंबी हो गई है जिसके दौरान श्रम और सामग्री की लागतें बढ़ गई ।

(ङ) चौथी योजना के दौरान, उन संतत स्कीमों के लिये यथा संभव अधिकतम आवंटनों की व्यवस्था करने के प्रश्न को प्राथमिकता दी गई जिन पर काफी प्रगति हो चुकी है ।

ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई

541. **श्री अदिचन : श्री रामावतार शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में हाल में सरकार के परिवर्तन के पश्चात् ब्रिटेन सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की पुनः सप्लाई किये जाने की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने की ब्रिटेन की मंशा की सरकार ने कठोर निन्दा की है क्योंकि इससे दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार को और बल मिलेगा तथा हिंद महासागर के क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। इस बारे में हमने अपनी गम्भीर चिन्ता से गम्भीर चिन्ता से ब्रिटिश सरकार को अवगत करा दिया है।

दलाई लामा के प्रधान कार्यालय से प्रकाशित तिब्बती बुलेटिन

542. **श्री अदिचन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दलाई लामा के प्रधान कार्यालय से प्रकाशित और 23 जून, 1970 के ट्रिब्यून में उद्धत तिब्बती बुलेटिन की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि चीनियों ने 15 से 50 वर्ष की आयु के स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को 7 मिलिशिया वर्गों में बाँट कर और समय पड़ने पर तथाकथित "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी" की सहायता करने को तैयार रहने के लिए उनको प्रोत्साहित कर तिब्बत के लोगों में युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया है;

(ख) क्या ये समाचार चीन द्वारा भूटान पर आक्रमण करने की कथित तैयारियों तथा चीन द्वारा भूटान में बलात प्रवेश के सम्बन्ध में है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार को इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे भूटान पर हमला करने के अभिप्राय था उस देश में हाल के थुसपैठों की मामूली घटनाओं के साथ इन अपुष्ट खबरों को संबद्ध किया जाए। सामान्य स्थिति पर सरकार बराबर निगरानी रख रही है।

Construction of Roads by China in Pak-Occupied Kashmir

543. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri C. K. Bhattacharya :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Government of China have linked Pakistan-occupied Kashmir and Sinkiang by constructing two new roads ;

(b) if so, whether the security of India has been jeopardised thereby ; and

(c) if so, whether Government have taken all precautionary measures in view of this danger ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) Information regarding the construction of the roads linking Gilgit with sinkiang through the Mintaka Pass and the Khunjerab Pass with Chinese assistance, was given to the House in reply to Unstarred Question No. 604 on 24th July 1968 and in the statement made by the Minister of External Affairs on 22nd July 1969.

(b) and (c). Government are aware of the military implications of the road especially in the context of Sino-Pakistani collusion. Due note has been taken of the development in making our defence arrangements.

Setting up a Central Electricity Control Board

544. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Central Electricity Control Board comprising of eight Northern States is being set up in Delhi ;

(b) if so, the full details of the proposals ; and

(c) whether there is any scheme to set up such centres through out the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). With a view to ensuring officient economical and early implementation of the hydro-electric projects taken up by the Government of India at Salal in the State of Jammu and Kashmir, Baira Siul in the Union Territory of Himachal Pradesh and Loktak in the Union Territory of Manipur, the Government of India have set up a Committee of Direction and the "Central Hydro electric Projects Control Board". The Committee of Direction comprises the Union Minister of Irrigation and Power as Chairman; and the Union Deputy Minister of Irrigation and Power ; State Minister of Power, Jammu & Kashmir/ Chief Minister, Himachal Pradesh/Chief Minister, Manipur and the Chairman of the Central Hydro-electric Projects Control Board as Members. The Committee of Direction will lay down the policy in regard to execution of the three hydro-electric projects. The Central Hydro electric Projects Control Board as Secretary, Ministry of Irrigation and Power, as Chairman, consists mainly of representatives of the Central Water and Power Commission and of the concerned State Government/Union Territorries where the projects are olcated. The functions of the Board relate mainly to the administrative, technical and financial control of the execution of the three projects.

Russian Help for Maintaining Indo-Pak Amity

545. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Russian Government are using or going to use their good offices for maintaining co-operation and amity between India and Pakistan ;

(b) if so, whether there had been any talks between India and Russia on the officers level in this regard ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). So far as Indo-Pak relations are concerned, the Government of India believe that Indo-Pakistan differences should be resolved bilaterally and through peaceful negotiations. The Soviet Government has also declared publicly on a number of occasions that they would like to see India and Pakistan live as good neighbours and settle their differences through bilateral negotiations.

The two Governments are in regular touch with each other on this and other international questions.

Wagon deal with Russia

546. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Ramachandra Veerappa :**
Shri N. K. Sanghi : **Shri Himatsingka :**
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Russia and India have finalised an agreement regarding the export of Indian railway wagons to Russia ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) if not, the causes of delay and the time likely to be taken in taking a final decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) to (c). Negotiations between the Soviet Purchase Organisation, V/O Machinoimport and the State Trading Corporation regarding the sale of railway wagons by India to USSR have been in progress. The contract has not been concluded so far due to lack of agreement, on the question of price. At this stage, it is difficult to indicate when the deal would be finalised,

पश्चिम बंगाल के एक संसद सदस्य के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

547. **श्री गणेश घोष :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कलकत्ता से निर्वाचित वर्तमान लोक-सभा के एक सदस्य के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निश्चित रूप से कब जांच कार्य आरम्भ किया था;

(ग) उक्त संसद सदस्य के विरुद्ध क्या आरोप है ; और

(घ) जांच कार्य पूरा करने में क्यों देरी की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) जी हां ।

(ख) 7-5-1968 ।

(ग) जांच के हित में अभी यह सूचना देना ठीक न होगा ।

(घ) यह पेचीदा और कठिन मामला है क्योंकि इसमें लगभग 1000 दस्तावेजों की जांच करनी है और 116 गवाहियां लेनी है ।

भारत मूलक आप्रवासियों को भारत आने में एक ब्रिटिश फर्म द्वारा सहायता का प्रस्ताव

548. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक ब्रिटिश फर्म ने भारत मूलक प्रत्येक आप्रवासी को 1000 पौंड और दिल्ली तक के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो कितने आप्रवासियों ने इस प्रस्ताव का लाभ उठाया है ;

(ख) क्या सरकार ने इंगलैंड की सरकार से इस बारे में बातचीत करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि आप्रवासियों को इस प्रकार भारत आने के लिए मजबूर न किया जाये ; और

(ग) भारतीय विरोध पर इंगलैंड की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव से अगवत नहीं है । फिर भी 'इनोक पौवेल एण्ड सन्स' पर एक कार्टून की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ऐसे प्रत्येक आप्रवासी को 100

पौंड दिया जायेगा और मुफ्त दिल्ली यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी जो ब्रिटिश द्वीप छोड़ना चाहता हो।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया के साथ व्यापार करार

549. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी व्यापार, कुछ वस्तुओं पर सीमाशुल्क की छूट, और संयुक्त परियोजनाओं के क्षेत्र में तीनों देशों (भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया) के बीच अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए युगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य की सरकारों के साथ किये गये करार का ब्यौरा क्या है जैसी कि नई दिल्ली 7 जुलाई और उसके पश्चात् मंत्री स्तर पर हुई बैठक में बातचीत की गई थी ; और

(ख) क्या भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार बढ़ाने संबंधी 1970-71 के व्यापारिक कच्चे मसौदे पर उक्त बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त अरब गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिये हैं ; और

(ग) इस बैठक के परिणाम स्वरूप भारत को क्या अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच दिल्ली में 7 जुलाई, और उसके पश्चात मंत्री स्तर पर हुई बातचीत भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच विद्यमान द्विपक्षीय व्यापार करार से संबंधित थी।

(ख) मंत्रियों की बैठक में वर्ष 1970-71 के लिये व्यापार संलेख की मोटी मोटी रूप-रेखा पर समझौता हो गया था और शीघ्र ही एक व्यापार संलेख पर काहिरा में हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1969-70 के 71 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1970-71 के दौरान दोनों देशों के बीच 78 करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार होने की आशा है।

ब्रिटेन की जेलों में राष्ट्रिकता विहीन भारतीय

550. **श्री भगवान दास** :
श्री के० रमानी :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राष्ट्रिकता विहीन भारतीय ब्रिटेन में जेलों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मामले पर ब्रिटेन सरकार से बातचीत करने का है?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). आवश्यक पूछताछ की जा रही है तथा सूचना सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता के विकास के लिए चौथी पंच-वर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली राशि

551. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री समर गुह :

क्या **प्रधान मंत्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता महानगर आयोजना क्षेत्र के विकास के लिए **चौथी** पंचवर्षीय योजना में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो किन मदों पर यह राशि खर्च की जायेगी और प्रत्येक मद के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या यह योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित रूप में चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). कलकत्ता महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य की चौथी योजना में 42.88 करोड़ रुपये की अस्थायी व्यवस्था की गई है। कलकत्ता महानगरीय क्षेत्रों के विकास की तुरन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिए गये जिससे जल आपूर्ति, मल निकासी, परिवहन आवास आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए व्यय व्यवस्था की जा सकेगी ताकि योजना से बाहर इन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

प्रधान मन्त्री द्वारा अन्य मन्त्रालय के विभागों को अपने अधीन लाया जाना

552. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य-भार अस्थाई रूप से लिए जाने से भी पहले ही चीफ आफ मिलीटरी इंटैलीजेंस, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो तथा आपराधिक जांच ब्यूरों ने सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट देना आरम्भ कर दिया था ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री का विचार इन आसूचना एजेंसियों का कार्य भार, जो कि पहले गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन थे, गृह-कार्य मंत्रालय को सरकार के अन्य सदस्य को सौंपे जाने के बाद भी, प्रधान मंत्री के रूप में स्थायी रूप से अपने हाथ में लेने का है ;

(ग) क्या उन्होंने राजस्व, आसूचना तथा प्रवर्तन निदेशालय, जो पहले हमेशा वित्त मंत्रालय के अधीन थे, को स्थायी रूप से अपने अधीन लेने का निर्णय भी किया है ;

(घ) क्या उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन कर्मचारी प्रशासन को भी अपने अधीन लेने का निर्णय किया है ; और

(ङ) क्या वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक

अनुसंधान परिषद् के अधीन अनुसंधान संस्थानों का कार्यभार भी मंत्रिमण्डल सचिवालय के द्वारा संभाले रहेंगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सैनिक आसूचना के अध्यक्ष (चीफ आफ मिलिटरी इंटैलीजेंस) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन हैं । आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मंत्रिमडल सचिवालय के नव-निर्मित कर्मचारी प्रशासन विभाग के अधीन रखने का विचार है, अन्य दोनों अभिकरण पूर्ववत अपने सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे ।

(ग) राजस्व आसूचना महा निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिला दिया गया है क्योंकि उनके कार्यों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है और इस एकीकरण से दोहरे काम की आवश्यकता नहीं रहेगी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो इस समय गृह-मंत्रालय में है, इसे मंत्रिमन्डल सचिवालय के कर्मचारी प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित करने का विचार है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से सम्बद्ध शिकायतों की जांच करना इसके प्राथमिक उत्तरदायित्वों में से एक उत्तरदायित्व है ।

(घ) कर्मचारी प्रशासन विभाग अब मंत्रिमंडल सचिवालय में है ।

(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मंत्रिमंडल सचिवालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत है ।

श्री मिर्जा हाजी कुली मस्तान के यात्रा दस्तावेजों पर जाली सिफारिश

553. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के राज्यपाल ने एक संसद सदस्य/प्रधान मन्त्री के नाम एक पत्र में बताया है कि बम्बई के श्री हाजी कुली मस्तान के यात्रा दस्तावेजों पर तत्कालीन बिहार राज्यपाल की सिफारिश जाली सिफारिश थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार तथा बिहार के वर्तमान गवर्नर संयुक्त रूप में इस जालसाजी के लिए श्री मस्तान पर मुकदमा चलायेंगे और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि श्री मस्तान के जमानत पर रिहा होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर गौर किया जा रहा है ।

(ग) जमानत के उनके प्रार्थना-पत्र पर हाई कोर्ट में 28 जुलाई, 1970 को सुनवाई होनी थी और सीमा-शुल्क प्राधिकारी की ओर से इसका विरोध किया जाना था ।

अभ्रक का निर्यात

554. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अभ्रक के निर्यात में कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण नेपाल के द्वारा भारतीय अभ्रक का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत से अभ्रक के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष 1969-70 में 17.47 करोड़ रुपये मूल्य के 242.5 लाख किलोग्राम अभ्रक का कुल निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 1968-69 में 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के 209.5 लाख किलोग्राम अभ्रक का निर्यात हुआ था।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

संश्लिष्ट धागे का आयात

555. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात के बदले संश्लिष्ट धागे के आयात के बारे में कोई योजना बना ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) आयातित धागे के वितरण के लिये कौन सी योजना बनाई गई है ;

(घ) क्या धागे की सप्लाई वास्तविक खपत तथा निर्यात वायदों से संबद्ध होगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). वस्तु-विनिमय आधार पर 50,000 मेटन शक्कर के निर्यात से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये पोलिस्टर फिलामैंट यार्न तथा कुछ अन्य मदों के आयात की अनुमति राज्य व्यापार निगम को दी गई है। राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरण प्रक्रिया को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

टोरी दल की रंगभेद नीति के कारण राष्ट्रमण्डल को छोड़ना

556. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के गत आम चुनावों में टोरी दल की विजय के कारण भारत का विचार राष्ट्रमण्डल छोड़ने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेषकर टोरी दल की रंगभेद नीति को देखते हुये इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कन्जर्वेटिव पार्टी ने उग्र जातिवादी नीतियों को अस्वीकार कर दिया है जिनका प्रतिपादन इनोक पौवेल जैसे कुछ इसके सदस्यों ने किया है । हालांकि ब्रिटेन में स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर आने वाले प्रवासियों के संबंध में वे प्रतिबन्धक नीति का अनुसरण करना चाह रहे हैं, फिर भी वे उन अश्वेत लोगों को ब्रिटेन छोड़ने के लिये बाध्य नहीं करेंगे जो वहां पहले से ही बस चुके हैं । हमें उनके संबंध में निर्णय इस आधार पर करना चाहिये कि वे जातिगत मामलों में क्या करते हैं न कि इस आधार पर कि उनमें से कुछ क्या कहते हैं ।

पाइपों का निर्यात

557. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला की कम्पनी जेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड अमरीकी सेनाओं और दक्षिण वियतनाम में सैगोन शासन को नियमित रूप से पाइपों की सप्लाई करती है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) उससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत से दक्षिण वियतनाम को इस्पात के पाइपों का निर्यात नहीं होता ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये लक्ष्य का निर्धारण न होना

558. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की भांति चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-70 में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं की भांति चौथी पंचवर्षीय योंजना में 1968-69 के अन्त में बेरोजगारी तथा अंशकालिक रोजगारी का अनुमान क्यों नहीं दिया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) "माननीय सदस्य का ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के पैरा 22.13 से 22.16 की ओर दिलाया जाता है जिनमें विस्तार से यह बताया गया है कि किन कारणों से चौथी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उस प्रणाली के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गये हैं जिसका अनुसरण पिछली योजनाओं में किया गया था ।"

प्रत्येक दूतावास में कर्मचारी व्यवस्था तथा उस पर खर्च

559. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ भारत ने (1) राजदूतों, (2) उच्च आयुक्तों तथा (3) कार्य-दूतों के परस्पर आदान-प्रदान के द्वारा राजनयिक संबंध बना रखे हैं ;

(ख) प्रत्येक राजदूत, कार्यदूत, तथा उच्च आयुक्त का क्या नाम है ;

(ग) प्रत्येक दूतावास द्वारा 1968-69 में कितना धन खर्च किया गया तथा वर्ष 1969-70 के लिये परिशोधित अनुमान तथा वर्ष 1970-71 के लिये बजट व्यवस्था क्या है ; और

(घ) इस समय प्रत्येक दूतावास में कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से कितने भारतीय तथा कितने विदेशी हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3763/70]

विमान वाहक विक्रांत में विमानों को बदलना

560. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विमान वाहक विक्रान्त में वर्तमान विमान पुराने पड़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पुराने विमानों के स्थान पर नए विमान रखने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नहीं में है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) तथा (ख). आई-एन-एस विक्रांत लड़ाका बाम्बर विमानों और कुछ हेलिकाप्टरों को वहन करता है । पूर्वोक्त का कृत्य संघातक है । उत्तरोक्त मुख्यत: पनडुब्बियों के विरुद्ध सामरिक टोह और सागर अन्तरिक्ष बचाव के लिए उद्दिष्ट हैं ।

हेलिकाप्टर सभी आधुनिक हैं, लड़ाकु बाम्बर विमान पुराने होते हुए भी अभी प्रभावशाली हैं । उनमें से कोई भी अप्रचालित नहीं है ।

(ग) तथा (घ). सरकार लड़ाका बाम्बर विमानों को नए क्रय द्वारा तबदील करने का विचार कर रही है ।

एच० एफ०-24 विमान के लिए इंजिन

561. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लड़ाकू विमान एच० एफ०-24 के लिये, जिसका डिजाइन

भारत में ही तैयार किया गया है, एक पश्चिमी देश द्वारा निर्मित इन्जिन को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत इन्जिन की परिचालन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित फर्म के साथ भारत में इन्जिन बनाने अथवा उसको उस फर्म से प्राप्त करने के लिये कोई करार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

"आजाद काश्मीर" आन्दोलन

562. **श्री स० कुन्डू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में आजाद काश्मीर आन्दोलन की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शेख अब्दुला द्वारा आजाद काश्मीर के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ख) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर/पाकिस्तान के लिए तथाकथित जम्मू-काश्मीर प्लेबेसाइट फ्रंट ने मार्च 1970 में एक प्रस्ताव पारित किया, जो इस दिशा में था कि आत्मनिर्णय की माँग का एक मात्र विकल्प यह है कि जम्मू और काश्मीर को तटस्थ स्वरूप का एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया जाये । पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के भूतपूर्व तथाकथित प्रेसिडेन्ट के० एच० खुर्शीद और अब्दुल क्यूम खान जैसे कुछ अन्य व्यक्तियों ने स्वतन्त्र काश्मीर के लिए एक प्रकार के आन्दोलन चलाने की बात भी की । परन्तु पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में निस्संदेह पाकिस्तान विरोधी तीव्र भावना है जैसाकि उस क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय नेताओं के व्यक्तव्यों से स्पष्ट है ।

वैदेशिक कार्य सचिव का रूस का दौरा

563. **श्री स० कुन्डू :**
श्री देवकीनंदन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने हाल ही में रूस का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) इससे क्या लक्ष्य प्राप्त हुए ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आपसी हित के प्रश्नों पर सोवियत विदेश कार्यालय के साथ विचार विनिमय करने के लिये।

(ग) संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सभा पटल रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—3764/70]

Number of Hindus and Buddhists in East Pakistan at the Time of Partition and at the end of 1969

564. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Hindus and Buddhists in East Pakistan at the time of the Partition of India ; and

(b) their approximate number as at the end of 1969 ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). No figures of Hindus and Buddhists are available for the year 1947 nor are they available for 1969. However total numbers of Hindus and Buddhists in East Pakistan as per 1951 and 1961 census of Pakistan are as follows :

	1951	1961
Hindus	9,239,000	9,279,000
Buddhists	318,951	373,867

भूटान की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था

565. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री लाखन लाल कपूर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति और वैदेशिक कार्य मन्त्री द्वारा भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के उपरान्त मई, 1970 में स्थल सेनाध्यक्ष ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) भूटान की सीमाओं की सैनिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया था ; और

(ग) इन सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) महा महिम भूटान के महाराजा के निमंत्रण पर सेनाध्यक्ष ने 24 से 25 मई, 1970 तक भूटान का भ्रमण किया था।

(ख) तथा (ग). भूटान की सुरक्षा के लिए उचित उपाय पहले से विद्यमान हैं।

सीमा सुरक्षा के लिए सिक्किम तथा भूटान के साथ हुई संधि में संशोधन

566. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कम तथा भूटान सरकारें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत के साथ हुए समझौतों में संशोधन करने के लिए आग्रह कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा स्पष्टतः क्या मांगें की गई हैं तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) नवीनतम व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें

567. **श्री पी० विश्वंभरण** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में नारियल जटा बोर्ड ने कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार करके कार्यान्वित किया ;

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशें अस्वीकार की ;

(घ) सरकार के पास कितनी सिफारिशें उन पर अंतिम निर्णय लेने के लिये अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ङ) किस तरह की सिफारिशें स्वीकार की गईं ; और

(च) किस तरह की सिफारिशें अस्वीकार की गईं और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 38

(ख) 10

(ग) 3

(घ) 25

(ङ) ये सिफारिशें निर्यात सहायता, विदेशों में बाजार सर्वेक्षण, कच्चे माल की लागत, चतुर्थ योजना अवधि में नारियल जटा उद्योग के विकास तथा कुछ प्रशासनिक मामलों से संबंधित थीं।

(च) प्रस्थापनाओं में से एक का संबंध नारियल जटा उत्पादकों को किराया-खरीद आधार पर उपकरणों के प्रदान करने से था जो राज्य सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कल्याण योजना का एक भाग था। नारियल जटा सहकारिताओं को कच्चे माल के क्रय के लिये सहायता देने के विषय में एक अन्य प्रस्थापना के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटियों के अंश में नारियल जटा बोर्ड का धन लगाने का प्रश्न अन्तर्गत था। तृतीय प्रस्थापन कुछ उच्च अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित थी, पर विद्यमान अधिकार पर्याप्त समझे गये।

भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरीयता निश्चित करना

568. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों और नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरीयता निश्चित करने के लिये दो विभिन्न मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या कमीशन की इन दो श्रेणियों के प्रशिक्षण की अवधि में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्रसिंह महीडा) : (क) जी हां। साधारण नियम के अनुसार स्थायी कमीशन देने के समय आपाती कमीशन अफसरों की वरीयता के उद्देश्यों के लिये लगभग 18 मास की सेवा काट ली जाती है। रिमाऊंट और वेटेरिनरों कोर में जिन अफसरों को दूसरे प्रयास में अर्हता परीक्षा पास करने के परिणामस्वरूप स्थायी कमीशन दिया जाता है, एक वर्ष की वरीयता से वंचित रह जाते हैं। ए०एम०सी० में ई०सी०ओ० के तौर पर सारी सेवा वरीयता के उद्देश्यों के लिये गिनी जाती है परन्तु पूर्व तिथि की अवधि उसी तरह से समंजित की जाती है जैसे कि उन ए०एम०सी० अफसरों के लिये, कि जो सीधे स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर भर्ती किये जाते हैं।

(ख) ए०एम०सी० और रिमाउंट तथा विटेरीनरी कोरों में प्रशिक्षण की अवधि में कोई फर्क नहीं। अन्य भूजों और कोरों के अफसरों की हालत में यह अवधि एक वर्ष से दो वर्ष तक भिन्न होती है और प्रविष्टी के गुणरूप पर निर्भर होती है, अर्थात आया छात्र सीधे खुले तौर पर भर्ती किये गये हैं नेशनल रक्षा अकादमी, अफसरी प्रशिक्षण यूनिट (एन०सी०सी० से या वह तकनीकी स्नातक हैं)।

(ग) स्थायी कमीशन दिये जाने पर ई०सी०ओ० के तौर पर की गई 12,18 मास की सेवा की कटौती न्याययुक्त है। क्योंकि सीधे प्रविष्टि वाले स्थायी कमीशन प्राप्त वाले अफसर कमीशन दिये जाने से पहले दो वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण पाते हैं, जबकि ई०सी०ओ० केवल 6 मास के प्रशिक्षण के पश्चात कमीशन पाते हैं। रिमाऊंट और वेटेरनरी कोर में उन अफसरों को लाभ देने के लिये कटौती की जाती है जो पहले ही प्रयास में कमीशन प्रदान किये जाने के लिये अर्ह हो जाते हैं।

Prime Minister's Visit to Mauritius

569. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the steps taken to strengthen the relations between the two countries during the recent visit of the Prime Minister to Mauritius and if so, the details of the talks held ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : A copy of the Joint Communique issued at the conclusion of the recent visit to Mauritius of the Prime Minister, which gives details of the matter, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3765/70].

आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार में बाढ़

570. **श्री सीताराम केसरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार में हाल में आई बाढ़ के कारण हजारों व्यक्ति बेघर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) इससे प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना मिली है कि चालू मानसून ऋतु के दौरान असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बाढ़ें आई हैं। क्षति, प्रभावित जनसंख्या आदि के ब्यौरे का अभी तक राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि जलढाका और तीस्ता नदियों में बाढ़ें आई है। जिनसे फसलों और आवासी मकानों को क्षति पहुंची है। जलपाईगुड़ी जिले के सदर थाना में लगभग 500 परिवार बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं और 200 एकड़ फसली क्षेत्र को क्षति पहुँची है। दोमोहनी और मेनागुड़ी थानों में लगभग 1000 एकड़ भूमि जलप्लावित हुई है। कुल 3000 से अधिक व्यक्तियों को प्रभावि- हुआ बताया जाता है।

राज्य सरकारें आवश्यक सहायता उपाय और सुरक्षा अभियान आरम्भ कर रही हैं।

काठमांडू में भारतीय सैनिक सम्पर्क ग्रूप की मान्यता को वापिस लेना

571. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने काठमांडू में भारतीय सैनिक सम्पर्क ग्रूप की मान्यता को हाल ही में वापिस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या भारत का विचार काठमांडू से भारतीय सैनिक सम्पर्क ग्रूप को वापिस बुला लेने का है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जूंकि महामहिम सरकार के अनुरोध पर, जिस काम के लिये भारतीय सैनिक सम्पर्क दल काठमांडू गया था, वह काम अब समाप्त हो गया है, अतः यह दल शीघ्र वापस बुला लिया जाएगा ।

बेरोजगारी का अनुमान

572. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री 6 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दाँतवाला समिति की सिफारिश के पश्चात्, पिछले आधार पर भी बेरोजगारी का कोई अनुमान नहीं लगाया जायेगा ;

(ख) पहले आधार में दोष होने पर भी क्या उससे बेरोजगारी के तुलनात्मक आँकड़े नहीं मिल सकेंगे क्योंकि बेरोजगारी की समस्या के निपटने के लिए कम से कम कुछ आंकड़े तो मिल ही जायेंगे ;

(ग) आगामी जनगणना में बेरोजगारी का रिकार्ड रखने की क्या व्यवस्था है और प्रत्येक व्यवस्था के प्रतिदिन के काम के औसत घण्टों के लिये जनगणना सम्बन्धी विवरण में एक कालम बनाने में क्या कठिनाई है ;

(घ) प्रतिनिधिक क्षेत्रों में जनगणना के साथ-साथ नमूना सर्वेक्षण क्यों नहीं किये जाये ; और

(ङ) क्या सरकार बेरोजगारी की व्यापकता के प्रकट हो जाने से डरती है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । बेरोजगारी प्राक्कलन सम्बन्धी विशेषज्ञों की समिति (दांतवाला समिति) के निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए यह समझा गया है कि आंकड़े प्रस्तुत करने में अब तक अपनायी गई विधि के अनुसार इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने से वस्तुस्थिति का चित्रण करने अथवा व्याख्या तथा नीति के आधार के रूप में वे अर्थ पूर्ण नहीं रहेंगे तथा हो सकता है कि भ्रम में डाल दें ।

(ग) भारतीय जनगनणा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के क्रियालाप (विभिन्न वर्गों में विभक्त) तथा विचारार्थ निर्धारित अवधि के सन्दर्भ में एक कामगार अथवा गैर-कामगार के रूप में उसके स्तर के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, उद्योग अथवा व्यापार के स्वरूप, काम के विवरण, ग्रामीण/शहरी आवास, शिक्षा के स्तर, आयु तथा लिंग के सम्बन्ध में भी सूचना प्राप्त की जाती है । इस प्रकार संकलित आंकड़ों को ग्रामीण/शहरी आवास, उद्योग, शिक्षा तथा आयु जैसी विभिन्न प्रकार की परिवर्तन शीलता के सन्दर्भ में सारणीबद्ध किया जाता है ।

जनगणना जैसे राष्ट्रव्यापी काम में दैनिक कार्य के घण्टों की औसत संख्या के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित करना व्यवहार्य नहीं होगा तथापि यह सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टों से प्राप्त की जा सकती है ।

(घ) जनगणना के कार्य-क्षेत्र तथा परिगणन अभिकरणों की परिसीमाओं को दृष्टि में रखते हुए, जनगणना के साथ-साथ नमूना सर्वेक्षण करना भी व्यावहारिक नहीं है। समय-समय पर किए जाने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से संदर्भित अवधि में दैनिक कार्य के घंटों की संख्या सहित रोजगार स्तर, उद्योग, शिक्षा तथा आयु के सम्बन्ध में काफी विस्तृत सूचना उपलब्ध हो जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्द हुए अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्रों की पुस्तकों का उपयोग

573. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र अब बन्द कर दिये गये हैं उनकी पुस्तकों को किस उपयोग में लाया गया है ; और

(ख) जो हजारों लोग इन केन्द्रों का उपयोग करते थे उनके अध्ययन के लिये सरकार ने किन वैकल्पिक स्रोतों का प्रबन्ध किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यह तय करना अमरीकी राजदूतावास का काम है कि वे अपने पूर्व सांस्कृतिक केन्द्रों की पुस्तकों का किस तरह सदुपयोग करें।

(ख) विद्यार्थी समाज और जनता की जरूरतों को पूरा करने का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में है।

नौसेना में दक्षिण कनारा के मछियारों की भर्ती

574. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में, वर्ष वार, दक्षिण कनारा में कितने मछियारों को नौसेना में भर्ती किया गया ;

(ख) गत वर्ष भर्ती अधिकारी ने कितनी-कितनी बार दक्षिण कनारा जिले का दौरा किया और क्या उसने मंगलौर के सिवाय तट के गावों और शहरों से किसी भर्ती केन्द्र का दौरा किया था ;

(ग) क्या नौसेना के लिये मछियारों की भर्ती के बारे में कोई सूचना मछियारा सहकारी समितियों, मत्स्य-क्षेत्र स्कूल, और मछियारा संघ को भेजी गयी थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दक्षिण कनारा जिले में मछियारों को नौसेना में भरती के लिए विशेष अभियान चलाने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) पैतृक व्यवसाय के आधार पर भर्ती के कोई आँकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) तथा (ग). आवश्यक विस्तार प्राप्य नहीं हैं और पता किए जा रहे हैं।

केशों का निर्यात

575. **श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विग इंडिया जिस का अब विविधीकरण किया जाना है, को कितनी हानि हो रही है ;

(ख) केशों के निर्यात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने के क्या कारण हैं जबकि निर्यात अनिवार्य किस्म नियंत्रण, के अध्यधीन होता है तथा इससे निम्नतम मूल्यों को अब लागू नहीं किया जाता है ;

(ग) जब कि राज्य व्यापार निगम माल के भेजने में विलम्ब करता है, गुप्त जानकारी को रोक लेता है, एक प्रतिशत कमीशन लेता है और 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराता है और इस प्रकार निर्यात कर्त्ता होने के कारण अपने पक्ष में एक मध्यस्थ के रूप में इस प्रकार लाभ कमाता है तो फिर गैर-सरकारी निर्यात कैसे बढ़ सकता है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम तथा गैर-सरकारी निर्यात कर्त्ताओं द्वारा किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1969 70 में 52.54 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) मानव केशों के निर्यात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने का प्रयोजन निर्यातकों के बीच हानिकर प्रयोगिता को दूर करना, निर्यात मूल्यों को नियंत्रित करना और मानव केशों के व्यापार के विकास में सहायता देना है जो कि विदेशी बाजारों में अन्य पूर्तिकर्त्ताओं और साथ-साथ संश्लिष्ट उत्पादों से प्रतियोगिता का सामना कर रहा है।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा मानव केशों के पोत-लदान में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जहाँ तक 10 प्रतिशत जमा का संबंध है यह उन मामलों में रखा जाता है जिनमें विगत समय में विदेशी खरीदारों से दावे प्राप्त हुए हैं। इससे राज्य व्यापार निगम को विदेशी खरीददारों के दावे को शीघ्र निपटाने में मदद मिलती है। जिन मामलों में विदेशी खरीददार निरीक्षण प्रमाणपत्र को स्वीकार कर लेते हैं उनमें प्रलेखों के आधार पर तुरन्त पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है। राज्य व्यापार निगम द्वारा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये एक प्रतिशत का कमीशन लिया जाता है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम तथा निजी निर्यातकों द्वारा किये गये निर्यात निम्नलिखित थे :—

लाख रुपये में

	1967-68	1968-69	1969-70
राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात (विग इंडिया)	62.34	53.57	20.31
निजी पार्टियां	107.60	678.08	465.10

छावनी बोर्ड स्कूल

576. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड के अधिकतर स्कूलों की दशा बुरी है तथा उनके लिये उचित आवास तथा शिक्षकों आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकती ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण क्या सरकार का विचार उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों को जिनमें ये स्कूल स्थित हैं, हस्तांतरित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार छावनी बोर्ड के कार्य संचालन की जांच करने के लिए और छावनी बोर्ड अधिनियम, जो अब पुराना हो गया है, में संशोधन करने के लिये एवं समिति स्थापित करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्रसिंह महीडा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त (क) के समक्ष प्रश्न नहीं उठते ।

Export of Mica

577. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of agencies through which mica is exported to foreign countries ;

(b) the amount of foreign exchange earned by these agencies during the last three years ; and

(c) whether Government propose to entrust the export trade of mica to the State Trading Corporation and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) A list showing the names of principal exporters of mica is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3766/70].

(b) A statement showing the total quantity and value of exports of mica during the last three years is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3766/70].

(c) It is not proposed to entrust exports of mica to a state agency at present as the main problem of the mica industry is to organise fabrication and manufacture of mica products and to export these finished products instead of raw materials which are predominently being exported at present.

Crash of I. A. F. Plane in Chankhoha near Hoshiarpur, Punjab

578. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Govenment's attention has been drawn to a news-item appearing in 'Hindustan' dated the 15th May, 1970 wherein it has been stated that an aeroplane of the Indian Air force met with an accident in Chankhoha village, 58 miles away from Hoshiarpur ;

(b) if so, the causes of the said accident ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There was a news item in the 'Hindustan' dated 16th May, 1970 about an accident to an IAF aircraft on 14th May 1970

near Chankhoha village, 58 miles from Hoshiarpur. There was an accident to an IAF aircraft on 14th May 1970 on the outskirts of Village Chinkoi, about 53 KMs South-East of Adampur.

(b) and (c). A Court of Inquiry has been ordered to investigate the cause of the accident. Necessary action will be taken in the light of the findings of the Court of Inquiry.

Non-Implementation of Western Kosi Canal Scheme (Bihar)

*579. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the decision previously taken in regard to the implementation of Western Kosi Canal (Bihar) Project has been shelved ;

(b) if so, whether Government have any alternative proposal in this regard ;

(c) whether it is a fact that 'Sone' canals are getting sufficient water from Rihand project for the crops of 'Garm' paddy in summer ; and

(d) if so, whether there is any proposal under Government's consideration to implement Kamla project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Garm paddy is grown between March and June. During this period, the dry weather flow in Sone without Rihand was about 800 cusecs. The amount of water in Sone in these months after Rihand construction is much more.

(d) The Government of Bihar are investigating a proposal to construct a dam at Kutku across North Koel to augment supplies in Sone Canal System besides irrigating additional areas in Gaya and Palamau districts.

० मैस्करैन्हास की रिहाई के बारे में सरकारी तौर से सूचना प्राप्त होने में विलम्ब

580. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० तेलो मैस्करैन्हास की लिस्बन जेल से मुक्ति संबंधी पहली सूचना स्वयं डा० मैस्करैन्हास द्वारा पणजी में अपनी पत्नी को लिखित एक पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी ;

(ख) क्या सरकार ने उसके बाद सरकारी तौर से इस सूचना के विलम्ब से प्राप्त होने के बारे में कोई पूछ-ताछ की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां। सरकार को डा० तेलो मैस्करैन्हास के पुर्तगाली जेल से रिहा होने के बारे में सब से पहले अखबार की खबरों से ही पता चला था जो सम्भवत: उनके एक पत्र पर आधारित थी जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था।

(ख) जी, नहीं। डा० मैस्करैन्हास की रिहाई की आधिकारिक सूचना प्राप्त करने मे कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लालकिले में एक लिफ्ट लगाना

581. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जून, 1970 के "मार्च आफ नेशन" में "लिफ्ट फार इन्दिरा" (इन्दिरा के लिये लिफ्ट) शीर्षक से प्रकाशित समाचार सही है ;

(ख) यदि हां, तो यह लिफ्ट किन कारणों से लगाई गयी है तथा 15 अगस्त के अतिरिक्त वर्ष भर इस लिफ्ट का क्या उपयोग है ;

(ग) इस लिफ्ट के लगाने पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इसको नियमित रूप से चलाने पर मासिक तथा वार्षिक क्या खर्च आयेगा तथा इसके रख-रखाव, टूट-फूट की मूल्यह्रास आदि पर वार्षिक खर्च कितना होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). 1965 से 1968 तक स्वतन्त्रता दिवस के संबध में जिन आमन्त्रितों के लिए परकोटे पर बैठने का प्रबंध किया गया था उनके उपयोग के लिए लाल किले के परकोटे को जाने वाली सीढ़ियों के निकट एक हायस्ट लिफ्ट स्थापित की गई थी। उसके पश्चात् निर्णय किया गया था कि कई संशोधित सुरक्षा तन्त्रों सहित एक यांत्रिक लिफ्ट स्थापित की जाए, और कार्य प्रगतिशील है। प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपये है। लिफ्ट के रख-रखाव और मूल्यह्रास का वार्षिक व्यय लगभग 2500 रुपये होगा।

Sainik Schools in the Country

582. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the places where Sainik schools are being run in the country and the rules in regard to the composition of the Boards of Directors or Governors for managing these schools and procedure for the administration and inspection of the working of the schools ;

(b) whether the responsibility and rights relating to the grants, administrative rights, inspection and hearing of appeals of discontented students, guardians of students and the teachers and other staff and giving decision thereon are shared between the State Governments and the Central Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A statement (A) showing the locations of the Sainik Schools in the country is enclosed. A Sainik School at Nagrota in J and K is being opened in August, 1970. The administration of the Sainik Schools vests in a Registered Body known as the Sainik Schools Society, of which the Union Minister for Defence is the Chairman. A statement (B) showing the composition of the Boards of Governors is enclosed.

(b) and (c). Grants in the form of scholarships are given both by the Central and State Governments. The Local Boards of Administration of the Schools consisting of Central and State Government representatives are responsible for the administration of the schools. Inspection of the Schools is conducted by the members of the Local Board as well as by the the Secretary of the Sainik Schools Society. Appeals of discontented students,

guardians of students and teachers and other staff are decided by the Chairman of the Society viz., the Defence Minister.

STATEMENT (A)

Location of Sainik Schools

1. Satara (Maharashtra)
2. Kunjpura (Haryana)
3. Balachadi (Gujrat)
4. Kapurthala (Punjab)
5. Chitorgarh (Rajasthan)
6. Korukonda (Andhra Pradesh)
7. Kazhakootom (Kerala)
8. Bhubaneswar (Orissa)
9. Purulia (West Bengal)
10. Amaravathinagar (Tamil Nadu)
11. Rewa (Madhya Pradesh)
12. Tilaiya Dam (Bihar)
13. Bijapur (Mysore)
14. Goalpara (Assam)
15. Ghorakhal (Uttar Pradesh).

STATEMENT (B)

1. Union Minister of Defence.	Chairman
2. Chief Ministers or Education Ministers of the States where the Schools are located as may be decided by the State Government.	
3. Secretary to the Government of India, Ministry of Defence.	
4. Three Vice Chiefs of Army, Navy and Air Force.	
5. Financial Adviser, Ministry of Finance (Defence), Government of India.	
6. Chairman, University Grants Commission.	
7. Joint Secretary in the Union Ministry of Defence dealing with Education.	
8. One official representative to be nominated by each Government of the States where the Sainik Schools are located.	
9. Chairman, Joint Training Committee, Armed Forces Headquarers.	
10. Eminent Educationists not exceeding four to be nominated by the Chairman.	

Repatriation of Shrimati and Dr. Dharma Teja

583. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the result of the efforts made so far to secure the repatriation of Dr. and Shrimati Dharma Teja to India ;

(b) whether, on account of our repeated attempts to secure their repatriation having proved abortive so far, all efforts have not been given up or are proposed to be given up or continued ; and

(c) the expenditure so far incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). There has been a new development in the Dharma Teja case We have been informed that Dr Dharma Teja was arrested in London and produced before a Magistrate there on the 25th of July, 1970.

(b) We are taking urgent steps to file Extradition Proceedings against Dr. Dharma Teja.

(c) An expenditure of Rs. 4,90,000/- (approx.) has been incurred up to 31-1-1970.

Agreement/Treaties for Use of Waters between India and Pakistan

584. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of rivers, canals and dams about which Government have entered into agreements or treaties with the Government of Pakistan for the use of waters and the date when the period of the treaties has expired and the date by which the rest of the treaties would expire ;

(b) the quantity of water to be received from each river canal project and how the division of that water has been affected between India and Pakistan ; and

(c) The projects for construction of canals undertaken or likely to be undertaken for utilising the surplus waters India is receiving or is likely to receive after the expiry of these water agreements.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The Government of India and the Government of Pakistan entered into a Treaty known as "Indus Waters Treaty 1960" in September, 1960, for fixing and delimiting the rights and obligations of the two countries in relation to the use of the waters of the Indus System of Rivers (*viz*, the Indus, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Sutlej). Under the Treaty the entire flow of the three Eastern Rivers (*viz*, the Ravi, the Beas and the Sutlej) have been allocated to India whereas the waters of the Western Rivers (*viz*, the Indus, the Jhelum, and the Chenab), except for certain uses by India as specified in the Treaty, to Pakistan. The Indus Waters Treaty is a prepetual Treaty but it provided for a Transition Period of ten years after which the waters of the Eastern Rivers have become available for un-restricted use by India. This Transition Period ended on 31st March, 1970. The average annual flow of the Eastern Rivers is about 33 million acre feet.

(c) Of the projects planned for the complete utilisation of these waters in India the Bhakra Nangal Project, the Madhopur-Beas Link, the Harike Head Works, the Sirhind Feeder and the Rajasthan Feeder have been completed while the work is in progress on the Beas-Sutlej Link Project, Beas Dam at Pong and Rajasthan Canal. The Thein Dam on Ravi has been technically approved by Central Water and Power Commission and is pending clearance by the *Ad-Hoc* Technical Advisory Committee of the Plannning Commission.

प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता

585. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के बारे में 21 मार्च, 1970 को दी गई जानकारी के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948-49, 1956-57 और 1968-69 में रुपयों और विशिष्ट विदेशी मुद्राओं के रूप में कितना-कितना भुगतान किया गया था ;

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये भंडारों, उपकरणों आदि खरीदने के लिये भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं के रूप में अनुदानतः कितना भुगतान किया जायेगा ; और

(ग) प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिये क्या साध्यसीमा निर्धारित की गई है और उसके लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). 1948-49, 1956-57 और 1968-69 के लिए रक्षा आवश्यकताओं के सामानों की कुल लागत क्रमशः 57.07 करोड़ रुपये, 83.58 करोड़ रु० और 444.10 करोड़ रुपये थी। रुपयों और विदेशी मुद्रा की परिभाषा में निष्पत्ति या विदेश या आंतरिक संसाधनों से सामानों की उपलब्धि के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की गई आदायगियां प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा, परन्तु जैसा कि 3-12-1969 के प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में पहले स्पष्ट किया गया है आन्तरिक उत्पादन से रक्षा सेवाओं के लिए उपलब्धियों का प्रतिशत एक स्पष्ट दर से वसूल हो रहा है।

(ग) रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता एक निरूत्तर प्रक्रिया है। रक्षा सेवाओं को अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार का प्रयास रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पग 3-12-1969 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में दर्शाए गये हैं।

असम में धिमाजी तथा उत्तर लखीमपुर स्थित बांध तथा जल निकास विभाग की बाढ़ नियंत्रण शाखा से प्राप्त हुआ अभ्यावेदन

586. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें असम राज्य में धिमाजी तथा उत्तर लखीमपुर स्थित बाढ़ नियंत्रण विंग के बांध तथा जल-निकास विभाग में दुर्विनियोग के बारे में कोइ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह अभ्यावेदन धिमाजी तथा उत्तर लखीमपुर आदि जिलों की जी०पी०आई० किसान सभा के जिला एककों, छात्र संघ तथा युवक के सचिवों ने संयुक्त रूप से संबोधित किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) अभ्यावेदन असम सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

सोवियत संघ के रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस से प्रसारण

587. **श्री च० का० भट्टाचार्य** :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने यह दावा स्वीकार कर लिया है कि सोवियत संघ का "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" एक स्वायत्तशासी निकाय है और यह अनिवार्य नहीं है कि वह सोवियत संघ का दृष्टिकोण पेश करता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : हमने सोवियत सरकार का यह विचार मान लिया है कि रेडियो स्टेशन पीस एण्ड प्रोग्रेस एक स्वतंत्र, स्वायत्त निकाय है और जरूरी नहीं कि यह सोवियत सरकार के विचारों को प्रकट करे।

जलपाईगुड़ी शहर बचाव योजना, पश्चिम बंगाल

588. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने जलपाईगुड़ी शहर की कारला नदी से जलमग्न होने से बचाने के लिये केंद्रीय सरकार के पास एक योजना भेजी है जिसका नाम जलपाईगुड़ी शहर बचाव योजना चरण एक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य तकनीकी समिति ने उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना का अनुमानित व्यय केवल 2 करोड़ रुपये है ; और

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने उस योजना के लिये मंजूरी दे दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जलपाईगुड़ी नगर सुरक्षा स्कीम, चरण-एक, 1955-56 में क्रियान्वित की गई थी। माननीय सदस्य जाहिर तौर पर चरण-दो का जिक्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जून, 1970 में केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग को जलपाईगुड़ी नगर सुरक्षा स्कीम चरण-दो की सारूप में एक रिपोर्ट भेजी थी। राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति ने इस स्कीम पर, जिसकी अनुमानित लागत 150 लाख रुपये थी, 27 जून, 1970 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कुछ अतिरिक्त मदों के शामिल किये जाने के पश्चात् लागत के बढ़ कर 1.80 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना थी। समिति ने यह निर्णय किया कि यह स्कीम केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग को जाँच के लिए भेज दी जाए। इस स्कीम की प्राप्ति, जिसे भेज दिया गया बताया गया है, प्रतीक्षित है।

बिहार से पश्चिम बंगाल तक अजय जल की सप्लाई

589. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले हुए करार के अनुसार पश्चिम बंगाल को 300 क्यूसिक अजय जल की सप्लाई के बारे में पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों के बीच कोई विवाद है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उक्त करार के अनुसार कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) क्या अजय जल की सप्लाई से इन्कार करने के कारण निचले दामोदर क्षेत्र में रबी की फसलों वाले क्षेत्र के विस्तार में रुकावट पड़ रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दामोदर नदी पर तेनुघाट बांध को मूलत: दो चरणों में पूर्ण करने का इरादा था—प्रथम चरण में 600 क्यूसेक और दूसरे चरण में 900 क्यूसेक पानी के निस्सार के लिये आवश्यक संचय की व्यवस्था थी। उस समय यह प्रत्याशा थी कि पश्चिम बंगाल में बोकारो इस्पात कारखाना और आनुषंगिक उद्योग तथा एक बिजली घर इस 600 क्यूसेक सारे पानी को काम में लाएगा। 300 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को, जो दूसरे चरण को पूरा होने के पश्चात् उपलब्ध किया जा सकता था, बिहार द्वारा सुवर्णरेखा अथवा अजय नदियों से दामोदर की निचली पहुँचों में उस मात्रा में पानी के व्यपवर्तन की व्यवस्था करने के पश्चात् उपयोग में लाया जा सकता था।

बाद में, निर्माण अवस्था के दौरान, यह निर्णय किया गया था कि बांध संरचना का उस स्तर तक लाया जाए जो 470 क्यूसेक पानी के निःसार तक संचय को कायम रख सके और तब उच्चतर मात्रा में अपेक्षित संचयों की व्यवस्था के लिये उस संरचना में द्वार लगाए जाएं। इन द्वारों का चालन इस प्रकार से हो जिससे, यदि अभीष्ट हो, 900 क्यूसेक पानी के निःसार के लिये अधिकतम संचय प्राप्त किया जा सके। निर्माण कार्यक्रम में यह संशोधन इसलिये किया गया क्योंकि यह पता लग गया था कि बोकारो इस्पात कारखाने और बिजली घर का अन्त: प्रवाह मूलत: परिकल्पित मात्रा से कम होगा।

पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के बीच मतभेद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल चाहती है कि बिहार सरकार दामोदर की निचली पहुँचों में अजय और/अथवा सुवर्णरेखा से 300 क्यूसेक पानी के व्यपवर्तन के लिये परियोजना का अनुसंधान और निर्माण तत्काल आरंभ कर दे जबकि बिहार सरकार का विचार है कि इस प्रकार के व्यपवर्तन के लिये तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक 600 क्यूसेक से अधिक पानी के व्यपवर्तन के प्रस्ताव नहीं रखे जाते।

(ग) तेनुघाट पर पानी का अब कोई व्यपवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर सरकार द्वारा विद्युत इंजनों का क्रय

590. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने चालू वर्ष में बिजली विभाग, मनीपुर के लिए कितने विद्युत इंजन खरीदे हैं;

(ख) इंजनों को, इन्जन-वार, कुल किलोवाट शक्ति कितनी-कितनी है;

(ग) इन्जनों को, इन्जन-वार, खोलने में कुल व्यय कितना-कितना आया है;

(घ) उनको, इन्जन-वार, इम्फाल ले जाने में कितना-कितना व्यय आया है;

(ङ) लिमाखोग और इम्फाल बिजली घर में इंजनों को लगाने में कितना व्यय आया है; और

(च) क्या इंजनों को खोलने और उनको लगाने का कार्य विभागीय तौर पर किया जाता है और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारियों की संख्या

591. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने नियमित, कार्यभारित (वर्कचार्जड) तथा कितने (मस्टर रोल) के कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सभी कार्यभारित (वर्कचार्जड) कर्मचारी अस्थाई हैं यद्यपि उनमें से अनेक कर्मचारी दस वर्षों तथा इससे अधिक समय से वहां पर नियुक्त हैं ;

(घ) उक्त विभाग में कार्यभारित कर्मचारियों के लिए अब तक कितने स्थाई पद बनाए गए हैं; और

(ङ) उनको इतने अधिक समय तक अस्थाई रखे जाने के क्या कारण हैं तथा उनको अर्थ स्थाई तथा स्थाई घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर) : (क) 1,312

(ख) कुल स्टाफ में से 252 व्यक्ति नियमित रूप से हैं जबकि 1,060 वर्कचार्जड कर्मचारी हैं । मस्टर-रोल पर कोई नहीं है ।

(ग), (घ) तथा (ङ). वर्कचार्ज कर्मचारी अभी तक अस्थाई हैं । परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग, मणिपुर में वर्कचार्ज स्टाफ के लिए 422 स्थाई पदों का सृजन अभी हाल में किया

गया है और इन पदों का आवंटन मणिपुर सरकार के विचाराधीन है। विद्युत विभाग, जो अभी हाल में स्थापित किया गया है, के स्टाफ की आवश्यकता की जांच की जा रही है।

विद्युत चालित करघा जाँच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

592. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या व्यापार वैदेशिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रंगदार साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघों के क्षेत्र के लिए छोड़ देने के बारे में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित विद्युत चालित करघा जांच समिति की सरकार द्वारा स्वीकृति सिफारिशों को लागू करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : रंगदार साड़ियों के उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के विषय में आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। परन्तु इन आदेशों को अभी तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि शक्ति-चालित करघा संगठनों ने बम्बई उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकायें दायर कर दी हैं। और उन्होंने कार्यवाही रोकने के आदेश प्राप्त कर लिये है।

सूती कपड़े तथा अन्य प्रकार के संश्लिष्ट कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

593. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में सूती तथा अन्य प्रकार के संश्लिष्ट कपड़े के मूल्यों में आर्थिक अत्यधिक दशा पर वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप मध्यम तथा अन्य श्रेणी के लोगों की बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत छः महीनों में नियंत्रित कपड़े के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है परन्तु इस अवधि में मिल के बने नियंत्रण रहित सूती मूल्यों में मामूली सी वृद्धि हुई है। नायलन तथा रेयन वस्त्रों के मूल्य सामान्यतः स्थिर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) : क्योंकि कपड़ों के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है अतः मूल्यों के रुख पर निगरानी रखने के अतिरिक्त इस समय कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

उड़ीसा में पटसन के कारखानों की स्थापना

594. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए उड़ीसा में पटसन के कारखाने की स्थापना पूर्णतः उचित है ;

(ख) क्या उड़ीसा में सहकारी पटसन कारखाना आरंभ करने की अनुमति के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) उड़ीसा प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 लाख पटसन की गांठों का उत्पादन करता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) विश्व के अनेक देशों के बोरों के बाजार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं और संश्लिष्ट उत्पानों से हमारे हैसियत को भारी खतरा पैदा हो गया है । पटसन के माल की घरेलू आवश्यकता संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नई पटसन मिल की स्थापना वांछनीय नहीं समझी जाती जिसमें काफी लोक धन लगे ।

Funds to Madhya Pradesh for Construction of Pucca underground Canal

595. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether funds have been made available to the Madhya Pradesh Government for the construction of *pucca* underground canals for irrigation during the last three years ; and

(b) if so, the amount of money given by the Central Government to the Madhya Pradesh Government for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The canals in major and medium irrigation projects carry large discharges and involve -nonpressure flow. They are, therefore, built as open canals on the land surface in the interest of economy.

(b) **Does not arise.**

Construction of Tawa Projects

596. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the latest position in regard to the Tawa Project in Madhya Pradesh ;

(b) how the expenditure on the Tawa project will be shared by the Central and the State Governments ; and

(c) whether it is a fact that the works on the Tawa Project has been suspended for the time being on account of shortage of funds ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 35% of the earth dam and saddle dam, 70% of the excavation for the masonry dam and 3% of the masonry/concrete had been completed by the end of April, 1970. On the left bank canal, 20% of the earthwork has been done. 21 masonry structures had been completed and work was in progress on 6 more structures.

(b) Tawa Project, like other irrigation schemes, is financed from the State resources supplemented by Central Assistance. From 1-4-1969 onwards, Central assistance to the States is being given as block loans and grants each year and is not tied to any individual scheme.

(c) No such report has been received from the State Government.

केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश की अनिर्णीत सिंचाई योजनायें

597. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार की कितनी सिंचाई तथा विद्युत योजनायें इस समय केन्द्र सरकार की स्वी-

कृति के लिए अनिर्णीत पड़ी हैं तथा उन पर होने वाले खर्च तथा उनसे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 3767/70]

भारत-नेपाल के बीच टिप्पणों का आदान-प्रदान

598. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के गत सत्र के बाद भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच टिप्पणों का आदान-प्रदान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) राजनयिक परस्पर व्यवहार की सामान्य पद्धति का अनुसरण करते हुए, आपसी हित के विभिन्न मामलों पर नेपाल सरकार के साथ नोटों का आदान-प्रदान हुआ है ।

(ख) इन नोटों का विवरण देना सार्वजनिक हित में ठीक नहीं होगा ;

केरल में सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में पूंजी निवेश

599. **श्री ई० के० नायनार** : .क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में कितनी पूँजी लगाने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में कौन-कौन सी योजनाओं को कार्य रूप देने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री, (श्रीमती इंदिरा गान्धी) (क) तथा (ख) : चौथी योजना में राज्य योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 258.40 करोड़ रुपये है । केरल की राज्य योजना तथा केन्द्रीय योजना में सम्मिलित केरल में स्थापित होने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं की एक सूची सभा पटल पर प्रस्तुत है [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० 3768/70]

कलकत्ता के लिए विकास योजना

600. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) वर्ष 1969-70 में कलकत्ता तथा बृहत् कलकत्ता क्षेत्र के लिए कार्यान्वित की गई अथवा आरम्भ की गई विकास योजनायें कौन-कौन सी हैं ;

(ख) चालू वर्ष में आरम्भ की गई विकास योजनायें कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) आरम्भ की गई इस प्रकार की प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है, और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से विद्युत विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के निदेशक मंडल के सम्बंध में 6 मई, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8777 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण नं० 1

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 8777 GIVEN ON 6TH MAY, 1970 RE. BOARD OF DIRECTORS OF INDIAN FILMS EXPORT CORPORATION

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). के लिये निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

(क) जी हां, ये 15 निदेशकों में से दो हैं ।

(ख) इनके नाम श्री एम० एन० सवानी तथा श्री बी० एम० भट्ट हैं ।

(ग) तथा (घ). स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

कृपया उत्तर निम्नलिखित रूप में संशोधित कर लिया जाये :—

(क) तथा (ख). जी हां । 15 सदस्यों के मण्डल में केवल दो निदेशक ही इस प्रकार के हैं अर्थात् श्री एम० एन० सवानी तथा श्री वी० एम० भट्ट ।

(ग) विदेशों में फिल्मों के वितरण का व्यापक अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी वितरकों का सहयोग भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के हित में समोचित समझा गया है ।

(घ) सामान्य रूप में जब निदेशक मंडल के पुनर्गठन का प्रश्न उठेगा तब इस मामले का सम्यक पुनरीक्षण किया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सैगांव में भारत विरोधी प्रदर्शन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान

अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"सैगांव में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले और उसके समक्ष भारत विरोधी जोरदार प्रदर्शन के समाचार तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सरकार को सैगौन स्थित अपने प्रधान कोंसल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 27 जुलाई की सुबह में प्रदर्शनकारियों के एक दल ने प्रधान कोंसलावास के भवन पर आक्रमण किया। सुरक्षा प्राधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद भीड़ ने पत्थर फेंके और राष्ट्रीय झंडे को भी नीचे उतारा और बताया जाता है कि इन्होंने इसे जला दिया। कोंसलावास-भवन को कोई क्षति नहीं पहुँची।

2. दक्षिण वियतनाम के कार्यकारी प्रधान कोंसल को उसी दिन विदेश मन्त्रालय में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में वे अपनी सरकार को हमारा विरोध व्यक्त कर दें। उनसे यह भी कहा गया कि वे अपनी सरकार को यह बतला दें कि वे प्रधान कोंसल के जीवन और उनकी सम्पत्ति, उनके कर्मचारियों तथा भारतीय समुदाय की सुरक्षा की व्यवस्था करें। उन्होने अपनी सरकार को यह बात पहुँचने का वचन दिया और व्यक्तिगत रूप से खेद प्रकट किया।

3. सैगौन स्थित हमारे प्रधान कोंसल, उसी दिन दोपहर में विदेश मंत्रालय के मन्त्री मण्डल के निदेशक से मिले और उन्होंने लिखित रूप में विरोध प्रकट किया, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। मुझे आश्चर्य है कि विदेश मन्त्रालय ने इसे लेने से इंकार कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऐसी घटनाओं की निन्दा की है।

4. हमें आशा है कि सैगौन स्थित प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं फिर न हों।

27 जुलाई को भारत के सैगौन स्थित प्रधान कोंसल ने वहां के विदेश मन्त्रालय के मन्त्रिमण्डल निदेशक को यह नोट दिया

भारत का प्रधान कोंसलावास वियतनाम गणराज्य के विदेश मन्त्रालय का अभिवादन करता है और आज सवेरे 10.45 बजे कुछ वियतनामियों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रदर्शित असम्मान के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट करता है ; इन वियतनामियों ने प्रधान कोंसलावास पर पत्थर फेंके, वे लोग छज्जे पर चढ़ गए और भारतीय झंडा उतार लिया और अपने साथ ले गये तथा छज्जे पर वियतनामी झंडा लटका दिया। प्रधान कोंसल ने इस पर तत्काल ही वहां के नयाचार प्रमुख से मौखिक विरोध प्रकट किया।

प्रधान कोंसलावास पर पथराव करना, वहाँ से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उतार देना और फिर उसका असम्मान करना और, जैसा कि बताते हैं, सड़क पर उसका जलाया जाना किसी भी सभ्य व्यवहार के कानूनों और शिष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां हैं।

भारत के लोग वियतनाम के लोगों की शांति और समृद्धि चाहते हैं। इस तथ्य के बावजूद, कि जब भारतीय ध्वज का निरादर किया जा रहा था उस समय सशस्त्र वियतनामी सिपाही और पुलिस के लोग गश्त पर थे, फिर भी इस तरह की अशोभनीय घटना घटने दी गई। इससे ऐसा पता लगता है कि वियतनाम गणराज्य में कोंसली तथा अन्य भारतीय कर्मचारियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये वहां की विद्यमान स्थिति कुछ अच्छी नहीं है।

भारत का प्रधान कोंसलावास इस बर्बर घटना के प्रति इस लिए और भी सख्त विरोध प्रकट करता है कि यह घटना इस तथ्य के बावजूद घटी की प्रधान कोंसल ने स्वयं महामान्य प्रधान मन्त्री जनरल त्रान तियन खेम तथा राजदूत ग्येन क्वी अन्ह, विदेश मन्त्रालय में मन्त्रि-मण्डल निदेशक से कई दिन पहले आवश्यक सावधानी बरतने के आदेश देने का अनुग्रह किया था।

भारत का प्रधान कोंसलावास वियतनाम गणराज्य के विदेश मन्त्रालय से एक बार फिर यह कहता है कि वियतनाम गणराज्य में किसी भी भारतीय नागरिक के जीवन अथवा सम्पत्ति पर इस तरह की वारदात में, जैसी कि भारत के प्रधान कोंसलावास के साथ हुई हैं और जिसके लिये वह विरोध प्रकट कर रहा है, हमला किया गया अथवा खतरे में डाला गया तो उसके सभी परिणामों के लिए वियतनाम गणराज्य की सरकार जिम्मेदार होगी।

इस अवसर पर भारत का प्रधान कोंसलावास एक बार फिर वियतनाम गणराज्य के विदेश मन्त्रालय को अपनी परम आदर भावना का आश्वासन देता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : बहुत ही दुख: की बात है कि दक्षिण वियतनाम के प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है और महा-वाणिज्यदूत द्वारा भेजे गए विरोध-पत्र को दक्षिण वियतनाम के विदेश मन्त्रालय ने स्वीकार नहीं किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सैंगोन तथा भारतीय लोगों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी? भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष है और इसकी नीति गुट-निरपेक्ष की नीति है। ऐसा होने पर भी दक्षिण वियतनाम की स्थायी क्रान्तिकारी सरकार को विदेशी मन्त्री मदाम बिन्ह को भारत यात्रा पर निमन्त्रित क्यों किया गया? क्या इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते अपना कार्य निभाने के योग्य हैं? इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री दिनेश सिंह ने मेडम विन्ह भारत आने के लिए निमन्त्रित किया था, यदि हां, तो वर्तमान विदेश मन्त्री श्री स्वर्ण सिंह हवाई अड्डे पर उपस्थित क्यों नहीं थे?

माननीय सदस्य ने दक्षिणी वियतनाम द्वारा राष्ट्रीय झंडे का असम्मान किये जाने तथा सैंगौन में रहने वाले भारतीयों की असुरक्षा पर जो दु ख प्रगट किया, मैं उससे सहमत हूं। बड़े ही खेद की बात है कि दक्षिणी वियतनाम के विदेश मन्त्रालय ने महा-वाणिज्यदूत द्वारा भेजे गए विरोध-पत्र को लेने से इंकार कर दिया। उनका ऐसा करना अशोभनीय तो है ही अनुचित भी है। पूछा गया है कि सैंगोन में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यवाही यही की जा सकती है कि सैंगोन की सरकार से भारतीय मूलक लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा जाए। सरकार ने

भारत और सैगोन दोनों में अपना विरोध प्रकट किया है और मुझे आशा है कि वे जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे।

मेडम बिन्ह के निमन्त्रण पर प्रश्न पूछा गया है। मुझे खुशी है कि दो बातों को लेकर मेरी आलोचना की जा रही है। प्रथम तो यह है कि मैंने मेडम विन्ह को भारत आने के लिए निमन्त्रित किया और दूसरे यह कि मैं हवाई अड्डे पर उन्हें लेने नहीं गया। जहां तक उनको निमन्त्रण भेजने का सम्बन्ध है, उन्हें निमन्त्रण इसलिए दिया गया क्योंकि वे वियतनाम के महत्वपूर्ण दल का प्रतिनिधित्व करती हैं। काफी समय से, हमारा विचार रहा है कि शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। मेडम बिन्ह जिस संघ का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह संघ पेरिस में शांति वार्ता के लिए महत्वपूर्ण दल है। दक्षिणी वियतनाम इस दल से वार्ता करता है, उत्तरी वियतनाम इससे वार्ता करता है। अमरीका इससे वार्ता करता है। परन्तु किसी न किसी प्रकार हमारे देश में उग्र दक्षिण पंथी हैं जिन्होंने मेडम बिन्ह का भारत आना पसन्द नहीं किया। उन्हें काले झंडे दिखाना बिल्कुल बचकाना बात थी। मेडम विन्ह को निमन्त्रण देने के लिये हम क्षमा नही माँग सकते। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मेडम बिन्ह को निमन्त्रण देना हमारा कर्तव्य था। इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी नहीं हो सकते। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय समस्य ने यह क्यों कहा कि हम अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का पक्ष ले रहे हैं। हमने तो मेडम विन्ह को प्रतिष्ठित नेता होने के कारण निमन्त्रण दिया है। हमें इंडो-चीन के विवाद में अन्तग्रस्त सभी दलों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। शांति स्थापना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। पूछा गया है कि जब श्री दिनेश सिह ने मेडम विन्ह को निमन्त्रित किया था तो मैं हवाई अड्डे क्यों नहीं गया? यह आवश्यक नहीं कि अतिथि को लेने के लिए केंद्रीय स्तर का मन्त्री ही जाए। उनको लेने के लिए सरकार का कोई भी सदस्य जा सकता है और उप-मन्त्री, जो कि मंत्री-परिषद के सदस्य भी हैं, उनको लेने हवाई अड्डे पर गये थे।

श्री उमानाथ (पुट्टूकोटै) : उनके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में केवल उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नयाचार की दृष्टि से और शिष्टता की दृष्टि से यदि मन्त्रि परिषद का कोई सदस्य हवाई अड्डे पर अतिथि को लेने जाता है तो इसमें अशिष्टता की कोई बात नहीं। हम जो कुछ करते हैं, निष्पक्षता की दृष्टि से करते हैं।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जीलिंग) : समाचार पत्रों में मेडम बिन्ह पर जो हलचल रही है, उसका मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। मेडम बिन्ह लम्बे समय से पेरिस वार्ता में भाग लेती रही हैं। इसपर किसी ने आपत्ति नहीं की। वे देश के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अतः उनको यहां निमन्त्रित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु एक बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वे हवाई अड्डे पर उनको लेने क्यों नहीं गये। उन्होंने उस अधिकारी को वहाँ भेजा जो उनके पद से कहीं नीचा था। यदि रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड से भारत आएं तो क्या उप-मंत्री का उनके स्वागत हेतु हवाई अड्डे पर जाना पर्याप्त होगा? मेडम बिन्ह के समकक्ष पद का व्यक्ति ही उनके स्वागत हेतु हवाई अड्डे पर जाना चाहिए।

यदि माननीय मन्त्री हवाई अड्डे पर जाने के लिए इच्छुक नहीं थे तो किसी केंद्रीय स्तर के मंत्री को वहाँ जाना चाहिये था। केवल उप-मंत्री को भेजना पर्याप्त नहीं था।

बहुत ही खेद की बात है कि सैगोन सरकार के विदेश मंत्री ने हमारे विरोध पत्र को वीकार करने से इन्कार कर दिया। हमें आशंका है कि सैगोन में रहने वाले भारत मूलक लोगों की वहां क्या हालत है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी? मैंने हाल ही में विदेशों की यात्रा की है और मैंने यह अनुभव किया कि विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा कम होती जा रही है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : इसका उत्तरदायी कौन है?

डा० मैत्रेयी बसु : मुझे भी यही पूछना है कि इसका उत्तरदायी कौन है? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री स्वर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हवाई अड्डे पर न जाने से अप्रतिष्ठा की कोई बात नहीं हुई है। श्री पीलु मोदी ने बताया कि मेडम बिन्ह के बम्बई आने पर उन्होंने काले झंडे से उनका स्वागत किया। अगर हम उन्हें काले झंडे दिखाते हैं तो हमें काले झंडे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए और सैगोन में यही हुआ है। हम काले झंडे के प्रदर्शन के बिल्कुल विरुद्ध हैं। जहां तक सैगोन में रहने वाले भारत मूलक लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि सैगोन के प्राधिकारी स्थिति की वास्तविकता का अनुभव करेंगे और भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : 27 जुलाई को सैगोन में हुए प्रदर्शन और हमारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने की जो घटनाएं हुई उससे एक मूल बात का पता चलता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं पर लोग तो वहीं रहते हैं। अतः हमारी नीति निष्पक्ष होनी चाहिए, दलीय या पूर्वाग्रहयुक्त नहीं होनी चाहिए जिससे दक्षिणी वियतनाम के लोगों को इस प्रकार प्रदर्शन का असवर मिले और उनकी सद्भावना को चोट लगे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सैगोन में जो कुछ भी हुआ उसका कारण मेडम बिन्ह के भारत आने या उन्हें काले झंडे दिखाना नहीं था। हमने अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष होने के बावजूद भी एकपक्षीय नीति अपनाई और इसी कारण सैगोन में गड़बड़ी हुई। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूँ कि एक और भी ऐसी बात है जो विदेशों में रहने वाले भारत मूलक निवासियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। बहुत ही दुःख की बात है कि सैगोन में रहने वाले भारतीयों के विभिन्न शिष्टमंडल, जिसमें भारतीय मुस्लिम समुदाय, बम्बई रेशम व्यापारी संघ, तमिल जनसंघ संघ सैगोन सिख संघ आदि के शिष्टमंडल, भारत में आएं परन्तु माननीय प्रधान मंत्री न तो उनसे मिलीं और न ही उनके विचार जानने चाहे। मैं यहां एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वैदेशिक व्यापार प्रभाग के मुख्य सचिव श्री टी० एन० कौल ने कहा था। सैगोन में रहने वाले भारत मूलक लोगों के साथ क्या होता है, यह चिंता करना हमारा विषय नही है। हम तो उस देश के साथ वही बर्ताव करेंगे जो करना चाहेंगे। मैं जानना चाहता हूं

कि क्या यही सरकार की नीति है कि हम सैगोन में रहने वाले भारतमूलक निवासियों के हितों को ठुकरा दें ?

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : ये वे लोग हैं जो सैगोन में होनी वाली घटनाओं के जिम्मेदार है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : समाचार पत्रों को देखने से पता चलता है कि सैगोन में रहने वाले भारतमूलक निवासियों का जीवन कष्टमय हो गया है। वे हमारी नीतियों के कारण वे आतंकित हैं। यह तथाकथित राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की अस्थायी सरकार...

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह तथाकथित सरकार नहीं है । यह जनता की वास्तविक सरकार है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : भारतीय सरकार को चाहिए कि वह इस सरकार को मान्यता दे ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह अस्थाई सरकार है परन्तु भारत की अल संख्यक सरकार न केवल इसे मान्यता देना चाहती है बल्कि यह भी चाहती है कि यह सरकार सैगोन में बनी रहे । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सभ्य प्रजातांत्रिक देशों में ऐसा कोई उदाहरण है जहां कि इस प्रकार की सरकार को न केवल मान्यता बल्कि आदर भी दिया गया हो ? (**व्यवधान**).

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सैगांव में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले और उसके समक्ष भारत विरोधी जोरदार प्रदर्शन के समाचार तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी । परन्तु माननीय सदस्य असम्बद्ध बातें पूछ रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ध्यानाकर्षण सूचना में दोनों बातें पूछी गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि घटना के केवल एक ही पक्ष पर चर्चा की जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ हो रहा है उसका मुझे बहुत खेद है । माननीय सदस्यों के शोरगुल के कारण मैं काम नहीं कर सकता। मैं जो भी कहता हूं माननीय सदस्यों को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इससे सहमत होंगे।

कई **माननीय सदस्य** : जी, हाँ ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेडम बिन्ह भारतीय प्रधानमंत्री के लिए चीन के प्रधानमंत्री की ओर से कोई विशेष संदेश लाई हैं और क्या समस्या के किसी भाग पर मेडम बिन्ह और भारतीय सरकार के बीच किसी स्तर पर कोई बातचीत हुई थी ? अन्त में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार रूस और चीन की उंगलियों पर नाचना बन्द करेगी और देश में शान्ति बनाए रखने के लिए दलीय तथा पराधीन नीतियों को त्याग कर तटस्थता और धैर्य की नीति अपनाएगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते वहां के सभी सम्बद्ध दलों से सम्पर्क बनाए रखना हमारा कर्त्तव्य है ।

श्री म० ला० सोंधी : जनेवा समझौते के अन्तर्गत क्या इन्हें दल माना जा सकता है ? कृपया स्पष्ट करें ।

श्री स्वर्ण सिंह : स्वतन्त्र दल के नेता ने मुझे याद दिलाया कि दक्षिण वियतनाम की क्रांतिकारी सरकार ने जेनेवा समझौते में भाग नहीं लिया था । यह सच है कि उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था । मगर हमें आज की परिस्थितियों पर विचार करना है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : माननीय मंत्री महोदय सदन का अपमान कर रहे हैं । वे कह रहे हैं कि हम यह नहीं देखते कि अमरीका क्या कहते हैं या रूस क्या कहते हैं और हमने जो कुछ किया है, वह हमारे हित में है । तो आप अमरीका या रूस को इसके बीच क्यों घसीटकर ला रहे हैं ? आप भारतीय विदेश मंत्री के लहजे में क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : आजकल कई राजनैतिक दलों में यह कहना एक फैशन सा हो गया है कि हम सोवियत रूस की नीति को अपना रहे हैं । यह पूर्णतः अवास्तविक है, भ्रम पूर्ण है । मेडम बिन्ह को निमंत्रण देकर हमने एक सही निर्णय किया । यह भारत के लिए आवश्यक था ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यह मन्त्रिमंडल का निर्णय नहीं था, श्री दिनेश सिंह का निर्णय था ।

श्री स्वर्ण सिंह : जो श्री दिनेश सिंह ने किया है मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ । यह एक सही निर्णय था । हमें सभी दलों के दृष्टिकोण और विचारों से परिचित होना चाहिये । अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में इससे हम अपने उत्तरदायित्वों को सही दिशा में और अधिक प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं । सिवाय इसके कि सम्बद्ध व्यक्ति जो अपने दल की ओर से पेरिस शांतिवार्त्ता में भाग ले रहे हैं, ये सीधा सम्पर्क स्थापित करें । उनके दृष्टिकोण से परिचित होने का अन्य अच्छा मार्ग नहीं है ।

दक्षिण वियतनाम के भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों जो भारत आये थे, के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था । प्रधान मन्त्री कई कार्यक्रमों में व्यस्त थीं, अतः उनसे मिल नही पाईं । मगर उन्होनें वैदेशिक कार्यों के सचिव और वैदेशिक-कार्य मंत्री से मुकालात की और उनकी राय पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को चेतावनी दे रहा हूं कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे देशों के बीच विद्वेष की भावना फैल जाए । हम यह नहीं होने देंगे कि अन्य देश वहां के भारतीयों के जरिये हमारे ऊपर राजनैतिक दबाव डालें । हम उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं । अगर ये देश धमकी दें कि यदि हम उनकी नीति से सहमत न होंगे तो, वहां के भारतीयों का जीवन खतरनाक होगा और अतः हम अपनी स्वीकृत नीति में परिवर्तन करें, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते । इस प्रसंग में हमारी नीति स्पष्ट है । अतः मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हम उनके हितों की हमेशा रक्षा करेंगे, मगर इस नीति को स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : वहाँ के भारतीय समुदाय ने व्यापार कार्यों में बहुत उन्नति प्राप्त की है। जब उनका जीवन खतरे में है, तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : स्वतन्त्र दल के सदस्य ने पूछा था क्या दुनिया में अब तक ऐसी कोई मिसाल देखने को मिलती है जब किसी देश ने विदेश मन्त्री के रूप में एक महिला का स्वागत किया है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की सरकार ने, जोकि वयस्कमताधिकार द्वारा निर्वाचित की गई, उनका न केवल स्वागत सत्कार किया, बल्कि उनकी सरकार को मान्यता भी दी है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 25-26 सदस्य देशों ने मेडम बिन्ह की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दी है। हमने उन्हें मान्यता नहीं दी है, फिर भी इस सम्बन्ध में हमने जो कुछ किया, वह उचित है।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, the Indian National Flag was burnt and our Embassy in Saigon was defamed. Seeing these things I would like to urge upon the Government to condemn the dastardly act done by the American puppet regime in Saigon... (*Interruptions*).. The Government of India has sent a protest note to Saigon, but they registered it. I would like to ask the Government whether they would advice the Indians in Saigon and elsewhere, as the tradition that we have been keeping, to oppose the imperialist forces, and join hands with the progressive fronts of the pepople ? I would like to say to the people sitting on the other side, that history won't pardon you. as you are supporting the treacherous regime in Saigon, even after our National Flag is dragged on the ground and burnt and the nation defamed.

श्री स्वर्ण सिंह : यह कर्त्तव्य बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों पर सौंप दिया गया है कि वे उनके हित और देश के हित में जो उचित लगे वही काम करें।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. I would like to know from hon. Minister where else except Saigon our National Flag was dishonoured and pictures of Mahatma Gandhi were burnt (*Interruptions*).

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने मेडम बिन्ह की भारत यात्रा की तुलना दलाईलामा और खान अब्दुलगफ्फार खान की भारत-यात्रा से करके एक असम्बद्ध वक्तव्य दिया है ? क्या यही सरकार का रवैया है ? क्या सरकार यह अनुभव करती है कि एक भद्दा उदाहरण पेश किया गया है और इससे मान्यता प्राप्त सरकारों को धक्का पहुँचा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य की बात कर रहे हैं जो कि एक प्राधिकृत सूत्र द्वारा दिया गया था। क्या किसी आलोचक, संवाददाता या किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था...

एक माननीय सदस्य : यह वक्तव्य आपके मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिया गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : किसी सरकारी प्रवक्ता ने मेडम बिन्द की भारत यात्रा की तुलना दलाई लामा या खान अब्दुल गफ्फार खान की भारत-यात्रा के साथ तुलना करने का प्रयत्न नहीं किया है। ये दोनों अलग-अलग मामले हैं और इन्हें एक दूसरे में नहीं मिलाना चाहिए। यदि किसी ने ऐसा वक्तव्य दिया है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, उसका विरोध करूंगा।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : मुझे पता लगा है कि धर्म तेजा के सम्बन्ध में जो सरकारी रिकार्ड है, उसको नष्ट किया जा रहा है क्योंकि इससे उत्तेजना फैलने की सम्भावना है। मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए क्योंकि सारी सरकार इसमें अन्तंग्रस्त है ।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकी संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी (राज्य मन्त्री) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3691/70]

नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : मैं श्री जगजीवनराम की ओर से नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविधि (दूसरा संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 199 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविधि (संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 201 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें विविध, (पांचवां संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 209 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 229 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) नौ-सेना छुट्टी विनियम, 1970, जो दिनांक 27 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 285 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (छठा संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 329 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (सातवां संशोधन) विनियम, 1970 जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 330 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-3692/70]

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, एस० आर० ओ० 309 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (तीसरा संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 21 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 10 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) नौ-सेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) पहला संशोधन विनियम 1970, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 126 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-3339/70]

Annual Report of Permanent Indus Commission for Year Ended 31-3-1970

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Permanent Indus Commission for the year ended the 31st March, 1970. [*Placed in Library. See* No. LT—3693/70].

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [सभा पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3604/70]

Audit Report, Railways, 1970 and Appropriation Accounts, Railways, 1968-69

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House :

(1) A copy of the Audit Report, Railways, 1970, (Hindi version) under article 151(1) of the Constitution read with sub-section 3 (ii) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT—3736/70].

(2) A copy of Appropriation Accounts, Railways, for 1968-69, Part I-Review (Hindi version). [*Placed in Library. See* No. LT—3737/70].

(3) A copy of Appropriation Accounts, Railways, for 1968-69, Part-II Detailed Appropriation Accounts (Hindi version). [*Placed in Library. See* No. LT—3738/70].

(4) A copy of Block Accounts (including Capital Statements comprising the Loan Accounts), Balance Sheets and Profit and Loss Accounts Railways, for 1968-69. (Hindi version) [*Placed in Library. See* No. LT—3739/70].

Export of Fried Fish (Inspection) Rules, 1970 and Audited Accounts of the Textiles Committee for the Year 1967-68

The Deputy Mfnister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House.

(1) A statement showing reasons for delay in laying the Audit Report on the Accounts of the Rubber Board for the year 1967-63. [*Placed in Library. See* No. LT—3695/70].

(2) A copy of the Export of Fried Fish (Inspection) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. S. O. 2158 in Gazette of India dated the 5th June, 1970, under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT—3696/70].

(3) A copy of the Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Textiles Committee for the year 1967-68, under sub-section (4) of section 13 of the Textiles Committee Act 1963. [*Placed in Library. See* No. LT—3697/70].

Annual Accounts of the West Bengal State Electricity Board for the Year 1968-69

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House :—

(1) A copy of the Annual Accounts of the West Bengal State Electricity Board for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon, under sub-section (5) of section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 19th March, 1970 issued by the President in relation to the State of West Bengal. [*Placed in Library. See* No. LT—3698/70].

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above document. [*Placed in Library. See* No. LT—3699/70].

प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश
DIRECTION BY THE SPEAKER UNDER THE RULES OF PROCEDURE

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश 115 ग की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

64 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 64 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोतर सीमा रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य (सभा-पटल पर रखा गया)
STATEMENT RE : RAILWAY STRIKE ON SOUTH AND NORTH EASTERN RAILWAYS (LAID ON THE TABLE)

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोतर सीमा के रेलवे के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3700/70].

कार्य मंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव
MOTION RE : FIFTY FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा में समिति के 51वें प्रतिवेदन से, जो 28 जुलाई, 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा में समिति के 51वें प्रतिवेदन से, जो 28 जुलाई, 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री लगभग सायं के 5 बजे बोलेंगी और इसके बाद श्री मधु लिमये उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four Minutes past Fourteen of the Clock.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the situation in Baroda House, headquarter of Northern Railway is tense. Thousands of Railway labourers and an equal number of police are assembled there and the General Manager has slipped away. There is no one to see them. So, I would request the hon. Minister to look into matter otherwise there are chances of any danger. The members of Northern Railway Workers Union are present there and their meeting is going on peacefully. They want to discuss their demands but police has gheraoedthem. The situation is taking a serious turn. You should ask the hon. Minister to look into the matter otherwise and untoward incident may take place.

मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव–जारी

MOTION OF NO. CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS—(*Contd.*)

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल विधान सभा के चुनाव की तिथि के सम्बन्ध में मैंने कल कहा था । केरल विधान सभा 26 जून को भंग कर दी गई और उसके बाद चुनाव आयुक्त ने मध्यावधि चुनाव की तिथि निश्चित कर ली । इस बीच उन्होंने सभी सम्बद्ध दलों और केरल सरकार से विचार-विमर्श किया । चुनाव की तिथि निश्चित करने के बाद भी, उन्होंने तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों को ऐसे ढंग से निर्धारित किया ताकि मतदाताओं और संबद्ध दलों को सुविधा प्राप्त हो ।

केरल में भी नवम्बर के अन्त में मतदाताओं की सूची तैयार की गई थी । चूंकि मतदाताओं की सूची के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्रकट की गई, अतः चुनाव उपायुक्त ने उन पर भी विचार किया । पहले उन्होंने सूची में से किसी का नाम हटाये जाने या जोड़ दिये जाने की अन्तिम तिथि अगस्त 19 निश्चित कर ली थी । मगर अब इसकी अवधि दो या तीन दिन तक और बढ़ा दी गई । यहां तक कि 2 सितम्बर के बाद भी कोई व्यक्ति 1.50 पैसे की अदायगी पर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराया सकता है । केरल की मतदाता सूची संबंधी तथ्य यह है । इसमें केन्द्रीय सरकार क्या कर सकती है । एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में छपा एक लेख इस संबंध में आप जनता की राय को प्रतिबिंबित करता है । उसमें लिखा गया है कि केरल में मार्क्सवादी और उसके साथियों ने ही शीघ्र मध्यावधि चुनाव का विरोध कर रहे हैं । जबकि शेष सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं । मार्क्सवादी का केरल में जनता से संपर्क नहीं रह गया और उनका मनोबल गिर गया है । अतः वे मतदाताओं का सामन्त करने से डरते हैं ।" केरल में भी हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं । माडायी में जहां मध्यावधि चुनाव में मार्क्सवादी प्रत्यक्षी विजयी हुए थे, ये जान-माल के लिए खतरा बने हैं । ये लोगों की नृशंस हत्या कर रहे हैं और संपत्ति को हड़प रहे हैं ।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : माननीय सदस्य जानबूझकर भ्रमपूर्ण बातें कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाल रहा हूं। जब मैं तथ्य कहता हूं तो कुछ लोगों को दुख क्यों होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाता है, तो उस की ओर ध्यान देना मेरा कर्तव्य है। संक्षेप में आप अपनी व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कीजिये।

श्री प० गोपालन : माडायी चुनाव क्षेत्र में माटू नाम का छोटा सा द्वीप है जहां अधिकतर मुस्लिम लीग वाले रहते हैं। वहां हिन्दू लोग अल्प संख्यक हैं। मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिन्दू परिवारों को वहां से भगाया। अब ये हिंसा का दोष हमारे ऊपर मढ़ देते हैं।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : श्री गोपालन सदन के सम्मुख भ्रमपूर्ण बातें कर रहे हैं। मैंने उस इलाके का दौरा किया है और मैं वहां की स्थिति से पूर्णतः अवगत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है, इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद इस्माइल : केरल में आज यह स्थिति विद्यमान है। कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।

जहां तक मतदाता सूची का सवाल है वे कहते हैं कि प्रतिशत में वृद्धि हुई है। केरल के बहुत अधिक लोग देश के कई भागों में बिखरे पड़े हैं। वे अपने-अपने घर वापस आते हैं, तो कभी हजारों की संख्या में आते हैं। अतः इसमें असामान्य वाली कोई चीज नहीं है। असल में केरल की मतदाता सूची में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। जैसे ये लोग कहते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं दो तीन और बातों की ओर भी ध्यान देना चाहता हूं। विपक्षी दल के नेता ने इस प्रस्ताव के द्वारा जो कार्य किया है, उस से यहां वाद-विवाद का जो स्तर कायम किया गया था, वह बहुत अधिक गिर गया। सरकार की नीति की आलोचना करने के बजाए, उन्होंने यह दलील पेश की कि प्रधान मन्त्री ने अपने हाथों में सत्ता को केन्द्रीकृत किया है। उन्होंने व्यक्ति की आलोचना की है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता या संसद सदस्य पसन्द नहीं करेंगे। हमें वाद-विवाद के सार को बनाए रखना चाहिए और सरकार की नीति और कार्यन्वयन के तरीकों की आलोचना करनी चाहिए, न कि व्यक्तियों की। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की नीतियों से हम पूर्णतः सहमत हैं। परन्तु मन्त्रिमण्डल में हेरफेर प्रधानमंत्री और अन्य मन्त्रियों के बीच का सवाल है।

श्री बलराज मधोक मुस्लिम लीग का अपमान करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखते। वे मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। उनके इस देश में आने के पहले ही यहां मुस्लिम लीग कार्य कर रहा था। संविधान के निर्माण में भी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने सक्रिय योगदान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री बलराज मधोक ऐसी एक मिसाल पैदा करें जबकि मुस्लिम लीग वालों ने लोगों में दूसरे समुदाय के प्रति घृणा की भावना पैदा की हो। अल्पसंख्यक लीग

साम्प्रदायिक नहीं हो सकते हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं, वह स्वयं की रक्षा के लिए ही है। वे चाहते हैं कि उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाए।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would call this kind of no confidence motion a political stunt. I have been hearing so may speeches supporting the motion untill yesterday. But could not see any thing need in this.

On serious allegation levelled against the Prime Minister is that she is becoming dictator. But I could not understand properly had she beccme a dictator. In democracy it is majority that courts. When the majority is with her, how can she be called a dictator ? Here it is those people who have defied the mandate of majority, who have broken away from the Congress. They remained clinging on to power even after they came to know that they are in minority. All the leaders of the organisation like Deshbandhu Das, Subhash Bose, Acharya Kripalani etc. had resigned from the posts they held, the moment the came to know that majority is not with them. Majority is the backbone of democracy and they have violated its mandate.

Really a 'grand-alliance' is being formed among them. They blame the Prime Minister for having enjoyed the support of the CPI. But these is not something like of an alliance as such between the CPI and the Congress. But these parties have come closer together and staged a no confidence motion, thereby making it more clear that the process of consolidation among there is gaining momentum.

Much is heard of Principles from this camp. I would like to cite one example to prove the futility of this argument. The Jan Sangh is considered to be the powerful champion o Hindi. But Mr. Madhok yesterday speake in English. Similarly Shri Morarji Desai is also considered to be a protagouist of Hindi. But hither to he did not make even a single speech in Hindi. This is the fact regarding principles.

Reshuffling of the Cabinet is one among the points of allegation levelled against the Prime Minister. It is the principle of democracy that a Prime Minister has the full freedom to make a cnoice among the colleagues. Here, the Prime Minister has acted only according to this principle. There is no question of dictatorship or concentration of power here.

Dr. Ram Subhag Singh could see only vices in our Party. He was a member of this Party and also a members of the Council of Ministers some three months ago. He could not see anything wrong in the party at that time. In fact this outery is only due to the fact that they are deprived of Power.

The future of the country depends on the solidarity and firmness of the Central Government whatever is going on here is deliberately aimed at croding the strength of the Central Government. To strengthen the hands of Indiaji is essential for the presurance of democracy in the country. No election is likely to be held before 1972. In 1972, you can see that Indiraji returns to Parliament with a steamroller majority.

With these words, I oppose strongly the motion of no-confidence in the Counci of Ministers.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अध्यक्ष महोदय ने सदन में कहा कि उन्हें तीन अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—एक श्री अ० कु० गोपालन का, दूसरा श्री पी० राममूर्ति का और तीसरा श्री मधु लिमये का। जहां तक साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का सम्बन्ध है, वे केरल और पश्चिम बंगाल के मामलों में अधिक दिलचस्प हैं। अतः सदन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि उन्हें इस सम्बन्ध में क्या कहना है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस विषय में उनकी क्या

आशंकायें और भय हैं। मगर हमें यहां श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना है।

इस अविश्वास प्रस्ताव में तीन मुद्दे प्रस्तुत किये गये हैं। पहला है केरल की मतदाता सूची में की गई कथित धांधली। दूसरा मुद्दा है प्रधान मन्त्री के हाथों में शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीकृत किया जाना और बढ़ती हुई नौकरशाही। पहली बात केरल की मतदाता सूची में की गई धांधली के सम्बन्ध में है। यदि यह सच है तो यह बहुत गम्भीर समस्या है। अगर हम समझते हैं कि चुनाव आयोग गलत राह पर चल रहा है तो संविधान में उसको ठीक करने का उपाय बताया गया है। हम चुनाव आयुक्त में अपना अविश्वास प्रकट कर सकते हैं। मगर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जो अविश्वास प्रस्ताव चुनाव आयुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, वह उसके बजाए सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाए। यह प्रक्रिया की दृष्टि से भी गलत तरीका है।

यहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये कि केरल की मतदाताओं की सूची में 31 लाख लोगों को नये तौर पर जोड़ दिया गया और 17 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिये गये। क्या यह निष्कर्ष सही है? मैं तमिल नाडु के सम्बन्ध में सही आंकड़ा जानता हूं। गत चार वर्षों में मतदाता सूची में 63 लाख नाम नये जोड़ दिये गये और 46 लाख लोगों के नाम हटाये गए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहां की मतदाता सूची में किसी भी तरह की धांधली की कोई शिकायत नहीं है। सूची में अधिक नाम जोड़ दिए जाने का या हटाये जाने का मतलब यह नहीं है कि गत तीन-चार वर्षों में इस हिसाब से मृत्यु या जन्म हुआ है। जब कोई आदमी एक प्रदेश से और कहीं जाता है तो एक सूची में से उसका नाम हटाया जाएगा और वह जहां जाके बस जाता है वहां की सूची में नाम शामिल किया जाएगा। वह व्यक्ति जो अपना निवास-स्थान बदल देता है और मतदाता सूची में तत्सम्बन्धी परिवर्तन नहीं कराता, वह मतदान के लिए योग्य नहीं रहेगा।

मधु लिमये कहते हैं कि प्रधान मन्त्री के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण हो रहा है। यह केन्द्रीकरण गत बीस सालों से चल रहा है। संविधान सत्ता हाथ में देता है और यहां शक्ति छीनने की बात कही गई। डा० रामसुभग सिंह ने मन्त्रिमंडल में हुए हेरफेर पर घोर असंतोष प्रकट किया। वे प्रधान मन्त्री को तानाशाह बनते देखकर अधिक चिंतित होते हैं। हमें मंत्रिमंडल के सम्मिलित कार्यकरण पर ध्यान देना है न कि यह देखना कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है? यदि कोई गलती सरकार की ओर से की जाती है, तो समूचे मंत्रिमंडल की आलोचना करें। किसी खास व्यक्ति पर बल देना उचित नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण हो रहा है। इससे मैं अधिक चिंतित भी हूँ। मगर इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि शब्दों को अधिकाधिक शक्ति प्रदान की जाए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता के केन्द्रित रहने से अत्यधिक जटिलतायें पैदा होंगी। अतः मेरी दलील यह है कि प्रतिरक्षा, वैदेशिक-कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों को छोड़कर शेष सारी चीजें राज्य सरकारों को सौंप दी जाएं।

अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो-जो दल सामने आ रहे हैं। उनमें साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के बारे में मेरा विश्वास है कि वे केवल अपनी चिंताओं को व्यक्त करना

चाहते थे चाहे वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये ही हो या स्थगन प्रस्ताव के जरिये हो। उनका मुख्य लक्ष्य केवल ये बातें सदन के सम्मुख लाने का है। मेरे विचार से वे इन्दिरा सरकार को गिराना नहीं चाहते। श्री राममूर्ति ने कहा था कि "श्रीमती गांधी की नीति प्रगतिशील नहीं है। मगर हमारे सामने इस समय क्या विकल्प रह गया है? हम जानते हैं कि जनसंघ-सिंडिकेट-स्वतन्त्र दल अगर सत्तारूढ़ होंगे, तो देश का क्या भविष्य होगा?" मैं आशा करता हूँ कि वे अब भी इस रवैये को अपनायेंगे। केरल की मतदाता सूची में घांधली हुई होगी। उसके लिए उन्हें चुनाव आयोग और केरल सरकार को दोष देना चाहिए। यहां तक कि स्वतंत्र दल भी इन्दिरा सरकार को गिराना नहीं चाहता है। वे सब आत्मप्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वे सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि वर्तमान सरकार उलट जाए और उसकी जगह उससे बदतर सरकार सत्तारूढ़ हो। हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार सत्तारूढ़ हो। हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक वह सम्भव नहीं होता। अगर इन्दिरा सरकार हमारी प्रत्याशाओं के अनुरूप काम नहीं करती, तो हम उनसे अलग हो जाएंगे। हम उन्हें सशर्त समर्थन देते हैं।

इन शब्दों से मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह असल में चुनाव आयुक्त और केरल सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण): श्रीमान्, निन्दा प्रस्ताव के तीन भाग हैं। पहला भाग केरल से सम्बन्धित है। केरल के बारे में शिकायत यह की जा रही है कि चुनाव उस तारीख से पूर्व ही हो रहे हैं जिस तारीख से कुछ लोगों ने चाहे थे। लेकिन तब यह सोचा गया कि हमारी सरकार वहां के लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर रही है जो कि तत्काल ही मंत्रिमंडल की शक्ति और संयुक्त दल की शक्ति का मतदाताओं द्वारा परीक्षण करायेगी। बंगाल में जो लोग तत्काल चुनाव चाहते हैं लेकिन केरल में वही लोग चुनाव स्थगित करवाना चाहते हैं। बंगाल में तो वे लोकतन्त्र की मांग करते हैं लेकिन केन्द्र में वे जनसंघ और स्वतन्त्र दल के साथ गठ-बन्धन करना चाहते हैं। वस्तुतः उनकी राजनीति में विपरीत बातें दिखाई देती हैं।

मतदाताओं की सूची में संशोधन छः वर्षों के पश्चात् हो रहा है और केरल में 1964 से औसत शुद्ध वृद्धि 2.7 प्रतिशत प्रति वर्ष हुई है। तमिलनाडु में औसत वृद्धि 2.12 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 2.8 प्रतिशत है। जनता इस तथ्य से परिचित है कि इस तरीके से मतदाताओं की सूची में तथा चुनाव परिणामों में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अतः जब वे लोग दावा करते हैं कि जनता पूरी तरह से उनके साथ है और उनका समर्थन करेगी तो मतदाताओं की सूचियों में किसी प्रकार का सन्देह करना और चुनावों को स्थगित कराना व्यर्थ दिखाई देता है।

उनका कहना है कि इन सूचियों में 50,000 लोगों के नामों की गड़बड़ी है। मतदान के दिन प्रायः न्यायालय बन्द रहते हैं और उस दिन आप को न्यायालय में जाकर मताधिकार नहीं खोना चाहिये। इससे कोई हानि नहीं होने वाली है। अतः सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रकट करने के लिये केरल में मतदान जैसा छोटे मामले को प्रस्तुत करना वांछनीय प्रतीत नहीं होता है।

चार महीने पूर्व केरल में जो उप-चुनाव हुए, उसमें इन मतदाताओं की सूची के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। वस्तुतः मार्क्सवादी नेता जनता का सामना करने की अपेक्षा मतदाताओं की सूची में ही व्यस्त रहना चाहते हैं। इसका कारण राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन हो जाना है।

अतः केरल के बारे में मतदाताओं की सूची का मामला दुर्बल ही है और श्री मधु लिमये जी को इस बारे में अविश्वास प्रस्ताव उठाने की जरूरत नहीं है। शायद यह नई साझेदारी और गठबंधन का परिणाम हैं। चुनाव वहां सम्पन्न होने जा रहे हैं। फिर भी यदि आप राष्ट्रपति का शासन चाहते हैं, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल और केरल के दो अलग स्तर क्यों रखे जा रहे हैं।

जहां तक अच्युत मेनन के मंत्रिमंडल का का सवाल है, वे त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं। उन्होंने केवल इस वजह से त्यागपत्र नहीं दिया था कि यदि वे त्यागपत्र देते हैं तो 1972 तक चुनाव स्थगित किये जा सकते हैं। वस्तुतः उन्हें हमारा आभारी होना चाहिये कि हमने दूसरे पक्ष को 1972 तक चुनावों को स्थगित करवाने में सफल नहीं होने दिया जैसा कि वे बंगाल में इसे करने में सफल हुए हैं। अतः इन मतदाताओं की सूची के लिये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद नहीं किया जा सकता है।

सत्ता का केन्द्रीकरण इस निन्दा प्रस्ताव का अधिक महत्वपूर्ण भाग है। खेद की बात है कि इस प्रस्ताव को उचित रूप से नहीं रखा गया है। राजनीतिक सत्ता का मूलभूत आधार आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कर लेना है और इसके लिए संविधान में भी चेतावनी दी गई है। अर्थात् यदि सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में पहुँच जाती है तो इससे समाज प्रगति नहीं कर पायेगा और सच्चा लोकतंत्र भी नहीं पनप सकेगा तथा लोकतंत्र तानाशाही में बदल जायेगा। जब तक इस केन्द्रीकरण को खत्म नहीं किया जाता, तब तक देश की राजनीतिक पद्धति में चलने वाला सच्चा लोकतंत्र नहीं आयेगा और लोकतंत्र संविधान के अनुसार अपनी सही अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त करेगा। अतः प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण का यह मामला नहीं है। सत्ता का केंद्रीकरण आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण के पश्चात् होता है और उसके लिये राज्य शक्ति का विश्लेषण करना होगा। यह पूंजीवादी और जमींदारी पद्धति की शक्ति का केंद्रीकरण है। इस पद्धति के समाप्त होने पर ही राज्य की शक्ति में सच्चा लोकतंत्रवाद आयेगा। संविधान के निर्माताओं ने वास्तव में इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की थी। लेकिन, दुर्भाग्यवश, मार्क्सवादी सदस्य जो संविधान की खिल्ली उड़ाते हैं, और उसकी उपेक्षा करते हैं, वही लोग इस समय संसदीय लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण की बात करते हैं। इस सभा को तथा तभी सभी दलों के नेताओं को सत्ता के केंद्रीकरण के मामले पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये।

1967 के चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल टूटे हैं और पिछले वर्ष ही जुलाई महीने की घटनाओं से सत्ता का केंद्रीकरण कुछ सीमा तक खत्म हो गया। श्री मोरारजी देसाई जैसे नेता को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और यह एक सुखद घटना मानी गई। पूंजीवर्ग और

जमींदार वर्ग में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने की दिशा में यह एक कदम है। कांग्रेस दल का विघटन अपने में ही जाना तथा नेतृत्व का टूट जाना ही सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक कदम है तथा सत्ता का केंद्रीकरण नहीं कहा जा सकता है। अतः इस घटना का अनुसरण होना चाहिये तथा इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि मैं दूसरे पक्ष को विश्वास का मत दे रहा हूँ। इसका कारण यह है वर्तमान सरकार को अपनी नीतियों में अभी भी कुछ और परिवर्तन अवश्य करने चाहिएं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भूमि के केंद्रीकरण के मामले में परिवर्तन हों। बिड़ला बन्धुओं के हाथों में हजारों एकड़ जमीन केंद्रित है तथा उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए अन्यथा सत्ता के केंद्रीकरण की दशा गलत हो जायेगी। अतः केन्द्र सरकार से राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण का खतरा नहीं है अपितु आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण इस प्रकार से हो जाना है कि देश में लगी पूंजी का 50% से अधिक इन बड़े भवनों का लगा हुआ है। केंद्रीकरण से लड़ने का उचित उपाय यह है कि सामूहिक आन्दोलन संगठित किया जाये और पूंजीपतियों तथा जमींदारों से सत्ता छीन ली जाये तभी विकेन्द्रीकरण संभव हो सकता है। बड़े जमींदारों के पास पर्याप्त भूमि पड़ी हुई है और हम उसे छीनने जा रहे हैं, और इसमें हमें सफलता मिलेगी। सत्ता के केंद्रीकरण से लड़ने का यही रास्ता है। जनता को इसके लिये संघर्ष करना होगा और कुछ लोगों के हाथों में मन-मानी सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिये यही सच्ची गारंटी है।

हमें वर्ग सत्ता के मामले पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये और व्यक्तिगत सत्ता पर नहीं। इस मामले में व्यक्ति विशेष तो आते हैं लेकिन उनके पीछे वर्ग की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा उसके उपरान्त नौकरशाही की सत्ता आती है। नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि मंत्रिमंडल का गठन इस प्रकार का है कि किसी न किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलने का तात्पर्य यह है कि मंत्रालय को कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है और यदि कोई प्रगतिशील नीति भी होती है तो उसपर अमल नहीं हो पाता है। नौकरशाही का कार्य किस तरह होता है, इसका मैं एक उदाहरण देता है। हम राष्ट्रीय श्रम आयोग का विरोध करते हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि न्याय तथा समझौते का मामला जजों के औद्योगिक सम्बन्ध आयोग को सौंप दिया जाये ताकि उसमें प्रबन्धक, मंत्री अथवा नौकरशाह का हस्तक्षेप न हो सके। नौकरशाहों ने इसका दृढ़ विरोध किया और मंत्री भी इन नौकरशाहों का विरोध न कर सके। वस्तुतः मंत्रियों को अपने विषयों की भी जानकारी नहीं होती है। और ये नौकरशाह ट्रेड यूनियन आन्दोलन की इच्छाओं के विरुद्ध अपने निर्णय के देते हैं और मंत्री जिसे मान लेता है। अतः सत्ता के केंद्रीकरण का मामले अधिक गम्भीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिये। यह मामला आज ही नहीं उठाया गया है अपितु यह पहले से ही विद्यमान था।

वर्गों के बीच संघर्ष का आधार सम्पत्ति और गैर-सम्पत्ति का है। इस देश में यह संघर्ष जारी है। कुछ थोड़े से लोगों के पास अपार सम्पत्ति है जबकि अनेक लोगों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं यहां तक कि भोजन भी सुलभ नहीं हैं। इस तरह का संघर्ष हिन्दू शासन अथवा मुस्लिम शासन या अंग्रेजी शासन अथवा वर्तमान कांग्रेसी शासन में रहा है।

अतः इस ममस्या का सार यही है। लोकतंत्र के लिये इस समस्या का समाधान वास्तविक संघर्ष द्वारा करना होगा और यह संघर्ष बड़े एकाधिकारियों का राष्ट्रीयकरण करके ही शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मजदूर वर्ग सच्चे अर्थों में देश को विनियमित कर सकेगा, अपनी मांगों को पूरा करने में कृषक वर्ग सफल हो सकेगा तथा सामान्य मजदूर वर्ग और बे-रोजगारों की समस्या हल हो सकेगी। परन्तु अविश्वास-प्रस्ताव के बारे में इस तरह के वाद-विवाद से कोई परिणाम नहीं निकलने वाले हैं अपितु समस्या तभी सुलझ सकती है जब मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग को सत्ता दी जाये।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक उचित कदम है। लेकिन अब भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुराने नौकरशाहों द्वारा इनका नियंत्रण किया जा रहा है और 130 करोड़ रुपये सहे बाजार को सौंपे गये हैं जिससे कीमतों में 7 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा कई अखबारों में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इसे रोका जाना चाहिये।

अतः बैंकों का प्रबन्ध-कार्य लोकतंत्र की शक्तियों को सौंप दिया जाना चाहिये तथा श्रमिकों को प्रबन्ध-कार्य में हिस्सा दिया जाना चाहिये। पुराने निदेशकों, एकाधिकारियों तथा पुराने नौकरशाहों द्वारा अभी तक बैंक नियन्त्रित हैं जो लोगों की जमा राशि का दुरुपयोग करते हैं।

सरकारी क्षेत्र में वृद्धि हुई है और गैर-सरकारी उद्यम में कमी हो रही है। इसलिए केन्द्रीकरण हुआ है, ऐसा कारण बताया जाता है। अमरीका और इंगलैंड गैर-सरकारी कार्य के मूलभूत स्थल हैं। अमरीकी सेनेट का कथन है कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रेसीडेंट के हाथ में अत्यधिक ही रहा है, अतः इसे समाप्त करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। अमरीका और इंग्लैंड में बड़े आकार के सरकारी-क्षेत्र नही हैं फिर भी सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है। अतः एकाधिकारियों की वर्ग-शक्ति को खत्म करने के लिए सरकारी क्षेत्र को हटा देना कोई रामबाण नहीं है। यह तो केवल लोकतंत्रीय जनता द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : यह अविश्वास प्रस्ताव केवल एक छोटी सी बात पर ही प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है और उनके उत्तर भी दिये जा चुके हैं। लोकतन्त्र में अविश्वास प्रस्ताव एक शक्तिशाली हथियार है और प्रायः इसका उपयोग छोटे छोटे मामलों के लिए नहीं किया जाना चाहिये। यदि इसका प्रयोग इसी प्रकार से ही होता रहा तो इसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा। मुझे खेद है कि श्री मधु लिमये ने छोटी सी बात पर ही अविश्वास प्रस्ताब पेश कर दिया है।

केरल के चुनावों के बारे में कल बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। क्योंकि मेरा सम्बन्ध भी केरल के निकट क्षेत्र से है अतः मैं भी केरल के लोगों और उनकी चुनाव योग्यताओं से पूर्णतया परिचित हूं मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रस्ताव के प्रस्तावक को केरल के मतदाताओं के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। केरल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विरोध किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। केरल के लोग काफी पढ़े लिखे तथा योग्य व्यक्ति हैं। केरल तो एक ऐसा राज्य है जहां मृतकों के वोट भी डाले जाते हैं चाहे यह वोट जाली ही होते है।

कहने का तात्पर्य यह हैं कि जब वहां की स्थिति यह हैं तो भला कोई वैद्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित कैसे रह सकता है।

निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता में अपेक्षित संशोधन किये हैं। उन्होंने अपने पड़ौसी राज्यों के तुल्नात्मक आंकड़े भी दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इन आंकड़ों के मुकाबले में केरल से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि कोई असाधारण बात नहीं है और मतदाता सूची में किसी प्रकार का कदाचार नहीं अपनाया गया।

जहां तक शक्ति के केन्द्रीकरण का सम्बन्ध है मेरा तो मत है कि प्रस्तावक का हमारे दल की आन्तरिक नीतियों में हस्तक्षेप करना अशोभनीय बात है। प्रधानमन्त्री को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह जिस ढंग से अपने मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन करें यद्यपि मन्त्री व्यक्तिगत रूप से विशेष विभागों को संभालते हैं फिर भी प्रधानमन्त्री जब कभी भी चाहे किसी भी कागज या मिसिल को माँग सकती हैं। मैं 15 वर्ष तक मन्त्री रहा हूँ और मैं इसे पूरी तरह समझता हूं कि मुख्य मन्त्री या प्रधान मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की सर्वोच्च शक्ति होती है। मन्त्रिमण्डल का सामुहिक उत्तरदायित्व होता है। अतः यह कहना गलत है कि शक्ति एक हाथ में केन्द्रित हो गई है। श्री मधु लिमये का हमारे दल की आन्तरिक नीतियों में हस्तक्षेप ठीक नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह आज से 11 महीने पूर्व जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे तो सब कुछ ठीक था आज वह मन्त्रिमण्डल में नहीं है तो तभी मन्त्रिमण्डल में यह सब बुराईया आ घुसी हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट करता हूं कि उनके और श्री मोरार जी देसाई के जाने के बाद आजकल मन्त्रि-मण्डल में किसी प्रकार की कोई गुटबन्दी नहीं है। मन्त्रिमण्डल का नेता और उसके सहयोगी परस्परिक सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं।

श्री मधोक को तो हर कोई तानाशाह लगता है वह प्रधानमन्त्री की तुलना कभी हिटलर से करते हैं तो कभी स्टेलिन से। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रधानमन्त्री आज देश के सब से बड़े शक्तिशाली नेता के रूप में हमारे सामने आई है। आज तक सिंडीकेट में जिन लोगों का एका-धिकार रहा है वह आज निराश है क्योंकि प्रधानमन्त्री ने उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। इसलिए वह उसे तानाशाह की संज्ञा देते है।

क्या भारत की प्रधानमन्त्री तानाशाह हैं ? नहीं, उन्हें ऐसा बनने की क्या आवश्यकता है ? अपनी सम्पूर्ण शक्ति यहां तक कि आनन्द भवन को भी उन्होंने राष्ट्र को अर्पित कर दिया है। सत्र की समाप्ति पर वह देश का भ्रमण कर लोगों से मिलती हैं। उस समय लोगों लाखों की संख्या में उनका स्वागत करते हैं। लोग उन्हें आर्शीबाद देते हैं। वह जनता में बहुत लोकप्रिय है और उन्हें तानाशाह कहना एक भारी भूल हैं।

श्री कृपलानी ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पुरानी कथा फिर दोहरा दी। अच्छा होता अगर वह इसकी अपेक्षा यह सुनाते कि विरोधी कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव किस प्रकार किया ? प्रधान मन्त्री के विरुद्ध जो चाल चली गई उसका प्रधानमन्त्री ने केवल विरोध ही नहीं किया अपितु उन्हें भविष्य के लिये एक सबक भी सिखा दिया। मेरा श्री कृपलानी से अनुरोध है कि वह तथ्यों को प्रस्तुत करते समय तटस्थ नीति ही अपनायें।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : विभिन्न दलों द्वारा क्या सामरिक नीति अपनाई जाती है मैं इसे अपनी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। हां श्री जंगी जो एक अन्य बात कही है वह यह है कि हम केरल में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध हैं। हम यदि राष्ट्रपति शासन चाहते हैं तो केवल इसलिए कि वह श्री अच्चुत मेनन के शासन से कहीं अच्छा है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष और स्वतन्त्र हो। जैसा कि मेरे मित्र कृष्णप्पा ने कहा वहां ऐसा न हो कि प्रातः समय मृतक लोग भी वोट डाल जाये और शाम को जब वास्तविक मतदाता आये तो पता चले कि उनका वोट तो डाला जा चुका है। इसलिए यदि स्थिति में सुधार करने के लिये यदि एक या दो मासों तक वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू रहे तो हमें सदन हो सकता है क्योंकि संसदीय लोकतन्त्र में सबसे महत्व-पूर्ण बात स्वतन्त्र और उचित चुनाव ही है। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि केरल में वर्तमान सरकार का जारी रहना अवैध और असंवैधानिक है। वहां के मुख्यमन्त्री श्री अचुता मेनन ने एक संम्वाददाताओं के सम्मेलन को बताया है कि उन्होंने वर्तमान "अनिश्चितता" को समाप्त करने के लिए विधान सभा को भंग करने और अगामी तीन या चार महीनों के अन्दर सम्भव एक नया आदेश प्राप्त करने का परामर्श दिया है। यदि मुख्यमन्त्री के लिए बहुमत की अनिश्चितता थी तो उसे सभा का अधिवेषन बुला कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी। उन्हें सभा को भंग नहीं करना चाहिये था।

संविधान के अनुच्छेद 167 (क) के अन्तर्गत प्रशासन से संबंधित मन्त्रि-परिषद के सभी निर्णयों अथवा दूसरी बातों के बारे में मुख्यमन्त्री को राज्यपाल को सूचना देनी चाहिये। जब केरल विधान सभा को भंग किया गया मन्त्रि परिपद का परामर्श बिलकुल नहीं लिया गया। यह वहां के एक मन्त्री श्री ओ० कोरान के वक्तव्य से स्पष्ट है। इसके साथ ही दो अन्य मन्त्रियों ने भी यह वक्तव्य दिया है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अतः यह निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है परन्तु मुख्यमन्त्री को इस प्रकार विधान सभा भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनिवार्य रूप से मन्त्रि परिषद का निर्णय ही होना चाहिये मन्त्रि-परिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और विधान सभा के भंग होने के बाद भी मन्त्रिमण्डल का जारी रहना न केवल असंविधानिक ही है अपितु लज्जाजनक भी है।

दूसरी बात मुझे चुनावों के सम्बन्ध में कहनी है। निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव के लिए यह अनिवार्य है कि मतदाता सूची बिलकुल सही हो। अभी हाल ही में केरल, कोटरकड़ा, निलम्बूर और मर्दर में तीन उपचुनाव हुये। इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में असंख्य असंगतियां सामने आईं। कहीं अवैध मतदाताओं को सूची में सम्मिलित कर लिया गया है तो कहीं वैद्य नामों को भी अस्वीकार कर दिया गया है। केवल मर्दर चुनाव क्षेत्र में ही 4000 नाम काटे गये हैं। अन्य सूचियों में भी विभिन्न बड़ी-बड़ी असंगतियां स्पष्ट देखने को मिलती है। इन्हीं के आधार पर तो हम ने निर्वाचन आयोग को इस मामले में कुछ करने के लिये कहा है।

केरल में जब 1967 में चुनाव हुये तो उस समय की चुनाव सूचियों के बारे किसी ने कोई शिकायत नहीं की। परन्तु उसके बाद तीन चुनाव हुये और उनमें से हमने लगभग 722 नामों

की जांच की । यह सभी लोग ऐसे थे जो कई वर्ष पूर्व अपने-अपने निवास स्थान को छोड़ चुके थे । हमने इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयुक्त को लिखा । केरल में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों ने एक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव सितम्बर में नहीं किये जाने चाहिये क्योंकि प्रथमत: तो वर्षा ऋतु है और दूसरे मतदाताओं के सूची में भी गड़बड़ी है । परन्तु निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव सितम्बर में ही होंगे क्योंकि यदि 24 सितम्बर से पहले चुनाव न करवाये गये और विधान सभा न बुलाई गई तो छ: महीने का समय निकल जायेगा । भला निर्वाचन आयोग को इससे क्या लेना है ? निर्वाचन आयोग का कार्य तो उचित और स्वतन्त्र चुनाव करवाना है चाहे वहां राष्ट्रपति शासन हो या किसी अन्य का शासन, भला उसे इस से क्या सरोकार है ?

मतदाताओं की सूचियां वास्तव में अभी तक तैयार नहीं है परन्तु निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि वह तैयार है । मैं जब उस से मिला तो उन्होंने कहा कि सूचियां 20 तारीख तक तैयार हो जायेंगी । परन्तु मुझे श्री नबूद्रीपाद का तार 25 तारीख को मिला है जिसके अनुसार 25 प्रात:काल तक मतदाताओं की पूरी सूचियां उन्हें नहीं दी गई हैं । चुनाव की घोषणा तो पहले ही हो गई और मतदाताओं की सूचियां अभी तैयार नहीं हैं । चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सूचियों के विशेष पुनरीक्षण की बात मान ली है । यदि यह पुनरीक्षण हुआ तो निश्चय ही यह नव प्रतिनिधित्व अधिनियमों के प्रतिबन्धों और नियमों के अन्तर्गत ही होगा । इस प्रकार के पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूची का होना जरूरी है परन्तु जो मतदाता सूची दी गई है वह पढ़ी ही नहीं जाती । उसे न तो ठीक ढंग से बनाया ही गया है और न ही वह साधारण भूलों से ही मुक्त है । मैं इस प्रकार की भूलों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चर्चा समाप्त करने का प्रयत्न कीजिये ।

श्री अ० कु० गोपालन : 1967 में जो मतदाताओं की सूचियों में लाखों लोगों का नाम नहीं था । पुनरीक्षण 28 तारीख को होना था । आज तक वह दिन भी निकल गया है परन्तु मतदाताओं को पूर्ण सूची अभी तैयार नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी और बिना मतदाता सूची के चुनाव की घोषणा करने की भला क्या आवश्यकता थी ?

राज्यपाल ने पहले विधान सभा को भंग नहीं किया । वह पहले यहां आये और चुनाव आयुक्त तथा प्रधान मन्त्री से भेंट की । मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि राज्यपाल ने प्रधान मंत्री को यह बताया कि अगर यह सरकार वहाँ जारी नहीं रही, राष्ट्रपति शासन जारी किया गया और अगर चुनावों में बिलम्ब किया गया, तो नये गठजोड़ के सत्ता में आने का कोई अवसर नहीं है । "**मलयालम मनोरमा**" समाचार पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को बुलाकर सलाह दी कि "त्यागपत्र पत्र मत दो ।" तत्पश्चात् चुनाव की घोषणा की गई ।

सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है । मगर चुनाव आयोग, केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार में कोई गुप्त साजिश चला रही है । यह शर्म की बात है कि जिस देश के प्रधान मन्त्री का यह दावा है कि वहां विशालतम संसदीय लोकतंत्र है और वहां मतदाता सूचियां

भी नहीं छापी गई हैं और जो सूची छापी भी गई हैं, वे पढ़ी नहीं जा सकती और उनमें भारी भूलें हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज के समाचार-पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री गोपालन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। अगर यह सच है, तो इस मामले को न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या) : कानूनी तथा संवैधानिक दृष्टि से मामले का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं बाद-विवाद में हस्क्षेप कर रहा हूं।

मैं श्री गोपालन के इस मत के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिये।

निर्वाचन आयोग द्वारा 6 नवम्बर, 1969 को अन्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के साथ केरल की मतदाता सूचियों की समीक्षा करने का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसमें 15 नवम्बर, 1969 को तैयार प्रारूप सूची के रूप में वर्तमान सूचियों के प्रकाशन की व्यवस्था थी। दावे और आपत्ति भेजने की अवधि 15 नवम्बर, 1969 से 30 नवम्बर, 1969 तक थी। साथ ही साथ, वर्तमान सूचियों के अनुसार प्रत्येक मतदाता के नाम की घर-घर जरूर जांच की गई। प्रारूप सूची के विषय में किये गए दावे और आपत्तियों का निपटारा 31 दिसम्बर, 1969 से पहले-पहले कर दिया गया था। अब 15 जनवरी, 1970 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के बारे में कुछ माननीय सदस्य आपत्ति उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और चुनाव सूची पंजीकरण नियमावली, 1960 तथा जारी किये गये निदेशों और अनुदेशों की सख्ती के साथ पालन किया है। 15 जनवरी, 1970 को 1970 की मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात् केरल में तीन उपचुनाव हुए हैं। इन तीन उपचुनावों में किसी भी राजनैतिक दल ने मतदाता सूची के बारे में आपत्ति नहीं उठाई।

विधान सभा भंग होने के पश्चात् नई विधान सभा गठित करने के लिए अब जबकि उप-चुनाव कराने आवश्यक हो गये हैं, तो इन मतदाता सूचियों के बारे में आपत्तियां उठाई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनाव से पूर्व विशेष संशोधन करना स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन आयोग का यह इरादा नहीं है कि उन अशुद्धियों को दूर न किया जाए, जो सूचियों में विद्यमान हैं। कानून के अनुसार, अंतिम मतदाता सूचियों को पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। अब शिकायतों के आधार पर उनमें सिर्फ संशोधन किया जा रहा है। यह पूर्णतः असत्य है कि चुनाव सूचियां तैयार ही नहीं की गईं।

कुछ दलों ने यह शिकायत की है कि उन्हें मतदाता सूचियां नहीं दी गई हैं। मतदाता सूची के लगभग 80 प्रतिशत विभिन्न अंश 20-7-70 तक केरल में सभी राजनैतिक दलों को मुद्रित रूप में भेजे गए हैं और शेष 20 प्रतिशत अंश साइक्लोस्टाइल किये हुए, टाइप किये हुए हस्तलिखित रूप में हैं, जो इस मास के अन्त तक मुद्रित रूप में उपलब्ध हो सकेंगे।

ताल्लुक स्तर पर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यालय में छपी और हस्त-लिखित प्रतियां वितरित की गई थीं। वे स्पष्ट थीं और पढ़ी जा सकती थीं। अब सभा के समक्ष जो प्रति पेश की गई है, सम्भव है कि वह प्रति वह न हो जो भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स-वादी) के कार्यालय में सप्लाई की गई थी। चुनाव आयोग अब भी प्रतियों की सप्लाई करने की व्यवस्था कर रहा है।

केरल की सभी 133 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में 1964 की मतदाता सूचियों की अपेक्षा कुल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 2½ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि है, जो सामान्य समझी जाती है।

चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्त-र्गत चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को तैयार करने के कार्य का नियन्त्रण और निरीक्षण करेगा। संविधान के इसी उपबन्ध के अधीन, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 327 के अधीन संसद, विधान मण्डलों और संसद के चुनाव से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 को पारित किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव की तारीख निर्धारित करने अथवा चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है।

भारत सरकार किसी भी तरह मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को कोई भी निदेश जारी नहीं कर सकती, चाहे वह मतदाता सूची के तैयार करने के बारे में हो अथवा चुनाव की तारीख निर्धारित करने अथवा चुनाव कराने के सम्बन्ध में हो। भारत सरकार ईमानदारी के साथ कुछ भी ऐसा कहना या करना नहीं चाहती जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता अथवा स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव पड़े।

10 जुलाई, 1970 को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आयोजित 17 राजनैतिक दलों की बैठक में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया था कि मतदाता सूचियां इस बार पिछले 20 सालों की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं।

श्री अ० कु० गोपालन के अभ्यावेदन के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जांच करने और गलतियों को सुधारना स्वीकार कर लिया था। विशेष समीक्षा का कार्य चुनाव सम्बन्धी अधि-सूचना जारी होने से एक सप्ताह पूर्व अर्थात् 10 अगस्त से पहले पूरा हो जायगा।

विशेष पुनरीक्षण कार्य तो केरल में विशेष सुविधा के रूप में चालू किया गया है। पार्टियों को 12 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय आपत्तियां दायर करने के लिए दिया गया था। इस अवधि को भी दो दिन और बढ़ा दिया गया है।

चुनावों को किसी विशिष्ट तारीख पर कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। निर्धारित की गई तिथियों में परिवर्तन करने के लिए सरकार चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं

दे सकती। राजनैतिक दल अगर चाहे, तो चुनाव आयोग का अभ्यावेदन दे सकते हैं। और चुनाव आयोग का जो भी निर्णय हो। वह अन्ततोगत्वा उन्हें मानना ही होगा।

वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 174(1) के अन्तर्गत, यह बात चुनाव आयोग के दायित्व के अन्तर्गत आती है कि वह केरल में आम चुनाव कराये और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि पहले की विधान सभा की अन्तिम बैठक और नई विधान सभा की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक की अवधि का अन्तर न हो। नई विधान सभा की बैठक 24 सितम्बर से पहले होनी चाहिये, अतः चुनाव के लिये 17 सितम्बर की तिथि निश्चित करना ठीक ही है।

विरोधी पक्ष के माननीय नेता, डा० राम सुभग सिंह ने जांच आयोग नियुक्त करने की मांग की है ; परन्तु स्थिति यह है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के लिये जांच आयोग की नियुक्ति नहीं हो सकती।

इस प्रश्न पर सरकार की आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे पता नही कि मेरे मित्र श्री मधु लिमये द्वारा इस विषय को अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनाने के पीछे क्या तर्क है। एक संवैधानिक और विधि विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आधार किस प्रकार बनाया जा सकता है ? सरकार के विरुद्ध प्रत्येक विरोधी बात का नेतृत्व और समर्थन करना राष्ट्र के हित में नहीं है।

श्री मधु लिमये सहित एक-दो सदस्यों ने प्रशासन सुधार आयोग और उसकी रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि प्रशासन सुधार आयोग की अपने लिए सुविधाजनक सिफारिशों का प्रधान मन्त्री लाभ उठा रही है। अगर सदस्यगण प्रशासनिक सुधार को निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित कराना चाहते थे, तो उन्हें यह मामला अविश्वास प्रस्ताव के रूप में न उठाकर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से उठाना चाहिये था।

प्रधान मंत्री ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात् एक प्रसारण में कहा था कि वह प्रशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहती हैं और उसे समय की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहती हैं। आयोग की 20 रिपोर्टों में से लगभग सात अथवा आठ पर पहले ही कार्यवाही की जा रही है। सम्बद्ध मन्त्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 87 प्रतिशत सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि प्रशासनिक सुधार जैसे निर्विवाद विषय को विवाद ग्रस्त न बनाया जाए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसा नहीं कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं और यदि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो मैं इस सरकार के पक्ष में कभी मत दूंगा किन्तु यह प्रस्ताव अनुचित समय पर लाया गया है और इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। मैंने ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कर लिया होता, जिसमें कि इसके लिये उचित कारण होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार है। जब उनको सरकार गठित करने के लिए बुलाया गया उस समय वह सभा में वास्तव में बहुसंख्यक सरकार

का नेतृत्व कर रही थीं। अब यद्यपि उनका बहुमत कम सो गया है फिर भी वह इस सभा में अल्पसंख्यक सरकार के रूप में हैं। शायद हमारे संविधान में कुछ कमी है जिसमें उनको ऐसा अवसर मिला है। उनको मतदान द्वारा नहीं चुना गया और वे लोग जो इस प्रकार के प्रस्ताव को लाए हैं श्रीमती गांधी को, देश को तथा विश्व को दिखाने का अवसर दे रहे हैं कि यद्यपि उनकी सरकार अल्पमत में है फिर भी इस सभा में प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है। मेरे माननीय मित्रों ने सरकार का सामना करने के लिए आखिर विरोधी दलों को मिलाने के लिए किया भी क्या है। श्री मधुलिमये इनके जाल में फंस गए हैं।

ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत नहीं दूंगा किन्तु मुझे संसद में कोई अन्य अच्छा विकल्प भी तो दिखाई नहीं दे रहा। यद्यपि अल्पमत वाली सरकार का बने रहना लोकतंत्र के लिए स्वास्थमक नहीं किन्तु बिना ठोस कारणों के मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूंगा। फिर भी अपनी उत्सुकता में ये लोग ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को ही काटने वाले हैं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, इसमें यहां यह कहने का क्या प्रयोजन है कि वहां एक अल्पसंख्यक सरकार बनाई गई है? क्या प्रस्तावक सलाह देता है कि केन्द्रीय सरकार को वहां हस्तक्षेप करके उस सरकार को समाप्त कर देना चाहिये था। इस सरकार को अन्तिम दिन अर्थात् 22 मार्च तक राज्य के विधायकों से पूरा विश्वास प्राप्त हुआ है। केरल विधान सभा ने अन्तिम प्रस्ताव में इस सरकार को विश्वास प्रस्ताव दिया है।

इसके अतिरिक्त क्या श्री लिमये का विचार है कि संविधान ने निर्वाचन आयोग को जो अधिकार दे रखे हैं हम अब केन्द्रीय सरकार को कहें कि उसमें हस्तक्षेप करे और निर्वाचन आयोग को कहे केवल तब ही चुनाव करे जब हमारी सुविधा के अनुकूल हो? इसका अर्थ यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को और अधिक शक्ति दी जा रही है, जबकि वर्तमान शक्तियों के बारे में ही शिकायत हो रही है।

यह प्रस्ताव कुछ अधिक शक्तिशाली नहीं है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता मंत्रिमण्डल को फेर-बदली में तानाशाही के बीज देख रहे हैं। किन्तु उनका उद्देश्य क्या है? उत्सकता में कुछ करने के विचार से अंतिम संसदीय साधन अविश्वास प्रस्ताव जो कि हमारे पास है, का उपहास किया जा रहा है। हमारे पास कई अन्य साधन भी हैं। हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु यह उचित नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव का ही सहारा लिया जाए। इससे वे देश में उलझन पैदा कर रहे हैं जिसको कि अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था।

मैं उन सब लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं तथा अपने कहे गये शब्दों के प्रति गम्भीर हैं। मेरे विचार में दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित न करने में इस असमर्थ सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। क्या स्वतंत्र दल तथा जनसंघ इसके समर्थन के पक्ष में हैं हम चाहते हैं कि इस संप्रभु तथा सर्वोच्च संस्था को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। हम चाहते हैं कि इसके अधिकारों का दमन न किया जाए। किन्तु सर्वोच्च न्यायलय के एक निर्णय द्वारा संसद के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है सर्वोच्च न्यायलय के अनुसार संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। श्री नाथ पाई का विधेयक हमारे सम्मुख है। प्रवर समिति की एकमत सिफारिश के बाद भी यह सरकार इसके

प्रति समर्थन अथवा असमर्थन को घोषित नहीं कर सकी । यह कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय अथवा सभा के नेता वार्ता के लिए तिथि निश्चित करेंगे किन्तु इस बात को भी दो वर्ष हो गए हैं एक ऐसी सरकार जो समाजवादी होने का दावा करती है, जो समाजवाद को मानती है, उसको समाजवादी वैकल्पिक कार्यक्रम से कार्य करना चाहिए । यदि सरकार ने वास्तव में समाजवाद को अपनाया है तो उसको अल्पमत सरकार हो जाने के बाद शेष दो वर्षों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को इस सदन में बताना चाहिये था और इस पर सदन का आदेश ले लेना चाहिए था और यदि ऐसा होता तो मैं भी उनका एक अल्पसंख्यक सरकार के रूप में समर्थन करता ।

मंत्रिमंडल में फेर-बदल करने के बारे में आलोचना की गई है । इसमें संदेह नहीं कि प्रधान मन्त्री ने अत्यधिक शक्ति ले ली है लेकिन क्या यह किसी का तर्क है कि लोकतन्त्रीय बहुमत दल की सरकार में दल के जिस नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया, उसे स्वयं अपने साथी चुनने का कोई अधिकार भी नहीं है ? मंत्रीमण्डल में हेर-फेर देश के हित के लिए या सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए नहीं किया गया । मंत्रिमंडल में हेर-फेर इसलिए किया गया, क्योंकि इन्दिरा गांधी यह सिद्ध करना चाहती हैं कि पुराने मंत्री उनके समान नहीं हैं और इसलिये वह अपने दल की सर्वोच्च नेता हैं । यही उन्होंने दिखाया है । यह शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं है ।

हमारी सरकार एकात्मक सरकार नहीं है और न ही वह राष्ट्रपति है, वह प्रधान मन्त्री हैं, तथा मन्त्रिमण्डल का संयुक्त दायित्व है । अतः प्रधान मन्त्री अपनी इच्छानुसार जो चाहें नहीं कर सकतीं । केवल राष्ट्रपति शासन में ही यह सम्भव है . हमारे मन्त्री निर्वाचित व्यक्ति होते हैं और प्रधान मंत्री उन्हें विभागों का दायित्व सौंपती है । प्रधान मन्त्री के पास कम से कम विभाग होने चाहिए अन्यथा वह जनता से न्याय नहीं करती; क्योंकि इतने विभागों की देखभाल एक के द्वारा कर पाना सम्भव नहीं है ।

ऐसी स्थिति में हमारे सम्मुख प्रश्न तानाशाही का नहीं है यदि ऐसे मामलों में, तानाशाही दिखती है तो वास्तविक तानाशाही आ जाने पर लोग न जाने क्या कहेंगे । प्रजातांत्रिक प्रणाली के रहते हुए तानाशाही के प्रश्न को लाना वांछित स्थिति से वस्तुतः मेल नहीं खाता ।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस देश में ऐसी सरकार के होते हुए ये विरोधी दलों के लोग व्यक्तिगत कड़वाहट और शत्रुता के कारण एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके कारण राजनीति में नीति का कोई स्थान नहीं रह जाएगा । इससे तो लोकतन्त्र समाप्त हो जाएगा मैं राजनीतिक जीवन में ध्रुवीकरण चाहता हूँ ।

दस सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार भी था किन्तु भूमि सुधार है कहां ? चौथी योजना में इसका वर्णन तक भी नहीं । सरकार कहती है यह मामला राज्य सरकारों का है किन्तु आंध्र और पंजाब सरकारें तो कृषि सम्पत्ति कर के भी विरुद्ध हैं । और यदि महाराष्ट्र में वास्तव में ही भूमि सुधार लागू किया गया तो श्री चव्हाण का भवन (edifice) लड़खड़ा जाएगा । समाजवाद तथा ग्रामीण समाज की कायापलट के लिए सरकार भले ही नारे लगाती रहे कि वह समाजवाद,

सामाजिक सुधार और ग्रामीण समाज में परिवर्तन चाहती है, लेकिन दल में इस तरह का परिवर्तन लाने का साहस किसी में नहीं है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि प्रधान मन्त्री अपने दल के कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित नहीं कर पा रही हैं। 'प्रिवी पर्स' का क्या हुआ? क्या वह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। जिस समय बंगाल सलाहकार समिति की नक्सलियों के विरुद्ध कार्य करने के लिए बैठक हुई, उसकी कार्य सूची में निकारक निरोधक नियम को लागू करने पर विचार की बात भी शामिल नहीं की गई थी और उस पर अन्तिम बैठक में विचार हुआ और श्री चव्हाण ने इसका सहज स्पष्टीकरण यह दिया कि राजनीतिक दाव-पेंच का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ समय पहले एक ऐसा सुझाव था कि यह सरकार चुनाव कराने वाली है। अब चूंकि प्रधान मन्त्री ने अपने हाथों में समूची शक्ति केन्द्रित कर ली है, इसलिए शायद वह अगले चुनावों के बारे में विचार कर रही है। लेकिन यह देश के लिए अच्छी बात सिद्ध होगी। यदि कांग्रेस दल अपनी वर्तमान शक्ति से, अपने वर्तमान ढंग में जनता के पास जाता है तो इसकी संख्या इस सभा में और भी कम हो जायेगी। जब स्थिति ऐसी है तो यह कोई शक्ति परीक्षण नहीं है। निर्वाचन तो करना ही है। यह संसदीय सरकार है न कि दलीय सरकार। अतः सरकार को संसद की भावनाओं और इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिये और देश के हित को देखना संसद का दायित्व है। संसदीय सरकार का युग समाप्त हो गया है। अतः मेरा सुझाव यह कि यदि अन्य दलों के मेरे साथी वस्तुतः यह समझते हैं कि लोकतंत्रिक पद्धति से समाज में परिवर्तन लाने के लिए देश की कायापलट की आवश्यकता है, तो वे सभी आगे आयें और संगठित हो जाएं और तब देखते हैं कि कोई सरकार जो ऐसी बातों का उल्लंघन करती है क्या एक क्षण के लिए भी टिक पाती है। अतः विभिन्न दलों को समाप्त कर देना चाहिए। यदि विभिन्न दलों का ध्रुवीकरण हो जाता तो श्रीमती इन्दिरा गांधी वस्तुतः कठिनाई में पड़ जाती।

प्रधान मन्त्री पर आरोप लगाए गये हैं कि वे साम्यवादियों से निर्देशित होती हैं, उन्होंने इसका खण्डन किया है। यदि आप लोगों ने विशाल गठबंधन बना लिया होता तो सरकार केवल साम्यवादियों के सहारे जीवित रहती किन्तु आप में ऐसा साहस नहीं, अतः अब क्षीण कारणों का सहारा लेकर प्रस्ताव रखा गया है।

मैं इस सदन में भाग लेता रहा हूँ। हमारे दल ने सदा विरोधी दलों का साथ दिया है किन्तु मौलिक एवं आधार भूत सिद्धान्तों को लेकर हम समझौता कभी नहीं करेंगे। इसलिए निजी क्षेत्र और स्वतन्त्र उद्योग से हम कभी भी सहमत नहीं हो सकते। मेरी शिकायत यह है कि सरकार कमजोर हो गई है। वह अपने कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पा रही है और इसी कमजोरी के कारण पश्चिम बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यों तो सीमा-सुरक्षा दल सब जगह भेज दिया जाता है किन्तु दिनाजपुर जिले में डकैतियां हो रही है, किन्तु वहां भी सीमा सुरक्षा दल दिखाई नहीं देता। सरकार साम्यवादियों को नाराज नहीं करना चाहती बंगाल के नक्सलियों के विरुद्ध मैंने सरकार को सूचित किया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई और पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती जा रही हैं। इसका कारण यह है कि हम सभी पद लोलुप हो गये है देश का जो बने सो बने हमारा पद बना रहे। मुझे इस सरकार के प्रति कोई प्रेम नहीं है लेकिन मुझे तो लोकतंत्र और समाजवाद से प्रेम है। मुझे इस प्रस्ताव से यह स्पष्ट

दिखाई देता है कि लोकतन्त्र को खतरा इन्दिरा सरकार से नही आएगा, अपितु लोकतन्त्र उस समय खतरे में पड़ जाएगा यदि केन्द्रीय अधिकारियों को अधिक शाँति न देने के लिये इस तरह के प्रस्ताव पेश किये जाएंगे। अतः मैं प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूँ कि मेरा इस सरकार में कोई विश्वास नहीं, इसलिये मैं इसके पक्ष में मतदान नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रधान मन्त्री के उत्तर के लिए ' बजे का समय निश्चित किया था किन्तु सूची देखने से पता चलता है कि कुछ दलों को दिया गया समय नहीं मिला अतः यदि आधे घंटे की चर्चा न करे तो उनको समय दिया जा सकता है। डा० कर्णसिंह...

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : महोदय, जिन विचारों को आज मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं वह मूलतः मेरे अपने हैं मुझे किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया। मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव उचित समय पर नहीं लाया गया और यही कारण है कि हमने इसका कल समर्थन नहीं किया था। जब कोई महत्वपूर्ण मामले पर कुछ दुविधा हो तो हम सब विवेक से काम ले सकते हैं। मेरा कीचड़ उछालने और अभद्र व्यवहार करने में विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन जिस कारण करना चाहिए वह यह है कि यह सरकार अधिकाधिक रूप से एक कुर्सी पसंद सरकार बनती जा रही है। एक ऐसी सरकार जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, जिसमें कुर्सी ही ईश्वर है और भारत को दूसरा स्थान किया गया है। इसके अतिरिक्त हममें से अनेक लोग जिनका लोकतन्त्र और स्वतन्त्र जीवन में विश्वास है, उन्होंने यह अनुभव किया है कि प्रधान मंत्री का सत्ता में बने रहने के लिए साम्यवादी सदस्यों के समर्थन पर निर्भर रहना गलत बात है। मेरा तो इस बात में विश्वास है कि देश में लोकतन्त्रीय राष्ट्रवादी शक्तियाँ मिलकर एक होनी चाहिए यदि हम चाहते हैं कि देश को साम्यवाद से और समग्रवाद के भय से बचाया जाए। यदि केन्द्र में साम्यवादी सत्तारूढ़ हो जाएंगे, तो श्री राममूर्ति, श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री डांगे जैसे व्यक्ति लुप्त हो जाएंगे और एक नए प्रकार का—चीन की तरह का नेतृत्व आएगा। इसी का भय है। अब श्री मोरार जी, आचार्य रंगा, श्री राजा जी एवं श्री वाजपेयी के द्वारा विरोधी शक्तियों के एक होने के उद्घोषणा के कारण देश को नई दिशा मिली है। हमें यह देखना है कि भारत की स्वतन्त्रता बनी रहे और यदि हमने यह प्राप्त सभी कुछ कर लिया किन्तु यदि वर्तमान नेता आपस में लड़ते-झगड़ते रहे तो आने वाले इतिहास लेखक एवं लोग इन्हीं को दोषी मानेंगे। मेरी राय में, कम्युनिस्ट प्रधान मंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान मंत्री को राष्ट्र और प्रजातन्त्र के हित में स्वयं ही अपने आपको इन खतरनाक ताकतों से बचाना चाहिए और लोकतान्त्रिक शक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

"विशाल गठबन्धन" भी स्थापित होना चाहिए। हमें सुदृढ़ प्रजातन्त्र के लिए द्वि-दलीय प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए।

इस समय हम देश के इतिहास के एक गम्भीर मोड़ पर खड़े हैं। 15 अथवा 18 वर्ष पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता था, उस समय उसका इतना महत्व नहीं था, जितना अब है। अगर प्रस्तावक गम्भीरतापूर्वक चाहते हैं कि यह सरकार समाप्त होनी चाहिए, तो अब भी यह देखने के लिए समय है कि किस प्रकार इस कार्य में सफलता प्राप्त की जाये। प्रजातन्त्र के

विकास के लिये यह आवश्यक है कि विरोधी दलों को सरकार बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए ।

यह भी कहा गया कि कुछ संसद सदस्य विभिन्न देशों की कठपुतलियां और एजेन्ट हैं । अगर यह सच है, तो ऐसे व्यक्ति गद्दार हैं और ऐसे व्यक्तियों को संसद-सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है । संसद सदस्यों का यह दायित्व है कि वे इस प्रकार के उच्च सिद्धान्तों की स्थापना करें, जिनका अन्य व्यक्ति अनुकरण कर सकें । देश के संविधान, प्रजातन्त्र और उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी चाहिए ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : The member, who spone just before me, said two contradictory things. On the one hand, he wants to rescue the Prime Minister from the clutches of the communists and on the other, if a Grand Alliance is formed, the communists may also join it.

It has become a regular practice to bring forward a No-Confidence motion whenever the session starts. This time, the No-Confidence Motion has been brought forward by Shri Madhu Limaye, supported by the opposition leader, Dr. Ram Subhag Singh. The speech of the opposition leader was undignified and did not behave the leader of opposition.

It had been contended that the voters' lists in Kerala had not been properly prepared. The defect, which had been pointed out in the voters' lists in Kerala, would be formed in the voters' lists in other States as well. The Election Commission is an independent body. Do the supporters of the motion want that the Central Government should interfere in the working of the Election Commission ? It would be a very wrong precident if the Government did that. If there was any grievance against the Election Commission, a resolution could have been brought forward against the Commission. There was no justification for a No-Confidence motion against the Government on that ground.

Reference was made to bank nationalisation and it had been said that it had not solved our problems. It is too early to judge the results of bank nationalisation. Moreover the Government had not said that bank nationalisation would cure all the economic ills of the country within a short period of two or four months. It is certainly a step in the right direction.

Some of the members have spoken about land reforms. Bihar State, a backward state has passed a progressive land reforms legislation, but the Communists have started a land grab movement. Even the most progressive people have expressed the views that they want nothing more than what is mentioned in the legislation passed by the Bihar Assembly, but time should be given to implement the provisions of the legislation.

Shri Limaye is very much worried about what is happening in the Congress Party. Some of the Members including Mr. Dange have said that the Congress Party has been divided. I want to clear the mis-understanding that division has taken place in the Congress Party. Such a situation had also arisen in 1907, 1915 and also in 1921, when some of the people left the Congress. The four fifth majority still supports the Government.

Shri Masani has said that if public sector was wiped out and only private sector was allowed to flourish, democracy would be strengthered. The people of India wanted the public sector to flourish. It would be wrong to demolish the public sector. Only short coming should be overcome.

Our friend Shri Dwivedy has a grievance that Smt. Indira Gandhi is not moving radically. We should have background and support for moving radically, otherwise there may be counter movement in the country.

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : यहां पर कुछ मित्रों ने खेद प्रकट किया है कि सभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। यह कोई आम प्रस्ताव नहीं है बल्कि आलोचनात्मक प्रकृति का है। नियम प्रक्रिया यह है कि अविश्वास प्रस्ताव समस्त सरकार के प्रति होता है। परन्तु सदन का विचार ऐसा दिखाई देता है कि यह प्रस्ताव प्रधान मत्री के विरुद्ध लाया गया है क्योंकि प्रधान मंत्री ने सरकार की शक्तियों को समेट कर अपने में केन्द्रित कर लिया है। प्रधान मंत्री ने जो राजनीतिक पद्धति अपनाई है और प्रशासन में जो धारणा खड़ी की है, उसी के लिए इस विशेष प्रस्ताव को पेश किया गया है। नई पद्धति चिन्ता जनक है अतः हमें संतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय तथा विदेशी आलोचक प्रधान मंत्री की एकमात्र निष्ठा तथा गौरव पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

यह निष्ठा किस प्रकार प्राप्त की गई है तथा इसके क्या परिणाम होंगे, इस विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्व रखता है। प्रधान मंत्री पिछले तीन वर्ष से देश के आदरणीय नेताओं की निन्दा करने की नीति अपना रही है और इसके परिणाम हम सबको ज्ञात है। सबसे अधिक खेद की बात यह है कि यह प्रक्रिया अब भी जारी है। इश्तहार बाजी से दूसरों का अपमान तथा निन्दा करके अपने आपको लोगों की दृष्टि में ऊंचा बनाने की प्रवृति अब भी जारी है। महात्मा गांधी ने केवल अपने लिये ही निष्ठा अर्जित नहीं की अपितु समस्त देश के लिये की तथा अपने इरद-गिरद के लोगों को दूसरों की दृष्टि में महान बनाया। अपने मंत्रिमंडल में फेर-बदल करने और किसी को अपनी पसंद के अनुसार विभाजन देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती यह तभी आपत्ति जनक होता है जब इसमें कोई ऐसी चाल होती है जो विनाशकारी हो सकती है। एक के बाद एक मंत्रालय से उसके महत्वपूर्ण भागों को हटाया जा रहा है और प्रशासन में जिस संतुलन को बनाये रखने की आवश्यकता होती है उसे जानबूझ कर विखंडित तथा विनष्ट किया जा रहा है।

गृहमंत्रालय से 40 अनुभाग निकाले गये हैं। गृहमंत्रालय प्रधान मंत्री ने अपने पास रखा है। इस प्रकार 100 अनुभाग वाले इस मंत्रालय में बहुत से अनुभाग निकाल देने मत्रालय सदैव के लिये छिन्न-भिन्न हो जायगा।

सभी आसूचना विभागों का केन्द्रीयकरण किया गया है। जब इस आसूचना सेवाओं को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है तो जांच तथा प्रति जांच काफी मात्रा में की जाती है। परन्तु अब इन आसूचना विभागों का केन्द्रीकरण करके एक व्यक्ति के नियंत्रण में लाया गया है। प्रत्येक आसूचना सेवा के अन्तर्गत कुछ गुप्त विधि रखी गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसकी कमी लेखा परीक्षा नहीं होती है और जिसको वाजपेयी संगठित के सामने नहीं लाया गया। कई करोड़ रुपये की इस धन राशि का पता नहीं क्या हुआ। जब गुप्त धन, गुप्त ज्ञान और गुप्त जानकारी एक साथ एक हाथ में आ जाय और वह भी प्रधान मंत्री के हाथ में जहां कि इस पर किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता तब इसके परिणाम क्या होंगे। इसके अतिरिक्त कनिष्ट मंत्रियों को वरिष्ट मंत्रियों की देखभाल करने के कार्य के लिए रखा जाता है।

आज पहली बार प्रधान मंत्री सचिवालय को इतना बढ़ाया गया है। इसका विस्तार होता ही जा रहा है। मंत्रियों को 'दरबार' में इन विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारियों को सलामी देने के लिये जाना पड़ता है।

प्रधान मंत्री के हाथों में न केवल राजनीतिक संरक्षण ही है बल्कि कार्य सम्बन्धी संरक्षण का भी उनके हाथों में केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। अब विचित्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भी प्रबंध निदेशकों तथा निश्चिय से निदेशकों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री, गृह मंत्री, तथा संबंधित मंत्रियों की गठित समिति द्वारा की जायगी। इससे पहले ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रियों द्वारा की जाती थीं। प्रधान मंत्री के हाथ में गृह मंत्रालय भी है तो यह बात भली प्रकार समझी जा सकती है कि नियुक्तिकर्ता कौन होगा। इस प्रकार कार्य संबंधी नियुक्तियां भी स्वयं प्रधान मंधी द्वारा की जा रही हैं।

मंत्रियों की निन्दा की गई है। एक सम्मिलित दल के स्थान पर मंत्रियों का स्तर सलाहकारों जैसा बनाया जा रहा है जिनसे वह अपनी इच्छानुसार कार्य करा सकती हैं। यह पूर्ण रूप से एक परिवर्तन तथा संसदीय लोकतन्त्र को राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित करना है। यह शक्ति का केन्द्रीयकरण करने का साधारण तरीका नहीं है। इसके पीछे एक चाल है कि सारे मुख्य अधिकार उनके हाथों में एकत्रित हो जांय और इस प्रकार लोकतन्त्र की संसदीय प्रणाली जहां सबका सन्चालित उत्तरदाइत्व होता है, एक ऐसी प्रणाली में परिवर्तित हो जाय कि हर एक प्रधान मंत्री के आश्रय पर रहे।

प्रधान मंत्री अस्थिरता की संरक्षक बन गई हैं। उन्होंने दल तथा संसद को अस्थिर कर दिया है। वह राज्यों के शासन में तथा दूसरे राजनैतिक दलों को अस्थिर करने में प्रयत्नशील हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस दल को, जैसा कि लंका के एक समाचार पत्र में कहा गया है, पूर्णतया अपने पर आश्रित बना लिया है। पंडित नेहरू ने अपने समय में चाहे जितने अधिकारों का उपयोग किया हो परन्तु कांग्रेस दल का अपना एक अस्तित्व था, दलका एक संगठित रूप था और यही कारण है कि नेहरू जी के पश्चात् भी संस्था शेष रही।

मेरा उद्देश्य केवल यह बताना है कि जब एक बड़े दल अथवा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल में शक्ति का केन्द्रीकरण हो जाता है तो देश के राजनीतिक जीवन की क्या दशा होती है। इसी संदर्भ में हमें केरल की घटनाओं को देखना है।

केरल में कुछ ऐसी राजनीति लाई जा रही है कि केवल घटनाओं से ही यह जाना जा सकता है कि वहां की राजनीति स्पष्ट है अथवा भ्रष्ट। वहां जाली सूचियों से चुनावों में चालाकी किये जाने का खतरा है। अब बारी-बारी से राज्यों में यह देखने के प्रयास किये जा रहे हैं कि या तो कोई व्यक्ति सरकार न बनाये और यदि सरकार गिरती है तो वहां तुरन्त ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। जहां तक केरल का सम्बन्ध है वहां एक नया तरीका एक नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां भारतीय साम्यवादी दल की सरकार है। प्रधानमंत्री की कार्य योजना भारतीय साम्यवादी दल के निश्चयों पर आधारित है। जिस

बात की अनुमति साम्यवादी दल के द्वारा दे दी जाती है, कल सारे भारत में उसी का अनुसरण होगा।

इस प्रकार की उस सरकार के प्रति नर्मी की अनुमति प्रधान मन्त्री क्यों देती हैं, क्योंकि उन्होंने सोवियत सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं। प्रधान मन्त्री कृपया यह बतायें कि उनके सचिवालय तथा विदेश कार्यालय द्वारा मास्को से दिल्ली द्वारा टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित किया गया तथा उस पर कितना व्यय हुआ है।

प्रधान मंत्री को अपने वर्तमान तरीके में परिवर्तन करना चाहिये। यह तरीका इस देश में लोकतन्त्र तथा देश के आर्थिक विकास को संकट में डाल रहा है जो एकमात्र सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमें समर्थ बना सकता है। यदि वह अपने तरीकों में परिवर्तन नहीं करती हैं, इतिहास की धारा तो उन्हें बहा ही ले जायगी, लेकिन इस बीच हमारे देश को बहुत बड़ी हानि हो सकती है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : यह सच है कि मुझे इस सरकार से कोई विश्वास नहीं है और नाही होगा। यदि इस सरकार की असफलताओं की सूची तैयार करें तो काफी समय लगेगा। सरकार की कुछ मुख्य-मुख्य असफलताओं के विषय में बताकर ही हम सन्तोष करेंगे।

इस सरकार का समुचित आर्थिक कार्यक्रम 'जल्दी में लिखे गये कुछ बिखेरे हुये विचारों' पर आधारित है। सरकार की आर्थिक नीति तर्कहीन, कारण हीन और किसी आर्थिक विचारधारा से रहित है। जब तक इस देश में मुद्रा स्फीति जारी रहेगी तब तक इस सरकार की लाइसेंस नीति एकाधिकार को बढ़ावा देती रहेगी और जब तक हम आय का गलत ढंग से अन्तरण करेंगे तब तक हम इस देश में सामाजिक न्याय नहीं लाया जा सकता।

हमने देखा है कि दूसरे देशों में विनियोजन, उत्पादन तथा रोजगार के मध्य स्वत: ही जो सहज सम्बन्ध उभरता है, भारत की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण यहां ऐसा नहीं हो सका। गत 15 वर्षों में प्रति मजदूर कार्य क्षमता में 230 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि मजदूरों के पारिश्रमिक में 76 प्रतिशत इसमें 57 प्रतिशत मुद्रास्फीति में समाप्त हो गयी। इसी प्रकार सरकार की आयात लाइसेंस देने की नीति भी दोषपूर्ण है जिसके कारण मजदूरों तथा साधारण उपयोगताओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

गत पांच वर्षों के आंकड़े देखने से यह पता चलता है कि सरकार की उपलब्धियां हैं। खाद्यान्नों की खपत में 3.7 प्रतिशत, सूती वस्त्रों की खपत में 11 प्रतिशत, खाद्यान्नों में 14 प्रतिशत तथा चीनी की खपत में 11 प्रतिशत कमी हुई जबकि मोटरकारों के निर्णय में 23 प्रतिशत, वातानुकूलकों में 44 प्रतिशत तथा (रेफ्रीजरेटर) शीतकों के निर्माण में 292 प्रतिशत, कन्फैक्शनरी में 52 प्रतिशत और सिल्क निर्माण में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस समाजवादी सरकार की यही उपलब्धियां हैं।

यदि मैं बातों के विरोध करने वाले को पूंजीवादी एकाधिकारवादी जाने क्या-क्या कहा जाता है। सभी आर्थिक बुराइयों के लिए इस सरकार पर दोष मढ़ा जा सकता है। इसकी एक

नवीनतम बात यह सामने आयी है कि वह सूती वस्त्र व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। यह एक मूर्खता और दण्डात्मक बर्बता है। एक रात के अन्दर लाख व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं और सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। सूती कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने से 3 लाख आदमी बेरोजगार हो जायेंगे और सरकार द्वारा इसका कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया गया है। भारत का सूती व्यापार बहुत ही उत्तम प्रकार का है। लाभ की मात्रा 1 प्रतिशत से कम होने पर भी भारतीय किसान को संसार के किसी स्थल के भी किसान की तुलना में कपास बिक्री से अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है। यहां उपभोगता तथा उत्पादकों अर्थात् कपड़ा मिलों तथा किसानों के मध्य बहुत सुन्दर सम्पर्क बना हुआ है। इस सम्पर्क में हस्तक्षेप करने तथा इसे बिगाड़ने के लिये कार्यवाही की गयी है।

आज हमारे देश में रोजगार देने की आवश्यकता है। समाजिक न्याय का यही सर्वोत्तम स्वरूप है। हमारे पास ऐसे संसाधन और ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें। हमारे पास क्षमता भी उपलब्ध है यदि सरकार इस क्षमता को सरकारी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी बेकार कम्पनियों पर नष्ट न करें क्योंकि इन कम्पनियों से देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

22 वर्ष की अवधि इतनी बड़ी बेरोजगारी पैदा करके भी क्या सरकार को अब तक ज्ञात नहीं हुआ है कि बडे तथा छोटे उद्योगों की स्थापना में क्रमशः 1 तथा 10 के अनुपात में रोजगार दिया जा सकता है। यदि हम 1 करोड़ रुपया एक बड़े उद्योग में लगाते हैं तो उससे 400 व्यक्यिों को रोजगार दिया जा सकता है जबकि इतनी ही राशि से बीच के उद्योग में 1250 तथा छोटे उद्योग में 4000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।

लोग अपनी अनभिज्ञता के कारण ही स्वततंत्र पार्टी को प्रतिक्रियावादी बताते हैं। स्वतंत्र पार्टी एक विनम्र दल है जिसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण है। स्वतंत्र पार्टी का घोषणा पत्र शब्दशः जर्मनी के समाजवादी जनतंत्र जैसा है परन्तु हमारे देश में हमें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। चाहे जो भी कहा जाये परन्तु हमारे विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आज समाजवादी तथा जनतांत्रिक शक्तियां संगठित होने जा रही हैं क्योंकि देश के सामने भयंकर संकट दीख रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में पड़ी दीखती है। सरकार ने साम्यवादियों से गठबन्धन कर लिया है भारत के भविष्य को इसके हाथों गिरवी रख दिया है, अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है तथा विदेशों में हमारे सम्मान को ध्वस्त कर डाला है। यह कहा गया हैं कि जब बुरे व्यक्ति कोई षड़यन्त्र रचते हैं तो अच्छे व्यक्तियों को संगठित हो जाना चाहिये। इसीलिए जनतांत्रिक शक्तियाँ संगठित हो रही हैं और विशाल गठबन्धन की योजना का यही आधार है।

अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रधान मन्त्री सार्वजनिक व्यवहार के मान दण्डों को तिलांजलि देकर सत्तारूढ़ हैं। उन्होंने संविधान को कुचला है, लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं का उपहास किया है और साम्प्रदायिक मतभेदों से लाभ उठाने के लिये और समुदायों, जातियों और प्रदेशों में असंतोष पैदा करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग किया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। हिंसा का वातावरण यहां तक बढ़ने दिया गया है कि आम नागरिक का जीवन और समाज दोनों ही असुरक्षित है।

हाल के मंत्रिमंडल फेर-बदल में, प्रत्येक मन्त्रालय कुछ न कुछ प्रभावित हुआ है। प्रधान मंत्री ने समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली है। सीमा सुरक्षादल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सिविल डिफैन्स, केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो समीक्षा अपने हाथ में ले लिया है। वह योजना की प्रधान हैं जिससे वह अकेली यह निश्चित कर सकें कि ये करोड़ों रुपये कहां खर्च करने हैं। अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति सभी कुछ उनके अपने हाथ में है। इस अधिकार से वह महत्वपूर्ण पदों पर अपने विशेष समर्थकों को नियुक्त कर सकती है। अब राज्यपाल भी उनके आदेशों का पालन करेंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रधान मन्त्री के द्वारा की जायगी। इसी प्रकार उद्योगों के लिये लाइसेंस देने वाले एक मात्र अधिकारिणी वहीं हैं। अणु नियंत्रण को अपने हाथ में लेकर उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अब वह मुख्य वैज्ञानिक तथा इलेक्ट्रानिक विशेषज्ञ भी बन गयी हैं। इस प्रकार की अन्य और भी शक्तियों को अपने हाथ में लेकर वह 1970 की सुपर वोमेन बनने जा रही हैं।

इस संदर्भ में एक यह प्रश्न उठता है कि प्रधान मन्त्री को सभी अधिकार अपने हाथ में ले लेने पर अपने साथ 54 दरबारी रखने की क्या आवश्यकता जबकि एक ऐसे व्यक्ति पर साढ़े चार लाख रुपये व्यय किया जाता है। यह कार्य किसी भी उपसचिव द्वारा किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले प्रधान मन्त्री को सभा में विश्वास प्राप्त हो जाय परन्तु वह अपने मन्त्रिपरिषद में कभी भी विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It has been asked as to why the elections in Kerala are being held to soon. The position is this, that the Government has got nothing to do with the elections. The election commission, which is an autonomaly body, is responsible for conducting elections. If there is any objection to it the matter may be reffered to election Commission and the Government should be critisized for this.

It is alleged that the Prime Minister has concentrated all the power in head. I think it is good, that she has become so powerful. The country need such a powerful leader today. No body will deny the fact, that she is a true democrat even having concentrated all the powers in less. In case she could have proved otherwise there would have been no land grabbers and no evaquee property uperpers. Such people should thank God that even their unlawful activities are being dealt with liberal and democratic hand. Here in India people are found engaged to communal riots and taking of military rule but all of their are being treated is its a sense I—patience and in a true democratic spirit my friends cannot enjoy such a freedom either in Egypt or in Pakistan. They might he punished there-with life imprisonment, the next day.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर विचार लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार आरम्भ नहीं किया गया है। लोकतंत्र में नेता यदि चापलूसी तथा चाटुकारिता का इच्छुक होगा तो निश्चय ही यह वातावरण उसके लिये विनाशकारी सिद्ध होगा। रूस का एक नेता जो वहां प्रधान मंत्री हो गया यह समझने लगा कि वह बहुत ही विख्यात व्यक्ति है, उसके अन्दर क्रांतिकारी दक्षता है। परन्तु प्रमाणित यह हुआ कि उसके अन्दर राजनीतिक हेरा-फेरी करने तथा क्रान्ति के विषय में चीखपुकार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि वह देश के हितों की रक्षा नहीं कर सका इसलिए वहाँ सिविल युद्ध आरम्भ हो गया और सत्ता एक

दूसरे ही नेता ने सम्भाली। चाटुकारिता के इच्छुक नेता का देश से निष्कासन कर दिया गया और गत मास अमरीका में उसकी मृत्यु हो गई। मेरी इच्छा है श्रीमती गांधी शान्ति के क्षणों में इस नेता के भाग्य पर विचार करें।

आज हमारे देश में विचारधारा भी विदेशों से मांगी जाती है। रूस को हम बुरा नहीं कहते यदि वह गांधी और टाल्सटाय के विचारों का समर्थन हुआ होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विचारों की स्वतंत्रता का भी समर्पण कर दिया है।

वर्तमान सरकार की नीतियां बुरी तरह असफल हुई हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जिससे मध्यम तथा निम्न वर्ग विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयां सहन करनी पड़ रही हैं। इस सरकार ने उन लोगों के लिए आवश्यक चीजें भी नहीं जुटाई हैं।

भारतीय जनसंघ ही एक ऐसा दल है जिसने आर्थिक प्रगति को बनाने, मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता तथा बेरोजगारी को रोकने के मामले में सरकार की असफलता से उत्पन्न लोगों की असंतुष्टि को व्यक्त किया है। ये सारी गंभीर समस्याएं हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए प्रधान मंत्री ने हमें साम्प्रदायिक नहीं कहा है। परन्तु अब जबकि जनसंघ ने अपनी आर्थिक विचारधारा प्रस्तुत की है तो उन्होंने जनसंघ को साम्प्रदायिक कहना शुरू कर दिया है और जनसंघ पर आक्षेप कर रही हैं। यह यदि और कुछ नहीं तो राजनीति का विकृत रूप अवश्य है। लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिज्ञ ऐसे मार्ग नहीं अपनाते हैं।

प्रधान मंत्री ने जब से गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया है तब से कानून और व्यवस्था की दशा बिगड़ती जा रही है। अपने दल के मंतव्यों की उपलब्धि के लिए लोगों को अपनी हत्या के षड्यन्त्रों की कहानी सुनाकर चौकन्ना करती है तथा सरकारी मशीनरी का उपयोग करती हैं। इसीलिए भारतीय जनसंघ ने प्रधान मंत्री की आलोचना की जो नीति अपनाई है वह सराहनीय है।

विदेश नीति के सम्बन्ध में यह प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री का कर्तव्य है कि वे विदेशों में अपने देश की प्रतिष्ठा बनाये रखें। परन्तु हम देखते हैं कि विदेशों में हमें अपमानित किया जाता है। रबात में हमारे देश का अपमान किया गया, जाकार्ता में हम नहीं जा सके, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में हमारे देश के सम्बन्ध में गलत धारणायें फैली हुई हैं। प्रत्येक स्थान पर हमारा अपमान किया जाता है देश पर आक्षेप लगाये जाते हैं। हम अभी तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्या हैं। हम ऐसे देशों के साथ मित्रता क्यों रखते हैं जो जातिगत भेदभाव रखता है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका को शस्त्र सप्लाई करता है। जो प्रत्येक भारतीय अप्रवासी को संदेह की दृष्टि से देखता है। जो कुछ कम्बोडिया और लाओस में हुआ है, वह सब कुछ हमसे सम्बन्धित है और हम चाहते हैं कि अपेक्षित बातें उचित रूप में यहां पर व्यक्त की जांय। मैं किसी प्रकार की शिकायत या विरोध नहीं करूंगा जैसा कि आरोप लगाया गया है, यदि प्रधान मंत्री अपने राजनीतिक सम्बन्धों का विस्तार करना चाहती हैं। परन्तु उसके लिए शान्तिपूर्ण कूटनीति के बहुत से उपाय हैं।

जैसा कि मैं कह चुका हूं हम रूस से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं। किन्तु हमें यह आवश्यक समझना चाहिए कि इसके पिछे ऐतिहासिक शक्तियां हैं। वे रूसी विकासवाद के रूप में जानी जाती हैं जानी जाती हैं जो कि जार के समय से चली आ रही हैं। रूस ने सदैव यही चाहा है कि वह दक्षिण की ओर बढ़े। आणविक शस्त्रों आदि के आधुनिक युग में यह बात उचित नहीं हो सकती किन्तु हमें सतर्क रहना चाहिए। जब कभी आवश्यकता पड़े हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए।

देश को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम सबको मिलकर रहना चाहिए और हमें उस कार्य के बारे में सोचना चाहिए जो हमें करना है हमें एक दूसरे की खेंच-खचेड़ नहीं करनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने राजनैतिक पद्धति का संक्षिप्त अवमूल्यन किया है और इस कार्य को करने से उनके किसी भी वरिष्ट साथी ने उन्हें नहीं रोका है। यह अच्छी बात नहीं है। यह राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं है।

राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। इससे हमें छोटे-छोटे मामलों में भी सहायता मिलेगी। उदाहरणार्थ भारत ने, रूसी नक्शों में भारतीय सीमा क्षेत्रों को उचित रूप में अंकित न किये जाने पर कई बार विशेष प्रकट किया है। हमारा हित किस बात में है यह प्रकट नहीं किया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम किसी भी दल के क्यों न हों, हम सभी को दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपने देश से भुखमरी मिटायेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताएं तथा सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। आज दिल्ली में 1 लाख सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके रहने के लिए क्वार्टर का कोई प्रबन्ध नहीं है आज सरकारी कर्मचारियों को खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए मकान तक नहीं हैं। इसलिए यह सरकार सामन्तवादी है आधुनिक नहीं।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : विपक्ष के कई सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव की असंबद्धता के सम्बन्ध में कहा। मुख्य सवाल यह है कि चुनाव के नाम पर केरल को, वहाँ की जनता को धोखा दिया जा रहा है। यह असल में कोई चुनाव नहीं है। भारत सरकार कहती है कि वे संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का यहां विकास कर रही है। मगर यहां मैं इस प्रश्न पर विचार नहीं करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार का इस चुनाव के मामले में अपना मत है या नहीं या वे चुनाव आयोग के मामलों में दखल दे सकती हैं या नहीं।

विधि मंत्री से मैंने आशा की थी कि वे इस सम्बन्ध में तथ्यों के आधार पर भाषण देंगे। उन्होंने केवल एक वक्तव्य यहां पढ़ा और वह स्पष्टतः चुनाव आयोग का दिया हुआ था। उन्होंने गत तीन उप चुनावों के बारे में कहा। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न केवल यही है कि उन तीन उप-चुनावों में छपी हुई जो मतदाताओं की सूची सभी दलों को उपलब्ध करा दी गई थी, वह एकायक कैसे अप्रत्यक्ष हो गई ? यह क्यों होता है कि इस चुनाव में छापी हुई सूची के बजाए केवल पाण्डुलिपि दी जाती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जबकि जनता जो कठिनाइयां महसूस करती हैं, सरकार को उससे अवगत कराने पर भी चुनाव की तिथि निश्चित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई ? जब

चुनाव आयोग को मालूम हो गया कि मतदाता की सूची में बहुत अधिक गड़बड़ी की गई है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए अपेक्षित समय देना क्या उनका कर्तव्य नहीं था ?

कामरेड गोपालन ने आरोप लगाया कि कल रात तक मतदाताओं की सूची हमें नहीं दी गई हैं और यहां श्री हनुमंतैया इसका खंडन नहीं कर सकते। उन्हें यह देखना चाहिए कि यह सच है या नहीं। मैं प्रधान मंत्री को चुनौती दे रहा हूं। संसद का एक आयोग जल्दी से जल्दी वहां जाकर पता लगाये कि हमारा आरोप ठीक है या नहीं। आप कहते हैं कि मतदाता सूची में सुधार करवाने के लिए 30 जुलाई से 1 सितम्बर तक की अवधि दी गई है। यह सबसे बड़ा धोखा है और यह धोखा दिया है इन्दिरा सरकार ने। श्रीमती इंदिरा गांधी किसी न किसी तरह श्री अच्युत मेनन सरकार को पुनः सत्तारूढ़ करना चाहती हैं। हाल में जब राज्यपाल यहां आये थे, उन्होंने प्रधान मंत्री से कहा था कि जितनी जल्दी वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जाए, लघुमोर्चा सरकार के लिए उतना ही अच्छा है। इसके आधार पर यह षड़यन्त्र रचा गया है।

स्वतंत्रता के बाद अब तक देश के इतिहास में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है जबकि मतदाताओं की सूची की पाण्डुलिपि संबद्ध दलों को दी गई हो। सरकार इस सूची के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या जवाब है ? भारत सरकार, प्रधान मंत्री स्पष्टतः यह बताये कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हम इस प्रकार चुनाव करना नहीं चाहते। मंत्रिमंडल आते और जाते रहेंगे। मगर हम चाहते हैं कि चुनाव उचित ढंग से, न्याययुक्त ढंग से कराया जाये।

1967 और 1970 के चुनावों का सवाल ही यहां पैदा नहीं होता। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इसकी मतदाता सूची गलत थी और वे इसके सुधार से सहमत हुए। अतः इस एक मामले पर हम सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं। अगर वे यह स्वीकार नहीं करते तो इसका अर्थ होगा कि आपने षड़यन्त्र किया है। अगर सरकार चुनाव निर्धारित अवधि में चलाने के अपने निर्णय पर अटल रहती है, तो उससे जनता को स्पष्टतः मालूम हो जाएगा कि गत दो दशकों से हम इस सरकार के संबंध में जो कह रहे थे, वह सच है। ये अपनी मतलब के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा देंगे और लोकतंत्र के ढांचे की तोड़फोड़ करेंगे। अतः हम जनता से यह कह रहे हैं सत्तारूढ़ वर्ग को गिराने के लिए सशस्त्र क्रान्ति ही एक मात्र उपाय है। आप हमारे इस सिद्धांत को अपनी करनी से सिद्ध कर रहे हैं और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मुझे यह देखकर ताज्जुब हो रही है कि श्री पी० राममूर्ति और उनके सहयोगी अपनी बातों से हट रहे हैं। श्री लिमये से श्री गोपालन तक ने यहां उत्तेजित शब्दों में कहा कि 31 लाख लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया गया और 17 लाख लोगों के नाम उससे हटाये गये। मैं आपकी हर बात का खण्डन करता हूं। श्री राममूर्ति और उनके सहयोगियों ने इस सम्बन्ध के आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता है कि न केवल केरल में बल्कि समूचे भारत में मतदाता सूची में सुधार किया गया। सभी राज्यों में मतदाताओं की सूची में वृद्धि हुई है। असम में 2.88 प्रतिशत, बिहार में 2.21 प्रतिशत, हरियाणा

में 2.5 प्रतिशत, उड़ीसा में 2.58 प्रतिशत, तमिलनाडु में 2.12 प्रतिशत, पश्चिम बगाल में 2.08 और केरल में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तथा यह रहते, श्री गोपालन और श्री राममूर्ति यह कहते देशभर में घूम नहीं सकते कि केरल की मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने उन तीन चुनाव क्षेत्रों की मतदातासूची के बारे में कहा जिनके आधार पर वहां उपचुनाव हुआ था और इसका सुधार जनवरी, 1970 में किया गया था। श्री गोपालन ने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया था मगर इसमें विचित्र और ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था 10 जुलाई को जबकि उप चुनाव हुए थे 20 अप्रैल को। उस समय जबकि चुनाव हुआ था या उसके पहले उन्होंने मतदाता सूची का विरोध नहीं किया। अब वे इसीलिए इसका विरोध कहते हैं कि विधान सभा भंग कर दी गई और मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है।

दुर्भाग्य से मार्क्सवादी दल अपनी गलत एवं भ्रमपूर्ण नीतियों और उनके द्वारा किए गए गलत कामों के कारण प्रगतिवादी केरल की जनता से अलग हो गया है। आगामी मध्यावधि चुनाव में वे परास्त हो जायेंगे।

मैं और एक बात की ओर ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे कामरेड डांगे ने कहा मार्क्सवादी नेता तथ्यों और आंकड़ों की परवाह नहीं करते। श्री नम्बूद्रीपाद ने कोरिया जाने के पहले एक वक्तव्य में कहा कि दल के 50,000 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। जब वे वापिस आये तो उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि यह संकल्प 50,000 नहीं है, बल्कि 1,00000 है।

श्री अ० कु० गोपालन: बात ऐसी नहीं है। जब श्री नम्बूद्रीपाद वापस आये, उसके अन्दर उक्त संख्या 400, 500, 700 इस हिसाब से बढ़ गई।.....(**व्यवधान**)

श्री वासुदेवन नायर : नाराज होने से कोई लाभ नहीं। मैं तथ्यों के बल पर कह रहा हूं। असल में अच्छी बात यह है कि 1,627 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया है। यह हमारी सरकार द्वारा आंकड़े हैं। मार्क्सवादी भी अपने को अधिक प्रजातंत्रवादी न समझें। जब उनके नेता श्री नम्बूद्रीपाद मुख्य मंत्री और गृह मंत्री थे। हर हफ्ते में 1,000 से अधिक लोग अदालत जाया करते थे। मैं सदन को ध्यान दिलाता हूँ कि भूमि आन्दोलन सम्बन्धी मामलों के अलावा अन्य कई मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जाना पड़ा है। बस को यात्रियों सहित जलाया गया। गृह मंत्री की हत्या करने की कोशिश की गई आदि-आदि, मामलों पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चल रहा है।

मार्क्सवादी दल हमारे दल और केरल के अन्य दलों को बदनाम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ महान कार्य किये हैं। उन्होंने धीरज से विधान सभा का सामना किया है। जब हमारी सरकार को बाहर से चुनौतियां दी गई, तो मुख्य मंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया और विजयी हुए। मगर हर दिन ये लोग हमारे दल के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मगर उनकी नीति का यह दाल नहीं गलाने वाला है। जब लाखों लोगों का नाम छप जाता है, तो यह बिलकुल स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं कुछ गलती होगी। यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वे इसकी जांच करें। हम किसी का समर्थन नहीं चाहते यह मांग करना केरल सरकार का

अधिकार है कि चुनाव 25 सितम्बर के पहले कराया जाए। अब चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि निश्चित की है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे स निर्णय पर अटल रहें। भारत सरकार का चुनाव आयोग कुछ लोगों के द्वारा अपनाई जा रही दबाव की नीति के आगे न झुकें।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर किस प्रकार दिया जाये क्योंकि प्रस्ताव में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त भी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में अन्य बहुत सी बातें सम्मिलित कर दी हैं।

श्री अशोक मेहता का भाषण मैंने एक बार पहले भी सुना था। कुछ माननीय सदस्य एक बड़े समझौते की कल्पना कर रहे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अपने दल के सदस्यों का भी सम र्थन नहीं प्राप्त कर सके। श्री डांगे ने भी ऐसे सदस्यों को इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं कि छाया-सरकार में किस-किस को क्या-क्या पद दिये जायें। किन्तु मेरा निवेदन है कि उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया है तथा किसी छाया-मंत्रिमंडल की कोई छाया भी दृष्टिगोचर नहीं होती।

अश्विास प्रस्ताव को चार आधारों पर लाया गया है। सरकार पर पहला आरोप यह लगाया गया है कि केरल के चुनावों में धोखा किया जा रहा है। विधि मंत्री तथा अन्य साथियों ने यह बताया है कि मतदाता सूचियों को इस वर्ष के जनवरी मास में पुनरीक्षित किया गया था तथा उप-चुनाव उसी के पश्चात कराये गये थे। चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में भी कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

जहां तक मतदाता सूची के छपे हुए फार्मों का सम्बन्ध है वे वही हैं जहां उनको होना चाहिए यथा इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयुक्त ने सब कुछ बता दिया है। सरकार निर्वाचन आयुक्त का किन्हीं शिकायतों की ओर ध्यान ही दिला सकती है वह उसके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मुझे इस बात पर गर्व है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में चुनाव उचित रूप से किये गये हैं तथा प्रत्येक दल के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जनता को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। जनता के जिस दल को चाहा है उसे चुना है तथा जिसको नहीं चाहा उससे सत्ता भी छीन ली है। .....**(व्यवधान)**

इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के साथ-साथ न्यायालय भी विद्यमान है जो हमारे निर्वाचनों को दोष रहित ढंग से पूर्ण करने का ध्यान रखते हैं। अतः चुनाव पद्धति में किसी प्रकार की आंशका करना उचित नहीं है।

इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक राज्य सरकार जो अपनी राजनीतिक जागरुकता तथा अच्छी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है वह मतदाता सूची पद्धति में अनायास कैसे विघ्न डालना चाहती है। श्री गोपालन इस सम्बन्ध में मुझ से मिलने आये थे तथा मैंने उनसे निवेदन किया था मैंने इस मामले के निर्वाचन आयुक्त को भेज दिया है। मैं सदन को विश्वास

दिलाना चाहती हूं कि सरकार उचित चुनावों के पास में है। हमें इस बात का कोई रुचि नहीं है कि कौन सा दल विजयी होता है। यह बात दूसरी है कि प्रत्येक दल की यह कामना रहती है कि उसके दल की विजय हो किन्तु इसका यह आशय नहीं कि चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाए।

अविश्वास प्रस्ताव में एक नई बात अवश्य दृष्टिगोचर हुई है और वह है गठबन्धन। श्री चन्द्रजीत यादव ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा उन्होंने हमेशा की भाँति समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बहुत सी बातें कहीं हैं।

मेरे कुछ सहयोगियों और सचिवालय के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मुझे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का अवश्य दुःख है कि कुछ सदस्य प्रत्येक मामले को जातियतावाद और संगीयतावाद का पुट देते हैं।

यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि इस प्रस्ताव में वैयक्तिक आरोप के लिए मुझे लक्ष्य बनाया गया है कि मैंने शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया है। मंत्रिमण्डल में हाल ही में किये गये फेर-बदल का उल्लेख किया गया है तथा मंत्रिमंडल-सचिवालय में कुछ विभागों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रधान-मंत्री सचिवालय को मैंने तो नहीं बनाया। उनकी सत्ता तो बहुत पहले से विद्यमान है तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसका वर्तमान स्वरूप बनाया था। सचिवालय में कार्य कर रहे अधिकारियों के सम्बन्ध में सदन में दिए गए उत्तरों के पश्चात उनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही किए जाने का विचार है।

मंत्रिमडल सचिवालय का कार्य सरकार के मंत्रालयों में प्रभावोत्पादक समन्वय बनाए रखने का है। आर्थिक समन्वय सम्बन्धी कार्य भी यह सचिवालय करता है जो पहले योजना आयोग द्वारा किया जाता था। मंत्रिमंडल सचिवालय में तीन विभाग, पर्सनल, इलैक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मिलाये गए हैं। पर्सोनल विभाग की स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी की गई है और उसे इस सचिवालय के अन्तर्गत रखा गया है।

जहां तक गुप्तचर एजेंसियों का संबंध है, सभी जानते हैं, कि इंगलैंड में ये एजेंसियां प्रधान मंत्री के अधीन होती हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए होते हैं। अतः इसे पर्सोनल विभाग का एक अंग होना ही चाहिए।

राजस्व आसूचना निदेशालय को वित्त मंत्रालय से निकालकर मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत रखा गया था। जिससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सके। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विभाग इस प्रकार के अपराधों का निपटारा करता रहा है अतः राजस्व आसूचना निदेशालय का मंत्रिमंडल सत्रिवालय से गहरा संबंध था।

जहां तक नियुक्तियों संबंधी समिति का सम्बन्ध है मैं सभा को सूचना देना चाहती हूं कि उस समिति में चावन जी तथा उनके साथ अन्य सम्बद्ध व्यक्ति उन समितियों में रहेंगे। मैं यह

भी बता देना चाहती हूं कि इन समितियों का कार्य मतदान के आधार पर नहीं होता। सदस्यगण साथ बैठकर परस्पर विचार विमर्श करते हैं तथा मामलों पर निर्णय करते हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि आरम्भ से ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का पहले अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। अतः इस विभाग को सचिवालय के अन्तर्गत लाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में भाषा प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद से भारत में इलेक्ट्रोनिक्स के भावी विकास के सम्बन्ध में दोनों सदनों में विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की गई है। देश में इलेक्ट्रोनिक्स के भावी विकास की महत्ता अधिक हो गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता केवल प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ही नहीं है वरन् संचार और रेडियो आदि में भी इसकी आवश्यकता है। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के उत्पादों की सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में खपत हो रही है। सरकार इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में विशेष गति लाने के लिए एक विशेष व्यवस्था करना चाहती है तथा इसी उद्देश्य से इस विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत लिया गया है।

सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में कई भ्रामक बातें कही गई हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्रिमंडीय सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं तथा उनका उत्तरदायित्व पूरे मंत्रिमंडल तथा पूरी सरकार पर होता है। आधुनिक व्यवस्था में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब किसी मंत्री को किसी मामले में स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है किन्तु उसे यह ध्यान रहता है कि उसे अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। विवादास्पद मामले मंत्रिमंडल में लाये जाते हैं तथा उन पर वहां निर्णय किया जाता है।

विपक्षी दल के कुछ सदस्यों ने व्यर्थ ही यह धारणा बनाई है कि सरकार में किसी प्रकार का मतभेद है। उन्होंने हममें फूट डालने की व्यर्थ प्रार्थनायें की हैं (**व्यवधान**)। मैं विपक्षी दल के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब वे इस संकटपूर्ण वर्ष में कुछ दाखिल नहीं कर पाये तो उन्हें आगामी कुछ महीनों में भी कुछ प्राप्त नहीं होगा।

महोदय : मुझे अपने सदजियों और उनकी देश और जनता के प्रति सेवा पर भरोसा है और इसी कारण हम एक समय मिलकर कार्य करने में समर्थ हैं। मैं श्री द्विवेदी से इस बात में सहमत हूँ कि सरकार को जितना काम अब तक कर लेना चाहिए था वह नहीं हो पाया।

मैं स्वयं मानती हूं कि हम हर कार्य पूरा नहीं कर पाये। किन्तु प्रजातंत्र प्रणाली में प्रगति की गति उनकी तीव्र नहीं होती जितनी अन्य प्रकार हो सकते हैं। फिर भी मैं अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ती तथा मानती हूँ कि हमें और गति से कार्य करना चाहिए।

संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में सारी शक्ति और सारे उत्तरदायित्व विधान मंडल पर होती है। बड़े देश में आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी शक्तियों तथा दायित्वों का विनियमन करने के लिए एक उचित व्यवस्था का होना अनिवार्य है। अतः मंत्री निःसन्देह प्रजा के सेवक हैं।

प्रशासनिक संगठन में कुछ खामियां हो सकती हैं किन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था को भ्रष्ट नहीं

कहा जा सकता क्योंकि प्रशासन में बहुत से अच्छे और पूर्ण कुशल व्यक्ति भी विद्यमान हैं जो किसी प्रकार विकसित देशों के प्रशासकों से कम कार्यकुशल नहीं हैं।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इस समस्या पर सदन में वाद-विवाद हुआ है तथा देश इस बात का स्वयं फैसला करेगा कि इस सम्बन्ध में किस के भाषण उत्तेजनात्मक थे।

शरणार्थियों की समस्या भी एक गम्भीर तथा चिन्ताजनक समस्या है। सरकार उनको बसाने का पूरा प्रयत्न कर रही है और सरकार का उत्तरदायित्व भी है। जैसा कि मैंने श्री समर गुह को कलकत्ते में अपने दौरे के बीच बताया था। मेरा वह दौरा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था तथा वे उद्देश्य में थे कि दिल्ली में किए गए विभिन्न निर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। इन निर्णयों में शरणार्थियों को बसाने का निर्णय भी सम्मिलित था।

इस अवसर पर मनीपुर के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं थी किन्तु चूंकि मामला उठाया गया है मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वहां 91 कानून तथा व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें चुनाव किये जा सकें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने भूमि सुधार के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि भूमि के सम्बन्ध में समता लाने के लिए केन्द्र और राज्यों में इतनी जागरूकता पहले कभी नहीं आई थी जितनी इस समय देखने को मिलती है।

कुछ महीने पहले हमने घोषणा की थी कि बंगाल में जिनके पास ऐसी भूमि है जिसे रख सकने के वे पात्र हैं तो उनसे उसे खाली नहीं कराया जायेगा। तथा उन्हें शीघ्र ही नियमित कर दिया जायेगा। इसी महीने के आरम्भ में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक बनाया गया था तथा उनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में से बर्गदारों का भाग 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है बशर्ते वे खाद आदि सभी चीजें आप ही लगाते हैं। जिन शर्तों के अन्तर्गत भूमिस्वामियों को भूमि को पुनःग्रहण करने की अनुमति दी गई है उन्हें बर्गदारों के अधिक अनुकूल बनाया गया है। जोत के अधिकार पित्रागत बना दिये गये हैं। भूमि की परिवार गत अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में एक नया कानून लाने का भी निर्णय किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से फालतू तथा बेकार पड़ी भूमि का पात्र जोतकर्ताओं में पुनः वितरण करने के कार्य को अधिक प्राथमिकता देने को कहा गया है। इस मामले में राज्य सरकार अधिकतम सीमा को पुनरक्षित कर रही है तथा वर्तमान कानून को शक्ति के साथ कार्यान्वित करा रही है। (व्यवधान) हजारों ऐसे भूस्वामियों को जिनके पास फालतू भूमि है नोटिस दिये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा को पुनरक्षित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में काश्तकारों द्वारा भूस्वामियों को दिये जाने वाले किराये को घटाकर उत्पादन का छठां हिस्सा कर दिया गया है। यह मात्रा देश में सबसे कम है। अब बहुत वर्षों के बाद भूमि सुधार के कार्यान्वित होने की पूरी आशा बंध गई है।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में सभा में जो चिन्तायें व्यक्त की गई हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं तथा मैं स्वयं भी चिंतित हूँ।

चालू वर्ष के लिए इस मामले में योजना बद्ध कार्यक्रम के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे रोजगार की स्थिति में कुछ प्रगति की जा सके। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकों के कार्ड बनाये जायें जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं में काम दिया जा सके।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सवाल है उनके बारे में यह आलोचना नहीं की जा सकती कि उनसे छोटे किसानों या अन्य छोटे लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं यह स्वीकार करती हूं कि अभी बहुत सी बातें पूरी करनी हैं।

कृषि कार्यों के लिए ऋण सम्बन्धी लोगों की संख्या जून 1969 के अन्त तक 1,34,849 रुपये थी जो मार्च, 1970 के अन्त तक 2,97,670 रुपये हो गई। इसी प्रकार जून 1969 में तक छोटे व्यापारियों तथा परचून व्यापारियों के लिए ऋण के लेखे 28,037 से बढ़कर मार्च, 1970 के अन्त तक 70,607 हो गये। मार्च, 1970 के अन्त तक ही ऋण लेने वाले स्वत: नियोजित व्यक्तियों की संख्या 22,030 हो गई जबकि जून 1969 तक इनकी संख्या 422 थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इस प्रकार के व्यक्तियों को कुल ऋण की मात्रा से मार्च 1970 के अन्त तक 20.3 प्रतिशत ऋण दिया गया है जबकि जून 1969 तक यह प्रतिशतता केवल 14.6 थी।

लाइसेंस जारी किये जाने की बात को लेकर निराधार आरोप लगाये गये हैं कि मैंने इस बात को अपने अधिकार में ले लिया है। निर्णय यह किया गया है कि कुछ विशिष्ट मामलों पर आर्थिक समन्वय सम्बन्धी समिति में विचार विमर्श किया जायेगा जिसमें सभी सम्बद्ध मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होगा। अत: इसमें शक्ति के केन्द्रीय करण का कोई प्रश्न नहीं है वरन यह तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व सम्भालने का प्रश्न है। औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को बेईमानी का उद्देश्य बताया गया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह दुष्टतापूर्ण आरोप है। देश के हित से बड़ा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।

मेरी तुलना हिटलर, स्टैटिन आदि से की गई है किन्तु मेरा निवेदन है कि यदि वे और पुस्तकें पढ़ते तो उन्हें कुछ और नामों का भी पता लग जाता। वास्तव में हिटलर के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। घृणा, द्वेष और झूठ आदि बातें हमने दूसरों के लिए छोड़ दी हैं।

रूस की सहायता के संबंध में सदन में बार-बार आरोप लगाये जा रहे हैं जो नितांत निराधार हैं। यह आरोप नये नहीं हैं। मेरे पिताजी के विरुद्ध भी यह आरोप लगाये गये थे और अब मेरे विरुद्ध भी लगाये जा रहे हैं। मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि मुझे केवल भारत की जनता की चिंता है। और इन आरोपों से सरकार सभी राष्ट्रों से मित्रता बनाये रखने से पीछे नहीं हटेगी क्योंकि हमारे राष्ट्र का इस में हित है। यदि यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा तो हम सभी राष्ट्रों का विरोध करने में भी नहीं सकुचा देगें। उदाहरण के लिए हमने एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर नहीं किये।

हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने सोचा था कि सम्भवत: सरकार हार मान जायेगी। किन्तु मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हम अपनी नीतियों,

का चाहे वह विदेश नीति है अथवा आन्तरिक नीति है, पालन करते रहेंगे। आशा है सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, the speech delivered by the Prime Minister today is a clear indication that she is escaping from the facts. Yesterday while I was speaking, at most all the Ministers were seen a appreciating my speech. Today no Minister is present here to defend the Government. We get a clear idea regarding the futile claim of the Prime Minister that there is unity among the Ministers, through the debate of the last three days.

Shri Dange has made his speech in ambiguous terms. On the one hand he says that this party cannot support the no-confidence motion, and on the other hand he says that they are not prepared to cast these confidence in the Government. He is really now between the horas of a dilemma.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, Sir, please listen to me what I say.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye : Shri Dange could not contradict even a single point presented by me.

Shri Bhogendra Jha*

Shri Madhu Limaye : I have told that the Prime Minister is concentrating political power in her hands. Shri Dange has admitted that. But he says that the economic concentration that has been increasing for the last two decades is reflected in the concentration of political Power also. Shri Dange himself has admitted that for the last one year there has been increasing concentration of power. But he is not supporting the motion.

The Prime Minister said that some personal allegation were levelled against her. I did not make any standerous remarks on any person. My allegations were based on political issues. The Chairman of Tourism who was a supporting the Government has said that "Power is concentrated as never before in the hands of the Prime Minister." On the one hand she swears in the name of socialism and at the same time Government is issuing licences to big capitalists like Birlas etc. The know that the Socialistic policies of this Government are were a show. As a result of all these things, today the gripe of monopoly in the entire Government is lightining up and economic and political concentration is assuming greater proportions.

The Prime Minister said that the cabinet secrerariat and Prime Minister Secretariat were not created by her. At that time there was not so much concentration of power in the Babinet Secretariat. But now electronics, scientific and Industrial Research, Personal Administration etc. are included in the Cabinet Secretariat. The finance Department was within the hands of the Prime Minister for one year. There is an overall increase by 12 percent in the deposit, but there is an amazing increase of 17 percent in credit given to speculators. She had beeen repeatedly saying that the Government would not allow the price of essential commodities to rise up. But this is also proved to be futile promise.

I have said that this Government is responsible for devaluation. But quite cunningly, they imposed the whole responsibility for devaluation on the shoulders of Shri Ashok

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

Mehta, The Prime Minister has not only devalued the rupee, but the Ministers also. When Shri Fakhruddin Ali Ahmed was the Minister for Industrial Development, there reached an agreement between him and the Bharat Heavy Electricals. But now I was told that either the Chairman or the General Manager is not prepared to honour the spirit of agreement. Whether Minister will assure the House, that if the agreement is not honoured, he will go out of the Cabinet ?

In a general meeting of the employees of Bharat Heavy Electricals, Shri Bhupesh Gupta is reported to have said that if the agreement is not honoured, he would bring in a non-confidence motion in the Government. But when he came here, he gave up the idea. This deal policy of the C. P. I. is hardly under and able or appreciate. They are more rightists than even Mr. Gandhi.

Our Military is increasingly depending upon U. S. S. R. They supply helicoptor, but they don't supply the spare parts. As a result, helicoptors cannot be flown. They supplied us 100-130 mm. gms. But they did not supply the barrels and other spare parts. This is equally right in the case of MIG planes also. The Government is misleading the House and the people under the protext of secrecy. They are not taking effective steps to meet the requriements of the defence forces.

I would make an appeal to the honourable Members to think seriously on the non-confidence motion. Some body raises the question as to what will happen in case the Government is voted out. If the Government is voted out, another will come to power. We are also capable of farming a Government. Hence, these need not be any apprehension in this matter. Let us try to fight out this Government today.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब यह प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री प्र० के० देव (ढेकानाल) : श्रीमान, राज्यसभा के सदस्यों को सदन से बाहर जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा के सदस्य जो मंत्री हैं, मतदान नहीं करेंगे ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उनका यहां बैठना न्याय संगत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

'कि यह सभा मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है ।"

सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 134, विपक्ष में 241

Ages 134, Noes 241

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

डा० धर्मतेजा के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT RE : DR. DHARMA TEJA

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : श्रीमन्, डा० राम सुभग सिंह ने आरोप लगाया है कि धर्मतेजा के संबंध में कुछ कागजात नष्ट कर दिये गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सारे कागजात नष्ट कर दिये गए हैं।

श्री रघु रामैया : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ। इसमें कोई सचाई नहीं है। सारे कागजात सरकार के पास है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं चुनौती देता हूँ। सारे कागजात नष्ट कर दिये गये हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरूवार, 30 जुलाई, 1970/8 श्रावण, 1892 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, that 30th July, 1970/Sravana 8, 1892 (Saka).

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

29 जुलाई, 1970 । 7 श्रावण, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
i	तीसरी पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये : `निधन संबंधी उल्लेख Obituary reference 1-4
xix	पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये : `भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के निदेशक मण्डल के संबंध में 6 मई, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8777 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण Statement correcting reply to USQ No. 8777 given on 6th May, 1970 Re: Board of Directors of India Films Export Corporation. '...137
39	पंक्ति 11, `356.1` के स्थान पर `3561` पढ़िये ।
60	पंक्ति 16, प्रश्न संख्या `45` के स्थान पर `453` पढ़िये ।